

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए
(सिविल एवं वाणिज्यक)

छत्तीसगढ़ शासन

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए
(सिविल एवं वाणिज्यक)

छत्तीसगढ़ शासन

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		ix
विहंगावलोकन		xi
पहला अध्याय- राज्य शासन का वित्त		
प्रस्तावना	1.1	1
गत वर्ष के संदर्भ में वित्त की प्रवृत्ति	1.2	3
वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरण का सार	1.3	4
लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली	1.4	4
आधारभूत सूचकों द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति	1.5	6
संसाधनों की प्रयुक्ति	1.6	9
आवंटीय प्राथमिकताओं पर व्यय	1.7	13
परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएँ	1.8	21
घाटे का प्रबन्धन	1.9	26
राजकोषीय अनुपात	1.10	27
दूसरा अध्याय- विनियोग लेखापरीक्षा एवं व्यय पर नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	31
विनियोग लेखे का सारांश	2.2	31
आवंटीय प्राथमिकताओं की पूर्ति	2.3	32
व्यय का पुनर्मिलान न किया जाना	2.4	37
पुनर्विनियोग/समर्पण की दोषपूर्ण स्वीकृतियाँ	2.5	38
व्यय की अधिकता	2.6	38
पाँच अनुदानों की नमूना जाँच के परिणाम	2.7	38
तीसरा अध्याय- निष्पादन मूल्यांकन		
सर्व शिक्षा अभियान (स्कूल शिक्षा विभाग)	3.1	41
धान एवं चावल का उपार्जन तथा वितरण (खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग)	3.2	61

जल संग्रहण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)	3.3	78
भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (भुईयाँ) (राजस्व विभाग)	3.4	92
राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारणों में वन्य प्राणियों का संरक्षण (वन विभाग)	3.5	112
चौथा अध्याय- लेन-देनों की लेखापरीक्षा		
कपटपूर्ण आहरण/दुर्विनियोजन/गबन/हानियाँ/अधिक भुगतान	4.1	123
वन विभाग		123
डिपो के भौतिक सत्यापन पर संशयित कपटपूर्ण व्यय	4.1.1	123
स्टाप डेम्स के निर्माण पर संदिग्ध कपटपूर्ण व्यय	4.1.2	124
अधिक भुगतान/निष्फल/निरर्थक व्यय	4.2	126
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
वसूली न होने से शासन को हानि	4.2.1	126
"इंदिरा हरेली सहेली योजना" के अंतर्गत निष्फल व्यय	4.2.2	128
लोक निर्माण विभाग		
उच्च दरों की प्रयुक्ति से अधिक भुगतान	4.2.3	129
ठेकेदार को अधिक भुगतान	4.2.4	130
जल संसाधन विभाग		
कार्य की अस्वीकार्य मद पर अधिक भुगतान	4.2.5	132
संविदात्मक बाध्यताओं का उल्लंघन/ठेकेदारों का अनुचित पक्ष/परिहार्य व्यय	4.3	133
जल संसाधन विभाग		
दोषपूर्ण अनुबंध के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान	4.3.1	133
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
परिहार्य अतिरिक्त लागत	4.3.2	134
लोक निर्माण विभाग		
उच्चतर विशिष्टियों को अपनाने के कारण अतिरिक्त लागत	4.3.3	135
व्यपवर्तन/निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/निधियों का अवरूद्ध होना	4.4	136
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
उपकरणों पर निष्क्रिय पूँजी	4.4.1	136

वेंटिलेटर्स के क्रय पर व्यपवर्तन एवं निष्क्रिय पूंजी	4.4.2	137
नियामक मुद्दे एवं अन्य बिन्दु	4.5	138
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य समिति में अनियमित व्यय	4.5.1	138
वन विभाग		
उड़नदस्ता द्वारा अनियमित व्यय	4.5.2	141
राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वनीकरण पर अनियमित व्यय	4.5.3	142
लोक निर्माण विभाग		
सड़क कार्यों पर अनियमित व्यय	4.5.4	143
पाँचवाँ अध्याय- सरकारी विभाग में आन्तरिक नियंत्रण तंत्र		
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग		
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में आंतरिक नियंत्रण	5.1	145
छठवाँ अध्याय		
सरकारी वाणिज्यिक एवं व्यापारिक गतिविधियाँ		
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन	6.1	157
निष्पादन मूल्यांकन		
छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम	6.2	165
छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम में "भण्डागारों का निर्माण, संचालन एवं अनुक्षण" पर निष्पादन मूल्यांकन		
लेन-देन लेखापरीक्षा प्रेक्षण	6.3	173
छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम		
अपूर्ण संविदा प्रबंध से हानि	6.3.1	173
भू-प्रव्याजि के वार्षिक पुनरीक्षण में विफलता से हानि	6.3.2	174
सह-प्रवर्तक का अनुचित पक्ष	6.3.3	175
शासकीय भूमि के संबंध में 12.20 लाख की कम वसूली	6.3.4	177
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल		
फीडर एवं ट्रांसफार्मर पेनल की खरीदी पर अतिरिक्त व्यय	6.3.5	178

परिशिष्ट

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका क्र.	पृष्ठ
1.1	31 मार्च 2006 को छत्तीसगढ़ सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	1.8	181
1.2	वर्ष 2005-06 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.8	183
1.3	निधियों के स्रोत एवं उपयोग	1.8	186
1.4	राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण	1.8	187
1.5	पहले अध्याय में उपयोग में लाए गए शब्दों की शब्दावली एवं उनकी संगणना का आधार	1.4	189
1.6	उपयोग न किये गए अनुदानों एवं ऋणों का विवरण पत्रक	1.7.1	190
1.7	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने वाली इकाईयों का विवरण पत्रक	1.7.1	191
1.8	पंचायतों द्वारा आवश्यकता से अधिक जारी अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.7.2.5	192
1.9(i)	जारी अनुदानों के विरुद्ध किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.7.2.7	193
1.9(ii)	जारी अनुदानों के विरुद्ध किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.7.2.7	194
1.10	वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम, व्यय एवं प्राप्ति	1.8.1	195
2.1	वे प्रकरण जिनमें व्यय एक करोड़ रुपये से अधिक राशि से कम पड़ा तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक से भी कम रहा	2.3.1	196
2.2	प्रकरण जिनमें अनुदानों की योजनाओं के अंतर्गत बचतें सारभूत रही	2.3.1	200
2.3	वे प्रकरण जिनमें केन्द्रीय योजनाओं के अधीन सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा	2.3.1	204

2.4	अनुदान/विनियोग जिनमें आधिक्य के नियमन की आवश्यकता है	2.3.2	205
2.5	प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए	2.3.4	206
2.6	प्रकरण जिनमें प्राप्त अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए	2.3.4	208
2.7	प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था	2.3.4	209
2.8	योजना के अंतर्गत सारभूत आधिक्य वाले प्रकरण	2.3.5	210
2.9	गलत पुनर्विनियोग	2.3.6	212
2.10	कुछ प्रकरण जिनमें निधियाँ समर्पण/पुनर्विनियोग द्वारा अविवेकपूर्ण ढंग से आहरित की गईं, यद्यपि लेखाओं में पहले से ही प्रावधान से अधिक व्यय दर्शाया गया था। कुछ प्रकरण जिनमें उपलब्ध बचत से अधिक निधियों का पुनर्विनियोग/समर्पण द्वारा अविवेकपूर्ण ढंग से प्रत्याहरण किया गया परिणामस्वरूप अंतिम रूप से आधिक्य रहा	2.3.6	214
2.11	बचत होने पर भी पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के अनावश्यक आवर्धन के प्रकरण	2.3.6	217
2.12	अधिक व्यय को आवरण करने हेतु पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के अत्यधिक आवर्धन के प्रकरण	2.3.6	218
2.13	बजट प्रावधान का व्यपगत होना	2.3.7	220
2.14	निधियों का समर्पण	2.3.7	222
2.15	अविवेकपूर्ण एवं अवास्तविक समर्पण/ऐसे प्रकरण जहाँ उपलब्ध बचत से अधिक राशि का समर्पण किया गया	2.3.8	225
2.16	पुनर्विनियोग/समर्पण की दोषपूर्ण स्वीकृतियाँ	2.5	226
2.17	वर्ष 2005-06 के दौरान व्यय की अधिकता	2.6	227
2.18	योजनाओं के अन्तर्गत सारभूत बचत का विवरण	2.7.2	228
2.19	शून्य व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.7.2	229
3.1	नमूना जाँच किये गए जिला, बी.आर.सी.एवं स्कूलों को दर्शाने वाला विवरण	3.1.6	231
3.2	एस.पी.ओ.द्वारा दिए गए व्यय के विवरण दर्शाने वाला पत्रक	3.1.7	234

3.3	राज्य, जिला, खण्ड एवं कस्बा स्तर पर प्रबंधन संरचना को दर्शाने वाला पत्रक (2004-05)	3.1.9.12	235
3.4	बजट आवंटन, व्यय और राजस्व कर्मियों के प्रशिक्षण का विवरण	3.4.7.9	236
3.5	वन्य प्राणी संख्या दर्शाने वाला पत्रक	3.5.4.6	237
4.1	ठेकेदार से गतिशील एवं मशीनरी अग्रिम की वसूली न होने के परिणामस्वरूप शासन को हानि दर्शाने वाला विवरण पत्रक	4.2.1	238
4.2	ठेकेदार से वसूली योग्य राशि दर्शाने वाला विवरण पत्रक	4.2.1	239
4.3	लोक निर्माण विभाग एवं प्र.म.ग्रा.स.यो.के द्वारा जारी दर अनुसूची के अनुसार विभिन्न दरों को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण पत्रिका	4.2.3	240
4.4	डामर की खपत उपयोग को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	4.2.4	241
4.5	जिला अस्पताल बैकुण्ठपुर में निष्क्रिय पड़े उपकरणों का विवरण	4.4.1	242
4.6	आई.ई.सी.पर अतिरिक्त व्यय दर्शित विवरण	4.5.1	243
4.7	वाल पेंटिंग कार्य	4.5.1	243
4.8	पोस्टर (23' X 18' आकार) छापाई कार्य	4.5.1	244
4.9	लेबोरेटरी कन्ज्यूमेबल्स के क्रय पर अतिरिक्त व्यय का विवरण	4.5.1	244
5.1	अनुपूरक सूचियों के माध्यम से कार्य अनियमित रूप से सौंपे जाने को दर्शाने वाला विवरण	5.1.6.1	245
5.2	संग्रहण एवं आवश्यकता आंकलन का विस्तृत विवरण	5.1.7.1	246
5.3	भौतिक संग्रह शेषों का विवरण	5.1.7.1	247
5.4	अन्य संभागों को अनियमित रूप से सामग्री स्थानांतरण का विवरण	5.1.7.2	248
6.1	सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के संबंध में 31 मार्च 2006 को बजट से प्राप्त पँजी ऋण/अंशपूँजी, अन्य ऋण और लंबित ऋणों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	6.1.1 6.1.3 6.1.4 6.1.5	249

6.2	सरकार कंपनियों और सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष के लिये, जिसके लेखाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका था, संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	6.1.1 6.1.6 6.1.7	251
6.3	वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता, प्राप्त गारण्टियों, बकाया का स्वत्व त्याग, ऋण जिनपर ऋण स्थगन दिया गया हो एवं वर्ष के दौरान अंशपूँजी में परिवर्तित ऋण और मार्च 2006 के अंत में प्राप्य सहायता तथा लंबित गारण्टियों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	6.1.1 6.1.5	253
6.4	विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	6.1.11	255

प्राक्कथन

- 1 संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।
- 2 इस प्रतिवेदन के पहले और दूसरे अध्याय में मार्च 2006 को समाप्त वर्ष तक की अवधि के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखों तथा विनियोग लेखों की जांच से उद्भूत मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं।
- 3 शेष अध्याय लोक निर्माण विभाग, सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों सहित विभिन्न विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेन-देनों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में है।
- 4 इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण उन प्रकरणों में से है जो वर्ष 2005-06 की अवधि के दौरान लेखों की नमूना जाँच के समय ध्यान में आए, साथ ही वे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे परन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था; 2005-06 के बाद की अवधि से संबंधित प्रकरण भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किए गए हैं।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में छः अध्याय सम्मिलित हैं, प्रथम दो अध्यायों में छत्तीसगढ़ के वित्त एवं विनियोग लेखों पर टिप्पणियों तथा शेष चार अध्यायों में, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की लेखापरीक्षा और सूचना प्राद्योगिकी लेखापरीक्षा सहित कुछ चयनित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की एक लम्बी कंडिका एवं छः निष्पादन समीक्षाएँ तथा विभिन्न सरकारी विभागों, सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के वित्तीय लेन-देनों पर 21 कंडिकाएँ सम्मिलित हैं।

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के लिए निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा नमूने सांख्यिकीय नमूना पद्धति के साथ-साथ निष्कर्ष के आधार पर लिए गये। कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिए जिन विशिष्ट लेखापरीक्षा मापदण्डों के अपनाया गया है उनका उल्लेख समीक्षाओं में किया गया है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा अनुसंशाएँ शासन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। इस विहंगावलोकन में लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्षों का सार प्रस्तुत किया गया है।

1. राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था का विहंगावलोकन

2005-06 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 21.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा राजस्व व्यय की तुलनात्मक वृद्धि (5.0 प्रतिशत) कम थी। परिणाम स्वरूप 2004-05 के दौरान 146 करोड़ रुपये के राजस्व आधिक्य से राज्य ने 1381 करोड़ रुपये का राजस्व आधिक्य प्राप्त किया। राज्य के स्वयं के स्रोत जिसमें कर एवं कर भिन्न राजस्व सम्मिलित है, का अंशदान राजस्व प्राप्तियों का 60 प्रतिशत था।

वर्ष 2005-06 में पूँजीगत व्यय थी 17 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2004-05 के 1279 करोड़ रुपये से 1497 करोड़ रुपये हो गया एवं 2005-06 में राजकोषीय घाटा 2004-05 के (1231 करोड़ रुपये) से घटकर (435 करोड़ रुपये) रहा। वेतन (मजदूरी सहित) एवं पेंशन (2800 करोड़ रुपये) तथा ब्याज भुगतान (962 करोड़ रुपये) इन दोनों ने राज्य की कुल प्राप्तियों का 43 प्रतिशत उपभोग किया अभी भी चिंता का क्षेत्र है। राजकोषीय देयताएँ भी 2001-02 के 7421 करोड़ रुपये से बढ़कर 2005-06 में 13270 करोड़ रुपये हो गई एवं ये देयताएँ सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 2001-02 के 25 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में 30 प्रतिशत हो गई।

2686.16 करोड़ रुपये की समग्र बचतें मूल अनुदान/विनियोजन की 23.9 प्रतिशत थीं। यह बचत, अनुदान एवं विनियोजन के 154 प्रकरणों में 2709.43 करोड़ रुपये की बचतों 23.27 करोड़ रुपये के आधिक्य को कम करने के परिणाम स्वरूप थी।

(कंडिकाएँ 1.1 एवं 2.7.3)

2. सर्व शिक्षा अभियान

वर्ष 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदाय करने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000-01 में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक स्तर की प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना तथा समुदान के सक्रीय योगदान से क्षेत्रीय, लैंगिक तथा सामाजिक श्रेणी की विषमताओं को प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 तक एवं प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक दूर करना भी लक्ष्य था। वर्ष 2002-05 में अनुमत्य केन्द्रांश 485.10 करोड़ रुपये के विरुद्ध राज्य परियोजना कार्यालय (एस.पी.ओ.) द्वारा उपलब्ध राशियों के उपयोग में असमर्थता से 301.20 करोड़ रुपये की राशि ही प्राप्त हुई योजना की विभिन्न गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी कम रही। बच्चों की पहचान के लिए पारिवारिक सर्वेक्षण अत्यधिक विलम्ब से जून 2004 में किया गया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001-05 के दौरान स्वीकृत शिक्षकों के 31913 पदों में से 22249 पद नहीं भरे गये। अधोसंरचना का विकास एवं उन्नयन काफी धीमा रहा। प्रबंधन के पद अत्यधिक संख्या में रिक्त पड़े हुए थे। शिक्षकों के प्रशिक्षण में भारी कमी रही। विशेष ध्यातव्य समूहों के लिए हस्तक्षेपणीय उपायों में कमी रही तथा शोध अध्ययनों हेतु अशासकीय संस्थाओं को संबद्ध नहीं किया गया तथा शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु पहल नहीं की गई।

(कंडिका 3.1)

3. धान एवं चावल का उपार्जन तथा वितरण

छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य फसल धान है। विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना 1 अप्रैल 2002 से लागू की गई थी। उपार्जन, संग्रहण एवं मिलिंग की प्रक्रिया के दौरान उपरिव्यय भारत सरकार के मानदण्डों से बहुत अधिक थे, जैसे- ब्याज भुगतान, भंडारण व्यय, मिलिंग व्यय तथा सूखत, जो राज्य शासन के दायित्व बन गये। मिलिंग में 28 माहों तक के विलंब हुए तथा प्राधिकरणों के मध्य प्रतिपूर्ति की पद्धति दोषपूर्ण थी जिसके कारण ब्याज का अधिक भुगतान हुआ। भारत सरकार से त्रुटिपूर्ण सबसिडी दावे किये गये, धान एवं चावल संग्रहण में क्षतियाँ हुई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा कल्याणकारी योजनाओं में चावल के वितरण व लेखाकरण में नियंत्रण अक्रियाशील/अनुपस्थित रहे।

(कंडिका 3.2)

4. जल संग्रहण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

सूखे की स्थिति दूर कर, मरुस्थलीकरण को रोकने एवं भूमि की उर्वरता में सुधार कर आर्थिक रूप से कमजोर तबके की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु जल संग्रहण विकास कार्यक्रमों को आरंभ किया गया था। वर्ष 2001-06 के दौरान जल संग्रहण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, त्रुटिपूर्ण जल संग्रहण परियोजनाओं का योजनाकरण एवं ग्रामों के दोषपूर्ण चयन के वजह से बाधित रहा। घटकों का क्रियान्वयन निर्धारित अनुक्रम से नहीं किया गया एवं कुछ उपेक्षित रहे। प्रारंभिक चार/पाँच वर्षों में चयनित जिलों में गतिविधियों की प्रगति 62 प्रतिशत रही।

(कड़िका 3.3)

5. भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (भूइयाँ)

भूमि सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा 1988-89 में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना प्रारंभ की गई थी। साफ्टवेयर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा तैयार किये गये थे। योजना के अंतर्गत राज्य में कम्प्यूटरीकरण हेतु खसरा और खतौनी पंजियों के विवरण लिए गये। पूर्ववर्ती राज्य में 1988-89 में आरंभ की गई तथा नवम्बर 2002 में "भूइयाँ" के नाम से पुनः प्रारम्भ की गई योजना 13.91 करोड़ रुपये खर्च होने के उपरांत भी त्रुटिपूर्ण आयोजना, निम्न स्तरीय क्रियान्वयन तथा निरीक्षण के कारण अभी भी कार्य करने के स्तर तक नहीं पहुँच सकी।

4.40 करोड़ रुपये को व्यपगत होने से बचाने के लिए अनियमित रूप से आहरित कर नगद/बचत खाता में रखे गये और भारत सरकार को गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे गये। 2004-06 में विभाग 6.24 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का उपयोग करने में असफल रहा।

साफ्टवेयर पर परिहार्य व्यय (24 लाख रुपये), हार्डवेयर पर निष्फल व्यय (22.57 लाख रुपये), निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ (2.47 करोड़ रुपये), अंतिम मुद्रित प्रतियों पर निष्फल व्यय (1.29 करोड़ रुपये), भूमि के नक्शों के अंकीकरण पर निरार्थक व्यय (45.68 लाख रुपये), अपात्र व्यक्तियों को हार्डवेयर का व्यपवर्तन तथा राजस्व कर्मियों की प्रशिक्षण पर अनुत्पादक व्यय पाया गया।

निजी संस्थाओं द्वारा संगणित डेटा में खाली स्थान और भरपूर त्रुटियाँ थीं। इसके अलावा तहसील प्रणालियों में प्रारंभिक डेटा स्थापना के उपरांत बमुश्किल कोई अद्यतनीकरण हुआ था। उच्च खतरों से बचने के लिए प्रणालियों में पुनः प्राप्ति, बैकअप और वाइरस रोधक योजनाओं का उचित रूप से निर्धारण और अनुसरण नहीं किया गया था।

(कड़िका 3.4)

6. राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों का संरक्षण

छत्तीसगढ़ वन्य प्राणियों इनके पर्यावरण की सुरक्षा प्रसार एवं विकास राज्य विभाग को सौंपा गया है। इस उद्देश्य हेतु वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 राज्य शासन को किसी भी वन्य प्राणी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण घोषित करने एवं प्रबंधन हेतु सक्षम बनाता है। वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं इनके रहवास के उद्देश्यों को अत्यंत न्यून प्राथमिकता दी गई थी। बजट आवंटन अपर्याप्त था, किसी भी संरक्षित क्षेत्र के लिए अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, सीमांकन एवं पुनर्वास बहुत धीमा था, संचार तंत्र नितान्त सीमित था। अवैध शिकार निरोधक परिचालन को अनदेखा किया गया था। अभ्यारण्यों में पशु चिकित्सा सेवाएँ नहीं थी, वन रक्षक अप्रशिक्षित तथा वृद्ध थे एवं कुछ

अभ्यारणों में वन्य प्राणियों की संख्या में तीव्रता से गिरावट दिखाई दे रही थी। विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लिए विभिन्न निकायों का गठन या तो नहीं किया गया था या असावधानी से कार्य कर रहे थे।

(कंडिका 3.5)

7. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में आंतरिक नियंत्रण

विभाग की संहिताओं नियमों एवं विनियमों में आंतरिक नियंत्रण दिये गये हैं। आंतरिक नियंत्रण तंत्र के अनुपालन से प्रचालन एवं वित्तीय मामलों में त्रुटि एवं अनियमितताओं का जोखिम कम होता है एवं विभागीय प्रचालनों में दक्षता तथा लेखाकरण एवं वित्तीय प्रतिवेदनों में विश्वसनीयता प्राप्त करने का आश्वासन रहता है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा में बजटीय, व्यय से संबंधित, प्रचालन एवं मालसूची नियंत्रण में कमजोरियाँ प्रकट हुईं जिनके कारण व्यय में बचतें एवं आधिक्य, व्यय की अधिकता, संग्रह लेखों का पुनर्मिलान न होना, अत्यधिक क्रय, संग्रह का परिहार्य संचयन, दोषपूर्ण निविदा पद्धतियों एवं ठेकेदारों से वसूली न होने के प्रकरण हुए। विभागीय निरीक्षण अपर्याप्त या एवं आंतरिक लेखापरीक्षा संरचना भी नहीं थी।

(कंडिका 5.1)

8. लेन-देनों की लेखापरीक्षा

परीक्षण जाँच के तहत किये गये सरकार के वित्तीय लेन-देनों तथा उसके क्षेत्र इकाईयों की लेखापरीक्षा में संदिग्ध गबन के दृष्टांत, अधिक व्यय, अधिक भुगतान तथा 14.08 करोड़ रुपये की अनियमितताएँ पाई गईं, उनमें से कुछ का नीचे उल्लेख किया गया है:-

वन विभाग में 39.52 लाख रुपये का संदिग्ध गबन व्यय पाया गया, 2.07 करोड़ रुपये का निरर्थक पाया गया (लोक निर्माण विभाग- 44.12 लाख रुपये, जल संसाधन विभाग- 18.80 लाख रुपये तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग- 1.44 करोड़ रुपये)।

5.24 करोड़ रुपये का अधिक व्यय पाया गया (जल संसाधन विभाग- 3.48 करोड़ रुपये, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग- 1.57 करोड़ रुपये तथा लोक निर्माण विभाग- 19.27 लाख रुपये)।

(कंडिका 4.1 से 4.5)

9. शासकीय वाणिज्यिक एवं व्यापार गतिविधियाँ

31 मार्च 2006 को राज्य शासन के नियंत्रण में 10 सरकारी कम्पनियाँ एक विद्युत नियामक आयोग तथा दो सांविधिक निगम (सभी कार्यशील) थे। 12 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 997.87 करोड़ रूपयों का कुल निवेश था। दस सरकारी कम्पनियों तथा दो सांविधिक निगमों में से किसी ने भी वर्ष 2005-06 के लिए अपने लेखों को

अंतिम रूप नहीं दिया था। नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार चार कार्यरत सरकारी कम्पनियों ने 41.85 करोड़ रुपये की सकल हानि उठाई तथा दो सरकारी कम्पनियों एवं दो साविधिक निगमों ने 370.75 करोड़ रुपये का लाभ कमाया।

(कंडिका 6.1)

छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम मर्यादित में भण्डागारों का निर्माण संचालन एवं अनुरक्षण पर निष्पादन मूल्यांकन

मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम (एम.पी.एस.डब्ल्यू.सी.) के विभाजन के पश्चात 2 मई 2002 को छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह मर्यादित, रायपुर (निगम) का गठन हुआ। सात वर्षीय गारंटी योजना के अंतर्गत भंडार गृहों के निर्माण के पूर्व निगम स्थल चयन करने में भारतीय खाद्य निगम के साथ समन्वय करने में विफल रहा। परिणाम स्वरूप 5.94 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित भण्डार गृहों की अधिवासाधिकार अनुपात पिछले चार वर्षों के दौरान गिरता देखा गया। भंडारण हानि के संबंध में जमाकर्ताओं के लिए एक समान मानदण्डों का निर्धारण नहीं करने के परिणाम स्वरूप 6.62 करोड़ रुपये अवरूद्ध हुए।

(कंडिका 6.2)

लेन-देनों की लेखापरीक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग विकास निगम मर्यादित, अपूर्ण संविदा प्रबंधन के कारण एक ऋण लेने वाले दोषी से ऋण एवं ब्याज के 2.42 करोड़ रुपये वसूल करने में विफल रहा।

(कंडिका 6.3.1)

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित द्वारा 2003-05 के दौरान आवंटित की गई 109.1304 हेक्टेयर भूमि पर वार्षिक रूप से भू प्रव्याजि का पुनरीक्षण न करने से 2.08 करोड़ रुपये की हानि उठायी गई।

(कंडिका 6.3.2)

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित ने अधूरे फूड पार्क पर 1.59 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय किया एवं शासन और निदेशक के आदेशों के उल्लंघन में सह प्रवर्तक को निधियाँ विमुक्त करके 31 लाख रुपये के गबन में सुगमता दी।

(कंडिका 6.3.3)

शासन के निर्देशों के उल्लंघन में, औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पट्टे पर दी गई 21.453 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर 12.20 लाख रुपये की मौद्रिक क्षतिपूर्ति की वसूली में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित, विफल रहा।

(कंडिका 6.3.4)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल ने प्रथम आमंत्रण में प्राप्त न्यून दरों को निरस्त कर बाद की निविदा के विरुद्ध उच्च दरों पर फीडर एवं ट्रांसफार्मर पनेल के क्रय में 27.29 लाख

रूपये का अतिरिक्त व्यय किया।

(कंडिका 6.3.5)

पहला - अध्याय

राज्य शासन की वित्त व्यवस्था

सारांश

वर्ष 2005-06 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 21.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और राजस्व व्यय में (5.0 प्रतिशत की) अपेक्षाकृत कम वृद्धि थी। परिणामस्वरूप वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य ने रूपये 1381 करोड़ की राजस्व बचत अर्जित की। पूंजीगत व्यय में भी 2004-05 में 1279 करोड़ रूपये से बढ़कर 2005-06 में 1497 करोड़ रूपये का हो जाने से 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजकोषीय घाटा 2004-05 में ₹.1231 करोड़ से कम होकर 2005-06 में रूपये 435 करोड़ रह गया।

वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में सार्थक वृद्धि कर राजस्व में 26 प्रतिशत, सहायतानुदान में 16 प्रतिशत एवं केन्द्रीय कर अन्तरण में 34 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई। वर्ष 2004-05 की तुलना में, वर्ष के दौरान कर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः बिक्री व्यापार आदि पर कर (415 करोड़ रूपये), राज्य आबकारी (177 करोड़ रूपये), स्टाम्प और रजिस्ट्री फीस (65 करोड़ रूपये) इत्यादि में हुई। विक्रय, व्यापार आदि पर कर राज्य के स्वयं के कर राजस्व का मुख्य स्रोत था जो कर राजस्व का 52 प्रतिशत रहा, इसके बाद राज्य आबकारी (15 प्रतिशत), स्टाम्प और रजिस्ट्री फीस (8 प्रतिशत) एवं माल और यात्रियों पर कर (10 प्रतिशत) इत्यादि रहे। कर-भिन्न राजस्व के स्रोतों में प्रमुख अंशदाता धातु खनिज एवं धातुकर्म उद्योग (59 प्रतिशत) तथा वानिकी एवं वन्य जीव (17 प्रतिशत) रहे। राज्य के स्वयं के संसाधनों से प्राप्त कर एवं कर भिन्न राजस्व का राजस्व प्राप्तियों में 60 प्रतिशत का अंशदान था।

राज्य का व्यय कुल मिलाकर 9.4 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 2004-05 में 8495 करोड़ रूपये से बढ़कर 2005-06 में 9291 करोड़ रूपये हो गया। राजस्व व्यय, जो कि कुल व्यय का 80.3 प्रतिशत था, वर्ष 2005-06 में 5.0 प्रतिशत की दर से बढ़ा।

अधिक ध्यान देने योग्य क्षेत्रों में, वेतन (मजदूरी सहित) एवं पेंशन (2800 करोड़ रूपये) तथा ब्याज भुगतान (962 करोड़ रूपये) ने ही राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 43 प्रतिशत का उपभोग कर लिया; राजकोषीय देयताएं जो 2001-02 में 7421 करोड़ रूपये से बढ़कर 2005-06 में 13270 करोड़ रूपये हो गईं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के अनुपात के रूप में ये देयताएं 2001-02 में 25 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में 30 प्रतिशत हो गईं तथा वे राजस्व प्राप्तियों का 1.5 गुना थी।

1.1 प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे उन्नीस विवरणों में निहित हैं, जिनमें राज्य सरकार की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे में राजस्व प्राप्तियाँ और व्यय के साथ ही पूंजीगत प्राप्तियाँ और व्यय प्रदर्शित हैं। वित्त लेखों की रूप रेखा बॉक्स 1.1 में वर्णित है।

बॉक्स 1.1

विवरण क्रमांक 1 राज्य सरकार के लेन-देनों के सारांश का प्रदर्शन करता है- राज्य की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे में प्राप्तियाँ और व्यय, राजस्व एवं पूंजीगत मदें, लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं भुगतान आदि।

विवरण क्रमांक 2 में 2005-06 के अंत तक प्रगामी व्यय दर्शाते हुए पूंजीगत परिव्यय का संक्षिप्त विवरण निहित है।

विवरण क्रमांक 3 में सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम, उनकी राजस्व प्राप्तियाँ चालन व्यय और संधारण प्रभार, पूंजीगत परिव्यय, निवल लाभ या हानि इत्यादि दिए गए हैं।

विवरण क्रमांक 4 में राज्य के ऋणों की स्थिति जिसमें आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से उधारियां, अन्य अनुगृहिताओं और ऋणों की सेवाएं निहित हैं, का सारांश दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 5 राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दिए गए ऋणों और अग्रिमों, किए गए पुनर्भुगतान और वसूलियों की बकाया, इत्यादि का सारांश दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 6 सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों आदि के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा दी गई गारंटी का सार दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 7 ऐसे शेषों से निर्मित नगद शेषों और निवेशों का सारांश दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 8 31 मार्च 2006 की स्थिति में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 9 वर्ष 2005-06 के लिये विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत राजस्व और व्यय को कुल राजस्व/व्यय के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 10 वर्ष के दौरान प्रभारित और दत्तमत व्यय के मध्य वितरण दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 11 लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 12 में राजस्व व्यय के लेखे योजना, राज्य योजनागत और केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत पृथक रूप से लघु शीर्षों के अधीन एवं पूंजीगत व्यय के लेखे मुख्य शीर्ष वार दर्शाए गए हैं।

विवरण क्रमांक 13 2005-06 के दौरान और इसके अंत तक किए गए पूंजीगत व्यय का विवरण दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 14 2005-06 के अंत तक सांविधिक निगमों, शासकीय कंपनियों अन्य संयुक्त पूंजी कंपनियों, सहकारी बैंकों और समितियों इत्यादि में राज्य सरकार के निवेश का विवरण दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 15 2005-06 के अंत तक पूंजीगत और अन्य व्यय एवं इस व्यय के लिए जिन मुख्य स्रोतों से निधियाँ जुटाई गईं को दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 16 ऋण, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से सम्बंधित लेखाओं के शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरणों और शेषों के विस्तृत लेखे दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 17 छत्तीसगढ़ सरकार के ऋणों और अन्य ब्याजधारी बाध्यताओं का विस्तृत लेखा प्रदर्शित करता है।

विवरण क्रमांक 18 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदान किए गए ऋणों और अग्रिमों का विस्तृत लेखा, वर्ष के दौरान ऋणों की राशि का पुनर्भुगतान, 31 मार्च 2006 की स्थिति में शेष और वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज की राशि का विवरण दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 19 चिन्हित रक्षित निधियों के शेषों का विवरण दर्शाता है।

1.2 गत वर्ष के संदर्भ में वित्त की प्रवृत्ति

गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य शासन की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थी:-

(राशि करोड़ रुपये में)

2004-05	क्रम संख्या	मुख्य संकलन	2005-06
भाग - क प्राप्तियाँ			
7249	1	राजस्व प्राप्तियाँ (2 + 3 + 4)	8838
3228	2	कर राजस्व	4052
1244	3	कर भिन्न राजस्व	1229
2777	4	अन्य प्राप्तियाँ	3557
15	5	बिना ऋण वाली पूंजीगत प्राप्तियाँ	18
15	6	उनमें से ऋण की वसूली	18
7264	7	कुल प्राप्तियाँ (1 + 5)	8856
भाग-ख व्यय			
5509	8	आयोजनेत्तर व्यय (9+11)	5478
5483	9	राजस्व लेखों पर	5449
1152	10	उनमें से ब्याज का भुगतान	962
26	11	पूँजीगत लेखों पर	29
23	12	उनमें से ऋण वितरण	25
2986	13	आयोजना व्यय (14+15)	3813
1620	14	राजस्व लेखों पर	2008
1366	15	पूँजीगत लेखों पर	1805
90	16	उनमें से ऋण वितरण ¹	312
8495	17	कुल व्यय (8+13)	9291
भाग-ग घाटा			
1231	18	राजकोषीय घाटा (17-1-5)	435
(+)146	19	राजस्व घाटा (-)/बचत (+)(9+14-1)	(+) 1381
79	20	प्रारम्भिक घाटा (+)/बचत(-)(18-10)	(-) 527

¹

अन्तर्राज्यीय समाशोधन के समायोजन सहित ऋण एवं अग्रिम

1.3 वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरण का सार

तालिका 1: जैसा कि वित्त लेखे के विवरण पत्र 1 एवं अन्य विस्तृत विवरण पत्रों से प्रकट होता है, वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय, पूँजीगत प्राप्तियों व व्यय, लोक ऋण प्राप्तियों एवं संवितरण को समाहित कर वर्ष 2005-06 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के वित्त को सारांशीकृत करती है।

तालिका 1: वर्ष 2005-06 हेतु प्राप्तियों और संवितरण का सार

(राशि करोड़ रुपये में)

2004-05	प्राप्तियाँ	2005-06	2004-05	संवितरण	2005-06		
खण्ड-क राजस्व							
					आयोजनेतर	आयोजनागत	योग
7249	I राजस्व प्राप्तियाँ	8838	7103	I राजस्व व्यय	5449	2008	7457
3228	कर राजस्व	4052	2494	सामान्य सेवाएं	2182	4	2186
1244	कर - भिन्न राजस्व	1229	2431	सामाजिक सेवाएं	1571	1277	2848
1876	संघीय करों/ शुल्कों का अंश	2508	1926	आर्थिक सेवाएं	1363	727	2090
901	भारत सरकार से अनुदान	1049	252	सहायता अनुदान / अंशदान	333	--	333
खण्ड-ख पूँजीगत							
--	II विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	1279	II पूँजीगत परिव्यय	4	1493	1497
15	III ऋण और अग्रिमों की वसूलियाँ ²	18	113	III ऋण और अग्रिमों का संवितरण ²	25	312	337
1910	IV लोक ऋण प्राप्तियाँ	1234	1152	IV लोक ऋण का भुगतान	444	--	444
9295	V लोक लेखा प्राप्तियाँ	10807	8536	V लोक लेखा संवितरण	10551	--	10551
415	प्रारम्भिक शेष	701	701	अन्तिम शेष	1312	--	1312
18884	योग	21598	18884	योग	17785	3813	21598

1.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

वर्ष 2005-06 के वित्त लेखों के विवरण में प्राप्तियों एवं व्यय की मुख्य राजकोषीय प्रवृत्तियों को लेखापरीक्षा प्रेक्षकों द्वारा दर्शाया जाता है।

इस उद्देश्य के लिए अपनाए गए आधारभूत सूचक हैं (i) संसाधनों का परिमाण एवं स्रोत (ii) संसाधनों का उपयोग (iii) परिसम्पत्तियाँ और देयताएं और (iv) घाटे का प्रबंधन। लेखापरीक्षा प्रेक्षकों में संसाधन के संग्रहण के प्रयत्नों के संचयी प्रभाव, ऋण सेवाओं और सुधारात्मक राजकोषीय उपायों को भी लिया गया है। कुल मिलाकर राज्य सरकार का वित्तीय निष्पादन एक निकाय के रूप में सामान्यतः राजकोषीय तत्वों की सापेक्ष व्याख्या हेतु अपनाए जाने वाले अनुपातों के एक समूह के उपयोग द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

प्रतिवेदित मापदण्ड बॉक्स 1.2 में दर्शाए गए हैं।

² अन्तर्राज्यीय समाशोधन के समायोजन सहित ऋण एवं अग्रिम

बॉक्स 1. 2 प्रतिवेदित मापदण्ड
<p>राजकोषीय तत्व जैसे कर और कर भिन्न राजस्व, राजस्व और पूँजीगत व्यय, आंतरिक एवं बाह्य ऋण और राजस्व एवं राजकोषीय घाटे प्रचलित बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं । राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग द्वारा प्रकाशित 1993-94 पर आधारित नवीन सकल राज्य घरेलू उत्पाद श्रृंखला का उपयोग किया गया है ।</p> <p>कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, राजस्व व्यय इत्यादि के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के आधार के संदर्भ में उतार-चढ़ाव की सीमा में आगामी अनुमानों पर तरलशीलता प्रक्षेत्र भी प्रस्तुत किए गए हैं ।</p> <p>राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में अनुपात भी दर्शाए गए हैं । कुछ शब्दों के उपयोग को परिशिष्ट- 1.5 में स्पष्ट किया गया है ।</p>

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक लेखा में रखे गये हैं । ये बॉक्स 1.3 में परिभाषित हैं ।

बॉक्स 1.3 राज्य सरकार की निधियाँ और लोक लेखा	
<p>समेकित निधि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, विनिमय पत्र द्वारा प्राप्त समस्त ऋण, आंतरिक और बाह्य ऋण और ऋणों के पुर्नभुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन एक समेकित निधि का निर्माण करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत यह निधि राज्य की समेकित निधि के नाम से स्थापित की गई है ।</p>	<p>आकस्मिकता निधि भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई। यह अग्रदाय के रूप में होती है, इसे अत्यावश्यक अनवेक्षित व्यय हेतु अग्रिम प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है, इस व्यय को बाद में विधायिका द्वारा अधिकृत किया जाता है । बाद में विधानमंडल द्वारा ऐसे व्यय का अनुमोदन और समान राशि समेकित निधि से आहरण करने की अनुमति प्राप्त की जाती है । तब आकस्मिकता निधि से अग्रिमों की इस निधि (समेकित) द्वारा भरपाई की जाती है ।</p>
<p>लोक लेखा समेकित निधि से सम्बन्धित सरकार की सामान्य प्राप्तियों और व्यय के अतिरिक्त, ये शासकीय लेखे में दर्शाए जाने वाले ऐसे लेन-देन हैं, जिनके सम्बन्ध में सरकार, साहूकार के रूप में कार्य करती है । भविष्य निधियाँ, लघु बचतें, अन्य जमाएं, इत्यादि से सम्बन्धित लेन-देन, कुछ उदाहरण हैं । इस प्रकार प्राप्त लोक धन संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है और इसी से सम्बन्धित संवितरणों को किया जाता है ।</p>	

1.5 आधारभूत सूचकों द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति

1.5.1 संसाधनों का परिमाण एवं स्रोत

राज्य सरकार के संसाधनों में राजस्व प्राप्तियाँ और पूँजीगत प्राप्तियाँ और लोक लेखा से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्क में राज्यांश और केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण और अग्रिमों की वसूली, आन्तरिक साधनों से प्राप्तियाँ अर्थात् बाजार से कर्ज, वित्तीय संस्थानों/व्यापारिक बैंकों इत्यादि से उधारियाँ आदि और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम सम्मिलित हैं। लोक लेखा प्राप्तियों में लोक लेखा में नगद और नगद निवेश को छोड़कर सभी जमा सम्मिलित हैं।

तालिका - 2 राज्य शासन की वर्ष 2005-06 के लिये 20,897 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियाँ दर्शाती है। इसमें से राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियाँ केवल 8,838 करोड़ रुपये की हैं जो कुल प्राप्तियों का 42 प्रतिशत होती है। शेष प्राप्तियाँ उधारियों एवं लोक लेखे से प्राप्त हुईं।

तालिका 2: छत्तीसगढ़ के संसाधन (2005-06)

(राशि करोड़ रुपये में)

I राजस्व प्राप्तियाँ			8,838
II पूँजीगत प्राप्तियाँ			1,252
	(अ)	विविध प्राप्तियाँ	--
	(ब)	ऋणों और अग्रिमों की वसूली	18
	(स)	लोक ऋण प्राप्तियाँ	1,234
III लोक लेखा प्राप्तियाँ			10,807
	(अ)	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	380
	(ब)	आरक्षित निधि	247
	(स)	जमा और अग्रिम	1,020
	(द)	उचंत और विविध	6,581
	(य)	प्रेषण	2,579
कुल प्राप्तियाँ			20,897

तालिका-3 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में और विभिन्न स्रोतों से प्राप्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई गई है। जहां 2001-02 से 2005-06 में राजस्व प्राप्तियाँ 102 प्रतिशत बढ़ी, ऋण प्राप्तियाँ उतार चढ़ाव के साथ 2001-02 से 2003-04 में 144 प्रतिशत बढ़ी तथा 2004-05 एवं 2005-06 में कम हुईं (2003-04 का क्रमशः 21 एवं 49 प्रतिशत)।

तालिका-3 प्राप्तियों के साधन: प्रवृत्तियाँ

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियाँ	पूँजीगत प्राप्तियाँ		लोक लेखा से प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	सकल राज्य घरेलू उत्पाद ³
		ऋण भिन्न प्राप्तियाँ	ऋण प्राप्तियाँ			
2001-02	4376	09	995	5620	11000	29545
2002-03	5417	19	1613	6924	13973	31588
2003-04	5959	11	2432	7071	15473	38610
2004-05	7249	15	1910	9295	18469	40220
2005-06	8838	18	1234	10807	20897	44118

1.5.2 राजस्व प्राप्तियाँ -

सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण वित्त लेख के विवरण पत्र 11 में है। राज्य की राजस्व प्राप्तियों में राज्य का अपना कर और कर भिन्न राजस्व, भारत सरकार से अंतरित केन्द्रीय कर और सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।

समग्र राजस्व प्राप्तियाँ, उनकी वार्षिक वृद्धि की दर, इन प्राप्तियों का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात और इनकी तरलशीलता तालिका 4 में दर्शाई गई है।

तालिका-4 राजस्व प्राप्तियाँ - आधारभूत मानदण्ड

(मूल्य: करोड़ रुपये में और अन्य प्रतिशत में)

	2001-02*	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
राजस्व प्राप्तियाँ (करोड़ रुपये में)	4376	5417	5959	7249	8838
वृद्धि की दर (प्रतिशत)	-	23.8	10.0	21.6	21.9
स्वयं के कर (प्रतिशत)	1993 (45.5)	2337 (43.0)	2588 (43.4)	3228 (44.5)	4052 (45.8)
कर भिन्न राजस्व (प्रतिशत)	722 (16.5)	957 (17.7)	1124 (18.9)	1244 (17.2)	1229 (13.9)
केन्द्रीय कर अंतरण (प्रतिशत)	1176 (26.9)	1350 (24.9)	1570 (26.3)	1876 (25.9)	2508 (28.4)
सहायता अनुदान (प्रतिशत)	485 (11.0)	783 (14.5)	677 (11.4)	901 (12.4)	1049 (11.9)
राज्य आयोजना के लिए अनुदान	148 (30.5)	264 (33.7)	308 (45.5)	442 (49)	525 (50)
राजस्व प्राप्तियाँ/राज्य सकल घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	14.8	17.1	15.4	18.0	20.0
राज्य सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि (प्रतिशत)	-	6.91	22.23	4.17	9.69
राजस्व तरलशीलता (अनुपात)- कुल	-	3.44	0.45	5.19	2.26
स्वयं की कर की तरलशीलता	-	2.42	0.50	5.93	2.63


* छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवम्बर 2000 को हुआ था। इसलिए वृद्धि की दर, राजस्व तरलशीलता और राज्य सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि निर्धारित नहीं की गई।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 2001-02 की 4376 करोड़ रुपये से 20 प्रतिशत की औसत दर से बढ़कर 2005-06 में 8838 करोड़ रुपये हो गईं। राज्य सरकार के अपने

³ वर्ष 2001-02 से 2004-05 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आँकड़े राज्य शासन द्वारा बदले गये एवं वर्ष 2005-06 के लिए अन्तिम आँकड़े प्रतीक्षित हैं; अनुमानित आँकड़े राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये।

संसाधनों से औसतन 60 प्रतिशत का राजस्व आया। सहायता अनुदान और केन्द्रीय कर अंतरण दोनों का कुल राजस्व में लगभग 40 प्रतिशत अभिदान था।

(राशि करोड़ रुपये में)



प्राथमिक रूप से 2005-06 में राजस्व प्राप्ति में 1589 करोड़ की वृद्धि, कर राजस्व में 26 प्रतिशत की वृद्धि, भारत सरकार के केन्द्रीय करों और शुल्क में राज्य के अंश में 34 प्रतिशत की वृद्धि के कारण थी। कर राजस्व के मुख्य स्रोत विक्रय व्यापार आदि पर कर (52 प्रतिशत), राज्य आबकारी (15 प्रतिशत), विद्युत कर और शुल्क (नौ प्रतिशत) वस्तुओं और यात्रियों पर कर (10 प्रतिशत), मुद्रांक और पंजीयन शुल्क (आठ प्रतिशत), इत्यादि थे। स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि में विक्रय व्यापार आदि पर कर में 415 करोड़ रुपये (24.8 प्रतिशत) की, राज्य आबकारी में 177 करोड़ रुपये (38.6 प्रतिशत) की एवं वस्तुओं और यात्रियों पर कर में 108 करोड़ रुपये (37.6 प्रतिशत) की वृद्धि का अभिदान था।

सहायता अनुदान में 2004-05 के 901 करोड़ रुपये से 1049 करोड़ रुपये की वृद्धि में वर्धित केन्द्रीय आयोजनेत्तर अनुदानों (23 प्रतिशत), राज्य योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान (19 प्रतिशत) तथा केन्द्रीय एवं केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान में आठ प्रतिशत का अभिदान अंकित हुआ।

राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति में कर भिन्न राजस्व का योगदान 2004-05 के 1244 करोड़ रुपये से आंशिक रूप से गिरावट के साथ घटकर वर्ष 2005-06 में 1229 करोड़ रुपये हुआ है। कर भिन्न राजस्व मुख्य रूप से अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग (59 प्रतिशत) और वन तथा वन्य जीव (17 प्रतिशत) से प्राप्त हुआ। उपरोक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत प्राप्ति क्रमशः 6 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत तक बढ़ीं। तथापि, ऊर्जा से प्राप्ति 2004-05 के दौरान प्रतिवेदित 100 करोड़ रुपये से घटकर निरंक हुई।

1.5.3 राजस्व बकाया का विश्लेषण

राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2006 की स्थिति में राजस्व बकाया की राशि 3940.65 करोड़ रुपये थी जिसमें से 2658.49 करोड़ रुपये (67 प्रतिशत) पाँच वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे।

बकाया मुख्य रूप से वाणिज्यिक कर (3897.24 करोड़ रुपये), वाहनों पर कर (3.80 करोड़ रुपये), राज्य आबकारी (19.85 करोड़ रुपये) विद्युत प्रभार पर कर (16.90 करोड़ रुपये) और मुद्रांक एवं पंजीयन फीस (2.86 करोड़ रुपये), से संबंधित थे। राजस्व बकाया में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई गई और यह कुल कर और कर-भिन्न प्राप्तियों का 75 प्रतिशत थी।

1.6 संसाधनों की प्रयुक्ति

1.6.1 वृद्धि की प्रवृत्ति

वित्त लेखों के विवरण पत्र 12 में लघु शीर्षवार विस्तृत राजस्व व्यय और मुख्य शीर्षवार पूंजीगत व्यय को अंकित कर कुल व्यय दर्शाया जाता है। राज्य में कुल व्यय 2001-02 के 5,502 करोड़ रुपये से बढ़कर 2005-06 में 9291 करोड़ रुपये हो गया।

राज्य का कुल व्यय, इसकी वार्षिक वृद्धि, राजस्व प्राप्तियाँ एवं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से इसका अनुपात एवं इसकी तरलशीलता तालिका-5 में निम्नानुसार दर्शाई गई है:

तालिका-5 कुल व्यय - आधारभूत मानदण्ड

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
कुल व्यय (करोड़ रुपये में)	5502	6409	8174	8495	9291
वृद्धि की दर (प्रतिशत में)	--	16.5	27.5	3.9	9.4
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	18.6	20.3	21.2	21.1	21.1
राजस्व प्राप्तियाँ/कुल व्यय (प्रतिशत में)	79.5	84.5	72.9	85.3	95.1
कुल व्यय की निम्न से तरलशीलता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	--	2.38	1.24	0.94	0.97
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	--	0.69	2.75	0.18	0.4

कुल व्यय की प्रवृत्ति दर्शाती है कि यह 2001-06 के दौरान लगातार बढ़ा है परंतु वृद्धि की दर विशेषतः 2003-04 के 27 प्रतिशत से 2005-06 में 9 प्रतिशत तक कम हुई। कुल व्यय में 2005-06 में वृद्धि मुख्य रूप से योजनागत व्यय के राजस्व एवं पूंजीगत लेखों दोनों के अंतर्गत 827 करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण थी। गत वर्ष की तुलना में योजनागत राजस्व व्यय 2005-06 में 388 करोड़ रुपये बढ़ा जबकि योजनागत व्यय ऋण एवं अग्रिम पूंजीगत लेखों के अंतर्गत 439 करोड़ रुपये बढ़ा। योजनागत राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार (82 करोड़ रुपये), कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप (78 करोड़ रुपये), ग्रामीण विकास (74 करोड़ रुपये), शिक्षा, खेल-कूद

कला व संस्कृति (59 करोड़ रुपये), अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (27 करोड़ रुपये) तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (12 करोड़ रुपये) में वृद्धि के कारण हुई। योजनागत पूंजीगत व्यय में क्रमिक बढ़ोतरी मुख्य रूप से परिवहन (120 करोड़ रुपये), अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (83 करोड़ रुपये), उद्योग एवं खनिज (34 करोड़ रुपये), शिक्षा खेलकूद कला व संस्कृति (24 करोड़ रुपये) तथा उर्जा (25 करोड़ रुपये) में वृद्धि के कारण हुई। इसके अलावा उर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण एवं अग्रिम में भी 158 करोड़ रुपये की वृद्धि के परिणामस्वरूप पूंजीगत लेखों के अंतर्गत बढ़ोतरी रही। राजस्व प्राप्तियों का कुल व्यय से अनुपात 2004-05 के 85 प्रतिशत से 2005-06 में 95 प्रतिशत बढ़ा जो दर्शाता है कि राज्य में कुल व्यय के 95 प्रतिशत की पूर्ति इसके चालू राजस्व से हुई तथा बचे हुए शेष का उधार से वित्त पोषण हुआ। सकल घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष कुल व्यय की तरलशीलता एक प्रदोलन प्रवृत्ति दर्शाती है।

क्रियाकलापों के सम्बन्ध में ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों को मिलाकर कुल व्यय माना जा सकता था। कुल व्यय में इन घटकों से संबंधित अंश को तालिका-6 में दर्शाया गया है।

तालिका-6 व्यय के घटक- सम्बन्धित अंश (प्रतिशत में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
सामान्य सेवाएं	32.1	29.0	26.6	29.7	23.8
सामाजिक सेवाएं	36.7	34.7	30.0	31.6	34.6
आर्थिक सेवाएं	27.3	32.9	33.3	34.4	34.4
सहायता अनुदान	2.4	2.5	3.2	3.0	3.6
ऋण एवं अग्रिम ⁴	1.5	0.9	6.8	1.3	3.6

2005-06 में कुल व्यय का गैर-विकासात्मक व्यय (सामान्य सेवाएं मय ब्याज भुगतान) 24 प्रतिशत, विकासात्मक व्यय (सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर) 69 प्रतिशत तथा ऋण एवं अग्रिमों तथा सहायता अनुदान की सात प्रतिशत गणना की गई। सामाजिक सेवाएं, सहायता अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिम पर व्यय के संबंधित अंशों में वृद्धि की प्रवृत्ति थी। किंतु सामान्य सेवाओं पर व्यय के संबंधित अंश में मुख्यतः ब्याज भुगतान में कमी के कारण घटाव की प्रवृत्ति थी।

1.6.2 राजस्व व्यय का संयोग

कुल व्यय में राजस्व व्यय का विशिष्ट अंश था। राजस्व व्यय आमतौर पर वर्तमान स्तर की परिसम्पत्तियों और सेवाओं के रख-रखाव हेतु किया जाता है। कुल मिलाकर राजस्व व्यय, उसकी वृद्धि की दर, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय का अनुपात एवं इसकी तरलशीलता तालिका-7 में निम्नानुसार दर्शाई गई है :-

⁴ अन्तर्राज्यीय समाशोधन सम्मिलित है।

तालिका-7 राजस्व व्यय- आधारभूत मापदण्ड

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
राजस्व व्यय (करोड़ रुपये में)	4945	5530	6600	7103	7457
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	3928	4260	5059	5483	5449
आयोजना राजस्व व्यय	1017	1270	1541	1620	2008
वृद्धि की दर (प्रतिशत में)	--	11.8	19.3	7.6	5.0
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (प्रतिशत में)	--	8.45	18.76	8.38	(-)0.62
आयोजना राजस्व व्यय (प्रतिशत में)	--	25	21.34	5.13	23.95
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय/सकल घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	13.3	13.5	13.1	13.6	12.35
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	16.74	17.51	17.09	17.66	16.9
कुल व्यय से राजस्व व्यय का प्रतिशत	89.9	86.3	80.7	83.6	80.3
राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय का प्रतिशत	113.0	102.0	110.8	98	84.4
कुल व्यय से आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का प्रतिशत	71.4	66.47	61.9	64.54	58.65
राजस्व प्राप्तियों से आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का प्रतिशत	89.76	78.64	84.9	75.6	61.65
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की तरलता	--	1.22	0.84	2.0	(-) 0.06
आयोजना राजस्व व्यय की तरलता	--	3.62	0.96	1.23	2.5
निम्न से राजस्व व्यय की तरलशीलता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	--	1.71	0.87	1.83	0.51
राजस्व प्राप्तियों (अनुपात)	--	0.5	1.93	0.35	0.23

राज्य का राजस्व व्यय 2001-02 के 4,945 करोड़ रुपये से 51 प्रतिशत बढ़कर 2005-06 में 7457 करोड़ रुपये हो गया। 2005-06 के दौरान राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों का 80 प्रतिशत लेखांकित हुआ। कुल व्यय में राज्य के आयोजनेत्तर राजस्व व्यय के अंश 2001-05 के औसत 77.5 प्रतिशत से 2005-06 में 73 प्रतिशत तक कम हुआ। गत वर्ष से 2005-06 में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय 34 करोड़ रुपये से कम होकर 5449 करोड़ रुपये हुआ। हालांकि यह कमी किंचित थी जो ब्याज भुगतान (190 करोड़ रुपये) एवं पेंशन भुगतान (72 करोड़ रुपये) सहित सामान्य सेवाओं में 308 करोड़ रुपये की कमी के साथ सामाजिक सेवाओं (417 करोड़ रुपये) तथा अनुदान सहायता (81 करोड़ रुपये) की वृद्धि का परिणाम थी। तथापि, यदि बारहवें वित्त आयोग द्वारा सामान्य रूप से आंकलित स्तर 4964 करोड़ रुपये की तुलना की जावे तो 2005-06 में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय 5449 करोड़ रुपये अधिक परिलक्षित हुआ। हालांकि 2001-06 के दौरान योजनागत राजस्व व्यय का अंश राजस्व व्यय का औसतन 23 प्रतिशत रहा किंतु आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की तुलना में यह 2001-02 के 1017 करोड़ रुपये से 97 प्रतिशत बढ़कर 2005-06 में 2008 करोड़ रुपये हुआ। राजस्व व्यय का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत का अंश 2001-02 के 113 प्रतिशत से कम होकर 2004-05 में 98 प्रतिशत तथा 2005-06 में 84.4 प्रतिशत होना गत दो वर्षों के दौरान राजस्व लेखे में बचत प्रदर्शित करता है। सकल घरेलू उत्पाद एवं योजनागत राजस्व व्यय

में दी गई अनुकूल वृद्धि की दर, सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष योजनागत व्यय की तरलशीलता इन दो चरों के मध्य अपेक्षाकृत मजबूत सह-संबंध प्रदर्शित करता है।

1.6.3 वचन बद्ध व्यय

वेतन पर व्यय

वर्ष 2005-06 के दौरान वेतन व्यय राजस्व प्राप्तियों का लगभग 26 प्रतिशत लेखीकृत हुआ और 5 वर्षों में 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई (तालिका-8)।

तालिका-8

(राशि करोड़ रुपये में)

शीर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
वेतन पर व्यय*	1826.34	1823.09	2061.68	2118.56	2339.01
सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत	6.2	5.8	5.34	5.27	5.3
राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	41.7	33.65	34.6	29.22	26.46
निवल ब्याज भुगतान एवं पेंशन के राजस्व व्यय का प्रतिशत	49	42	41	39	39

(*) वेतन में मजदूरी शामिल है।

बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्य में राजस्व व्यय से संबंधित कुल वेतन देयक, ब्याज भुगतान एवं पेंशन का निवल 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि ये देखा गया कि राजस्व व्यय ब्याज भुगतान एवं पेंशन का निवल वेतन का भाग, वर्ष 2001-02 में 49 प्रतिशत से वर्ष 2005-06 में 39 प्रतिशत तक लगातार कम हुआ परंतु यह बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से अभी भी थोड़ा अधिक है।

पेंशन भुगतान

वर्ष 2005-06 के दौरान पेंशन पर व्यय राजस्व प्राप्तियों का लगभग 5.22 प्रतिशत लेखीकृत हुआ और वर्ष 2004-05 की तुलना में 2005-06 में 14 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई। वर्ष 2001-02 से 2005-06 की अवधि के दौरान इसका सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत 1.55 से 1.04 के मध्य रहा जैसा कि तालिका 9 में दर्शाया गया है।

तालिका-9

(राशि करोड़ रुपये में)

शीर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
पेंशन व्यय	457.22	390.57	456.01	533.99	461.57 ⁵
सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत	1.55	1.24	1.18	1.33	1.04
राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	10.45	7.21	7.65	7.37	5.22

⁵ मध्य प्रदेश शासन द्वारा पेंशन भुगतान में छत्तीसगढ़ के अंश की विलंबित सूचना के कारण 78.61 करोड़ रुपये के पेंशन व्यय को सम्मिलित न करने से पेंशन भुगतान में तेजी से घटाव था।

गत वर्ष से 2005-06 में पेंशन पर व्यय 72 करोड़ रुपये कम हुआ और 462 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुँचा जो कि बारहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2005-06 के लिए सामान्य रूप से आकलित व्यय 474 करोड़ रुपये के तुलनीय है।

1.6.4 ब्याज भुगतान एवं सब्सिडी

तालिका 10 में राज्य के ब्याज भुगतान की प्रवृत्तियाँ दर्शायी गयी है।

तालिका-10

वर्ष	ब्याज भुगतान (करोड़ रुपये में)	निम्न के संदर्भ में ब्याज भुगतान का प्रतिशत	
		राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय
2001-02	731	16.7	14.8
2002-03	810	15.0	14.6
2003-04	1,054	17.7	16.0
2004-05	1152	15.9	16.2
2005-06	962	10.9	12.9

ब्याज भुगतान 2001-02 के 731 करोड़ रुपये से लगातार बढ़कर 2004-05 में 1152 करोड़ रुपये हुआ तथा 2005-06 में तीव्रता से कम होकर 190.37 करोड़ हुआ। हालांकि राज्य सरकार ने ब्याज भुगतान में कमी के लिए कोई विशिष्ट कारण नहीं दिया किंतु यह बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित संचय ऋण राहत सुविधा (डी.सी.आर.एफ.) के अंतर्गत राज्य ऋणों की ब्याज दर राहत एवं पुनर्संरचना के कारण था। इसके अलावा राज्य के ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत, बारहवें वित्त आयोग द्वारा नियत 15 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के भीतर है।

1.6.5 सबसिडी

राज्य सरकार द्वारा 2005-06 के दौरान 502.32 करोड़ रुपये की राशि सबसिडी के रूप में दी गई। वितरित सबसिडी के मुख्य घटक निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ रुपये में)

व्यय शीर्ष	आयोजनेत्तर	केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	योजनागत	योग
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	337.01	10.35	48.82	396.18
उर्जा	93.06	0.39	निरंक	93.45
अन्य	0.52	12.17	निरंक	12.69
महायोग	430.59	22.91	48.82	502.32

1.7 आवंटीय प्राथमिकताओं पर व्यय

वित्त लेखे के विवरण पत्र- 12 में दर्शाए गए राज्य के आयोजना व्यय, पूंजीगत व्यय एवं विकासात्मक व्यय की प्रकृति वाले वास्तविक व्यय राज्य की आवंटीय प्राथमिकताओं को प्रतिबिम्बित करते हैं। कुल व्यय के इन घटकों का ऊंचा अनुपात व्यय की अच्छी गुणवत्ता दर्शाता है। राज्य के कुल व्यय में इन घटकों के व्यय अंश का प्रतिशत नीचे तालिका- 11 में दिया गया है।

तालिका-11 व्यय की गुणवत्ता (कुल व्यय का प्रतिशत)⁶

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
आयोजनागत व्यय	28.2	33.0	37.7	35.2	41.0
पूँजीगत व्यय ⁷	10.1	13.7	19.3	16.4	19.8
विकासात्मक व्यय	64.0	67.6	63.4	66.0	69.0

2005-06 में आयोजनागत व्यय 2004-05 के कुल व्यय के 35 प्रतिशत से बढ़कर 41 प्रतिशत हो गया। योजनागत राजस्व व्यय 2004-05 के 1620 करोड़ रुपये से 24 प्रतिशत बढ़कर 2008 करोड़ रुपये (24 प्रतिशत) तथा पूँजीगत व्यय 1276 करोड़ रुपये से 17 प्रतिशत बढ़कर 1493 करोड़ रुपये (17 प्रतिशत) एवं योजना घटक के अंतर्गत ऋण व अग्रिम 90 करोड़ रुपये से 312 करोड़ रुपये (247 प्रतिशत) हुए। राजस्व अनुभाग के योजनागत व्यय सामान्य सेवाओं के अंतर्गत 2 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये, सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत 1055 करोड़ रुपये से 1277 करोड़ रुपये तथा आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत 2004-05 के 563 करोड़ रुपये से 2005-06 में 727 करोड़ रुपये वर्धित हुए।

2005-06 में विकासात्मक व्यय (6407 करोड़ रुपये) में से सामाजिक सेवाओं पर 50 प्रतिशत व्यय (3215 करोड़ रुपये) लेखांकित किया गया जिसमें से 62 प्रतिशत (1987 करोड़ रुपये), सामान्य शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं जल प्रदाय व मल निकास पर व्यय किया गया।

तालिका-12 सामाजिक क्षेत्र का व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
सामान्य शिक्षा	697	750	969	1190	1301
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	244	272	292	316	331
जल प्रदाय एवं मल निकास	254	281	287	279	355
उप-योग	1195	1303	1548	1785	1987
अन्य सामाजिक सेवाएँ	826	920	906	902	1228
योग	2021	2223	2454	2687	3215

इसी प्रकार विकासात्मक व्यय का 50 प्रतिशत (3192 करोड़ रुपये) आर्थिक सेवाओं पर लेखांकित किया गया, जिसमें से 44 प्रतिशत (1398 करोड़ रुपये) व्यय इस क्षेत्र के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (670 करोड़ रुपये), परिवहन (566 करोड़ रुपये) तथा ऊर्जा (162 करोड़ रुपये) पर लेखांकित किए गए हैं।

⁶ ऋणों एवं अग्रिमों पर संवितरण तथा अन्तर्राज्यीय समाशोधन सहित कुल व्यय

⁷ ऋण एवं अग्रिम तथा अन्तर्राज्यीय समाशोधन सम्मिलित

तालिका-13 आर्थिक क्षेत्र का व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
उर्जा	82	86	208	154	162
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	289	525	550	742	670
परिवहन	233	428	484	446	566
उप - योग	604	1039	1242	1342	1398
अन्य आर्थिक सेवाएँ	896	1068	1483	1578	1794
योग	1500	2107	2725	2920	3192

1.7.1 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

स्वायत्त संस्थाओं एवं प्राधिकरणों द्वारा गैर वाणिज्यिक आधार पर लोक उपयोगी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। ये निकाय/संस्थाएं शासन से सारभूत वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं। राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, कम्पनी अधिनियम, 1956 आदि के अन्तर्गत पंजीकृत अन्य संस्थाओं को भी शासन के विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने के लिये सरकार द्वारा सारभूत वित्तीय सहायता दी जाती है। शासन द्वारा यह अनुदान मुख्यतः शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों, धर्मार्थ संस्थाओं के रखरखाव, शालाओं एवं अस्पताल भवनों के निर्माण एवं रख-रखाव, सड़कों का सुधार एवं नगरपालिका व स्थानीय संस्थाओं के अधीन अन्य संचार सुविधाओं हेतु दिया जाता है।

वर्ष 2001-02 से 2005-06 की अवधि के दौरान विभिन्न संस्थाओं को दी गई सहायता की मात्रा निम्नानुसार थी-

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	निम्न हेतु सहायता	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1.	शिक्षा	86.75	89.94	118.06	145.87	143.00
2.	विद्युत/ऊर्जा	64.25	65.00	88.27	146.72	165.67
3.	कृषि	15.60	16.46	12.16	15.13	22.67
4.	आवास एवं शहरी विकास	8.76	34.91	28.09	17.60	420.13
5.	अन्य विकासात्मक गतिविधि (खाद्य एवं पूर्ति तथा सहकारी संस्थाएँ) तथा अन्य	2.03	4.96	0.86	27.27	484.24
	योग	177.39	211.27	247.44	352.59	1235.71
	राजस्व प्राप्तियों से सहायता का प्रतिशत	4.01	3.9	4.2	4.9	14
	राजस्व व्यय से सहायता का प्रतिशत	3.6	3.8	3.7	5	16.6

सहायता अनुदानों के नियमों एवं विभाग द्वारा जारी स्वीकृतियों में अपेक्षित है कि विशिष्ट उद्देश्य के लिये जारी किए गए अनुदान का उसी वित्त वर्ष के दौरान पूरी तरह उपयोग होना चाहिये। शेष यदि कोई हो, तो उसे शासन को अतिशीघ्र वापस कर देना चाहिये। तथापि वर्ष 2005-06 के दौरान विभिन्न संस्थाओं/निकायों को जारी किए गए अनुदान

का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया। वर्ष में कुल 1235.71 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया जिसमें से 136.50 करोड़ रुपये की राशि का व्यय नहीं किया गया और बचत का प्रतिशत 6 से 35 के मध्य रहा। अनुदानों का उपयोग करने की विभागावार जानकारी **परिशिष्ट 1.6** में दी गई है।

निर्देशों के अनुसार, अनुदानी संस्था से यह अपेक्षित है कि प्राप्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि विभिन्न संस्थाओं से स्वीकृत अनुदानों संबंधी कुल 1051.95 करोड़ रुपये की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे जैसा कि **परिशिष्ट 1.7** में दर्शाया गया है।

1.7.2 बारहवें वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं का अनुपालन एवं अनुदान की उपयोगिता

पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों को अनुपूरक सहायताार्थ राज्य की संचित निधि का आवर्धन करने के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुदान की अनुशंसा की गई। बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को 147.45 करोड़ रुपये (वर्ष 2005-06) वन संरक्षण, टोस अवशिष्ट प्रबंधन तथा जलप्रदाय एवं सफाई हेतु जारी किए गए।

1.7.2.1 बजट प्रावधान एवं व्यय

वर्ष 2005-06 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के विनियोग लेखे एवं वित्त विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि भारत शासन द्वारा जारी 147.45 करोड़ रुपये में से मात्र 139.69 करोड़ रुपये संबंधित विभाग को उपलब्ध कराये गए। विनियोग लेखे के व्यय आंकड़ों एवं विभागीय आंकड़ों में अंतर था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है-

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	विनियोग लेखे एवं विभागीय आंकड़ों के अनुसार बजट प्रावधान	वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियां	व्यय	
				विनियोग लेखे के अनुसार	विभागीय आंकड़ों के अनुसार
1.	वन	17.00	8.50	1.80	1.80
2.	नगरीय प्रशासन	7.45	7.45 0.09*	7.46	निरंक
3.	पंचायत एवं समाज कल्याण	123.00	123.00 0.64*	123.61	83.74
	योग	147.45	139.68	132.87	85.54

* पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों को ब्याज भुगतान की राशि।

1.7.2.2 पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान विलम्ब से जारी करने के कारण 0.73 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय

बारहवें वित्त आयोग की मार्गदर्शिका में उपबंधित था कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को निधियों का अंतरण निर्धारित 15 दिवस की अवधि के बाद किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार, पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दर के बराबर ब्याज की राशि का ऐसे विलंबित अनुदान के साथ अंतरण करेगा। अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को (63 दिवस) एवं नगरीय स्थानीय निकायों को (75 दिवस)

विलंब से अनुदान अंतरित किया, परिणामस्वरूप 0.73 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान का परिहार्य व्यय नीचे दर्शाए अनुसार विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत हुआ -

(राशि करोड़ रुपये में)

पंचायती राज संस्था/ नगरीय स्थानीय निकाय	लेखा शीर्ष	ब्याज की राशि
नगरीय स्थानीय निकाय	मांग संख्या 81-2217-05-800(5704) 12 वें वित्त आयोग के अंतर्गत नगरीय स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	0.01
-- तदैव--	मांग संख्या 81-3604-107-(8018) पथकर की क्षतिपूर्ति के रूप में सहायता अनुदान	0.08
पंचायती राज संस्था	मांग संख्या 80-2515-101(5703) बारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान	0.64
	योग	0.73

ब्याज भुगतान के कारण व्यय को मुख्य शीर्ष 2217, 3604 तथा 2515 के स्थान पर मुख्य शीर्ष 2049 'ब्याज भुगतान' के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था। इस प्रकार ब्याज भुगतान का लेखों में गलत वर्गीकरण किया गया। परिणामस्वरूप बजट प्रावधान से व्यय का आधिक्य हुआ। दूसरी ओर योजना का क्रियान्वयन उस सीमा तक विलंबित हुआ।

1.7.2.3 निधियों का व्यपवर्तन

बारहवें वित्त आयोग की मार्गदर्शिका में निर्बंधित था कि पंचायती राज संस्थाओं के अनुदान का उपयोग पंचायतों द्वारा कराए जा रहे जलप्रदाय एवं सफाई सेवाओं के सुधार हेतु किया जाना चाहिए। पंचायतों को स्वजलधारा कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित जलप्रदाय सम्पत्तियों का अधिग्रहण एवं उनका रखरखाव इस अनुदान की सहायता से करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना जरूरी था। तथापि, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्य किया गया-

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्यों की संख्या एवं दर	राशि करोड़ रुपये में
1.	जिला पंचायत भवन	3 नग	2.37
2.	मिनी स्टेडियम	66 नग 0.25 की दर से	16.50
3.	ग्राम पंचायत भवन सह उचित मूल्य दुकान	1042 नग 0.035 की दर से 1 नग 0.010 की दर से	36.48
	योग		55.35

इस प्रकार बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के विपरीत 55.35 करोड़ रुपये की सीमा तक अन्य उद्देश्यों हेतु निधियों का व्यपवर्तन किया गया।

1.7.2.4 मानक के विरुद्ध अनुदान जारी करना

बारहवें वित्त आयोग की मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य को बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों से नगरनिगमों, जिनकी जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार एक लाख से अधिक थी, में निजी क्षेत्रों के अंतर्गत खाद बनाने एवं अवशिष्टों को ऊर्जा में परिवर्तन हेतु निधि उपलब्ध कराने के लिए व्यापक योजना तैयार की जानी थी। बारहवें वित्त आयोग ने इस उद्देश्य के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अनुदान चिन्हांकित करने हेतु सुझाव दिया। तथापि, 18 नगरीय स्थानीय निकायों को केवल 7.54 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई जिनमें से 10 नगरीय निकायों, जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम थी, को 2.48 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया। खाद बनाने एवं अवशिष्टों का ऊर्जा में परिवर्तन हेतु न तो कोई व्यापक योजना बनाई गई न ही वित्तीय वर्ष के दौरान कोई व्यय किया गया।

1.7.2.5 परियोजना के अनुमोदन तथा मात्रात्मक लक्ष्यों के बिना अनुदान जारी करना

बारहवें वित्त आयोग की मार्गदर्शिका में उपबंधित था कि स्थानीय निकायों द्वारा अनुदानों के उचित उपयोगिता को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जावेगी। उच्च स्तरीय समिति प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में कार्यों के अनुमोदन के लिए, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में किए जाने वाले कार्य, भौतिक तथा वित्तीय दोनों का लक्ष्य निर्धारण एवं विशिष्ट उपलब्धियों की प्राप्ति हेतु एक समय सारिणी बनाने हेतु उत्तरदायी होगी। तथापि, पंचायती राज संस्थाओं के चिन्हांकित कार्य निम्नानुसार थे-

क्र. सं.	कार्य का नाम	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	जिला पंचायत भवन	2.37
2.	ग्राम पंचायत भवन	36.48
3.	मिनी स्टेडियम	16.50
4.	निजी शौचालय	40.36
5.	जल प्रदाय	14.73
	योग	110.44

यह देखा गया कि स्वीकृत कार्यों हेतु आवश्यक कुल 110.44 करोड़ रुपये के विरुद्ध पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग ने 123.64 करोड़ रुपये जारी किए, परिणामस्वरूप 13.20 करोड़ रुपये का अनुदान अधिक था।

जिला पंचायत(जि.पं.) एवं जनपद पंचायत(ज.पं.) को उपलब्ध कराए गए अनुदानों तथा स्वीकृत कार्यों की लागत के मध्य कोई आपसी संबंध नहीं था। पांच जिलों में स्वीकृत कार्यों की लागत के विरुद्ध 2.36 करोड़ रुपये कम जारी किए गए जबकि 11 जिलों में 8.82 करोड़ रुपये आवश्यकता से अधिक जारी किए गए जो कि इंगित करता है कि उचित निगरानी नहीं की गई; जैसा कि परिशिष्ट 1.8 में दर्शाया गया है।

1.7.2.6 उपयोग प्रभारों का वसूल न किया जाना

मार्ग दर्शिका में उपबंधित था कि पंचायती राज संस्थाओं को जल प्रदाय एवं सफाई से संबंधित सम्पत्तियों के अधिग्रहण हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को आवर्ती अनुसूक्षण लागत का कम से कम 50 प्रतिशत उपयोग प्रभारों के रूप में वसूल करना चाहिए था किन्तु पंचायती राज संस्थाओं ने अभी तक उपयोग प्रभारों को वसूल नहीं किया। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जल प्रदाय एवं सफाई से संबंधी सम्पत्तियों को अधिग्रहित नहीं किया गया जो बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का अनुपालन न किया जाना दर्शाता है।

1.7.2.7 स्थानीय लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग ने विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं को 123.64 करोड़ रुपये (123.00 करोड़ रुपये अनुदान एवं 0.64 करोड़ रुपये ब्याज) का अनुदान (2005-06) यह निर्देशित करते हुए उपलब्ध कराया कि जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत को जारी की गई राशि के अंतर्गत जिला पंचायत भवन, मिनी स्टेडियम तथा ग्राम पंचायत सह उचित मूल्य दुकान पर व्यय किया जाये। जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के मध्य अंश निर्धारित करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अधिकृत किए गए थे।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा बारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को दिनांक 29.03.2006 को अनुशंसित किया गया, फलस्वरूप मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति अप्रैल 2006 एवं उसके बाद ही दी जा सकी। वर्ष 2005-06 के दौरान जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर जारी अनुदानों (10.78 करोड़ रुपये) के विरुद्ध चार जिलों तथा चार विकासखंडों में कोई व्यय नहीं किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 1.9 (i) व (ii)** में दर्शाया गया है।

जनपद पंचायत, तखतपुर ने सर्व शिक्षा अभियान के खर्चों के लिए 0.20 करोड़ रुपये का अनुदान व्यपवर्तित किया जबकि जनपद पंचायत मुंगेली ने 0.21 करोड़ रुपये सावधि जमा योजना में रखे। जनपद पंचायत, पथरिया तथा मुंगेली ने विवादित स्थलों का चयन किया (0.50 करोड़ रुपये) जबकि जिला पंचायत बस्तर ने कुल स्वीकृत 10 मिनी स्टेडियमों में से आठ मिनी स्टेडियमों के स्थल परिवर्तन हेतु प्रस्तावित किया (2.00 करोड़ रुपये); इससे परिलक्षित हुआ कि बिना उचित सर्वेक्षण एवं संभाव्य अध्ययन के कार्य स्वीकृत किए गए।

1.7.2.8 उपयोगिता प्रमाण पत्र

बारहवें वित्त आयोग ने निर्देशित किया था कि नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अवशिष्ट प्रबंधन पर तथा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जल प्रदाय एवं सफाई योजनाओं पर किए गए अनुदान व्ययों के प्रतिशत का एक प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष राज्य वित्त सचिव द्वारा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। राज्य को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जल प्रदाय योजना पर आवर्ती संचालन एवं अनुसूक्षण (ओ.एंड एम.) वसूलनीय लागत का विवरण भी उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। लेखापरीक्षा में अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि:

- (i) वर्ष 2005-06 के दौरान नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अवशिष्ट प्रबंधन पर 7.46 करोड़ रुपये के अनुदान के विरुद्ध कोई व्यय नहीं किया गया।
- (ii) उपयोगिता प्रमाण पत्र में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जल प्रदाय योजना पर आवर्ती संचालन एवं अनुस्क्षण वसूलनीय लागत का विवरण नहीं दर्शाया गया।
- (iii) राज्य सरकार ने बारहवें वित्त आयोग के अनुदान को नगरीय स्थानीय निकायों को (75 दिवस) एवं पंचायती राज संस्थाओं (63 दिवस) को विलंब से अंतरित किया जबकि वित्त विभाग ने भारत शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजते समय गलत रूप से प्रमाणित किया कि केन्द्र शासन द्वारा जारी अनुदान की तिथि से 15 दिवस के भीतर स्थानीय निकायों को अनुदान जारी किया गया; जबकि विलंब के लिए ब्याज का भुगतान भी किया गया था।
- (iv) ग्राम पंचायतों को 61.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए तथा जल प्रदाय एवं सफाई पर व्यय करने हेतु निर्देशित किया गया। तथापि, जल प्रदाय कार्यक्रम अभी तक प्रारंभ नहीं किए गए। राशि 22.98 करोड़ रुपये निजी शौचालय निर्माण पर व्यय की गयी। जो कि पंचायती राज संस्थाओं को जारी कुल अनुदान (123 करोड़ रुपये) का 40 प्रतिशत नहीं था जैसा कि उपयोगिता प्रमाण पत्र में उल्लिखित था।
- (v) उपयोगिता प्रमाण पत्र में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 83.74 करोड़ रुपये के अनुदान की कुल उपयोगिता दर्शाई गई जो कि चयनित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुरूप नहीं थी। जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत को जारी अनुदान से न तो व्यय किया गया न ही ग्राम पंचायत ने जल प्रदाय कार्यक्रम पर कोई निधि व्यय की। ग्राम पंचायतों द्वारा शौचालयों के निर्माण पर 31 मार्च 2006 तक केवल 22.96 करोड़ रुपये व्यय किए गए। चयनित इकाईयों में आगे यह भी देखा गया कि शौचालयों के निर्माण पर व्यय, ग्राम पंचायतों को इस उद्देश्य हेतु उपलब्ध कराए गए आवंटन से अधिक दर्शाया गया था।

(राशि करोड़ रुपये में)

जिले का नाम	ग्राम पंचायतों को आवंटन	31.03.2006 तक शौचालय निर्माण पर व्यय	उपयोगिता प्रमाणपत्र में शौचालय निर्माण पर दर्शाया गया व्यय	आवंटन से अधिक व्यय
बिलासपुर	5.26	2.10	7.05	1.79
बस्तर	5.02	0.89	6.90	1.88

- (vi) राज्य सरकार द्वारा 2005-06 के दौरान बारहवें वित्त आयोग की अनुदान राशि 147.45 करोड़ रुपये में से ग्राम पंचायतों (पंचायती राज संस्थाएं) एवं नगरीय स्थानीय निकायों को क्रमशः 61.50 करोड़ रुपये (41.71 प्रतिशत) एवं 7.46 करोड़ रुपये (5.06 प्रतिशत) जारी की गई। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा इन निकायों की लेखापरीक्षा हेतु राज्य सरकार की सहमति अपेक्षित थी (मार्च 2006) जबकि वित्त विभाग ने भारत शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजते समय यह प्रमाणित किया कि लेखा प्रपत्रों एवं लेखापरीक्षा दायित्वों को नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपा जा चुका है। इस प्रकार भारत शासन को गलत प्रतिवेदित किया गया।

1.8 परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएँ

सरकारी लेखांकन पद्धति में सरकार के स्वामित्व वाली स्थायी परिसम्पत्तियों जैसे भूमि एवं भवन का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता। तथापि, सरकारी लेखाओं में सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों का समावेश किया जाता है। वित्त लेखे के विवरण पत्र 16 सहपठित विस्तृत विवरण पत्र-17 में ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों जिनसे देयताओं एवं परिसम्पत्तियों की संगणना की जाती है, के अंतर्गत वर्ष के अन्त में शेष दर्शाते हैं।

परिशिष्ट-1.1 में 31 मार्च 2006 को ऐसी देयताओं तथा परिसम्पत्तियों की 31 मार्च 2005 की स्थिति से तुलना कर सार प्रस्तुत किया गया है। इस विवरण पत्र में मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा ली गई उधारियाँ जैसे कि आन्तरिक उधारियाँ, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधि की प्राप्तियों से निर्मित देयताएं समाविष्ट हैं। परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत व्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम समाविष्ट हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार की देयताओं को वित्त लेखे में दर्शाया गया है। तथापि, इनमें राज्य के कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों एवं राज्य द्वारा जारी गारंटियों/सुविधा पत्रों को शामिल नहीं किया गया है। **परिशिष्ट- 1.1 से 1.3** में 2004-05 एवं 2005-06 की अवधि के मध्य राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति की तुलना दर्शाई गई है जबकि परिशिष्ट 1.4 एक समय श्रेणी आँकड़ों का विश्लेषण है।

1.8.1 सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम

वृहद एवं मध्यम सिंचाई के अंतर्गत क्रमशः 20.53 करोड़ रुपये एवं 73.60 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। वृहद एवं मध्यम सिंचाई के अंतर्गत क्रमशः 25.18 करोड़ रुपये एवं 13.80 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। **परिशिष्ट 1.10** में वृहद एवं मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परियोजनाओं की सूची, व्यय तथा प्राप्ति दर्शायी गई है।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएँ

31 मार्च 2006 तक 3579.90 करोड़ रुपये के संचयी निवेश वाली कम से कम 80 परियोजनाएँ निर्माणाधीन थीं। निर्माणाधीन एवं अपूर्ण परियोजनाओं की पूर्ण सूची प्रतीक्षित थी।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिफल

सरकार द्वारा विकासात्मक, निर्माणात्मक, विपणन एवं सामाजिक गतिविधियों के संवर्धन हेतु पूँजीगत परिव्यय में निवेश किया जाता है। वर्ष के अंत में किए गए समग्र निवेशों के वर्षवार विवरण एवं प्राप्त लाभांश/ब्याज निम्नानुसार थे :

तालिका 14: निवेश पर प्रतिफल

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	वर्ष के अंत में निवेश	लाभांश/ब्याज प्राप्ति ⁸
2001-02	15.29	5.00
2002-03	35.94	25.57
2003-04	56.94	34.82
2004-05	87.86	-
2005-06	102.74	-

मार्च 2006 तक, निवेश का 68 प्रतिशत सहकारी संस्थाओं में किया गया जबकि 32 प्रतिशत सांविधिक निगम में किया गया।

2004-05 एवं 2005-06 के दौरान घोषित लाभांश/प्राप्त ब्याज की राशि सरकार को जमा नहीं की गई थी।

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सरकार, विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक क्रियाकलापों के लिये सरकारी कम्पनियों, निगमों, स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी निकायों, सहकारी, गैर सरकारी संस्थाओं आदि को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करती है। अप्रैल 2001 से मार्च 2006 तक की अवधि हेतु दिए गए ऋण एवं अग्रिम की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 15: राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम

(राशि करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
प्रारंभिक शेष	138.33	184.34	223.58	770.62	868.87
वर्ष के दौरान अग्रिम की राशि	49.52	57.70	557.68	113.04	337.48
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	3.51	18.46	10.64	14.79	17.92
अंतिम शेष	184.34	223.58	770.62	868.87	1118.43
निवल वृद्धि (+)/कमी(-)	46.01	39.24	547.04	98.25	319.56
वर्ष के दौरान ब्याज प्राप्ति	0.03	31.54	-	45.81	5.49
वर्ष के दौरान ऋण अग्रिम* से ब्याज प्राप्ति का प्रतिशत	0.02	15.46	--	5.6	0.53

* प्रारंभिक एवं अंतिम शेष के औसत के अनुसार ऋण अग्रिम संगणित किया गया है

वर्ष 2004-05 के दौरान ऋण अग्रिम से ब्याज प्राप्ति का प्रतिशत 5.6 था जबकि 2005-06 में यह कम होकर 0.53 प्रतिशत हो गया।

⁸ राज्य के गठन के पूर्व किये गये निवेश पर लाभांश एवं ब्याज सम्मिलित है।

1.8.5 रोकड़ शेषों का प्रबन्धन

सामान्य रोकड़ शेष, समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के संयुक्त शेषों को प्रदर्शित करता है।

रिजर्व बैंक के साथ किये गये एक अनुबंध के तहत 1 नवम्बर 2000 से छत्तीसगढ़ सरकार को प्रत्येक दिन बैंक में 72 लाख रुपये का न्यूनतम शेष रखना ही है। बैंक प्रत्येक कार्य दिवस के अन्त में सरकार को बैंक में उनके दैनिक शेष की सूचना ई-मेल द्वारा देता है। यदि यह शेष राशि साप्ताहिक निपटारे के दिनों में सहमत न्यूनतम शेष राशि से कम होती है तो इस कमी की पूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम (सामान्य एवं विशेष) लेकर या भारत सरकार के कोषालय देयकों को बेचकर की जाती है। साधारण अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज (अ) बैंक दर से (वर्तमान में 6 प्रतिशत) 1 से 90 दिवस के लिए (ब) 90 दिनों के अधिक के लिए बैंक दर से एक प्रतिशत अधिक ब्याज लगता है। इसके अतिरिक्त, जब आवश्यक हो राज्य शासन द्वारा अधिविकर्ष भी लिया जाता है। यह अवलोकन किया गया कि शासन द्वारा 2005-06 के दौरान किसी भी अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग नहीं किया गया।

1.8.6 अदेय देयताएं

राजकोषीय देयताएं -

भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि राज्य भारत के गणराज्य की सीमा के भीतर, राज्य की समेकित निधि की जमानत पर उन सीमाओं के अंदर यदि कोई हो जैसा कि राज्य विधायिका के अधिनियम के द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया हो, उधार ले सकता है। राज्य विधायिका द्वारा ऐसी कोई सीमा निर्धारित करने हेतु विधि पारित नहीं किया गया है।

यह अवलोकन किया गया कि राज्य की राजकोषीय देयताएं 2001-02 की 7,421 करोड़ रुपये से बढ़कर 2005-06 में 13270 करोड़ रुपये हो गई हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से इन देयताओं का अनुपात 2001-02 के 25 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में 30 प्रतिशत हो गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 1.5 गुनी थी। उपलब्ध निवल निधियों में तीव्र कमी पुनर्भूगतान की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण थी।

तालिका-16 में राज्य की राजकोषीय देयताओं, इसकी वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद/राजस्व प्राप्तियों से इन देयताओं का अनुपात और अपने संसाधनों एवं इन देयताओं की तरलशीलता संबंधी मानदण्ड दिए गए हैं।

तालिका 16: राजकोषीय देयताएं -मूलभूत मानदण्ड

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
राजकोषीय देयताएं (करोड़ रुपये में)	7,421	9,245	11,144	12240	13270
वृद्धि की दर (प्रतिशत में)	*	24.6	20.5	9.8	8.4
निम्न से राजकोषीय देयताओं का अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	25.1	29.27	28.86	30.43	30.1
राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत में)	169.6	170.7	187.0	168.9	150.10
निम्न से राजकोषीय देयताओं की तरलशीलता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात में)	*	3.55	0.92	2.36	0.87
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात में)	*	1.03	2.05	0.45	0.38

* चूंकि राज्य की स्थापना 1 नवम्बर 2000 को हुई है इसलिए विचार नहीं किया गया।

बढ़ती देयताएं राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के स्थायित्व की समस्या उठाती हैं। राजकोषीय दायित्वों के स्थायित्व के सूचकों में से एक राजकोषीय देयताओं पर भारित ब्याज दर तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के मध्य सकारात्मक उपस्थिति है। राजकोषीय देयताओं की स्थिरता के संदर्भ में भारित ब्याज दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर एवं ब्याज को तालिका- 17 में दर्शाया गया है ।

तालिका-17 ऋण स्थिरता

ब्याज दर एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि (प्रतिशत में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
भारित ब्याज दर	-	9.72	10.34	9.85	7.54
सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि	-	6.91	22.23	4.17	9.69
ब्याज फैलाव	-	(-) 2.81	(-) 11.89	(-) 5.68	2.15

* राज्य की स्थापना 1 नवम्बर 2000 को होने के कारण विचार नहीं किया गया।

मूलधन एवं ब्याज के भुगतान के पश्चात निधियों की निवल उपलब्धता राजकोषीय देयताओं की स्थिरता का एक महत्वपूर्ण सूचक है । पिछले 5 वर्षों में राजकोषीय देयताओं के विभिन्न घटकों के संबंध में प्राप्तियों एवं पुनर्भुगतान की स्थिति तालिका-18 में दी गई है ।

तालिका - 18 उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता

(राशि करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
आन्तरिक ऋण					
(क) प्राप्तियाँ	653.17	1179.19	1977.60	1480.61	1178.07
(ख) पुनर्भुगतान (मूलधन+ब्याज (शोधन निधि सहित))	341.51	417.09	588.53	860.14	918.45
(ग) उपलब्ध निवल निधि (क-ख)	311.66	762.10	1389.07	620.47	259.62
(घ) उपलब्ध निवल निधियाँ (प्रतिशत) उ.नि.नि X 100/प्राप्तियाँ	48	65	70	42	22
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम					
(च) प्राप्तियाँ	340.86	434.12	454.39	429.20	56.28
(छ) पुनर्भुगतान (मूलधन+ब्याज)	501.13	754.39	1096.61	1392.45	374.14
(ज) उपलब्ध निवल निधियाँ (च-छ)	(-) 160.27	(-) 320.27	(-) 642.22	(-) 963.25	(-) 317.86
(झ) उपलब्ध निवल निधियाँ (प्रतिशत)	(-) 47	(-) 74	(-) 141	(-) 224	(-) 565
कुल लोक ऋण					
(त) प्राप्तियाँ	994.61	1613.31	2431.99	1909.81	1234.35
(थ) पुनर्भुगतान (मूल+ब्याज)	842.64	1171.48	1685.14	2252.59	1292.59
(द) उपलब्ध निवल निधियाँ (त-थ)	151.97	441.83	746.85	(-) 342.78	(-) 58.24
(ध) उपलब्ध निवल निधियाँ (प्रतिशत)	15.3	27.4	30.7	(-) 17.9	(-) 4.7

राजकोषीय देयताओं में 2001-02 की 7421 करोड़ रुपये से 2005-06 में 13270 तक वृद्धि की प्रवृत्ति के साथ उपलब्ध निधि में 2001-02 के 151.97 करोड़ रुपये से 2005-06 में (-) 58.24 करोड़ रुपये तक कमी दर्ज की गई। 2004-05 के दौरान 1909.81 करोड़ रुपये की प्राप्तियों के विरुद्ध 2252.59 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान किया गया और 2005-06 के दौरान भी पुनर्भुगतान राशि (1293 करोड़ रुपये), प्राप्तियों की राशि (1234 करोड़ रुपये) से अधिक थी। पुनर्भुगतान राशि प्राप्त राशि से अधिक थी अतः उपलब्ध निवल निधियाँ कम हुईं, फिर भी 2004-05 से स्थिति में सुधार आया।

आकस्मिक देयताएं

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं आदि के द्वारा सृजित कुछ निश्चित देयताओं जैसे ऋणों के पुनर्भुगतान, अंश पूंजी आदि के लिए तथा इनके द्वारा ब्याज एवं लाभांश के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी जाती है। ये राज्य की आकस्मिक देयताएं निर्मित करती हैं। राज्य विधानमण्डल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293 के अधीन ऐसी अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाला कोई विधि पारित नहीं किया गया है जिस तक राज्य की संचित निधि की जमानत पर सरकार गारंटी दे सकती है। वित्त लेखे का विवरण पत्र-6 दर्शाता है कि मार्च 2006 तक सरकार द्वारा संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों एवं समितियों तथा नगरपालिकाओं, निगमों एवं नगरक्षेत्रों को 1782 करोड़ रुपये राशि की गारंटी दी गई। 31 मार्च 2006 की स्थिति में 855 करोड़ रुपये की गारंटी लंबित थी। 1 नवम्बर 2000 से पूर्व संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य द्वारा

9,710 करोड़ रुपये की गारंटी दी गई थी, इसमें 43 करोड़ रुपये का बंटवारा हो गया है एवं शेष 9,667 करोड़ रुपये की गारंटी को अभी भी मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के उत्तरवर्ती राज्यों के मध्य विभाजित किया जाना है।

1.9 घाटे का प्रबन्धन

1.9.1 राजकोषीय असन्तुलन

सरकारी लेखे में घाटा उसकी प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति राजकोषीय प्रबंधन में सरकार की दूरदर्शिता का सूचक है। इसके अतिरिक्त, घाटे की वित्त व्यवस्था के उपाय तथा इस हेतु सृजित एवं उपयोग किए गए संसाधन राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण सूचक होते हैं।

राज्य का राजस्व घाटा (वित्त लेखे का विवरण पत्र-1), जो राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य है 2001-02 के 569 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2002-03 में 113 करोड़ रुपये रह गया, लेकिन 2003-04 में पुनः बढ़कर 641 करोड़ रुपये हो गया। इस घाटे के स्थान पर वर्ष 2004-05 में 146 करोड़ रुपये की राजस्व बचत हुई और यह वर्ष 2005-06 में बढ़कर 1381 करोड़ रुपये हो गया। राजकोषीय घाटा जो सरकार की कुल उधारियों एवं कुल संसाधनों के अन्तर को प्रदर्शित करता है, भी वर्ष 2001-02 के 1,117 करोड़ रुपये से घटकर 2002-03 में 973 करोड़ रुपये और पुनः 2003-04 में बढ़कर 2204 करोड़ रुपये और 2005-06 में कम होकर 435 करोड़ रुपये हो गया। राज्य वित्त से यह भी प्रतिबिंबित हुआ कि प्रारंभिक घाटे में 2001-02 के 386 करोड़ रुपये से 2002-03 में 163 करोड़ रुपये तक घटने की प्रवृत्ति के पश्चात 2003-04 में तेजी से बढ़कर 1,150 करोड़ रुपये और 2004-05 में तेजी से गिरावट के साथ 79 करोड़ रह गया और वर्ष 2005-06 में प्रारंभिक बचत की स्थिति 527 करोड़ रुपये थी। जैसा कि तालिका-19 में दर्शाया गया है।

तालिका-19 राजकोषीय असन्तुलन- आधारभूत मापदण्ड

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
राजस्व घाटा(-)/बचत (+) (करोड़ रुपये में)	(-) 569	(-) 113	(-) 641	(+)146	(+)1381
राजकोषीय घाटा (करोड़ रुपये में)	1117	973	2204	1231	435
प्रारंभिक घाटा (करोड़ रुपये में)	386	163	1150	79	(-) 527
राजस्व घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (-) अथवा राजस्व बचत/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (+) (प्रतिशत)	(-) 1.9	(-) 0.3	(-) 1.66	(+) 0.36	(+) 3.13
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद. (प्रतिशत)	3.78	3.08	5.71	3.06	0.99
प्रारंभिक घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.31	0.52	2.98	0.20	(-)1.19
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा (+) या राजस्व बचत/राजकोषीय घाटा(-) (प्रतिशत)	(+) 50.9	(+) 11.6	(+) 29.08	(-) 11.86	(-) 317.47

राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात 2001-02 के 51 प्रतिशत से घटकर 2002-03 में 12 प्रतिशत रह गया तथा 2003-04 में बढ़कर 29 प्रतिशत हो गया। जबकि वर्ष 2004-05 एवं वर्ष 2005-06 में राजस्व बचत के कारण, राजस्व बचत का राजकोषीय घाटा से अनुपात क्रमशः 12 प्रतिशत और 317 प्रतिशत रहा।

1.10 राजकोषीय अनुपात

राज्य की वित्त व्यवस्था सुदृढ़, लचीली एवं अभेद्य होना चाहिये। कुछ मूल संदर्शकों जो उपलब्ध संसाधनों की यथेष्टता एवं प्रभावशीलता व इनके उपयोग का आकलन करते हैं, संबंधित क्षेत्रों को प्रकाश में लाते हैं एवं इसके महत्वपूर्ण पक्षों को ग्रहण करते हैं, के संदर्भ में 2001-06 में सरकार के वित्त की सारांशीकृत स्थिति नीचे तालिका- 20 में दर्शाई गई है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व प्राप्तियों एवं राज्य के स्वयं के करों का अनुपात संसाधनों की पर्याप्तता दर्शाता है । राजस्व प्राप्तियों की तरलशीलता, कर प्रणाली की प्रकृति एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि से, संसाधनों पर राज्य की बढ़ती हुई पहुँच को दर्शाती है। ये अनुपात 2001-06 के दौरान संसाधनों की तरलशीलता एवं सुदृढ़ता को इंगित करते हुए अनवरत सुधार दिखा रहे थे ।

राज्य के व्यय प्रबन्धन से सम्बन्धित विभिन्न अनुपात इसके व्यय की गुणवत्ता एवं साधनों की तरलशीलता एवं संबंधित सुदृढ़ता को इंगित करते हैं । 2005-06 में राजकोषीय अंशुतलन के अनुपात दर्शाते हैं कि राजस्व बचत राजकोषीय घाटे से तीन गुना से अधिक थी।

तालिका-20: राजकोषीय दक्षता के अनुपात (प्रतिशत में)

राजकोषीय सूचक	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
I साधनों की गतिशीलता					
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	14.8	17.1	15.4	18.0	20.0
राजस्व तरलशीलता (अनुपात)	*	3.44	0.45	5.19	2.26
स्वयं के कर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6.75	7.37	6.7	8.03	9.18
स्वयं के कर से साथ राजस्व तरलशीलता	*	2.42	0.5	5.93	2.63
II व्यय प्रबन्धन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	18.6	20.3	21.2	21.1	21.1
राजस्व प्राप्तियाँ/कुल व्यय	79.5	84.5	72.9	85.3	95.1
राजस्व व्यय/कुल व्यय	89.9	86.3	80.7	83.6	80.3
पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण व अंतर्राज्यीय समाशोधन सहित) /कुल व्यय	10.1	13.7	19.3	16.4	19.8
विकासात्मक व्यय (राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय)/कुल व्यय	64.0	67.6	63.4	66.0	69.0
राजस्व प्राप्तियों से कुल व्यय की तरलशीलता	*	69.3	275	18.0	43
राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय की तरलशीलता (प्रतिशत)	*	49.7	193.3	35.2	22.7
III राजकोषीय असन्तुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा (-)/राजस्व बचत (+) (करोड़ रुपये में)	(-) 569	(-) 113	(-) 641	(+) 146	(+) 1381
राजकोषीय घाटा	1117	973	2204	1231	435
प्रारंभिक घाटा (+)/आधिक्य (-) (करोड़ रुपये में)	386	163	1150	79	(-) 527
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा (+) या राजस्व बचत/राजकोषीय घाटा (-) (प्रतिशत)	(+) 50.9	(+) 11.6	(+) 29.08	(-) 11.86	(-) 317.47
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताएँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	25.1	29.27	28.86	30.43	30.1
राजकोषीय देयताएँ/ राजस्व प्राप्तियाँ	169.6	170.7	187	168.9	150.1
राजकोषीय देयताओं की राजस्व प्राप्तियों के साथ तरलशीलता (अनुपात)		1.03	2.05	0.45	0.38
राजकोषीय देयताओं की स्वयं की प्राप्तियों के साथ तरलशीलता (अनुपात)	*	1.17	1.57	0.47	0.46
ब्याज में फ़ैलाव	*	(-) 2.81	(-) 11.89	(-) 5.68	2.15
उपलब्ध निधि	15.3	27.4	30.7	(-) 17.9	(-) 4.7
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य के सूचक					
लाभ लागत अनुपात	105	612	414	1255	2615
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताएं	0.38	0.47	0.49	0.57	0.70

* राज्य की नवंबर 2000 में स्थापना के कारण नहीं लिया गया ।

निष्कर्ष :- छत्तीसगढ़ ने राजस्व प्राप्तियों में 21.9 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की और तुलनात्मक रूप से राजस्व व्यय में 5.0 प्रतिशत की कम वृद्धि रही। परिणाम स्वरूप वर्ष 2004-05 में राज्य ने 146 करोड़ रुपये से वर्ष 2005-06 में 1381 करोड़ रुपये की राजस्व बचत अर्जित की। पूँजीगत व्यय में भी 2004-05 में 1279 करोड़ रुपये से बढ़कर 2005-06 में 1497 करोड़ रुपये हो जाने से 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राजकोषीय घाटा 2004-05 में 1231 करोड़ रुपये से कम होकर 2005-06 में 435 करोड़ रुपये हो गया था।

छत्तीसगढ़ राज्य, संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य के 16 जिलों को समाविष्ट कर 1 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधान के संदर्भ में प्रत्येक प्रकरण में संयुक्त मध्य प्रदेश की नवम्बर 2000 पूर्व की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का बंटवारा तथा किए जाने वाले अन्य वित्तीय समायोजनों की प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत ही राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति की वास्तविक तस्वीर प्रदर्शित होगी।

दूसरा अध्याय

विनियोग लेखापरीक्षा एवं व्यय पर नियंत्रण

2. आवंटीय प्राथमिकताएं एवं विनियोग

2.1 प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 की आवश्यकताओं के अनुरूप विनियोग लेखे प्रति वर्ष बनाए जाते हैं। ये विनियोग अधिनियम के संबंध में बजट की भारत तथा दत्तमत दोनों पर अधिकृत राशियों के साथ ही विविध विनिर्दिष्ट सेवाओं पर पूंजीगत एवं राजस्व व्यय सूचित करते हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विविध अनुदानों एवं विनियोगों के अधीन वस्तुतः किया गया व्यय, विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत सीमाओं में था तथा विधान, संबद्ध नियमों तथा विनियमों के अनुरूप था।

2.2 विनियोग लेखे का सारांश

वास्तविक व्यय की स्थिति वर्ष 2005-06 का सारांश निम्नानुसार है -

(राशि करोड़ रुपये में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	अंतर बचत (-) /आधिक्य (+)
दत्तमत	I-राजस्व	7031.99	886.29	7918.28	6481.05*	(-) 1437.23
	II-पूंजीगत	1942.83	158.82	2101.65	1498.86*	(-) 602.79
	III-ऋण तथा अग्रिम	149.58	244.12	393.70	337.53	(-) 56.17
कुल दत्तमत		9124.40	1289.23	10413.63	8317.44	(-) 2096.19
भारित	IV-राजस्व	1300.22	5.07	1305.29	1089.55	(-) 215.74
	V-पूंजीगत	0.63	--	0.63	0.16	(-) 0.47
	VI-लोक ऋण	817.31	--	817.31	443.55	(-) 373.76
कुल भारत		2118.16	5.07	2123.23	1533.26	(-) 589.97
महायोग		11242.56	1294.30	12536.86	9850.70	(-) 2686.16

* टीप - इन व्यय आंकड़ों में व्यय की कमी के रूप में समायोजित वसूलियां (राजस्व: रु. 113.47 करोड़ एवं पूंजी: रु. 2.17 करोड़) सम्मिलित नहीं हैं।

तालिका राज्य सरकार के बजट में अधिक प्राक्कलन दर्शाती है। समग्र रूप से 2686.16 करोड़ रुपए की बचत मूल अनुदानों/विनियोगों का 23.9 प्रतिशत थी। यह अनुदानों एवं विनियोगों के 154 प्रकरणों में 2709.43 करोड़ रुपए की बचतों में से कुल छः अनुदानों एवं विनियोगों के प्रकरणों में 23.27 करोड़ रुपए के आधिक्य के

समायोजन का परिणाम थी। 647 उपशीर्षों के आधिक्य/बचत के स्पष्टीकरण या तो शासन से प्राप्त नहीं हुए थे अथवा अपूर्ण थे जो कि बचत/आधिक्य वाले कुल 691 उपशीर्षों का 94 प्रतिशत होते हैं।

उपरोक्त तालिका अनुसार, वास्तविक व्यय में सम्मिलित लोक लेखा में अंतरित राशियां वर्षांत तक अप्रयुक्त रहीं, जिसका विवरण निम्न है -

राजस्व अनुभाग की राशि 12.40 करोड़ रूपए मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-800 अन्य जमा में निरंक भुगतान प्रमाणकों द्वारा 31 मार्च 2006 को अंतरित किए गए।

राशि रू.78.58 करोड़ (जमा: रू.159.78 करोड़ (-) वितरण रूपये 81.20 करोड़), 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तिगत जमा खाते के शेष में जोड़े गए। वर्ष के दौरान जमा राशि रूपये 159.78 करोड़ में रूपये 1.11 करोड़ निरंक भुगतान प्रमाणक द्वारा अंतरित किए गए।

2.3 आवंटीय प्राथमिकताओं की पूर्ति

2.3.1 आवंटीय प्राथमिकताओं से विनियोग

नौ अनुदानों की आवंटीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में बचत/आधिक्य के विश्लेषण ने दर्शाया कि कुछ क्षेत्रों में बहुत बचतें थीं जैसे कि ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा वित्त, सहकारिता, जल संसाधन, स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और लोक निर्माण भवन- आदि जैसा कि नीचे दर्शाया गया है -

ब्याज अदायगी एवं ऋण सेवा

(राशि करोड़ रूपये में)

राजस्व (भारित)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	1219.54			
अनुपूरक	निरंक	1219.54	1011.54	(-) 208.00

बचत मुख्यतः शीर्ष 2048- संचित डूबत निधि का अंतरण (50 करोड़ रूपये), 2049- शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (33.98 करोड़ रूपये), परिवार सहायता निधि योजना (7.07 करोड़ रूपये), मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण (8.08 करोड़ रूपये) एवं राज्य/संघ शासित योजना हेतु ऋण (47.22 करोड़ रूपये) के अंतर्गत हुई। बचत के कारण सूचित नहीं किये गये थे (जुलाई 2006)।

अनुदान संख्या 6-वित्त विभाग से संबंधित व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	747.64			
अनुपूरक	32.69	780.33	470.62	(-) 309.71

बचत मुख्यतः शीर्ष-2070-अन्य व्यय (165 करोड़ रुपये), 2071-सेवानिवृत्ति वेतन भोगियों को देय (73.36 करोड़ रुपये), मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान (41.28 करोड़ रुपये) और परिवार पेंशन (9.68 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुई। बचत के कारण सूचित नहीं किये गये थे (जुलाई 2006)।

अनुदान संख्या-17-सहकारिता

(राशि करोड़ रुपये में)

पूँजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	69.10			
अनुपूरक	1.97	71.07	16.13	(-) 54.94

बचत मुख्यतः शीर्ष-4425-राष्ट्रीय सहकारिता विकास (6.53 करोड़ रुपये), अंशपूँजी में धनवेष्टन (8.55 करोड़ रुपये), सहकारिता बैंकों का तुलन पत्रक (8.03 करोड़), 6425-सहकारी बैंकों को ऋण (15.00 करोड़ रुपये) और सहकारी बैंकों के तुलन पत्रक की सफाई (7.26 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुई। बचत के कारण सूचित नहीं किये गये थे (जुलाई 2006)।

अनुदान संख्या 23- जल संसाधन विभाग

(राशि करोड़ रुपये में)

पूँजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	298.88			
अनुपूरक	5.64	304.52	243.27	(-) 61.25

बचत मुख्यतः शीर्ष-4700-निष्पादन स्थापना (5.13 करोड़ रुपये), बांध तथा उससे संलग्न कार्य (48.35 करोड़ रुपये) और 4701-बांध तथा उससे संलग्न कार्य (52.81 करोड़ रुपये)के अंतर्गत हुई। इन बचतों को मुख्यतः शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई निर्माण कार्य (38.65 करोड़ रुपये) एवं 4700-बांध तथा उससे संलग्न कार्य (8.60 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुए व्यय से अंशतः प्रति संतुलित किया गया। आधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये थे (जुलाई 2006)।

अनुदान संख्या-27-स्कूल/शिक्षा

(राशि करोड़ रुपये में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	688.05			
अनुपूरक	22.37	710.42	627.91	(-) 82.51

बचत मुख्यतः शीर्ष-2202-शासकीय प्राथमिक शालाएँ (27.67 करोड़ रुपये), केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएँ (14.62 करोड़ रुपये), उच्चतर माध्यमिक शालाएँ (20.42 करोड़ रुपये) और माध्यमिक शालाएँ (9.31 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुईं। बचत के कारण सूचित नहीं किये गये थे (जुलाई 2006)।

अनुदान संख्या-33 आदिम जाति कल्याण

(राशि करोड़ रुपये में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	430.23			
अनुपूरक	निरंक	430.23	368.56	(-) 61.67

बचत मुख्यतः शीर्ष 2225-प्राथमिक शाला (19.99 करोड़ रुपये), माध्यमिक शालाएँ (4.35 करोड़ रुपये), राज्य छात्रवृत्तियाँ (2.29 करोड़ रुपये) और परियोजना मुख्यालय (1.05 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुईं। बचत के कारण सूचित नहीं किये गये थे (जुलाई 2006)।

अनुदान संख्या 41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

(राशि करोड़ रुपये में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	689.62			
अनुपूरक	111.23	800.85	607.70	(-) 193.15

मुख्यतः शीर्ष 2406-वन ग्रामों का विकास (41.55 करोड़ रुपये), 2401-विश्व बैंक की सहायता से गहन विस्तार (7.89 करोड़ रुपये), केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएँ (3.77 करोड़ रुपये), 2202-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (2.04 करोड़ रुपये), केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (19.99 करोड़), प्राथमिक शालाएँ आश्रम एवं उच्चतर माध्यमिक शालाएँ (10.97 करोड़), 2210-केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएँ (1.56 करोड़), अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (2.32 करोड़ रुपये), 2225-एकीकृत आदिम जाति विकास योजना (9.12 करोड़ रुपये), 2215-भूजल स्रोतों का संवर्धन (5.40 करोड़ रुपये), 2225-केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएँ (2.14 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुईं। इन बचतों को मुख्यतः शीर्ष 2406-वन ग्रामों का विकास (41.38 करोड़ रुपये) के अंतर्गत बचत को आधिक्य व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित किया गया। बचत के कारण सूचित नहीं किये गये थे (जुलाई 2006)।

(राशि करोड़ रुपये में)

पूँजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	364.37			
अनुपूरक	36.95	401.32	314.97	(-) 86.35

बचत मुख्यतः शीर्ष-4210-चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना (9.30 करोड़ रुपये) 4225-सरगुजा/जशपुर विकास प्राधिकरण (2.35 करोड़ रुपये), आदिम जाति क्षेत्र हेतु सुविधाओं का विकास (3.43 करोड़ रुपये), आश्रम तथा छात्रावास भवन (6.94 करोड़ रुपये), 4701-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य (23.96 करोड़ रुपये) और 4702-लघु सिंचाई योजना का निर्माण कार्य (रु.27.85 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुई। बचत के कारण सूचित नहीं किये गये थे (जुलाई 2006)।

अनुदान संख्या 58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	169.58			
अनुपूरक	79.44	249.02	161.53	(-) 87.49

बचत मुख्यतः शीर्ष 2245-पेयजल की आपूर्ति (रु.8.59 करोड़ रुपये), नगद सहायता (31.36 करोड़ रुपये), 3054-जिला तथा अन्य सड़कें (4.60 करोड़ रुपये) और 2402-भूमि संरक्षण कटावरोधक बंधान की योजना (47.61 करोड़) के अंतर्गत हुई। इन बचत को मुख्यतः शीर्ष 2245-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं का अंतरण प्राकृतिक आपदा अव्ययित धन निधि, अकाल राहत निधि (21.46 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुए आधिक्य व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित किया गया। आधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये थे (जुलाई 2006)।

मांग संख्या 67- लोक निर्माण कार्य-भवन

(राशि करोड़ रुपये में)

पूँजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	111.06			
अनुपूरक	21.19	132.25	62.77	(-) 69.48

बचत मुख्यतः शीर्ष-4059-केन्द्रीय प्रवर्तित योजना न्याय प्रशासन (3.46 करोड़ रुपये), निर्वाचन (1.69 करोड़ रुपये), परिवहन कार्यालय भवन का निर्माण कार्य (8.56 करोड़ रुपये), 4202-माध्यमिक शाला भवन का निर्माण कार्य (11.67 करोड़ रुपये), अभियंत्रिकी महाविद्यालय एवं संस्थान भवन का निर्माण कार्य (9.5 करोड़ रुपये) और 4210-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण मूलभूत सेवाओं (2.45 करोड़) के अंतर्गत हुए। बचत के कारण सूचित नहीं किये गये थे (जुलाई 2006)।

यह भी देखा गया कि -

अनुदान/विनियोग के 76 प्रकरणों में से प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ से अधिक व्यय कम पड़ा जो कुल प्रावधान से 10 प्रतिशत से अधिक भी था जिसकी कुल राशि रु.1990.67 करोड़ थी जैसा कि **परिशिष्ट 2.1** में दर्शाया गया है। इसमें से तीन¹ प्रकरणों में पाया गया कि इनमें 100 प्रतिशत बचत थी। दो² प्रकरणों में लगातार चौथे वर्ष 100 करोड़ रूपए से भी अधिक बचत थी।

23 योजनाओं में एक करोड़ रूपये या अधिक एवं प्रत्येक प्रकरण में प्रावधान के 96 प्रतिशत से भी अधिक की कुल 667.60 करोड़ रूपए की सारभूत बचतें देखी गईं जैसा कि **परिशिष्ट 2.2** में सूचित किया गया है।

केंद्रीय योजनाओं के 15 प्रकरणों में 76.76 करोड़ रूपए के संपूर्ण प्रावधान की राशि अप्रयुक्त रही जो कि प्रत्येक प्रकरण में रु.1 करोड़ या उससे अधिक थी, जैसा कि **परिशिष्ट 2.3** में दर्शाया गया है।

2.3.2 आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता

गत वर्षों के प्रावधान पर आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार अनुदानों/विनियोगों पर आधिक्य के सभी प्रकरण राज्य विधायिका द्वारा नियमित होने चाहिए। तथापि वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक 965.18 करोड़ रूपए के आधिक्य व्यय को अगस्त 2006 तक नियमित नहीं किया गया था।

2005-06 की अवधि के प्रावधान पर आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन वर्ष के दौरान चार अनुदानों (दत्तमत) के अंतर्गत 21.32 करोड़ रूपए एवं दो विनियोगों (भारित) के अंतर्गत 1.95 करोड़ रूपए के आधिक्य का नियमितीकरण किया जाना था (**परिशिष्ट 2.4**)।

2.3.3 मूल बजट एवं अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान प्राप्त 1294.30 करोड़ रूपए के अनुपूरक प्रावधान, मूल प्रावधान के 11.5 प्रतिशत थे।

2.3.4 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 54 प्रकरणों में 480.15 करोड़ रूपए का किया गया अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय, मूल प्रावधान से कम था। प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट 2.5** में दिया गया है।

26 प्रकरणों में 546.78 करोड़ रूपए की वास्तविक अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध 770.09 करोड़ रूपए के अत्यधिक पूरक अनुदान एवं विनियोग प्राप्त किए गए, परिणामस्वरूप 223.31 करोड़ रूपए की बचत हुई। इन प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट 2.6** में दिया गया है।

¹ मांग संख्या 18, 58 और 69 पूंजीगत (दत्तमत)

² मांग संख्या 6 वित्त विभाग से संबंधित व्यय और 41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (राजस्व दत्तमत)

तीन प्रकरणों में 12.11 करोड़ रूपए के अनुपूरक प्रावधान, 21.05 करोड़ रूपए के अधिक व्यय को नियमित करने में असमर्थ रहने के कारण अपर्याप्त सिद्ध हुए जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.7** में दिया गया है।

2.3.5 सारभूत आधिव्यय

15 अनुदानों/विनियोगों की 22 योजनाओं में कुल 420.90 करोड़ रूपए, प्रत्येक प्रकरण में अनुमोदित प्रावधान से 1 करोड़ रूपए या उससे अधिक एवं प्रावधानों के 100 प्रतिशत से अधिक का व्यय हुआ। इसका विवरण **परिशिष्ट 2.8** में दिया गया है।

2.3.6 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग, एक अनुदान के अंतर्गत विनियोग की एक इकाई जहां बचत प्रत्याशित है, से दूसरी इकाई जहां अतिरिक्त निधियां आवश्यक हैं, को निधियों का अंतरण है। **परिशिष्ट 2.9, 2.10, 2.11 एवं 2.12** में विवरण दिया गया है कि किस प्रकार प्रत्येक प्रकरण में निधियों का पुनर्विनियोग/समर्पण विवेकहीन सिद्ध हुआ।

2.3.7 प्रत्याशित बचतें समर्पित न करना

व्यय करने वाले विभागों द्वारा जब कभी भी बचतें प्रत्याशित हो, अनुदानों/विनियोगों अथवा इनके अंश को वित्त विभाग को समर्पित करना आवश्यक है। तथापि, वर्ष 2005-06 के अंत में विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के 101 प्रकरणों में विभागों द्वारा कुल 1379.78 करोड़ रूपए की बचतें समर्पित नहीं की गईं, इनमें से 37 प्रकरणों में सारभूत बचतों की कुल राशि 1306.09 करोड़ रूपए जो कि प्रत्येक प्रकरण में 5 करोड़ रूपए या उससे अधिक थी, समर्पित नहीं की गई थी। इसका विवरण **परिशिष्ट 2.13** में दिया गया है।

कुल समर्पित राशि 1369.07 करोड़ रूपए में से 1242.44 करोड़ रूपए (90.75 प्रतिशत) अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन दर्शाते हुए मार्च 2006 के अंतिम दिन समर्पित किए गए थे। विवरण **परिशिष्ट 2.14** में दिया गया है।

2.3.8 निधियों का अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण समर्पण

अनुदानों/विनियोगों के 12 प्रकरणों, में उपलब्ध बचत रु.550.28 करोड़ के विरुद्ध राशि रु.586.42 करोड़ समर्पित करने के परिणामस्वरूप राशि रु.36.14 करोड़ का अधिक समर्पण हुआ। विवरण **परिशिष्ट 2.15** में दिया गया है।

2.4 व्यय का पुनर्मिलान न किया जाना

विभागीय व्यय के आंकड़ों का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों से प्रति माह पुनर्मिलान किया जाना चाहिए। तथापि, बहुत से विभागों में यह पुनर्मिलान बकाया था। कुल 124 नियंत्रण अधिकारियों में से केवल 40 के लेखों का पुनर्मिलान हुआ, 43 का आंशिक पुनर्मिलान माह फरवरी 2006 तक हुआ था एवं 41 नियंत्रण अधिकारियों के लेखाओं का संपूर्ण वर्ष के लिए अर्थात् बारह महीने पुनर्मिलान नहीं किया गया।

2.5 पुनर्विनियोग/समर्पण की दोषपूर्ण स्वीकृतियां

वित्तीय नियम के अनुसार (i) समर्पण/पुनर्विनियोग के सभी स्वीकृतियां वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी करना चाहिए (ii) मुख्य शीर्ष, उपशीर्ष, योजना शीर्ष आदि का विवरण, जिससे समर्पण/पुनर्विनियोजन स्वीकृत किया गया है, का स्पष्ट उल्लेख स्वीकृति में होना चाहिए (iii) जिस शीर्ष में समर्पण/पुनर्विनियोजन सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है उसमें बजट प्रावधान उपलब्ध होना चाहिए। इसके विपरीत, वर्ष 2005-06 में ₹.246.86 करोड़ का दोषपूर्ण समर्पण/पुनर्विनियोजन शासन द्वारा किया गया। विवरण परिशिष्ट 2.16 में दिया गया है।

2.6 व्यय की अधिकता

वर्ष के दौरान व्यय का एकरूप प्रवाह बजट नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है। तथापि, यह दृष्टिगत हुआ कि 10 प्रकरणों में, मार्च 2006 की अवधि में वर्ष भर के कुल व्यय का 36 से 100 प्रतिशत तक व्यय किया गया। इसका विवरण परिशिष्ट 2.17 में दिया गया है।

2.7 पांच अनुदानों की नमूना जांच के परिणाम

व्यय एवं बजट नियंत्रण पर टिप्पणियां

पांच अनुदानों³ से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच एवं विनियोग लेखे वर्ष 2005-06 की जांच में निम्नानुसार प्रकट हुआ -

2.7.1 व्यय नियंत्रण पंजियों का संधारण नहीं करना

नमूना जाँच किये गये अनुदान क्र.17 के किसी भी नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय नियंत्रण पंजियों, जिसमें अनुदान की राशि, अधीनस्थ इकाईयों को पुनर्आर्बटन, पुनर्विनियोजन, समर्पण तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मासिक व्यय का प्रगामी योग भी दर्शाए जाते हैं, संधारित नहीं की गई थी। इससे व्यय पर यथोचित नियंत्रण एवं परिवीक्षण का अभाव प्रकट हुआ।

2.7.2 बजट अनुमानों का दोषपूर्ण तैयार किया जाना

नमूना जांच किए गए अनुदानों⁴ के सभी नियंत्रण अधिकारियों द्वारा बजट अनुमानों को वास्तविक आवश्यकता के आधार पर तैयार न करते हुए, तदर्थ आधार पर तैयार किया गया था। त्रुटिपूर्ण बजट तैयार करने के परिणामस्वरूप राजस्व (दत्तमत) के अंतर्गत 19.54 करोड़ ₹. (4.51 करोड़ ₹., 11.16 करोड़ ₹. और 3.87 करोड़ रुपये, अनुदान संख्या 17,67 और 69 में क्रमशः) एवं पूंजीगत (दत्तमत) के अंतर्गत ₹.53.49 करोड़ (33.03 करोड़ ₹., 3.36 करोड़ ₹., 16.90 करोड़ ₹. और अनुदान संख्या 17,67 तथा 69 में क्रमशः) का अत्याधिक प्रावधान हुआ।

³ अनुदान क्र.17-सहकारिता, 57-जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ, 67-लोक निर्माण कार्य-भवन, 69-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण और 76-लोक निर्माणां विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ।

⁴ अनुदान क्र.17, 67 एवं 69

अनुदान क्र.17 की दो योजनाओं के प्रकरणों में से प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल 4.51 करोड़ रुपये एवं अनुदान क्रमांक 67 की आठ योजनाओं में 20.77 करोड़ रुपये की सारभूत बचत हुई जैसा कि **परिशिष्ट 2.18** में दर्शाया गया है। 22 अन्य योजनाओं में कुल 49.36 करोड़ रुपए का संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा जैसा कि **परिशिष्ट 2.19** में दर्शाया गया है।

2.7.3 अनावश्यक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान और योजनाओं के अंतर्गत दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन

अनुदान संख्या 69 की एक योजना में, राशि 5 करोड़ रुपये का पूरक प्रावधान अनावश्यक था, क्योंकि यह वर्ष के अंत तक अनुपयोगी रहा तथा समर्पित किया गया।

तीसरा अध्याय

निष्पादन मूल्यांकन

स्कूल शिक्षा विभाग

3.1 सर्व शिक्षा अभियान

मुख्यांश

वर्ष 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदाय करने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000-01 में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। वर्ष 2002-05 में अनुमत्य केन्द्रांश 485.10 करोड़ रुपये के विरुद्ध राज्य परियोजना कार्यालय (एस.पी.ओ.) द्वारा उपलब्ध राशियों के उपयोग में असमर्थता से 301.20 करोड़ रुपये की राशि ही प्राप्त हुई। योजना की विभिन्न गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी कम रही। बच्चों की पहचान के लिए पारिवारिक सर्वेक्षण अत्यधिक विलंब से जून 2004 में किया गया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001-05 के दौरान स्वीकृत शिक्षकों के 31913 पदों में से 22249 पद नहीं भरे गए। अधोसंरचना का विकास एवं उन्नयन काफी धीमा रहा। प्रबंधन के पद अत्यधिक संख्या में रिक्त पड़े हुए थे। शिक्षकों के प्रशिक्षण में भारी कमी रही। विशेष ध्यातव्य समूहों के लिए हस्तक्षेपणीय उपायों में कमी रही तथा शोध अध्ययनों हेतु अशासकीय संस्थाओं को संबद्ध नहीं किया गया तथा शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु पहल नहीं की गई। समीक्षा में प्रमुख रूप से निम्न निष्कर्ष परिलक्षित हुए:

वर्ष 2000-01 एवं 2001-02 में कोई व्यय नहीं हुआ था। वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के दौरान भी प्रत्येक अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना एवं बजट का व्यय केवल 32 प्रतिशत ही था।

(कंडिका 3.1.7)

ग्राम/बसाहट स्तरीय योजनायें नहीं बनाई गई थीं। 6 से 14 वर्ष के विभिन्न श्रेणी के बच्चों की पहचान हेतु पारिवारिक सर्वेक्षण अत्यधिक विलंब से जून 2004 में किया गया तथा उसके प्रतिवेदन को अक्टूबर 2005 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

(कंडिका 3.1.8 एवं 3.1.8.2)

वर्ष 2004-05 में शिक्षकों के 60 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत 6.80 करोड़ रुपये की राशि माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को व्यपवर्तित कर डी.एड.पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने हेतु भुगतान की गई। प्रशिक्षण मार्च 2005 तक प्रारंभ नहीं हुआ था।

(कंडिका 3.1.9.1)

वर्ष 2002-05 की वार्षिक कार्य योजनाओं में प्रावधानित/स्वीकृत 15908 निर्माण कार्यों के विरुद्ध मार्च 2005 तक 8401 (53 प्रतिशत) कार्य प्रारंभ किये गए तथा 3765 (24 प्रतिशत) कार्य पूर्ण किये गये। प्राथमिक शालाएँ (3711) एवं उच्च प्राथमिक शालाएँ (1558) स्वयं के भवन से विहीन थीं तथा क्रमशः 1687 और 396 शालाओं के भवन जीर्णावस्था में थे। वार्षिक योजनाओं में पीने का पानी प्रदाय करने और उच्च प्राथमिक शालाओं में लड़कियों के लिए शौचालय की सुविधा का प्रावधान नहीं किया गया था।

(कंडिका 3.1.9.3 एवं 3.1.9.4)

वर्ष 2004-05 में निम्नस्तरीय कागज की पाठ्य पुस्तकें, जिनके लिए 7 करोड़ रुपये पूर्व में ही भुगतान किये जा चुके थे, बच्चों को वितरित की गई। अपात्र बच्चों को अभ्यास पुस्तिकाएँ विवरण हेतु 1.92 करोड़ रुपये का व्यपवर्तन किया गया।

(कंडिका 3.1.9.6 एवं 3.1.9.7)

वर्ष 2003 तक शत प्रतिशत भर्ती के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। शाला से बाहर बच्चों की संख्या जो 2002-03 में 4.33 लाख थी लगभग अपरिवर्तित रहकर वर्ष 2005 में 4.45 लाख रही।

(कंडिका 3.1.10.2)

3.1.1 प्रस्तावना

सर्व शिक्षा अभियान को 2000-01 में समुदाय के स्वामित्व वाली शालेय व्यवस्था के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के प्राथमिक उद्देश्य से एक केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में प्रारंभ किया गया था (जनवरी 2001)। सर्व शिक्षा अभियान, शासन द्वारा शिक्षा के अन्य सभी मुख्य हस्तक्षेपणीय उपायों को समाहित करने के लिए बनाया गया है। केन्द्र सरकार की प्रारंभिक शिक्षा की सभी विद्यमान योजनाओं को (महिला समाख्या को छोड़कर) दसवीं पंचवर्षीय योजना से सर्व शिक्षा अभियान के साथ एकसूत्रीय किया जाना है।

3.1.2 कार्यक्रम के उद्देश्य एवं गतिविधियाँ

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य हैं:

- सभी पात्र बच्चों का वर्ष 2003 तक शालाओं में, शिक्षा आश्वासन केन्द्रों में, वैकल्पिक शालाओं में या "वापिस स्कूल चलो" शिविरों में दाखिला हो;
- यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे 2007 तक पाँच वर्ष की प्राथमिक स्कूली शिक्षा पूरी करें;
- यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे 2010 तक आठ वर्ष की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरी करें;
- क्षेत्रीय, लैंगिक तथा सामाजिक श्रेणी की विषमताओं को प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 तक एवं प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक दूर करना;
- जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक स्तर की प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना; तथा
- 2010 तक बच्चों को सर्वत्र शिक्षा में बनाये रखना है।

3.1.3 संगठनात्मक संरचना

राजीव गाँधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़ राज्य में, सर्वशिक्षा अभियान के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है। यह एक पंजीकृत स्वायत्त संस्था है जिसकी कार्यकारिणी के अध्यक्ष मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन हैं तथा मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, साधारण सभा के पदेन सभापति हैं।

परियोजना का क्रियान्वयन, राज्य मिशन कार्यालय जो राज्य परियोजना कार्यालय के नाम से जाना जाता है एवं जिसके प्रमुख मिशन संचालक हैं, के द्वारा किया जाता है।

जिला स्तर पर कलेक्टर जिला मिशन संचालक हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला परियोजना संचालक हैं तथा जिला परियोजना कार्यालय के प्रमुख जिला परियोजना समन्वयक हैं जिनकी सहायता विकास खण्ड स्तर पर समन्वयक, ब्लॉक संसाधन केन्द्र तथा संकुल स्तर पर समन्वयक संकुल संसाधन केन्द्र द्वारा की जाती है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, पाठ्यक्रम/पाठ्य पुस्तकों के विकास हेतु शोध करने के अलावा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों तथा बुनियादी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से जिलों में शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने हेतु उत्तरदायी है।

3.1.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह जाँचने एवं आंकलन करने के लिए की गई कि क्या;

- पर्याप्त राशि समय पर प्रदाय की गई और उसका उपयोग दक्षतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से किया गया;
- कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन हेतु योजना की प्रभावकारिता;
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने के लिए पर्याप्त मानव शक्ति उपलब्ध थी;
- चिन्हित ध्यातव्य समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया;
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुए, तथा
- कार्यक्रम में विकसित परिवीक्षण प्रणाली उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पूरी तरह पर्याप्त तथा प्रभावी थी।

3.1.5 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

सर्व शिक्षा अभियान के विभिन्न घटकों के निष्पादन की जाँच के लिए जो लेखापरीक्षा मापदण्ड उपयोग किए गए, वे थे:

- निधि के उपयोग के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए नियम एवं आदेश,
- बसाहट/जिला स्तरीय योजनाओं को तैयार करने में विभिन्न वर्गों की भागीदारी में विस्तार,
- प्रत्येक कार्यक्रम के लिए निर्धारित, परिणामों का स्तर एवं निर्देश चिन्हों की प्रगति और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित मानक एवं स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं में विस्तार,
- शिक्षक-प्रशिक्षण एवं पठन-पाठन की प्रक्रिया को समाहित करते हुए शिक्षा पाठ्यक्रम के मानक।
- लड़कियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष सहायता पाने के लिए निर्धारित उन बच्चों का नामांकन, जिनके लिए शिक्षा का विस्तार उनकी पहुंच के बाहर था, तथा
- परिवीक्षण क्रियाविधि का प्रतिफल और कार्यान्वयन का विभिन्न स्तरों पर

मूल्यांकन/अनुवर्तन।

3.1.6 लेखापरीक्षा समावेशन एवं पद्धति

सर्वशिक्षा अभियान से संबंधित 2002-03 से 2004-05 तक की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच कार्यालय मिशन संचालक, राजीव गाँधी शिक्षा मिशन, रायपुर, संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् रायपुर तथा बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर-चांपा, रायपुर एवं सरगुजा जिलों में स्थित जिला परियोजना कार्यालयों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों/बुनियादी प्रशिक्षण संस्थानों में, 15 ब्लॉक संसाधन केन्द्रों, 89 शालाओं, दो शिक्षा आश्वासन योजना केन्द्रों जिनका विवरण परिशिष्ट 3.1 में दिया गया है के अभिलेखों सहित (अप्रैल से सितम्बर 2005) की गई। रायपुर जिले का चयन राजधानी होने से किया गया। अन्य जिलों का चयन आकार के अनुपातिक संभावित मय प्रतिस्थापना की पद्धति¹ से कुल व्यय के साथ किया गया, शहरी विकास खण्डों का चयन यादृच्छिक तथा ग्रामीण विकास खण्डों एवं शालाओं का चयन साधारण यादृच्छिक नमूना बगैर प्रतिस्थापना पद्धति² के द्वारा किया गया। लेखापरीक्षा पद्धति प्रथमतः दस्तावेजीकरण समीक्षा थी तथा राज्य मिशन संचालक, वित्त नियंत्रक तथा परियोजना के अन्य अधिकारियों से समय-समय पर चर्चा की गई।

आईएमआरबी इंटरनेशनल की एक विशेषज्ञ इकाई सामाजिक और ग्रामीण शोध संस्था, नई दिल्ली की सेवाएँ, हितग्राहियों और उनके पालकों पर सर्वशिक्षा अभियान के प्रभावों का सही परिप्रेक्ष्य में निर्धारण करने के लिए ली गई। सामाजिक और ग्रामीण शोध संस्था ने बहुस्तरीय रूपांकन को अंगीकार करते हुए, एक लाभदायक सर्वेक्षण, जनवरी 2006 से फरवरी 2006 तक किया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1.7 वित्तीय प्रबंधन

वित्त व्यवस्थाएँ

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राशियाँ नवीं पंचवर्षीय योजना में 85:15 के अनुपात में, वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान 75:25 एवं तदुपरांत 50:50 में होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय निधियाँ सीधे मिशन (राज्य परियोजना कार्यालय) को भेजता है। राज्य शासन को अपना अंश केन्द्रांश (अनुदान/सहायता) प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर राज्य परियोजना कार्यालय को स्थानांतरित करना होता है। उसके बाद राशि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जिला परियोजना कार्यालयों, जिला परियोजना कार्यालयों द्वारा ब्लॉक संसाधन केन्द्रों तथा ब्लॉक संसाधन केन्द्रों द्वारा ग्राम शिक्षा समिति/ग्राम निर्माण समिति/जनभागीदारी विकास समिति को 15 दिवस में स्थानांतरित की जानी है। सभी

¹ प्रावेबलिटी प्रपोजनल टूसाईज विथ रिप्लेसमेंट

² सेम्पल रेण्डम सेम्पलिंग विथआउट रिप्लेसमेंट

राशियाँ टेलीग्राफिक ट्रांसफर/ड्राफ्ट के माध्यम से स्थानांतरित की जानी है तथा बैंक खातों में रखनी हैं।

राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा 2001-05 के दौरान प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना एवं बजट, प्राप्त राशि एवं व्यय राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार था -

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं	वर्ष	परियोजना अनुमोदन मंडल द्वारा स्वीकृत राशि (वार्षिक कार्य योजना एवं बजट)			राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्राप्त राशि			राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रतिवेदित व्यय तथा कोचक में व्यय का प्रतिशत
		केन्द्रांश	राज्यांश	योग	केन्द्र सरकार से	छ.ग.शासन से	योग	
1.	2001-02				निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	2002-03	56.58	18.86	75.44	30.22	9.01	39.23	24.14 (32)
3.	2003-04	159.14	53.05	212.19	75.01	31.20	106.21	68.59 (32)
4.	2004-05	269.38	89.79	359.17	195.97	65.00	260.97	273.91 (76)
	योग	485.10	161.70	646.80	301.20	105.21	406.41	366.64

प्रमुख हस्तक्षेपणीय उपायोंवार उपरोक्त व्यय का विवरण परिशिष्ट 3.2 में दिया गया है।

उपलब्ध राशि का उपयोग न होने से विमुक्त केन्द्रांश/राज्यांश वार्षिक कार्य योजना से 240.39 करोड़ रुपये कम था।

छत्तीसगढ़ राज्य में योजना का वास्तविक क्रियान्वयन 2002-03 से प्रारंभ हुआ, जबकि वर्ष 2001-02 हेतु 7.80 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट स्वीकृत किया गया था। भारत सरकार द्वारा 2002-05 के लिए स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के विरुद्ध केन्द्रांश तथा राज्यांश क्रमशः 485.10 करोड़ रुपये तथा 161.70 करोड़ रुपये था परन्तु राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध राशि का उपयोग न कर सकने के कारण केवल 301.20 करोड़ रुपये तथा 105.21 करोड़ रुपये क्रमशः भारत सरकार तथा राज्य सरकार से प्राप्त हुए। वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 में स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट का केवल 32 प्रतिशत व्यय हुआ। राज्य परियोजना कार्यालय ने बताया (सितम्बर 2005) कि शिक्षकों तथा सहायक अमले के रिक्त पद न भरे जाने तथा निर्माण एजेंसियों द्वारा निर्माण कार्यों में रुचि की कमी से कम प्रगति रहने के कारण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका। 2002-03 एवं 2003-04 के दौरान 23.47 करोड़ रुपये का राज्यांश राज्य परियोजना कार्यालय को छः माह की देरी से दिया गया था।

3.1.7.1 अग्रिम पंजियों का संधारण न होना

राशि विमुक्त करने वाले प्राधिकारी को विमुक्त राशि के विरुद्ध वास्तविक व्यय की जानकारी नहीं थी।

ब्लॉक संसाधन केन्द्रों से राज्य परियोजना कार्यालय तक किसी भी स्तर पर निर्धारित अग्रिम पंजियाँ संधारित नहीं की गईं। अतः प्राधिकारी जिसके द्वारा राशियाँ विमुक्त की जा रही थीं को पूर्व में विमुक्त राशियों के विरुद्ध वास्तविक व्यय तथा एजेंसियों, जिन्हें राशियाँ दी गईं, के पास बकाया राशि की जानकारी नहीं थी। जिला परियोजना समन्वयकों ने बताया (मई-सितम्बर 2005) कि भविष्य में अग्रिम पंजियाँ संधारित की जाएंगी।

3.1.7.2 सर्वशिक्षा अभियान निधियों का व्यपवर्तन

राज्य परियोजना अधिकारी /जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा 75.90 लाख रुपये ऐसी गतिविधियों पर व्यपवर्तित किए गए जो सर्वशिक्षा अभियान घटकों में नहीं आती।

बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर-चांपा तथा सरगुजा जिलों में 65.90 लाख रुपये का व्यय (अनुसंधान, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण तथा परिवीक्षण (आरईएसएम) मद से 15.05 लाख रुपये तथा बालिका/अ.जा./अ.ज.जा. शिक्षा मद से 50.85 लाख रुपये) ऐसे मदों पर किया गया जो सर्वशिक्षा अभियान मानदण्डों के अंतर्गत नहीं आते जैसे कम्प्यूटर स्टेशनरी, वार्षिक कार्य योजना हेतु कार्यशाला, शालाओं हेतु पत्रिका का क्रय तथा मुद्रण, टू-इन-वन स्टीरियो सेट, मेडीकल किट, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बच्चों हेतु गणवेश, सायकल, कंबल, महिला दिवस, बाल श्रमिकों हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण, सुयोग्य छात्रों की यात्रा आदि। जांजगीर-चांपा जिले में 10.80 लाख रुपये ब्लॉक संसाधन केन्द्रों को बालिका शिक्षा हेतु प्रदाय (फरवरी 2003) किए गए जो ब्लॉक संसाधन केन्द्रों में अभी तक (अगस्त 2005) बिना उपयोग के पड़े थे। जिला परियोजना समन्वयक ने बताया (सितंबर 2005) कि ब्लॉक संसाधन केन्द्रों को राशि लौटाने हेतु कहा गया था। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर को 10 लाख रुपये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था रायपुर के छात्रावास भवन के रखरखाव तथा फर्नीचर क्रय हेतु मार्च 2005 में प्रदाय किए जो न तो सर्वशिक्षा अभियान मानदण्डों के अंतर्गत देय थे ना ही वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2004-05 में स्वीकृत किए गए थे। राज्य परियोजना कार्यालय ने बताया (जुलाई 2005) कि राशि प्रबंधन लागत में से दी गई थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्रबंधन लागत मद में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था के छात्रावास भवन का रखरखाव सम्मिलित नहीं था।

3.1.8 कार्यक्रम प्रबंधन

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट

ग्राम/बसाहट स्तरीय शिक्षा योजनाएँ त्रणमूल (ग्रासरूट) स्तरीय संस्थाओं जैसे पंचायती राज संस्थाओं, शाला प्रबंधन समितियों, ग्रामीण तथा शहरी गंदी बस्ती स्तरीय शिक्षा समितियों, पालक शिक्षक संघों आदि को प्रभावी रूप से सन्निहित कर बनाया जाना योजना में परिकल्पित था। बाद में संकुल, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर उनका एकत्रीकरण एवं संकलन राज्य की वार्षिक परियोजना एवं बजट बनाने हेतु किया जाना था।

नमूना जांच किए चार³ जिलों में ग्राम/बसाहट स्तरीय शिक्षा योजनाएँ बनाई ही नहीं गईं। जिला वार्षिक कार्य योजनाएँ ब्लॉक संसाधन केन्द्रों से एकत्रित आँकड़ों के आधार पर बनाई गईं। योजना में यह भी उल्लेखित था कि बसाहट तथा जिला स्तरीय योजनाएँ बनाने हेतु प्रत्येक बसाहट/ग्राम/शहरी गंदी बस्ती में सघन भ्रमण के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर समूह/कोर दलों का गठन किया जाए जिसमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के संकाय सदस्य तथा ब्लॉक संसाधन केन्द्रों, संकुल संसाधन केन्द्रों, अशासकीय संस्थाओं, शिक्षक संगठनों तथा महिला समूहों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों। यह देखा गया कि 2002-03 से 2004-05 के दौरान ऐसे दलों का गठन नहीं किया गया।

ग्राम/बसाहट स्तर पर शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार नहीं किये गये

³ बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर-चांपा तथा रायपुर

जिला परियोजना कार्यालय सरगुजा ने ग्राम/बसाहट योजना बनाने तथा कोर दलों के गठन से संबंधित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये।

3.1.8.1 जिला योजनाओं का मूल्यांकन नहीं किया गया

राष्ट्रीय/राज्य मिशन के संयुक्त दलों द्वारा जिला योजनाओं का मूल्यांकन नहीं किया गया।

मार्गदर्शिका में उल्लिखित था कि राष्ट्रीय तथा राज्य मिशन द्वारा संयुक्त रूप से गठित मूल्यांकन दल प्रारंभिक गतिविधियों की गुणवत्ता की परिवीक्षा करेंगे तथा जिला योजनाओं के मूल्यांकन हेतु जिलों में नियमित रूप से भ्रमण करेंगे। नमूना जांच किए चार जिलों में संयुक्त दलों द्वारा ऐसे कोई भ्रमण नहीं किए गए। जिला परियोजना कार्यालय, सरगुजा ने बताया (सितम्बर 2005) कि संयुक्त दल द्वारा जिला योजना का मूल्यांकन किया गया था परन्तु उत्तर के समर्थन में कोई अभिलेख/प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को नहीं दिखाया गया।

3.1.8.2 पारिवारिक सर्वेक्षण करने में विलम्ब

पारिवारिक सर्वेक्षण अत्यधिक विलम्ब से जून 2004 में किया गया।

प्रारंभिक गतिविधियों का सबसे महत्वपूर्ण घटक 6 से 14 वर्ष के विभिन्न वर्गों के बच्चों के चिन्हांकन हेतु पारिवारिक सर्वेक्षण करना था जो अत्यधिक विलम्ब से जून 2004 में किया गया तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदन को अंतिम रूप नहीं दिया गया था (अक्टूबर 2005)। आयु 11-14 वर्ष आयु समूह के बच्चों की संख्या वार्षिक योजनाओं 2002-03 एवं 2003-04 में क्रमशः 11.93 लाख तथा 11.88 लाख अनुमानित की गई थी जबकि 2004-05 में किए गए पारिवारिक सर्वेक्षण की अनंतिम आंकड़े के अनुसार वह 13.35 लाख थी। यह दर्शाता है कि यदि यथानिहित पारिवारिक सर्वेक्षण प्रारंभ में ही किया गया होता तो वार्षिक योजना में किए गए अनुमान अधिक विश्वसनीय संख्या पर आधारित होते।

3.1.9 सर्वशिक्षा अभियान के तहत मुख्य हस्तक्षेपणीय उपाय

शिक्षकों की नियुक्ति

सर्वशिक्षा अभियान में जो कि शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 में शिक्षक देने प्रत्येक प्राथमिक शाला के लिए न्यूनतम दो शिक्षक तथा उच्च प्राथमिक शाला के लिए ये तीन शिक्षकों का प्रावधान था।

सर्वशिक्षा अभियान के मानदण्डों के अनुसार 77801 प्राथमिक और 31062 उच्च प्राथमिक शिक्षकों की आवश्यकता के विरुद्ध, 31 मार्च 2005 को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों के क्रमशः 74854 और 30489 पद स्वीकृत थे तथा क्रमशः 60876 और 22567 कार्यरत थे। प्राथमिक शालाओं में 13978 पद रिक्त पड़े हुए थे और निर्धारित अनुपात को प्राप्त करने के लिए 2947 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति की आवश्यकता थी। तथापि, 4942 पदों की स्वीकृति प्रस्तावित थी। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक शालाओं में 7922 पद रिक्त थे एवं 573 पदों की स्वीकृति की और आवश्यकता थी जबकि 1430 अतिरिक्त पद स्वीकृति हेतु प्रस्तावित थे। प्रस्तावित पद वास्तविक आवश्यकता से अधिक थे, क्योंकि तीन⁴ जिलों की प्राथमिक शालाओं में

⁴ दंतेवाड़ा, जशपुर एवं कोरबा

1995 पद तथा चार⁵ जिलों की उच्च प्राथमिक शालाओं में 858 पद सर्व शिक्षा अभियान मानदण्ड से अधिक स्वीकृत थे। अतः वार्षिक कार्य योजना में कोई आगामी प्रस्ताव करने से पहले अतिरिक्त आवश्यकताओं के निर्धारण हेतु जिलेवार स्वीकृतियों को पुनरीक्षित एवं तर्कसंगत किया जाना था।

मानदण्ड के अनुसार 4650 शालाओं में शिक्षक नहीं दिए गए। 765 शालाएँ बिना शिक्षकों के थीं।

वर्ष 2001-05 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के तहत अध्यापकों के स्वीकृत 31913 पदों में से 9664 पद (30 प्रतिशत) ही भरे गए। वर्ष 2004-05 के दौरान चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से भर्ती नहीं की गई। चयनित जिलों में कोई अध्यापक न होने से 765 शालाएँ कार्यरत नहीं थीं तथा 4650 शालाओं में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अध्यापक प्रदाय नहीं किए गए। जिला परियोजना समन्वयकों ने बताया (अगस्त 2005) कि रिक्तियों को भरने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

3.1.9.1 शिक्षकों का प्रशिक्षण

वर्ष 2002-03 के दौरान शिक्षकों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया। वर्ष 2003-05 के दौरान प्रशिक्षण अत्यधिक कम रहा।

सर्व शिक्षा अभियान में सभी शिक्षकों हेतु प्रति वर्ष 20 दिवसीय सेवाकालीन वार्षिक पाठ्यक्रम, शिक्षकों के रूप में पहले से पढ़ा रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 60 दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और नए भर्ती किए गए प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 30 दिवसीय दिशा अनुकूलन कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों में क्षमता निर्माण करना प्रावधानित था। वर्ष 2002-03 में कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया। राज्य में वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान वार्षिक योजना में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के स्वीकृत एवं आयोजित वास्तविक प्रशिक्षण का विवरण नीचे दिया गया है:

प्रशिक्षण की श्रेणी	2002-03		2003-04		2004-05	
	प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत शिक्षकों की संख्या	वास्तव में प्रशिक्षित	प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत शिक्षकों की संख्या	वास्तव में प्रशिक्षित	प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत शिक्षकों की संख्या	वास्तव में प्रशिक्षित
30 दिवसीय	11542	निरंक	6776	865	4451	2693
60 दिवसीय	3570	निरंक	17159	निरंक	16200	निरंक
20 दिवसीय	4109	निरंक	54381	23171	102065	26989

60 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए प्राप्त रूपये 6.80 करोड़ भारत सरकार के अनुमोदन के बिना डी.एड. प्रशिक्षण के लिए व्ययवर्तित किए गए।

उक्त तालिका ने दर्शाया कि दिशा अनुकूलन प्रशिक्षण (30 दिन) का समावेश स्वल्प था। वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में सेवाकालीन प्रशिक्षण (20 दिवसीय प्रशिक्षण) क्रमशः निर्धारित लक्ष्य का मात्र 43 एवं 26 प्रतिशत प्रदान किया गया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने बताया (जुलाई 2005) कि वर्ष 2002-03 में निधियाँ के प्राप्त न होने, 2003-04 में निधियों के देर से प्राप्त होने एवं वर्ष 2004-05 में उच्च प्राथमिक शिक्षकों की विषयवार संख्या की जानकारी उपलब्ध न होने के कारण 20 एवं 30 दिवसीय प्रशिक्षण के लक्ष्य पूरे नहीं किए जा सके। वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान कोई पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (60 दिवसीय प्रशिक्षण) आयोजित नहीं किया गया। वर्ष 2004-05 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में 16,200 शिक्षकों को 60 दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम हेतु 6.80 करोड़ रूपये स्वीकृत थे, जिसको माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर को डी.एड. पाठ्यक्रम का प्रबंध करने हेतु भुगतान किया गया (मार्च 2005) जो

⁵ दतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, चांपा एवं कोरबा

31 मार्च 2005 तक प्रारंभ नहीं हुआ था। यद्यपि प्रस्तावित डी.एड.(दूरस्थ शिक्षण) पाठ्यक्रम दो वर्षीय अवधि का था तथा 60 दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम से पूर्णतया भिन्न था। यह परिवर्तन भारत सरकार के अनुमोदन के बिना किया गया।

3.1.9.2 प्राथमिक शालाओं/शिक्षा आश्वासन योजना-वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा केन्द्रों तथा उच्च प्राथमिक शालाओं की स्थापना

सर्वशिक्षा अभियान के मानदण्डों के अनुसार, प्राथमिक शाला/वैकल्पिक स्कूली शिक्षा सुविधा प्रत्येक बसाहट के एक किलोमीटर की दूरी के भीतर उपलब्ध होनी चाहिए और 2:1 के अनुपात को बनाए रखने के लिए उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों की अपेक्षित संख्या के आधार पर दो प्राथमिक शालाएँ होनी चाहिए। इस मानदण्ड के अनुसार मार्च 2005 के अंत तक 12308 उच्च प्राथमिक शालाओं की आवश्यकता थी जिसमें से केवल 8128 उच्च प्राथमिक शालाएँ ही थीं। इसके परिणामस्वरूप राज्य में 4180 उच्च प्राथमिक शालाओं की कमी थी।

सर्वशिक्षा अभियान प्रारंभ होने से पहले छत्तीसगढ़ में 22797 प्राथमिक और 5,774 उच्च प्राथमिक शासकीय शालाएँ थीं। प्राथमिक शालाओं में स्तरोन्नत किए गए 4,652 शिक्षा आश्वासन योजना-केन्द्रों तथा उच्च प्राथमिक शालाओं में स्तरोन्नत की गई 1,367 प्राथमिक शालाओं को शामिल कर, वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान 6552 प्राथमिक और 2,354 उच्च प्राथमिक शालाएँ और बढ़ाई गई।

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शाला सुविधाएँ क्रमशः 838 तथा 2468 बसाहटों में प्रदाय नहीं की गई।

मार्च 2005 के अंत तक राज्य की 39,683 बसाहटों में से 3,364 बसाहटें एक किलोमीटर की दूरी के भीतर वाले शिक्षा आश्वासन योजना-वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा केन्द्रों/प्राथमिक शालाओं से वंचित थी। उनमें से 2,091 बसाहटें, शिक्षा आश्वासन योजना-वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा तथा 838 बसाहटें, प्राथमिक शालाओं के लिए पात्र थीं। इसी प्रकार 2,468 बसाहटें, जनसंख्या एवं दूरी के मानदण्डों के अनुसार उच्च प्राथमिक शाला की सुविधाओं के बिना थीं।

3.1.9.3 अधोसंरचना की कमी

मानदण्डों के अनुसार उपलब्ध अधोसंरचना आवश्यकताओं से काफी कम थी।

सर्वशिक्षा अभियान के मानदण्डों के अनुसार उच्च प्राथमिक शालाओं में प्रधानाध्यापक के लिए एक अलग कमरा एवं पेयजल और प्रसाधन सुविधाएँ देना था। 31 मार्च 2005 को अपर्याप्त अधोसंरचना वाली शालाओं की स्थिति निम्नानुसार थी:-

शालाओं की श्रेणी	शालाओं की संख्या	बिना स्वयं के भवन वाली शालाओं की संख्या	जीर्णावास्था वाली शालाओं की संख्या	प्रधानाध्यापक कमरे से विहीन शालाओं की संख्या	पेयजल सुविधा विहीन शालाओं की संख्या	प्रसाधन सुविधा विहीन शालाओं की संख्या	बालिका शौचालय विहीन शालाओं की संख्या
प्राथमिक शाला	29349	3711	1687	27699	9080	22806	28637
उच्च प्राथमिक शाला	8128	1558	396	3933	2639	4588	6697
कुल	37477	5269	2083	31632	11719	27394	35334

उक्त आँकड़े, अधोसंरचना की वास्तविक उपलब्धता एवं सर्वशिक्षा अभियान के मानदण्ड के बीच बहुत बड़े अंतर को दर्शाते हैं। राज्य परियोजना कार्यालय ने बताया (अगस्त 2005) कि पहले की वार्षिक कार्य योजनाओं में पर्याप्त प्रस्ताव शामिल नहीं किए जा सके और आगामी कार्य योजनाओं में शामिल किए जाएंगे।

3.1.9.4 निर्माण कार्य

सर्वशिक्षा अभियान में निर्माण कार्यों पर परियोजना अनुमोदन मंडल द्वारा अनुमोदित समग्र परियोजना लागत के 33 प्रतिशत की सीमा तक व्यय अनुमत्य था। निर्माण कार्यों का निष्पादन ग्राम निर्माण समिति (सितम्बर 2004 तक) और जनभागीदारी विकास समिति के माध्यम से किया जाना था। वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में 2001-05 के दौरान निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत 176.28 करोड़ रुपये के विरुद्ध 2002-05 के दौरान 168.23 करोड़ रुपये निष्पादन एजेंसियों द्वारा व्यय किए जाने दर्शाया गया था।

स्वीकृत निर्माण कार्यों के केवल 53 प्रतिशत कार्य ही प्रारंभ किए गए और 24 प्रतिशत पूर्ण किए गए।

मार्च 2005 तक 75,504 कार्यों की आवश्यकता के विरुद्ध, केवल 15,908 कार्य ही वार्षिक कार्य योजनाओं में प्रावधानित किए गए, 8,401 कार्य (53 प्रतिशत) प्रारंभ किए गए और केवल 3,765 (24 प्रतिशत) पूर्ण किए गए जबकि पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध थी। उच्च प्राथमिक शालाओं में पेयजल एवं बालिका शौचालय सुविधाएँ प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजनाओं में कोई प्रावधान नहीं किया गया।

मानदण्डों का उल्लंघन कर 2022 कार्यों के लिए राशि 25.30 करोड़ रुपये जारी की गई जबकि अभी कार्य ही प्रारंभ नहीं हुए।

सर्व शिक्षा अभियान मानदण्डों के अनुसार जिले से नीचे के स्तरों को दो किशतों में राशियाँ जारी की जानी थी। नमूना जाँच किए गए जिलों में 2,022 कार्यों की पूर्ण लागत राशि 25.30 करोड़ रुपये जारी की गई जिनका अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ था। अतः निधियों को बिना शर्त जारी करना, कार्यों की प्रगति पर प्रभावी निगरानी रखने में सहायक नहीं हुआ। दुर्ग जिले में 27.75 लाख रुपये की लागत के शाला भवनों का निर्माण कार्य, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा विभाग को वर्ष 2004-05 में सौंपा गया तथा शालाओं में 250 शौचालयों के निर्माण हेतु 25 लाख रुपये (फरवरी 2003), 12 नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायतों को प्रदान किए गए जो कि कार्यों को निर्माण समितियों के माध्यम से निष्पादन कराने के सर्वशिक्षा अभियान के मानदण्डों के विपरीत था। इन स्थानीय निकायों द्वारा अभी तक (जुलाई 2005) न तो पूर्णता प्रमाण पत्रों एवं न ही उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत किया गया था।

इस प्रकार अधोसंरचना का विकास एवं उन्नयन काफी धीमा था। राज्य परियोजना कार्यालय ने बताया (सितम्बर 2005) कि चुनाव के कारण केवल 53 प्रतिशत कार्य ही लिए जा सके एवं ग्राम निर्माण समितियों द्वारा रूचि न लेने के कारण केवल 24 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हो सके। उत्तर दर्शाता है कि अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने में निर्माण समितियों को ऊर्जावान करने हेतु ग्राम स्तर पर अधिक पहल की आवश्यकता थी।

3.1.9.5 निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण

सर्वशिक्षा अभियान के मानदण्डों के अनुसार केवल ध्यातव्य समूह के बच्चों अर्थात् शासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं और शासकीय सहायता प्राप्त शालाओं/मदरसों की सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान करनी हैं। वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान सर्वशिक्षा अभियान के तहत पाठ्यपुस्तकें प्रदाय नहीं की गई। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु 2004-05 की वार्षिक कार्य योजना में पहली बार 26.13 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए और मार्च 2005 को समाप्त होने वाले कार्यक्रम प्रबंध सूचना प्रणाली प्रतिवेदन में 19.66 करोड़ रुपये व्यय प्रतिवेदित किया गया। राज्य शैक्षण

वर्ष 2002-04 के दौरान निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण नहीं किया गया और 2004-05 में विलम्ब से वितरण किया गया।

अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने 18.59 लाख बच्चों को 24 जुलाई 2004 तक पाठ्यपुस्तकें प्रदाय करने हेतु आदेश जारी (9 जुलाई 2004) किए। जिला कार्यालयों से अतिरिक्त पुस्तकों की माँग पर 6.42 लाख बच्चों को 19 सितम्बर 2004 तक पुस्तकों के आगामी प्रदाय का एक अन्य आदेश जारी (सितम्बर 2004) किया गया। आवश्यकता का त्रुटिपूर्ण आकलन करने एवं आदेश जारी करने में विलम्ब से पुस्तकें नवम्बर तक शालाओं में पहुँची। नमूना जाँच की गई शालाओं में से 52 शालाओं में 19,830 पुस्तकें प्राप्त हुई, जिनमें से 36 शालाओं में 4,636 पुस्तकें अवितरित पड़ी हुई थी और 43 शालाओं में 5,215 पुस्तकें सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणियों के बच्चों को वितरित की गई जो, सर्व शिक्षा अभियान के निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण के मानदण्डों के अनुसार पात्र नहीं थे।

3.1.9.6 अवमानक गुणवत्ता का कागज

वर्ष 2004-05 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के लक्षित समूह को 7 करोड़ रुपये लागत की अवमानक गुणवत्ता वाले कागज की पाठ्यपुस्तकें वितरित की गई।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने पाठ्यपुस्तकें प्रदाय करने हेतु फरवरी 2004 में निविदाएँ आमंत्रित की थी। प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए कागज के नमूने, अप्रैल 2004 में किए गए परीक्षण अनुसार अवमानक पाए गए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने फिर भी पुस्तकें प्रदाय हेतु इन प्रदायकर्ताओं से इस शर्त के साथ अनुबंध (मई 2004) किया कि पुस्तकों का अंतिम प्रदाय, निविदा आमंत्रण सूचना में निर्धारित शर्तों के अनुसार होगा तथा अवमानक गुणवत्ता की पाये जाने पर निरस्त किया जायेगा। प्रदाय पश्चात् 39 पुस्तकों में से सात के नमूने परीक्षण हेतु भेजे गए एवं कागज अवमानक पाए गए। तथापि, बच्चों को पुस्तकों का वितरण नहीं रोका गया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा गठित समिति के निर्णय अनुसार प्रदायकर्ताओं पर 35.48 लाख रुपये की शास्ति को आरोपित किया गया तो भी अंततः बच्चे इन अवमानक कागज की पुस्तकों को प्राप्त करते रहे, जिनके लिए 7 करोड़ रुपये का भुगतान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्/जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा किया गया। इसके अलावा प्रदायकर्ताओं से काटी गई शास्ति की राशि राज्य परियोजना कार्यालय को वापस नहीं की गई (अगस्त 2005)।

3.1.9.7 अभ्यास पुस्तकों के क्रय में अनियमितताएँ

अपात्र बच्चों को 1.92 करोड़ रुपये लागत की अभ्यास पुस्तकें प्रदाय की गई।

राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा सर्वशिक्षा अभियान की निधि 10.13 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को अभ्यास पुस्तकों के वितरण हेतु प्रदाय की गई थी (मार्च 2005)। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने 7.39 करोड़ रुपये लागत की अभ्यास पुस्तकों को अगस्त 2005 तक अधिप्राप्त एवं वितरित किया तथा 2.74 करोड़ रुपये उनके पास अनुपयोगी पड़े हुए थे, जिन्हें वापस नहीं किया गया। अधिप्राप्ति में शामिल 1.92 करोड़ रुपये लागत की अभ्यास पुस्तकें अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य श्रेणी के बालकों को वितरित की गई, जिसकी सर्व शिक्षा अभियान की निधि से अनुमति नहीं थी।

3.1.9.8 पाठ्यपुस्तकों के प्रदाय में कमी

निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण 0.63 लाख पात्र बच्चों को नहीं किया गया।

नमूना जाँच किए गए पाँच जिलों में से जांजगीर-चांपा जिले में जिला परियोजना समन्वयक ने अतिरिक्त पुस्तकों की माँग राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को प्रस्तुत नहीं की, जिसके फलस्वरूप वार्षिक कार्य योजना (2004-05) के अनुसार

1.95 लाख पात्र बच्चों के विरुद्ध केवल 1.32 लाख बच्चों के लिये पुस्तकें प्राप्त हुई एवं 0.63 लाख बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के लाभ से वंचित रखा गया।

3.1.9.9 शाला अनुदान

देय शाला अनुदान 2000 रूपये के स्थान पर वर्ष 2003-04 में प्रतिशाला 1000 रूपये का भुगतान किया गया।

ग्राम शिक्षा समिति को पुस्तकालय की पुस्तकों को शामिल करते हुए क्षतिग्रस्त शाला उपस्कर बदलने के लिए 2000 रूपये की राशि प्रतिवर्ष प्रति प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शाला पर व्यय करनी थी। 2003-04 के दौरान 12,532 (43 प्रतिशत) शालाओं को शाला अनुदान प्रदान नहीं किया गया। बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर-चांपा और सरगुजा जिले में यही 1000 रूपये प्रतिशाला की घटी दर पर प्रदान की गई। जिला परियोजना समन्वयकों ने बताया (जुलाई-सितम्बर 2005) कि पुस्तकालयीन पुस्तकों के प्रदाय के लिए 1000 रूपये प्रतिशाला रोके गए थे, परन्तु पुस्तकों की अधिप्राप्ति नहीं की जा सकी। यह अनियमित था क्योंकि यह अनुदान, शालाओं द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करने के लिए था। 2004-05 के दौरान जब बिलासपुर जिले में 117 उच्च प्राथमिक शालाओं को शाला अनुदान प्रदाय नहीं किया गया तब बिलासपुर एवं सरगुजा जिले में 6,222 शालाओं के लिए क्रमशः 4.56 लाख रूपये एवं 17.62 लाख रूपये मानदण्ड से अधिक जारी किए गए। जिला परियोजना समन्वयकों ने बताया (जुलाई-सितम्बर 2005) कि ब्लॉक संसाधन केन्द्रों को अधिक अनुदान वापस करने के लिए कहा जाएगा।

3.1.9.10 शिक्षक अनुदान

नमूना जाँच किये गये जिलों में अधिक जारी किया गया 15.50 लाख रूपये का शिक्षक अनुदान ब्लॉक संसाधन केन्द्रों में पड़ा हुआ था

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शालाओं में शिक्षण एवं अध्ययन सामग्री तैयार करने हेतु प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष 500 रूपये देने थे। 2004-05 के दौरान राज्य में कार्यरत 83,443 शिक्षकों (60,876 प्राथमिक शाला शिक्षक और 22,567 उच्च प्राथमिक शाला शिक्षक) के लिए अपेक्षित 4.17 करोड़ रूपये के विरुद्ध 94,045 शिक्षकों के लिए 4.38 करोड़ रूपये जारी करना बताया गए। फलस्वरूप 20.47 लाख रूपये अधिक जारी हुए। नमूना जाँच किए गए जिलों में 3,100 शिक्षकों के लिए 15.50 लाख रूपये (रायपुर: 2004-05 में 7.16 लाख रूपये, बिलासपुर: 2003-04 में 2.29 लाख रूपये और 2004-05 में 6.05 लाख रूपये) का अधिक अनुदान था। जिला परियोजना समन्वयकों ने बताया (जून-जुलाई 2005) कि अधिक राशि ब्लॉक संसाधन केन्द्रों के पास पड़ी हुई है और वसूल की जाएगी। भारत सरकार को प्रतिवेदित किए गए आंकड़े उक्त सीमा तक अधिक थे।

3.1.9.11 रखरखाव अनुदान

शाला समितियों से प्राप्त होने वाले विशिष्ट प्रस्ताव के आधार पर तीन कमरे तक वाली प्रत्येक शाला को 4,000 रूपये प्रतिवर्ष और तीन से अधिक कमरे वाली शाला को 7,500 रूपये प्रतिवर्ष रखरखाव अनुदान, जिले के लिए 5,000 रूपये प्रतिशाला की कुल सीमा की शर्त पर, दिया जाना था। नमूना जाँच किए गए जिलों में 2002-03 एवं 2003-04 के दौरान, जबकि शालाओं से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किए गए, सर्व शिक्षा अभियान के मानदण्डों के प्रतिकूल 5,000 रूपये प्रतिशाला की तदर्थ दर पर अनुदान का भुगतान किया गया।

रखरखाव अनुदान पर 0.97 करोड़ रुपये का अधिक व्यय

अनुदान का भुगतान स्वयं के विद्यमान भवन वाली शालाओं को करना था। 2002-10 की घटक-योजना के अनुसार राज्य में स्वयं के विद्यमान भवन वाली 25,435 शालाएँ (प्राथमिक शालाएँ स्तरोन्नत शिक्षा अश्वासन योजना सहित: 21,504, उच्च प्राथमिक शालाएँ 3,931) थी और उन्हें अधिकतम 12.72 करोड़ रुपये देय थे। तथापि मार्च 2005 की कार्यक्रम प्रबंध सूचना प्रणाली प्रतिवेदन के अनुसार 13.69 करोड़ रुपये के रखरखाव अनुदान का भुगतान किया गया, जिसके फलस्वरूप 0.97 करोड़ रुपये का अनुदान अधिक था। राज्य परियोजना कार्यालय ने बताया कि नए भवन वाली शालाओं को भी रखरखाव अनुदान का भुगतान किया गया। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनुदान मौजूदा भवन वाली शालाओं में रखरखाव के लिए था।

3.1.9.12 राज्य, जिले, ब्लॉक और संकुल स्तर पर प्रबंधन ढाँचा

राज्य से संकुल संसाधन केन्द्रों तक के विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत एवं भरे हुए पदों का विवरण परिशिष्ट 3.3 में दिया गया है।

प्रबंधन के पद बड़ी संख्या में रिक्त पड़े थे

आँकड़े दर्शाते हैं कि संकुल संसाधन केन्द्रों को छोड़कर अन्य सभी स्तरों पर 60 प्रतिशत से अधिक पद कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और परिवीक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ खाली पड़े हुए थे। जिला परियोजना कार्यालय स्तर पर सहायक परियोजना समन्वयक, अनुसंधान, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण और परिवीक्षण के सभी 32 पद और सहायक अभियंता के 32 में से 30 पद खाली थे, जिसके कारण अनुसंधान कार्य नहीं किया जा सका और निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ। ब्लॉक संसाधन केन्द्रों पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत कम्प्यूटर और सहायक उपकरण प्रदाय किए गए किंतु डाटा एंट्री आपरेटर्स के पद नहीं दिए गए।

3.1.10 विशेष ध्यातव्य वाले बच्चों का समावेशन

विशेष आवश्यकता वाले बच्चे

सर्वशिक्षा अभियान में प्रावधान था कि विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे को, भले ही उसकी विकलांगता की किस्म, श्रेणी और मात्रा कितनी भी हो, उपयुक्त वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाए। ऐसे बच्चों की पहचान, सूक्ष्म आयोजना और परिवार वार सर्वेक्षण का अभिन्न अंग होना चाहिए। रायपुर एवं सरगुजा जिलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान नहीं की गई। जिला परियोजना समन्वयक रायपुर ने कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध न होने से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान नहीं हो सकी। उत्तर दर्शाता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए क्योंकि रायपुर राजधानी जिला था तथा यह मान्य नहीं था कि चिकित्सा विशेषज्ञ नहीं थे। जिला परियोजना समन्वयक सरगुजा द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।

स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना तथा कार्यक्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रतिवेदन वर्ष 2002-03 से 2004-05 में प्रकट हुआ कि 75,274 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लक्ष्य के विरुद्ध सिर्फ 6040 (8 प्रतिशत) का ही समावेशन हुआ जिनपर 9.04 करोड़ रूपयों में से 2.45 करोड़ रुपये (27 प्रतिशत) ही व्यय किए गए।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर 3 वर्षों में किए गए व्यय 2.45 करोड़ रुपये में से 76 प्रतिशत व्यय 2004-05 की अंतिम तिमाही में किया गया।

आगे यह भी देखा गया कि 2002-03 से 2004-05 तक तीन वर्षों में व्यय की गई राशि 2.45 करोड़ रुपये में से अधिकांश व्यय 1.86 करोड़ रुपये (76 प्रतिशत) 2004-05 की अंतिम तिमाही में किया गया जो मुख्यतः प्रत्येक ब्लॉक को तदर्थ रूप से एक लाख रुपये की राशि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु स्रोत केन्द्र की स्थापना के लिए विमुक्त करने के कारण था।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर मानदण्ड से 17.16 लाख रुपये अधिक व्यय किए गए।

सर्वशिक्षा अभियान में यह उल्लेखित था कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा सहित समग्र सहायता प्रदान करने के लिए विकलांगों एवं अपाहिजों के लिए लागू विभिन्न योजनाओं में एकसूत्रता होनी चाहिए। 1200 रुपये प्रति बच्चे की सहायता सर्वशिक्षा अभियान से उपलब्ध थी तथा अतिरिक्त राशि यदि आवश्यक हो तो अन्य एकसूत्रीय योजनाओं से दी जाना चाहिए थी। बिलासपुर, जांजगीर-चांपा तथा सरगुजा जिलों में नमूना जाँच दर्शाती है कि 1206 बच्चों को ट्रायसाइकिल तथा व्हील चेर प्रदाय पर 31.63 लाख रुपये व्यय किया गया। यह मानदण्डों से 17.16 लाख रुपये अधिक था तथा यह राशि आदर्शतः एकसूत्रीय योजनाओं से दी जाना चाहिए थी। आगे बिलासपुर जिले में चिकित्सा शिविरों में आँकलित आवश्यकतानुसार विभिन्न श्रेणी के 1009 सहायक उपकरणों की वितरण हेतु आवश्यकता थी जिसके विरुद्ध 1931 उपकरण क्रय किए गए। इसके परिणामस्वरूप 11.13 लाख रुपये अधिक व्यय हुआ।

3.1.10.1 बालिकाओं/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों हेतु शिक्षा

बालिका/अनुसूचित जाति/अनुसूचित शिक्षा हेतु गतिविधियाँ नहीं ली गई।

बालिकाओं/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष प्रावधान जैसे शाला से बाहर बालिकाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बच्चों को मुख्यधारा में लाने हेतु विशेष शिविर, सेतु पाठ्यक्रम, उपचारी अनुशिक्षण कक्षाएँ, समुदायिक गतिशीलता, महिला समाख्या आदि किए गये थे। वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तथा कार्यक्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रतिवेदन अवधि 2002-03 से 2004-05 की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि बालिका शिक्षा हेतु स्वीकृत 5.42 करोड़ रुपये के विरुद्ध केवल 1.44 करोड़ रुपये (26 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बच्चों की शिक्षा हेतु स्वीकृत 2.21 करोड़ रुपये के विरुद्ध 1.23 करोड़ रुपये (55 प्रतिशत) व्यय किया गया। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा को केवल 2004-05 से लिया गया। विचारित गतिविधियाँ नहीं किए जाने के कारण शाला से बाहर बालिकाओं की संख्या (2.41 लाख) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बच्चों की संख्या (2.72 लाख) जो 2002-03 में थी 2004-05 में क्रमशः 2.30 लाख तथा 2.02 लाख रही।

3.1.10.2 शाला के बाहर के बच्चों हेतु कार्यनीतियाँ

2003 तक शत प्रतिशत भरती करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि 2005 में 4.45 लाख बच्चे शाला से बाहर थे।

सर्वशिक्षा अभियान मार्गदर्शिका में 2003 तक शत प्रतिशत भरती करना परिकल्पित था। शाला से बाहर के बच्चों हेतु कार्य नीति में असेवित बसाहटों में शिक्षा आश्वासन योजना केन्द्र स्थापित/खोलना, वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा, शाला वापसी शिविर, बालिका शिविर, मुख्यधारा शिविर, विभिन्न अवधि के सेतु पाठ्यक्रम, विशेष समूह जैसे बाल श्रमिकों, आवारा बच्चों, किशोर लड़कियों तथा प्रवासी परिवारों के बच्चों के लिए विशिष्ट कार्यनीतियाँ सम्मिलित थी। विभागीय अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि राज्य में

41.88 लाख बच्चों की कुल जनसंख्या (6 से 14 वर्ष) के विरुद्ध, शाला के बाहर बच्चों की संख्या वर्ष 2002-03 में 4.33 लाख थी। कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दो वर्ष पश्चात् शाला से बाहर बच्चों की संख्या 2004-05 के अंत में और आगे बढ़कर 4.45 लाख हो गई। इस प्रकार वर्ष 2003 तक शत प्रतिशत भर्ती करने का उद्देश्य वर्ष 2004-05 के अंत तक भी प्राप्त नहीं किया जा सका। वार्षिक कार्य योजना में वर्णित अनुसार बच्चों के शाला से बाहर रहने के मुख्य कारण रूचि में कमी, अभिगमन साधन में कमी, घरेलू कार्य, प्रवास, कमाई की बाध्यता, परीक्षा में असफलता, सामाजिक संस्कार तथा शाला समय में लचीलापन न होना आदि थे। यह पाया गया कि केवल 14 जिलों में अत्यधिक विलम्ब से फरवरी-मार्च 2005 में वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा केन्द्र खोले गए। अन्य पहल नहीं की गई। राज्य परियोजना कार्यालय ने बताया (जुलाई 2005) कि दाखिला के उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त नगरीय वंचित बच्चों की पहचान नहीं की गई तथा सर्वशिक्षा अभियान में परिकल्पित गतिविधियाँ जैसे मुख्यधारा से जोड़ने हेतु आवारा बच्चों, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा बाल श्रमिकों की शिक्षा आदि नहीं ली गई। आगे, आदिवासी क्षेत्रों हेतु विशेष हस्तक्षेपणीय उपायों के संबंध में योजना में सन्निहित गतिविधियाँ न तो 2002-03 से 2004-05 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में प्रस्तावित की गईं और न ही क्रियान्वित की गईं।

3.1.11 परिवीक्षण

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उपाय

सर्व शिक्षा अभियान में इस आवश्यकता पर बल दिया गया था कि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी शिक्षकीय पहलुओं जैसे पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास, शिक्षक प्रशिक्षण के पैकेज बनाना तथा कक्षा प्रक्रियाएँ, विद्यार्थी मूल्यांकन पद्धति, आदि की आवधिक मूल्यांकन एवं परिवीक्षा की जाए। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल, मध्यप्रदेश ने अपने परिवीक्षण प्रतिवेदन (सितम्बर 2004) में इंगित किया कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर जो अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए नोडल अभिकरण था, के पास अपने अपेक्षित कार्यों जैसे नवीन प्रक्रिया का अनुसंधान, पाठ्यचर्या का विकास, शिक्षक प्रशिक्षण आदि को प्रभावी ढंग से वहन करने के लिए पर्याप्त मानवीय एवं भौतिक संसाधन नहीं थे। तथापि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों/बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के सुदृढीकरण के लिए सर्वशिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में प्रस्ताव शामिल नहीं किए गए और इस कारण इन संस्थानों को कोई भौतिक एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराये गए। राज्य परियोजना कार्यालय ने बताया (जुलाई 2005) कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण शीघ्र किया जाएगा।

3.1.11.1 संसाधन समूह तथा उत्तरदायित्व केन्द्र

यह उल्लेखित था कि संसाधन समूह तथा उत्तरदायित्व केन्द्र राष्ट्रीय स्तर से जिले के नीचे के स्तर तक इन गुणात्मक कार्यों को कार्यान्वित करने में विभिन्न स्तरों पर परामर्श तथा सहयोग प्रदान करेंगे। राज्य परियोजना कार्यालय ने बताया (जुलाई 2005) कि

संसाधन समूहों तथा उत्तरदायित्व केन्द्रों का गठन नहीं किया गया।

उत्तरदायित्व केन्द्र का गठन किसी भी स्तर पर (राज्य, जिला/विकास खण्ड) नहीं किया गया तथा संसाधन समूहों का गठन प्रगति पर है। शैक्षिक मामलों के नोडल अभिकरण राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर ने बताया (जुलाई 2005) कि उन्हें शिक्षा के गुणवत्ता पहलुओं का निर्धारण करने हेतु कभी नहीं कहा गया और किसी अनुसंधान कार्य को करने के लिए निधि उपलब्ध नहीं कराई गई।

3.1.11.2 राज्य शैक्षिक प्रबंध और प्रशिक्षण संस्थान

राज्य शैक्षिक प्रबंध और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना नहीं की गई। 2.50 करोड़ रुपये राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के पास अनुपयोगी पड़े थे।

सर्व शिक्षा अभियान के मानदण्डों के अनुसार वर्ष 2003-04 में राज्य शैक्षिक प्रबंध और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए भारत सरकार ने 3 करोड़ रुपये का बजट अनुमोदित किया था जिसका राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् को, राज्य शैक्षिक प्रबंध और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए (दिसम्बर 2004) भुगतान किया गया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने राज्य शैक्षिक प्रबंध और प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण हेतु 50 लाख रुपये (जनवरी 2005) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को अग्रिम दिया तथा 2.50 करोड़ रुपये राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के पास अनुपयोगी पड़े थे (जून 2005)।

3.1.11.3 शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन

कक्षा परिणामों के स्तर के साथ ही क्रियाशीलता स्तर की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने शाला/सामुदायिक स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक के छः परिवीक्षण स्तरों को चिन्हित किया था। परिषद् ने शाला स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक, जानकारी के प्रस्तुतीकरण हेतु प्रपत्र निर्धारित किए थे (2003)। तथापि इन प्रपत्रों में कसी भी स्तर पर सूचना प्रस्तुत नहीं की जा रही थी। जिला परियोजना समन्वयक, बिलासपुर और सरगुजा ने बताया कि प्रपत्र प्राप्त नहीं थे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने बताया कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के प्रपत्र नए थे तथा इन पर भविष्य में विचार किया जाएगा। यह उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि मार्गदर्शिका तथा प्रपत्र राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा वर्ष 2003 में बनाए गए थे। इस जानकारी के प्रस्तुतीकरण के परिणामस्वरूप शिक्षा की गुणवत्ता का सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक स्वतंत्र मूल्यांकन हो सकता था।

अनुसंधान, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण तथा परिवीक्षण कार्यों के लिए गैर सरकारी संगठनों को नहीं लगाया गया।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनुसंधान, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण तथा परिवीक्षण के लिए प्रति शाला प्रतिवर्ष 1500 रुपये उपलब्ध थे जिसमें से 100 रुपये राष्ट्रीय स्तर पर व्यय किए जाने थे और राज्य द्वारा वितरण के अनुसार राज्य स्तर से शाला स्तर तक 1400 रुपये व्यय किए जाने थे। निधियों का उपयोग मैदानी आधारित प्रभावी परिवीक्षण, अनुसंधान गतिविधियाँ लेने, मूल्यांकन एवं आँकलन दलों के मैदानी भ्रमण के लिए राज्य, जिला एवं जिले के नीचे के स्तर पर साधन सम्पन्न व्यक्तियों का एक पूल बनाने के लिए करना था। इस बात पर जोर दिया गया था कि यह कार्य चयनित संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों की साझेदारी में किया जाना चाहिए। यह क्रियाकलाप वर्ष 2003-04 तथा आगे की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में प्रावधानित किया गया था एवं कुल व्यय 4.01 करोड़ रुपये (संस्वीकृति का 45 प्रतिशत) था। नमूना जाँच किए गए जिलों में देखा गया कि निधियों का वैसा उपयोग नहीं किया गया जैसा सर्व शिक्षा अभियान में

उल्लिखित था और व्यय मुख्य रूप से ब्लाक संसाधन केन्द्र/संकुल संसाधन केन्द्र के कर्मचारियों के यात्रा भत्ता/महंगाई भत्तों पर किया गया। राज्य परियोजना कार्यालय तथा जिलों ने सर्व शिक्षा अभियान के अनुसंधान, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण तथा परिवीक्षण कार्यों के लिए किसी संस्था/गैर सरकारी संगठन को नहीं लगाया। नमूना जाँच किए गए जिलों में जिला परियोजना कार्यालय बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर-चांपा तथा सरगुजा ने गैर सरकारी संगठनों को वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा केन्द्रों को चलाने के लिए 29.65 लाख रुपये प्रदान किए तथा रायपुर जिले में 2,247 ग्राम शिक्षा समितियों के 17,976 सदस्यों के दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु एक गैर सरकारी संगठन को 5.39 लाख रुपये के अनुदान का भुगतान किया गया (2002-04)। गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत यू.सी.की संवीक्षा में देखा गया कि 15,926 सदस्यों को केवल एक दिन का ही प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार अनुसंधान, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण एवं परिवीक्षण के लिए प्राप्त अनुदान के प्रभावी उपयोग के अभाव से परिवीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण के लिए अपर्याप्त क्षमता का निर्माण हुआ। यह भी देखा गया कि प्रशिक्षण में इस न्यून सहभागिता के अलावा गैर सरकारी संगठन अन्य किसी भी तरह से योजना में शामिल नहीं थे।

3.1.11.4 आंतरिक लेखापरीक्षा

योजना में जिला परियोजना कार्यालयों तथा उप जिला इकाईयों की प्रतिशतता के आधार पर आंतरिक लेखापरीक्षा (कम से कम त्रैवार्षिक) कराने का प्रावधान था। तथापि देखा गया कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। राज्य परियोजना कार्यालय ने बताया (जुलाई 2005) कि कर्मचारियों की कमी के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं कराई गई।

3.1.12 निष्कर्ष

सर्व शिक्षा अभियान की निष्पादन लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि भारत सरकार/राज्य शासन से 2002-05 के दौरान प्राप्त 406.41 करोड़ रुपये में से राज्य परियोजना कार्यालय (एस.पी.ओ.) मात्र 366.64 करोड़ रुपये का ही उपयोग कर सका। मार्गदर्शिका में उल्लिखित सामुदायिक भागीदारी अधिकांशतः अप्राप्त रही। पारिवारिक सर्वेक्षण अत्यधिक विलम्ब से जून 2004 में किया गया। परियोजना प्रबंध तंत्र में अधिक संख्या में खाली पदों के कारण योजना का क्रियान्वयन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ। भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत संस्वीकृत शिक्षकों के 31,913 पदों में से 22,249 (70 प्रतिशत) भरे नहीं गए थे। शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण अपर्याप्त था। राशियों की उपलब्धता के बावजूद 75,504 निर्माण कार्यों की आवश्यकता के विरुद्ध केवल 3,765 निर्माण कार्य ही पूर्ण हुए थे। विशेष ध्यातव्य समूहों के लिए हस्तक्षेपणीय उपाय न्यूनतम थे और एक सूत्रीय योजनाओं के साथ सह-क्रियात्मक नहीं थे। शाला से बाहर बच्चों की संख्या वर्ष 2002-03 में 4.33 लाख थी। कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दो वर्ष पश्चात् शाला से बाहर बच्चों की संख्या 2004-05 के अंत में और आगे बढ़कर 4.45 लाख हो गई। इस प्रकार वर्ष 2003 तक शत प्रतिशत भर्ती करने का उद्देश्य वर्ष 2004-05 के अंत तक भी प्राप्त नहीं किया जा सका। शिक्षण की गुणवत्ता सुधारने गुणवत्ता मानकों परिवीक्षण के तथा आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र के लिए निर्धारित पहल अपूर्ण थी।

3.1.13 अनुशासार्ँ

- बसाहट/ग्राम स्तरीय योजनाएँ शीघ्रता से स्थानीय लोगों एवं अन्य धारकों को सन्निहित करते हुए तैयार की जानी चाहिए।
- निर्माण कार्योँ को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना चाहिए ताकि योजना के लिए आधारभूत संरचना का सृजन किया जा सके।
- विशेष ध्यातव्य समूहों के लिए हस्तक्षेपणीय उपायों को पर्याप्त रूप से सुदृढ किया जाना चाहिए और भारत सरकार/राज्य सरकार की दूसरी समान योजनाओं के साथ सह-क्रियात्मकता रखी जानी चाहिए।
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षकों का प्रशिक्षण, शोध करने तथा सर्व शिक्षा अभियान के परिवीक्षण तथा पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों/बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं को पूर्णतः सुसज्जित किया जाना चाहिए।
- कार्यक्रम की गुणवत्ता पूर्ण प्रगति सुनिश्चित करने के लिए साधन सम्पन्न समूहों तथा उत्तरदायित्व केन्द्रों को क्रियाशील बनाया जाना चाहिए।

अनुलग्नक

सामाजिक एवं ग्रामीण अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए सर्वेक्षण में प्राप्त निष्कर्षों का सार

(i) शाला सर्वेक्षण

संयुक्त बैंक खाता

लगभग 50 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों, 20.3 प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्कूलों एवं 2.5 प्रतिशत माध्यमिक स्कूलों में ग्रामीण स्तरीय समिति का प्रधानाध्यापक के साथ संयुक्त बैंक खाता था।

मध्यान्ह भोजन

मध्यान्ह भोजन योजना एवं बालिकाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को मुफ्त में पाठ्यपुस्तकें प्रदाय करना सर्वशिक्षा अभियान से संबंधित सबसे क्रियात्मक योजनाएँ थीं। 87.9 प्रतिशत प्राथमिक शालाओं, प्राथमिक अनुभागों, 14.4 प्रतिशत उच्च प्राथमिक शालाओं और 9.1 प्रतिशत माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन योजना का परिपालन होना प्रतिवेदित किया गया।

बालिकाओं के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकें

61.9 प्रतिशत प्राथमिक शालाओं, 57.8 प्रतिशत उच्च प्राथमिक शालाओं और 45.5 प्रतिशत माध्यमिक शालाओं में बालिकाओं को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें प्रदाय किये जाने की सूचना प्राप्त हुई।

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकें

78.1 प्रतिशत प्राथमिक, 83.7 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं 78.9 प्रतिशत माध्यमिक शालाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदाय की गई थीं।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत की गई गतिविधियाँ

विद्यमान ढाँचे की मरम्मत का कार्य साधारणतः 24.2 प्रतिशत प्राथमिक शालाओं 16.7 प्रतिशत उच्च प्राथमिक शालाओं एवं 36.4 प्रतिशत माध्यमिक, उच्च प्राथमिक शालाओं सहित निर्माणाधीन था।

अध्यापन सहायता

अध्यापन सहायता के लिए ब्लैकबोर्ड अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। 98.6 प्रतिशत प्राथमिक शालाओं, 95.6 प्रतिशत उच्च प्राथमिक शालाओं और 100 प्रतिशत माध्यमिक शालाएँ उच्च प्राथमिक सहित, में ब्लैकबोर्ड के उपयोग करने की सूचना प्राप्त हुई।

(ii) पारिवारिक सर्वेक्षण

शाला से बाहर के बच्चे

शिक्षा के लिए 6 से 14 आयु वर्ग के 45.14 लाख बच्चों का अनुमान लगाया गया, जिसमें से 2.41 लाख स्कूल से बाहर के बच्चे प्रतिवेदित किए गए। इस प्रकार इस आयु वर्ग में प्रति हजार 53 बच्चे स्कूल से बाहर थे।

6-14 आयु वर्ग के 45.14 लाख बच्चों में से 23.77 लाख बालक और 21.37 लाख बालिकायें थीं। बालकों में 1.09 लाख बालक, स्कूल से बाहर के प्रतिवेदित किए गए। बालिकाओं में 1.33 लाख स्कूल से बाहर की देखी गईं। इस प्रकार इन स्कूलों में बालिकाओं का अनुपात (62 प्रति हजार बालिकाएँ), बालकों (46 प्रति हजार बालक) की तुलना में उच्च था।

नगरीय क्षेत्रों में 6-14 आयु वर्ग में प्रति हजार में से 39 बच्चे स्कूल से बाहर के थे। ग्रामीण क्षेत्रों में, 6-14 आयु वर्ग में प्रति हजार में से 56 बच्चे शाला से बाहर के थे। स्कूल से बाहर के बच्चों का अनुमानित अनुपात अनुसूचित जनजाति (74 प्रति हजार) सबसे अधिक था, इसके बाद अन्य पिछड़ी जाति (54 प्रति हजार), अनुसूचित जाति (41 प्रति हजार) और सामान्य श्रेणी में (25 प्रति हजार) था।

जब विभिन्न सामाजिक वर्गों में लिंग अनुपात से विश्लेषण किया गया तो उन बालिकाओं का प्रति हजार अनुपात, जो शालाओं से बाहर की थीं, बालकों की तुलना में उच्च था।

शाला से बाहर के बच्चों का प्रति हजार अनुपात नगरीय क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक था।

असमर्थता के विश्लेषण में देखा गया कि शाला से बाहर के छात्रों का प्राक्कलित अनुपात (537 प्रति हजार) 6-14 आयु वर्ग के (53 प्रति हजार) बच्चों की तुलना में शाला से बाहर के अशक्त बच्चों का अनुपात बहुत अधिक था। शाला से बाहर के बच्चों में सर्वाधिक पीड़ित बच्चे सुनने में असमर्थ एवं बहु विकलांग थे, इसके बाद बोलने में असमर्थ (634 प्रति हजार), मानसिक विकलांग (614 प्रति हजार) और शारीरिक विकलांग (414 प्रति हजार) थे।

जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए थे (39.5 प्रतिशत) की तुलना में उन बच्चों का प्रतिशत अधिक था जो के कारण शाला छोड़ चुके थे (60.5 प्रतिशत)।

शाला जाने की इच्छा

49.3 प्रतिशत बच्चे जो वर्तमान में शाला छोड़ चुके हैं, पुनः शाला जाने के इच्छुक नहीं हैं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग

3.2 धान एवं चावल का उपार्जन तथा वितरण

मुख्यांश

छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य फसल धान है। विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना अप्रैल 2002 से लागू की गई थी। उपार्जन, संग्रहण एवं मिलिंग की प्रक्रिया के दौरान उपरिव्यय भारत सरकार के मापदण्डों से बहुत अधिक थे; जैसे- ब्याज भुगतान, भंडारण व्यय, मिलिंग व्यय तथा सूखत, जो राज्य शासन के दायित्व बन गए। मिलिंग में 28 माहों तक के विलंब हुए तथा प्राधिकरणों के मध्य प्रतिपूर्ति की पद्धति दोषपूर्ण थी जिसके कारण ब्याज का अधिक भुगतान हुआ। भारत शासन से त्रुटिपूर्ण सबसिडी दावे किए गए, धान एवं चावल संग्रहण में क्षतियां हुईं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा कल्याणकारी योजनाओं में चावल के वितरण व लेखाकरण तथा कूपन लेखाकरण में नियंत्रण अक्रियाशील/अनुपस्थित रहे।

वर्ष 2000 से 2005 के दौरान धान के उपार्जन एवं उसके निपटान के लिए राज्य को 1047.34 करोड़ रुपये उपरिव्यय के रूप में भुगतान करने पड़े। मार्कफेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति (छ.ग.रा.ना.आ.) निगम के लेखों का वर्ष 2003-04 से समाधान नहीं हुआ।

(कंडिका 3.2.6)

मार्कफेड द्वारा सूखत हानि के निर्धारित मानक एक प्रतिशत के विरुद्ध 2.79 प्रतिशत का दावा किया गया। परिणामतः 58.78 करोड़ रुपये का अधिक दावा हुआ।

(कंडिका 3.2.6.3)

खरीफ विपणन वर्ष 2000 से 2005 के दौरान व्यापक संग्रहण योजना की कमी से 87397 मै.टन धान की क्षति के परिणामस्वरूप 24.18 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(कंडिका 3.2.7.2)

भारतीय खाद्य निगम से लिए गए चावल पर भारत शासन से 55.64 करोड़ रुपये के अधिक सबसिडी दावे प्रस्तुत किए गए तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत अवितरित चावल पर भी 103.56 करोड़ रुपये की सबसिडी का दावा किया गया।

(कंडिका 3.2.7.6)

उचित मूल्य दूकानों ने गरीबी रेखा से नीचे एवं अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 13.72 करोड़ रुपये मूल्य का 22309.40 मै. टन चावल आवंटन से अधिक उठाया।

(कंडिका 3.2.8.1)

अंबिकापुर तथा जगदलपुर में बिना कूपनों के 14.62 करोड़ रुपये मूल्य का चावल वितरित किया गया। इसके सिवाए, कूपन लेखा का संधारण न किए जाने के कारण 2.38 करोड़ रुपये मूल्य का चावल कम पाया गया।

(कंडिका 3.2.8.8)

3.2.1. प्रस्तावना

खरीफ फसल के अंतर्गत आच्छादित कुल क्षेत्रफल का लगभग 77 प्रतिशत लेखांकन होने से छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य फसल धान है। राज्य में अच्छी औसत किस्म की धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन कार्य छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी विपणन संघ (मार्कफेड)¹ को सौंपा गया। इसके द्वारा धान उपार्जन केन्द्रीय सहकारी बैंक के नियंत्रणाधीन 1334 सहकारी समितियों के माध्यम से 1506 संग्रहण केन्द्रों पर किया गया।

राज्य में विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना (डी.सी.पी.) अप्रैल 2002 से लागू हुई। योजना के मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) पर निर्भरता को घटाना, उपार्जन कार्य से भारतीय खाद्य निगम को स्वतंत्र करना तथा कस्टम मिलर्स से सीधे प्रदाय केन्द्रों पर चावल की सुपुर्दगी लेकर परिवहन व्यय की बचत करना था। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को चावल उपार्जन एवं वितरण हेतु नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया। धान की कस्टम मिलिंग के पश्चात अरवा चावल के एक भाग को कस्टम मिलर्स एवं किसान राइस मिल्स द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्रों पर शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं में वितरण हेतु जमा किया गया। अधिकांश निर्मित चावल जो राज्य की आवश्यकता से अधिक था केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को जमा किया गया।

3.2.2. संगठनात्मक संरचना

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का प्रमुख, सचिव होता है जिसकी राज्य स्तर पर संचालक, जिला स्तर पर नियंत्रक खाद्य/खाद्य अधिकारी एवं तहसील स्तर पर उप संभागीय दंडाधिकारी (एस.डी.एम.) तथा सहायक खाद्य अधिकारी सहायता करते हैं। धान उपार्जन का प्रबंधन मार्कफेड द्वारा जिलों में जिला विपणन अधिकारियों से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं इसकी समितियों की सहायता से किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा जिलों में चावल का उपार्जन एवं वितरण का प्रबंधन जिला प्रबंधकों के माध्यम से किया गया। उचित मूल्य दुकानों को फुटकर बिक्री हेतु चावल का वितरण जिला प्रबंधकों के नियंत्रणाधीन छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्रों से किया गया।

विकास आयुक्त, आयुक्त (राहत) एवं सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संपूर्ण नियंत्रण में खाद्यान्न आधारित कल्याणकारी योजना जैसे-संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज एवं सूखा राहत कार्यक्रम का क्रियान्वयन मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मु.का.अ.) जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं सरपंच, ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है।

¹ छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित द्वारा भी खरीफ विपणन मौसम 2001-02 के दौरान केवल बिलासपुर संभाग में 5.65 लाख में. टन धान खरीदी गई।

3.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

राज्य शासनों की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु भारतीय खाद्य निगम पर निर्भरता को कम करने तथा स्थानीय उपजे खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करके परिवहन लागत को कम करने के उद्देश्य के साथ शासन ने खाद्यान्न विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना लागू की थी (1997-98)। लेखापरीक्षा का उद्देश्य निम्न का आकलन करना था:

- धान के उपार्जन, संग्रहण तथा मिलिंग पद्धति की प्रभावकारिता;
- उपार्जन हेतु उपरिव्यय लागतों का विश्लेषण;
- धान एवं चावल के उपार्जन में हानियाँ एवं कमियाँ एवं
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत चावल के वितरण में कमियाँ

3.2.4 लेखापरीक्षा समावेशन एवं पद्धति

रायपुर में संचालक खाद्य, विकास आयुक्त, प्रबंध संचालक मार्कफेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा चयनित जिलों² में जिला प्रबंधक छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, जिला विपणन अधिकारी, मार्कफेड, उप संभागीय दण्डाधिकारी, खाद्य अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, 12 ब्लाकों की जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं 64 उचित मूल्य दुकानों के कार्यालयों के वर्ष 2000-01 से 2005-06 तक के अभिलेखों की लेखा परीक्षा माह मार्च 2005 से सितम्बर 2005 तथा जनवरी 2006 से जून 2006 के मध्य की गई। जिलों, ब्लाकों एवं उचित मूल्य दुकानों का चयन सांख्यिकीय नमूना द्वारा किया गया। नमूना विधियाँ जो प्रयोग में लाई गई वह साधारण यादृच्छिक नमूना बगैर प्रतिस्थापन पद्धति³ तथा अनुपातिक संभावित मय प्रतिस्थापन की पद्धति⁴ थी। सचिव के साथ प्रारंभिक सम्मेलन मार्च 2005 में हुआ जहाँ लेखापरीक्षा पद्धति जो अनुसरण की जावेगी की व्याख्या की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा अनुशंसाओं पर चर्चा हेतु 21 सितम्बर 2006 को सचिव के साथ निर्गम सम्मेलन हुआ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.2.5 वित्तीय प्रबंधन

राज्य शासन के प्रतिभू पर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक की सहकारी समितियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की गई, जो कि मार्कफेड द्वारा वित्त पोषित एवं पर्यवेक्षित किये गये थे। किसानों को उपार्जित धान का भुगतान सहकारी समितियों द्वारा उपलब्ध कराया गया। धान उपार्जन हेतु मार्कफेड ने भारतीय रिजर्व बैंक से उधार सुविधाओं का उपयोग किया। मार्कफेड द्वारा मिलिंग की व्यवस्था भी की गई। निर्मित चावल की सुपुर्दगी मार्कफेड के जिला कार्यालयों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य

² बस्तर, कांकर, रायपुर एवं सरगुजा

³ सिमल रेण्डम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट

⁴ प्रोबेबिलिटी प्रपोशनल टू साइज विथ रिप्लेसमेंट

नागरिक आपूर्ति निगम के जिला कार्यालयों को (सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं में वितरण हेतु) एवं भारतीय खाद्य निगम को (राज्य की आवश्यकता के अलावा) की गई तथा कस्टम निर्मित दर पर दावे प्रस्तुत किए गए। कस्टम निर्मित दर (सी.एम.आर.) में न्यूनतम समर्थन मूल्य, और मण्डी व्यय पर उपरिव्यय (दो प्रतिशत), मण्डी मजदूर व्यय, न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक प्रतिशत सूखत अभिरक्षण एवं संधारण (दो माह हेतु) ब्याज व्यय (दो माह के लिए) एवं मिलिंग व्यय शामिल थे। मार्कफेड द्वारा कस्टम निर्मित दर में निर्धारित मानदण्डों से अधिक उपरिव्ययों तथा परिवहन एवं बैंक कमीशन के अंतर्गत हुए व्यय को हानि दावों के रूप में राज्य शासन को प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिपूर्ति हुई।

मार्कफेड के जिला कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत दावों के विरुद्ध भारतीय खाद्य निगम द्वारा कस्टम निर्मित दर पर भुगतान किया गया तथा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के जिला कार्यालयों द्वारा केन्द्रीय निर्गम दर (सी.आई.पी.) पर भुगतान किया गया जो कि उचित मूल्य दुकानों (एफ.पी.एस.) से सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु उठाए गए चावल से प्राप्त हुई थी। शेष अंश का भुगतान, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय द्वारा भारत शासन से प्राप्त सबसिडी में से जो कि इकोनोमिक लागत एवं सी.आई.पी. का अंतर थी, मार्कफेड मुख्यालय को किया गया। कस्टम निर्मित दर तथा व्यय, भंडारण व्यय, प्रशासकीय व्यय, ब्याज एवं भंडारण कमी पर उपरिव्यय इकोनोमिक लागत (ई.सी.) में शामिल थे। कल्याणकारी योजनाओं हेतु प्रस्तुत देयकों का जिला स्तर पर कोई भुगतान नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के लिए संबंधित मंत्रालय से प्राप्त समस्त सबसिडी का पूर्ण भुगतान किया गया।

3.2.6 राज्य शासन द्वारा 1047.34 करोड़ रुपये का अधिक उपरिव्यय

धान के उपार्जन, संग्रहण एवं मिलिंग हेतु समुचित योजना नहीं बनायी गयी।

विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना की मार्गदर्शिका में प्रत्येक खरीफ विपणन वर्ष में धान के उपार्जन, संग्रहण तथा कस्टम मिलिंग हेतु एक परियोजना का प्लान बनाना उपबंधित किया गया था। मार्कफेड के अवधि 2000 से 2005 तक के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि परियोजना उपाय नहीं बनाया गया। परिणामतः कस्टम मिलिंग की क्षमता से अत्याधिक उपार्जित धान के संग्रहण एवं मिलिंग हेतु समुचित योजना नहीं बनाई गई। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से प्राप्त भुगतान की निगरानी व समाधान भी नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप अधिक परिहार्य उपरिव्यय हुए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	क्रयित धान की मात्रा मे.ट. में	न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय की गई धान का मूल्य	भारत शासन से कस्टम निर्मित दर के अनुसार स्वीकार्य मूल्य	उपार्जन मूल्य	उपरी व्यय			
					वास्तविक उपरीव्यय	भारत शासन द्वारा प्रतिपूर्ण उपरीव्यय	राज्य से कस्टम निर्मित दर से अधिक राशि का दावा	राज्य शासन द्वारा वास्तव में भुगतान राशि
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (4-3)	8 (6-7)	9
2000-01	463104	243.83	277.60	349.39	105.56	33.77	71.79	67.26
2001-02	1334227	725.46	818.76	1101.67	376.21	93.30	282.91	269.18
2002-03	1474383	794.00	916.16	1191.46	397.46	122.16	275.28	210.90
2003-04 ⁵	2704940	1519.88	1622.68	1973.50	453.62	102.80	350.82	300
2004-05	2879254	1647.68	1741.98	2113.54	465.86	94.30	371.58	200
योग	8855908	4930.85	5377.18	6729.56	1798.71	446.33	1352.38	1047.34

तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2000 से 2005 के दौरान मार्कफेड द्वारा प्रस्तुत कस्टम निर्मित दर मानकों से अधिक बढ़ाए गए 1352.38 करोड़ रुपये के दावों के विरुद्ध राज्य को 1047.34 करोड़ रुपये का उपरिव्ययों के रूप में भुगतान करना पड़ा जो कि मूल उपार्जन मूल्य 6729.56 करोड़ रुपये का 16 प्रतिशत था। राज्य शासन के पास 305.04 करोड़ रुपये के अतिरिक्त दावे लंबित थे। इन भुगतानों का मार्कफेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के लेखाओं से समाशोधन किया जाना है जबकि दोनों उपक्रमों के लेखे वर्ष 2003-04 से समाशोधित नहीं किए गए हैं। 1352 करोड़ रुपये के अतिरिक्त उपरिव्यय के विभिन्न अवयवों को आगामी कंडिकाओं में दर्शाया गया है।

3.2.6.1 ब्याज का भुगतान

अधिक उपरिव्ययों में बड़ा अवयव 735.18 करोड़ रुपये ब्याज का भुगतान था। मार्कफेड ने अपने हानि दावों में 84.83 करोड़ रुपये का ब्याज अवयव, जो कि कस्टम निर्मित दर में शामिल था, समायोजित किया तथा राज्य शासन से 650.35 करोड़ का दावा किया। यह 1352.38 करोड़ रुपये के कुल दावे का 48 प्रतिशत था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(राशि करोड़ रुपये में)

खरीफ विपणन वर्ष	मार्कफेड द्वारा ब्याज का भुगतान	कस्टम निर्मित दर में शामिल ब्याज का समायोजन	राज्य शासन द्वारा भुगतान की गई अंतर राशि (प्रतिशत)
2000-01	48.73	5.05	43.68 (89.6)
2001-02	150.51	14.41	136.10(90.4)
2002-03	135.72	15.61	120.11(88.5)
2003-04	157.89	28.68	129.21(81.8)
2004-05	242.33	21.08	221.25(91.3)
योग	735.18	84.83	650.35

⁵ वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के आंकड़े लेखों का अंतिमीकरण न होने की वजह से प्रावधानिक हैं।

राज्य शासन को प्रस्तुत हानि दावों में 170 करोड़ रुपये की ब्याज सबसिडी समायोजित नहीं की गई।

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय द्वारा भुगतानों की संवीक्षा दर्शाती है कि भारत शासन⁶ से प्राप्त 1915.67 करोड़ रुपये की पूर्ण सबसिडी मार्कफेड को अंतरित की गई जिसमें कस्टम निर्मित दर में प्रावधानित दो माह के विरुद्ध इकोनोमिक लागत में वितरण समय हेतु चार माहों का ब्याज अवयव शामिल था। अंतर राशि 170 करोड़ रुपये संगणित हुई। यह दर्शाती है कि अन्य अवयव हैं, जो कि राज्य शासन के भार को बढ़ाते हैं और इनमें से कुछ नीचे वर्णित है:

मिलिंग में विलम्ब

विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के अंतर्गत धान की कस्टम मिलिंग दो माह के भीतर पूर्ण होगी और इस अवधि के लिए बकाया उधार पर संग्रहण लागत तथा ब्याज भारत शासन द्वारा वहन की जावेगी। यह देखा गया कि निज मिलर्स के साथ अनुबंध सम्पादित करने में विलम्ब के कारण धान की मिलिंग में 15 से 28 माहों 2000-01 में 16 माह; 2001-02 में 28 माह तथा 2002-03 में 15 माह का विलम्ब हुआ। परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को सुपुर्दगी एवं इसकी प्रतिपूर्ति में विलम्ब हुआ। जिससे लगभग 105 करोड़ रुपये (2000-01: 2.97 करोड़ रुपये, 2001-02: 50.97 करोड़ रुपये तथा 2002-03: 51.15 करोड़ रुपये) का ब्याज भार बढ़ा। यह विलंब लगातार तीन वर्षों (2000-03) तक रहा किंतु मार्कफेड इस अवधि में उचित कार्यवाही करने में असमर्थ रहा।

विलम्ब से मिलिंग की परिणिति धान का ढाई वर्षों तक खुले में संग्रहण भी रही। व्यापक संग्रहण योजना के अभाव में परिणाम यह हुआ कि सूखत, परिवहन, प्रासंगिक एवं धान की क्षति पर अधिक उपरिव्यय हुए। राज्य शासन द्वारा मिलिंग विलंब के कारणों का परीक्षण किया जाना अपेक्षित है।

मूवमेंट प्लान के तहत चावल की पर्याप्त मात्रा का भारतीय खाद्य निगम को अंतरण न किया जाना

विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के मूवमेंट प्लान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा उपार्जित कस्टम मिल्ड चावल प्रथमतः प्रदाय केन्द्रों में संग्रहित किया जाना था तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए भारत शासन के आवंटन के अनुसार वितरित किया जाना था। चावल की मात्रा जो कि राज्य की आवश्यकता से अधिक थी, राज्य शासन की पूर्व अनुमति से केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को स्थानांतरित की जानी थी। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पास मार्च 2003, मार्च 2005 एवं मार्च 2006 के अंत में क्रमशः 1.60 लाख मे. टन (उपार्जन का 15 प्रतिशत), 0.91 लाख मै. टन (उपार्जन का 8 प्रतिशत) और 0.79 लाख मै. टन (उपार्जन का 7 प्रतिशत) उपलब्ध पाया गया, चूंकि इन्हें छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा स्कंध में रखा गया मार्कफेड को प्रतिपूर्ति में विलम्ब हुआ जिससे ब्याज भार की बढ़ोत्तरी हुई।

⁶ 1010.51 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा 905.16 करोड़ रुपये खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय।

दावें प्रस्तुतीकरण/भुगतान प्राप्ति में विलंब

राज्य शासन से जैसे और जब दावे प्राप्त होते हैं, राज्य शासन को सबसिडी जारी की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा नवम्बर 2002 से अक्टूबर 2003 के मध्य भारत शासन को प्रस्तुत 11 दावों का विश्लेषण दर्शाता है कि चावल वितरण के 1 से 15 माहों के पश्चात दावे प्रस्तुत किए गए।

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से प्रतिपूर्ति

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से मार्कफेड को प्रतिपूर्ति की पद्धति उचित रूप से लयबद्ध नहीं थी। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित चावल हेतु मार्कफेड को दो भागों में भुगतान किया। आंशिक भुगतान जिला स्तर पर तथा शेष मुख्यालय स्तर पर भारत शासन से प्राप्त सब्सिडी दावों में से किया जा रहा था।

राज्य में विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना लागू होने की तिथि से मार्कफेड द्वारा प्रस्तुत कुल दावों के अतिरिक्त मार्कफेड को देय वास्तविक भुगतानों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय तथा जिला कार्यालयों द्वारा किए गए भुगतानों से पुनर्मिलान नहीं किया गया। परिणामतः छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा मार्कफेड मुख्यालय दोनों, कुल प्रस्तुत दावे, भुगतान राशि तथा मार्कफेड को शेष भुगतान योग्य राशि सूचित करने में असमर्थ थे। मार्कफेड ने लेख किया कि बकाया दावे लगभग 600 करोड़ रुपये के होंगे किंतु उनके दावों के समर्थन में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। पुनर्मिलान के अभाव में दोनों अभिकरणों के मुख्यालयों द्वारा जिला स्तर पर भुगतान में विलंब की निगरानी नहीं की गई।

रायपुर जिले में 117 दावों की संवीक्षा दर्शाती है कि मार्कफेड के 74 दावों में एक से तीन माहों तथा 33 दावों में तीन से छः माहों का भुगतान में विलंब हुआ। मार्कफेड द्वारा भारतीय खाद्य निगम के साथ दावों व भुगतानों का पुनर्मिलान किया गया एवं 37 करोड़ रुपये लंबित थे। तथापि, लगातार बढ़ते ब्याज भार के बावजूद छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के साथ पुनर्मिलान तथा उचित निगरानी के द्वारा जिला स्तर पर समय से भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अवधि 2003 से 2005 से संबंधित 259.06 करोड़ रुपये⁷ के दावे भारत शासन के पास लंबित थे। विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के समझौता ज्ञापन में प्रावधानित था कि अंतिम अंकेक्षित लेखे तथा अंतिम इकोनोमिक लागत के निर्धारण के आधार पर संपूर्ण दावों की प्रतिपूर्ति की जावेगी। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के लेखों का निपटान मात्र वर्ष 2002-03 तक किया गया। अतः लेखों के निपटान में विलंब के परिणामस्वरूप भारत शासन द्वारा दावों का भुगतान नहीं किया गया। खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग, भारत शासन द्वारा लेख किया गया (अक्टूबर 2006) कि मार्गदर्शिका में वर्णित शर्तों की पूर्ति के आधार पर जैसे ही राज्य शासन से सबसिडी दावे प्रस्तुत होते हैं, राज्य को सबसिडी जारी की जाती है। जहाँ तक

⁷ सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु 138.31 करोड़ रुपये तथा कल्याणकारी योजनाओं हेतु 120.75 करोड़ रुपये।

मार्कफेड को ब्याज हानि का संबंध है, मार्कफेड व छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के मध्य समाशोधन किया जाना है क्योंकि मार्कफेड उपार्जन प्राधिकरण है तथा वितरण प्राधिकरण होने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को सबसिडी जारी की जाती है।

3.2.6.2 संग्रहण व्यय

मिलिंग में विलंब के कारण संग्रहण व्यय पर 28.72 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय

राज्य शासन को वर्ष 2002-03 के दौरान मिलिंग में 15 से 28 माहों के विलंब के कारण 32.72 लाख मै. टन धान संग्रहण पर 28.72 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ी।

प्रबंध संचालक, मार्कफेड ने कहा (सितम्बर 2005) कि शासन की नीति के अनुसार धान की अधिक मात्रा क्रय की गई तथा धान का निपटान समय से नहीं किया जा सका। उत्तर ने पुनः अधोरेखांकित किया कि बिना किसी परियोजना प्लान के मार्कफेड विभिन्न आकस्मिकताओं हेतु उचित रूप से योजना बनाने में असफल रहा।

3.2.6.3 सूखत

मानक से अधिक सूखत दावों से 58.78 करोड़ रुपये की हानि

मार्कफेड द्वारा वर्ष 2000-05 की अवधि के लिए प्रस्तुत सूखत दावों से संबंधित अभिलेखों से प्रकट हुआ कि 75,25,716 मै.टन मिलिंग हेतु जारी की गई, धान के विरुद्ध सूखत लेखे में 2,10,001 मै. टन धान (2.79 प्रतिशत) की कमी का दावा किया गया जबकि भारत शासन के मानक 75,257 मै. टन (एक प्रतिशत) के थे। परिणाम स्वरूप सूखत लेखे में 58.78 करोड़ रुपये का अधिक दावा किया गया।

अम्बिकापुर में 27.15 लाख रुपये की 421 मै. टन धान स्कंध में कम पाई गई जिसके लिए स्कंध कर्मचारीगण निलंबित थे। यह कमी भी लेखों में सूखत के रूप में दर्शाई गई।

प्रबंध संचालक मार्कफेड ने मिलिंग हेतु धान के निराकरण में विलम्ब से अधिक सूखत के कारणों को उपारोपित किया। सूखत जो कि मानक से लगभग तीन गुना है, को उत्तर में पूर्णतः स्पष्ट नहीं किया जा सका। विभाग द्वारा सूखत के असामान्य उच्च प्रतिशत का परीक्षण एवं सूखत से होने वाली हानियों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय किये जाने थे।

3.2.6.4 प्रासंगिक एवं परिवहन व्यय

मिलिंग विलम्ब के कारण परिवहन एवं प्रासंगिक प्रभारों पर 10.22 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय

वर्ष 2001-02 एवं वर्ष 2002-03 के दौरान क्रमशः 12.24 लाख मै. टन और 12.62 लाख मै. टन धान प्रथमतः खुले क्षेत्र में भण्डारित की गई तथा बाद में गोदामों एवं ढके हुए तथा उंचे चबूतरों (कैप) में स्थानांतरित की गई क्योंकि वह वर्षा ऋतु के पूर्व मिलिंग हेतु जारी नहीं की जा सकी थी तथा 10.22 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। प्रबंध संचालक मार्कफेड ने बताया (अगस्त 2005) कि धान का पुनर्स्थापन सुरक्षित देखरेख एवं शासकीय सम्पत्ति की हानि के बचाव हेतु किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि धान की मिलिंग समय से की गयी होती तो अंततोगत्वा ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

3.2.6.5 मिलिंग व्यय

धान के मिलिंग व्यय हेतु 6.45 करोड़ रुपये का दावा किया गया जो कि मिलिंग हेतु जारी नहीं की गई थी

उपार्जन वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के हानि दावों एवं अंतिम स्कंध विवरणियों में दर्शाया गया कि मार्कफेड ने 1,61,061 मै. टन धान के मिलिंग व्यय हेतु 6.45 करोड़ रुपये का दावा किया जो कि मिलिंग हेतु जारी नहीं की गई परंतु स्कंध में शेष के रूप में दर्शाई गई। अवधि 2003-04 एवं 2004-05 के लिए ऐसे दावों की लेखापरीक्षा में जांच वार्षिक लेखों के अंतिमीकरण न होने से नहीं की जा सकी। मार्कफेड ने बताया कि शासकीय आदेशों के अनुपालन में संपूर्ण धान की मिलिंग करनी थी अतः कुल उपार्जित धान के लिए दावा प्रस्तुत किया गया। आगे के उत्तर गलत दावों की पुष्टि करते हैं।

3.2.7 उपार्जन में विविध अनियमितताएँ एवं हानियाँ

3.2.7.1 अवमानक महामाया धान का उपार्जन

अवमानक गुणवत्ता की महामाया धान की विक्री पर 17.92 करोड़ रुपये की हानि

भारत शासन के निर्देशानुसार अच्छी औसत गुणवत्ता की धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित की जानी थी। मार्कफेड द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2001-02 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 13.34 लाख मै. टन धान की मात्रा का उपार्जन किया गया, जिसमें अन्य के साथ ही 61265 मै. टन महामाया किस्म भी शामिल थी। कस्टम मिलिंग के दौरान इस किस्म की चावल में टूटन (कनकी) का प्रतिशत निर्धारित मानक

(25 प्रतिशत) से अधिक था और निजी मिलरों द्वारा महामाया धान की मिलिंग अस्वीकार की गई तथा भारतीय खाद्य निगम ने भी इसे स्वीकार करने से मना किया। भारत शासन से अनुमोदन प्राप्ति के बाद मार्कफेड ने 61,265 मै. टन महामाया धान का इसकी प्राप्ति कीमत 7425.70 रुपये प्रति मै. टन के विरुद्ध औसत दर रु. 4500.20 रुपये प्रति मै. टन से निपटान किया परिणामतः 17.92⁸ करोड़ रुपये की हानि हुई। मार्कफेड ने बताया कि धान का निपटान शासन के आदेशों के अनुसार किया गया। उत्तर में स्पष्ट नहीं किया गया कि अच्छी औसत गुणवत्ता से नीचे की अवमानक धान क्यों क्रय की गई।

3.2.7.2 भंडारण में धान की क्षति

क्षतिग्रस्त धान के विक्रय से 24.18 करोड़ रुपये की हानि

भारत शासन के निर्देशों के अनुसार नमी एवं अन्य जैविक घटकों के कारण होने वाली क्षति के बचाव हेतु धान के संग्रहण हेतु व्यापक योजना तैयार की जानी थी। अधिकांशतः धान साधारण खुली जगह में रखी गई (आच्छादित तथा स्थल काम्प्लेक्स-कैप)। कैप संग्रहण हेतु स्थान का चयन, उचित जल निकासी सहित उच्च स्थल, उचित ड्रेनेज सामग्री एवं कुशल थप्पी योजना हो, किया जाना था।

धान के भण्डारण हेतु कोई व्यापक योजना नहीं थी। मार्कफेड द्वारा 2000-05 के दौरान 38.22 करोड़ रुपये की 69784 मै. टन उपार्जित धान क्षतिग्रस्त हुई जिसमें से 62978 मै. टन धान 15.74 करोड़ रुपये में खुली निविदा के माध्यम से निराकृत की गई। परिणामतः 18.52 करोड़ रुपये की हानि हुई। शेष 6806 मै. टन धान का निराकरण

⁸ 2925.50 (7425.70-4500.20) प्रति मै. टन की दर से 61265 मै. टन धान = 17.92 करोड़ रुपये की हानि

प्रगति पर था। मार्कफेड ने बताया (सितम्बर 2005) कि धान का अधिक मात्रा में क्रय किया गया था, इसीलिए खुले स्थान में रखी गई और वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई। यह क्षति समय से मिलिंग कराकर कम की जा सकती थी।

इसी तरह खरीफ विपणन वर्ष 2001-02 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा बिलासपुर संभाग में 5,65,290 मै. टन धान उपाजित की गई। भंडारण के दौरान 9.34 करोड़ रुपये मूल्य की (5300 रुपये प्रति मै. टन की दर से) 17613 मै. टन धान क्षतिग्रस्त हुई और 36 माह के बाद अगस्त 2005 में खुली निविदा के माध्यम से 3.68 करोड़ रुपये में बेची गई। परिणामित 5.66 करोड़ रुपये की हानि को पहले निपटान करके कम किया जा सकता था।

3.2.7.3 चावल के खराब होने से हानि

किसान चावल मिलों में एकत्रित चावल के विलम्ब से निराकरण के कारण हानि

मार्च 2004 की स्थिति में 10 जिलों में मार्कफेड की स्वयं की 25 किसान चावल मिलों में 6827 मै. टन (मूल्य 5.94 करोड़ रुपये) निर्मित चावल था। यह स्कंध 1999-2000 से 2003-04 तक एकत्रित हुआ और न तो इसे छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम/भारतीय खाद्य निगम के सुपुर्द किया गया न ही समय से बिक्री द्वारा निराकृत किया गया। लंबे समय तक भंडारित रहने के कारण चावल का अधिकतर प्रतिशत कीट सहित खुले भूसे एवं निम्न खपत योग्य श्रेणी का हो गया। जिसमें से अब तक 5063 मै. टन क्षतिग्रस्त चावल का निराकरण किया गया एवं शेष 1764 मै. टन चावल जुलाई 2006 की स्थिति में विक्रय किया जाना था।

जब मार्कफेड द्वारा किसान चावल मिलों से क्षतिग्रस्त चावल के निराकरण की मात्रा की पुष्टि की गई तो कुल विक्रय से प्राप्ति एवं वास्तविक हानि सूचित नहीं की जा सकी। प्रबंध संचालक, मार्कफेड ने सूचित किया (जुलाई 2006) कि भारतीय खाद्य निगम ने इसे अवमानक गुणवत्ता का होने के कारण स्वीकार करने से मना कर दिया था।

3.2.7.4 निरर्थक व्यय

बारदानों की खरीदी पर 37 लाख रुपये का निरर्थक व्यय

जिला विपणन अधिकारी, अंबिकापुर ने खरीफ विपणन वर्ष 2002-03 के दौरान 19 रु. मूल्य के 50 कि.ग्रा. क्षमता के एस.बी.टी. बारदानों को उपयोग करने के स्थान पर 100 कि.ग्रा. क्षमता के 3,70,000 बी.टी. बारदानों को 29 रुपये प्रति बारदाना की दर से 40 कि.ग्रा. धान भरती हेतु क्रय किया। इसके फलस्वरूप 37 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ।

जिला विपणन अधिकारी ने बताया (अक्टूबर 2005) कि प्रबंध संचालक मार्कफेड के निर्देशों के अनुसार 100 कि.ग्रा. क्षमता के बी.टी. बारदाने खरीदे गये और 40 कि.ग्रा. धान भरती हेतु प्रयुक्त किये गये जैसा कि भारत शासन ने निर्देशित किया था कि एक बारदाने में केवल 50 कि.ग्रा. भार भरा जाना चाहिए। उत्तर में 100 किग्रा. क्षमता के बारदाने क्रय के कारण स्पष्ट नहीं हुए।

3.2.7.5 अनुपयोगी बारदानों का निराकरण न होना

मार्कफेड ने दर्शाया कि 16 जिलों के 60 संग्रहण केन्द्रों में 4 वर्षों से 2.29 करोड़ अनुपयोगी बारदाने पड़े हुए थे। इन बारदानों का निराकरण न किए जाने के फलस्वरूप

2.29 करोड़ रुपये (एक रुपये प्रति बारदाने की दर से संगणित) अवरूढ़ हुए। प्रबंध संचालक ने सूचित किया (सितम्बर 2005) कि अनुपयोगी बारदानों की बिक्री प्रगति पर थी।

3.2.7.6 159.20 करोड़ रुपये की अधिक सब्सिडी का दावा

भारत शासन से 159.20 करोड़ रुपये की अधिक सब्सिडी का दावा

विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना के अंतर्गत भारत शासन, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगमको उपार्जित चावल एवं उसके भारत शासन द्वारा किए गए आवंटन अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं जैसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज आदि के लिए वितरण हेतु सब्सिडी देने के लिए वचनबद्ध था।

विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना एक अप्रैल 2002 से लागू हुई तथा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 42829.30 मै. टन चावल का प्रारंभिक स्कंध भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त किया गया और बाकी 28329.43 मै. टन चावल वर्ष 2002-03 के दौरान भारतीय खाद्य निगम से क्रय किया गया। यह चावल वर्ष 2002-03 के दौरान भारतीय खाद्य निगम से सीधे क्रयित चावल के साथ में वितरित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने वर्ष 2002-03 के दौरान वितरित 9.84 लाख मै. टन चावल के लिए भारत शासन से 731.50 करोड़ रुपये की सब्सिडी का दावा प्रस्तुत किया। इसमें 71158.73 मै. टन (42829.30+28329.43) चावल शामिल था जो कि भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त किया गया था और छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा उपार्जित न किये जाने से इस पर सब्सिडी अमान्य थी, फलस्वरूप 55.64 करोड़ रुपये का अतिरिक्त दावा हुआ। इस कुल दावे में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अंतर्गत वितरित 4.76 लाख मै. टन भी शामिल था जबकि वास्तविक वितरण 3.75 लाख मै. टन था, फलस्वरूप वास्तविक रूप से वितरित न किए गए 1.01 लाख मै. टन के लिए 103.56 करोड़ रुपये का अतिरिक्त दावा हुआ। इस प्रकार कुल अतिरिक्त दावा 159.20 करोड़ रुपये का हुआ।

प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने उत्तर दिया कि भारत शासन को अनन्तिम दावे प्रस्तुत किये गये थे जिसमें से 95 प्रतिशत भुगतान किया गया और यदि कोई अतिरिक्त सब्सिडी हो तो अंतिम दावों के प्रस्तुतीकरण के समय शेष 5 प्रतिशत में से समायोजित कर लिया जावेगा। अतिरिक्त दावे तीन वर्षों से असमायोजित थे और 5 प्रतिशत से अधिक थे।

3.2.7.7 प्रदाय केंद्रों पर प्राप्त चावल का पूर्णरूपेण वजन न किया जाना

प्रदाय केंद्रों पर चावल की प्राप्ति पर पूर्ण रूपेण वजन नहीं किया जा रहा था

यह अवलोकित हुआ कि मिलर्स से चावल प्राप्ति के समय प्रदाय केंद्रों पर प्रत्येक परेषण का केवल 10 प्रतिशत नमूना वजन किया गया और उसके आधार पर संपूर्ण लॉट को स्वीकार किया गया। तथापि, उचित मूल्य दुकान के मालिकों को चावल जारी करते समय वास्तविक वजन किया गया और अंतर भंडारण हानि के रूप में परिलक्षित हुआ जैसा कि आगामी कंडिकाओं में वर्णित किया गया है। यह पद्धति जोखिम से भरी हुई थी जो कि किसी स्कंध के रिसाव के रूप में वजन में परम्परागत अशुद्धता के कारण हुई।

शामिल भारी मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए आवक एवं जावक परेषण दोनों के वजन हेतु उपयुक्त तंत्र जैसे धर्मकांटा की स्थापना उपयुक्त है।

3.2.7.8 चावल की कमी

वर्ष 2001-05 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने रायपुर, कांकेर एवं जगदलपुर जिलों में 16,82,352 मै. टन चावल उपार्जित किया। भंडारण के दौरान 2.29 करोड़ रुपये मूल्य का 2276 मै. टन चावल कम पाया गया। जिला प्रबंधक, रायपुर ने जवाब दिया (जून 2006) कि तत्संबंधित राशि राज्य वेयर हाउस निगम के बकाया देयकों से रोकी जा चुकी थी, जिला प्रबंधक, जगदलपुर ने उत्तर दिया (जून 2006) कि पुनर्मिलान के पश्चात राशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जावेगी, जबकि जिला प्रबंधक कांकेर ने लेख किया कि वर्ष 2002-03 हेतु दावे राज्य वेयर हाउस निगम को प्रस्तुत किये जा चुके थे एवं शेष दावे प्रस्तुतीकरण में थे।

3.2.7.9 चावल वितरण के समय नमूनों का जारी किया जाना

लीड समितियों⁹/उचित मूल्य दुकानों/जनपद पंचायतों को अच्छी औसत गुणवत्ता का चावल वितरित करते समय यह अनिवार्य था कि 250 ग्राम के दो नमूने, जिसमें से एक नमूना समिति को सौंपा जाना था एवं दूसरा नमूना तथा उसके अभिलेख प्रदाय केन्द्र द्वारा संधारित किये जाने थे। जिला प्रबंधक रायपुर, कांकेर एवं जगदलपुर के प्रदाय केंद्रों में देखा गया कि वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया। अतः कोई उपाय नहीं था जिससे यह सुनिश्चित किया जाता कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली या ग्रामीण योजनाओं हेतु अच्छी औसत गुणवत्ता का चावल वितरित किया जा रहा था।

प्रदाय केंद्रों पर चावल प्रदाय करते समय नमूने नहीं रखे गए

3.2.8 विभिन्न योजनांतर्गत चावल का वितरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण

विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा इसके 95 प्रदाय केंद्रों में राज्य की आवश्यकता की सीमा तक कस्टम निर्मित चावल का भंडारण किया जाना था। भारत शासन के चावल के आवंटन के आधार पर राज्य शासन ने जिलाधीश, एवं खाद्य अधिकारियों को पुनर्आवंटित किया। खाद्य अधिकारियों ने सहायक खाद्य अधिकारियों/उपसंभागीय दंडाधिकारियों को पुनः आवंटित किया जिन्होंने लीड समितियों/उचित मूल्य दुकान के मालिकों के पक्ष में जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को प्रतिलिपि देते हुए मुक्ति आदेश जारी किए। मुक्ति आदेश के विरुद्ध उचित मूल्य दुकान ने केंद्रीय जारी कीमत (सी आई पी) पर छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को भुगतान किया और जिला प्रबंधक छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से सुपुर्दगी आदेश प्राप्त किया। उचित मूल्य दुकान द्वारा यह सुपुर्दगी आदेश प्रदाय केंद्रों पर कार्डधारकों/हितग्राहियों को आगे वितरण हेतु चावल के उठाव हेतु प्रस्तुत किये गये। जो कि राज्य की आवश्यकता से अधिक उपार्जित चावल केंद्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को स्थानांतरित किया। निम्नानुसार प्रक्रियात्मक कमियाँ देखी गईं।

⁹ उचित मूल्य दुकानों का समूह

3.2.8.1 आवंटन से अधिक चावल का उठाव

आवंटन से अधिक 13.72 करोड़ रुपये मूल्य का चावल उठाया गया

अंबिकापुर, जगदलपुर, कांकेर एवं रायपुर में देखा गया कि वर्ष 2002-05 के दौरान जिलों के मासिक आवंटन कोटा से अधिक 13.72 करोड़ रुपये (बी पी एल दर पर) का 22309.49 मै. टन चावल उचित मूल्य दुकानों को जारी किया गया और उनके द्वारा बी पी एल एवं अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाय) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से उठाया गया।

जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम एवं खाद्य अधिकारी, अंबिकापुर ने जवाब दिया कि पुनर्मिलान तथा जांच के पश्चात तथ्यों को अवगत कराया जा सकेगा। खाद्य अधिकारी जगदलपुर ने कहा कि आधिक्य आगामी माह के दौरान समायोजित किया जावेगा तथा खाद्य अधिकारी, कांकेर ने कहा कि अतिरिक्त आवंटन की प्रत्याशा में अधिक उठाव किया गया। नियंत्रक खाद्य रायपुर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। उत्तर इंगित करते हैं कि, विभिन्न स्तरीय आवंटन के माध्यम से वितरण पद्धति के नियंत्रण से बचा जा रहा था। इस प्रकार पद्धति में रिसाव की जोखिम थी।

3.2.8.2 आवंटन से अधिक मुक्ति आदेश का जारी करना

आवंटन से अधिक मुक्ति आदेश जारी किए जाने के कारण 44 मै. टन का अधिक जारी होना

खाद्य अधिकारी, अंबिकापुर के वास्तविक आवंटन 72 मै. टन के विरुद्ध सहायक खाद्य अधिकारी द्वारा 13 विकासखंडों में 36 प्रकरणों में 116 मै. टन के मुक्ति आदेश जारी किए गए परिणामतः मासिक आवंटन कोटे से 44 मै. टन (61 प्रतिशत) अधिक जारी किया गया। खाद्य अधिकारी, अंबिकापुर ने उत्तर दिया कि अतिरिक्त कोटा जारी किया गया होगा यदि दुकानदार द्वारा विगत माह में कम उठाव के कारण अधिक मुक्ति आदेश जारी किए गए होंगे। उत्तर सामान्यकृत था और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्रकरणों हेतु विशिष्ट कारण नहीं दिए गए।

3.2.8.3 सुपुर्दगी चालानों में विसंगतियाँ

जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम अंबिकापुर में प्रदाय केंद्रों पर भंडार प्रभारी द्वारा तैयार किए गए सुपुर्दगी चालानों में नीचे दिए गए अनुसार विसंगतियाँ पाई गईं:

प्रदाय आदेश क्रमांक एवं दिनांक जिसके विरुद्ध ये जारी किए गए का उल्लेख करना आवश्यक था जिससे कि प्राधिकृत एवं प्रदाय मात्रा का बाद में पुनर्मिलान एवं जांच की जा सके। 21 प्रकरणों में शामिल 129 मै.टन चावल के चालानों पर प्रदाय आदेश क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया।

43 प्रकरणों में ट्रक क्रमांकों का उल्लेख नहीं किया गया जिनसे 178 मै. टन चावल का परिवहन किया गया था।

12 प्रकरणों में प्रदाय केंद्रों से उचित मूल्य दुकानों के मालिकों द्वारा 55 मै. टन चावल प्राप्ति की अभिस्वीकृतियाँ उपलब्ध नहीं थी।

175 प्रकरणों में चालानों पर अन्य विसंगतियाँ जैसे निश्चित स्थानों पर सुपुर्दगी के संबंध में समिति द्वारा प्रमाणन, परिवहन कर्ता के हस्ताक्षर एवं भंडार प्रभारी के हस्ताक्षर उपलब्ध न होना पाई गई।

□ दो प्रकरणों में एक दिन में एक ट्रक की भारवहन क्षमता से अधिक चावल का तथाकथित परिवहन किया गया।

जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने उत्तर दिया (जून 2005) कि अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात तथ्यात्मक स्थिति अवगत करायी जावेगी।

3.2.8.4 उचित मूल्य दुकानों का संचालन

अंबिकापुर, जगदलपुर एवं रायपुर जिलों की उचित मूल्य दुकानों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि:-

□ उचित मूल्य दुकानों की दैनिक विक्रय पंजियों में कुछ उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठा चिन्ह नहीं पाए गए। कई प्रकरणों में विक्रय पंजी में एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर थे।

□ विभागीय मार्गदर्शिका के अनुसार जिला, विकास खंड एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर सतर्कता समिति का गठन किया जाना था। विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2005) कि ये समितियाँ संचालन में नहीं थीं। उनके संचालन के अभाव में अभिलेख सत्यापित नहीं किए गए।

□ उचित मूल्य दुकान पर संधारित निरीक्षण पंजियों का रिक्त पाया जाना दर्शाता है कि उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण नहीं किया गया।

□ उचित मूल्य दुकानों द्वारा उपभोक्ताओं को धन प्राप्ति रसीदे जारी नहीं की गईं।

3.2.8.5 उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण

राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण नहीं किया गया

खाद्य विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को सौंपे गए कर्तव्यों एवं दायित्वों के अनुसार उचित मूल्य दुकान का निम्नानुसार एक माह में निरीक्षण किए जाने थे तथा संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को मासिक प्रतिवेदन भेजना था।

1.	नियंत्रक खाद्य/जिला खाद्य अधिकारी	10 उचित मूल्य दुकानों + 45 उपभोक्ताओं से संपर्क कर पूछताछ करना।
2.	सहायक खाद्य अधिकारी	20 उचित मूल्य दुकानों + 75 उपभोक्ताओं से संपर्क कर पूछताछ करना।
3.	निरीक्षक	50 प्रतिशत दुकानें + 100 उपभोक्ताओं से संपर्क कर पूछताछ करना।

कार्यालय नियंत्रक रायपुर, खाद्य अधिकारी जगदलपुर, कांकेर एवं अंबिकापुर के कार्यालय में अभिलेखों की नमूना जांच में देखा गया कि शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार निरीक्षण नहीं किए गए। आगे इससे संबंधित मासिक प्रतिवेदन भी संचालक को नहीं सौंपे गये। कांकेर जिले में 2000-01 से 2004-05 की अवधि में निर्धारित 8784 निरीक्षणों के विरुद्ध केवल 323 निरीक्षण किए गए। इस प्रकार 96 प्रतिशत की कमी थी। संचालक ने बताया (जून 2005) कि नियमित रूप से मासिक प्रतिवेदन न सौंपने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत वितरण

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण गरीब को मजदूरी का 75 प्रतिशत 6 किलोग्राम प्रति मानव दिवस की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा था। भारत शासन के खाद्यान्न आवंटन के आधार पर, राज्य शासन ने इसे प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को सूचित करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पुनर्आबंटित किया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ने बाद में स्वीकृत कार्य हेतु निधियों के आवंटन के आधार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों को पुनर्आबंटित किया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों/क्रियान्वयन एजेंसियों ने प्रदाय केन्द्रों से चावल उठाया। क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा चावल का वितरण किया गया।

मजदूरी घटक के रूप में चावल का भुगतान विभिन्न नामों (छ: कि.ग्रा. प्रति मानव दिवस के गुणकों) के कूपनों के माध्यम से किया गया। मजदूरी के रूप में कूपनों को प्राप्त करके मजदूर इन्हें क्रियान्वयन एजेंसी के पास जमा कर बदले में चावल प्राप्त करेंगे। क्रियान्वयन एजेंसियों को चावल एवं कूपनों के लेखे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत करने थे।

तीन कल्याणकारी योजनाओं, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज एवं सूखा राहत कार्यों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई तथा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

3.2.8.6 चावल का लेखाकरण न किया जाना

प्राप्तकर्ता एजेंसियों द्वारा स्कंध पंजियों का संधारण नहीं किया गया

□ जनपद पंचायत रामचंद्रपुर (अंबिकापुर) में अवधि 2003-05 के दौरान प्रदाय केंद्र रामानुजगंज द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामचंद्रपुर को 17.54 लाख रुपये मूल्य का 269.822 मै. टन चावल सुपुर्द किया गया था किंतु इसकी प्राप्ति एवं निराकरण का लेखाकरण स्कंध पंजी में नहीं किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया (अक्टूबर 2005) कि यह भूल थी एवं प्रविष्टियाँ की जाएंगी। यह मान्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर पंजी में प्रविष्टियाँ एक बाद का विचार है एवं सत्यापन योग्य नहीं होगा। सुधार की गई स्कंध पंजी भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई (जनवरी 2004)।

□ राजपुर (सरगुजा) के अप्रैल 2002 से अगस्त 2005 के प्रगति प्रतिवेदनों में दर्शाया गया कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हेतु 2153 मै. टन चावल जारी किया गया जबकि स्कंध पंजी में केवल 1823 मै. टन चावल का जारी होना दर्शाया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया (अक्टूबर 2005) कि अंतर का पुनर्मिलान किया जा रहा था।

□ मुख्य कार्यपालन अधिकारी उदयपुर ने जुलाई 2003 से अक्टूबर 2003 के दौरान सूखा राहत कार्य में संलग्न मजदूरों को मजदूरी के भुगतान हेतु उप-अभियंता, जल संसाधन संभाग-1 अबिकापुर (जल संसाधन उप संभाग उदयपुर) को 11.17 लाख

रूपये मूल्य का 171.81 मै. टन चावल जारी किया जनपद पंचायत, उदयपुर में इस चावल के लेखाकरण एवं वितरण के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

3.2.8.7 चावल की अधिक खपत

भारत शासन द्वारा निर्धारित मानकों के विरुद्ध चावल की अधिक खपत की गई

□ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंबिकापुर द्वारा शासन को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत (धारा-1 एवं 2) 22666 मै. टन चावल (2004-05 के लिए) जारी होना तथा 2209200 मानव दिवसों का सृजन प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2005)। इस प्रकार भारत शासन द्वारा निर्धारित मानकों (छ.कि.ग्रा. प्रति मानव दिवस) के विरुद्ध 6.12 करोड़ रूपये के 9410.80 मै. टन (41 प्रतिशत) चावल की अधिक खपत हुई।

□ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंबिकापुर ने 2004-06 के दौरान सूखा राहत कार्यक्रम के अंतर्गत शासन को 713035 मानव दिवसों का सृजन प्रतिवेदित किया। भारत शासन के मानक 6 कि.ग्रा. प्रति मानव दिवस के आधार पर 4278.21 मै. टन चावल की खपत संगणित हुई। तथापि 12000 मै. टन चावल की उपयोगिता प्रतिवेदित की गई। इस प्रकार 5.02 करोड़ रूपये मूल्य के 7721.79 मै. टन चावल (64 प्रतिशत) की अधिक खपत हुई।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने लेख किया कि चावल की खपत एवं मानव दिवसों का सृजन क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर प्रतिवेदित किए गए। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यदि कोई विसंगतियाँ थी तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उनके कारणों को सुनिश्चित करना था।

3.2.8.8 कूपनों में विसंगतियाँ

बिना कूपनों के चावल का वितरण

राशि 14.62 करोड़ रूपये का चावल बिना कूपनों के वितरित किया गया

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंबिकापुर एवं जगदलपुर में कूपन स्कंध एवं जारी पंजी तथा चावल के वार्षिक खपत प्रतिवेदन की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 75708 मै. टन के कूपनों के विरुद्ध 98201 मै. टन चावल वितरित किया गया (2001-02 से 2004-05 के दौरान), जो कि 14.62 करोड़ रूपये मूल्य (6500 रूपये प्रति मै. टन की दर से) 22493 मै. टन चावल बिना कूपनों के वितरित किया जाना दर्शाता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा बताया गया (जून एवं अक्टूबर 2005) कि कूपनों के विलम्ब से प्राप्ति के कारण क्रियान्वयन एजेंसियों को बिना कूपन के चावल वितरित किये जाने हेतु बाध्य किया गया था। यह दर्शाता है कि कूपन पद्धति के माध्यम से स्थापित नियंत्रण प्रणाली से बचा गया, परिणामतः रिसाव का जोखिम था।

कूपन लेखे का संधारण न किया जाना

कूपन लेखे का संधारण न किए जाने के कारण 2.38 करोड़ रूपये का चावल कम पाया गया

जिला पंचायत अंबिकापुर में 46439 मै. टन चावल के कूपन (सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत 2002-05 के दौरान) मुद्रित कराये गये जिसमें से क्रियान्वयन

एजेंसियों को 33224 मै. टन चावल के कूपन सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत संलग्न मजदूरों को मजदूरी के रूप में भुगतान हेतु जारी किए गए।

जिला पंचायत कूपन स्कंध में 13215 मै. टन पुस्त शेष के विरुद्ध 9552 मै. टन चावल वास्तविक शेष था। इस प्रकार 2.38 करोड़ रुपये मूल्य के 3663 मै. टन चावल के कूपन गुम थे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अम्बिकापुर ने उत्तर दिया (जून 2005) कि कूपन लेखे के पुनर्मिलान के पश्चात तथ्यात्मक स्थिति अवगत कराई जावेगी।

3.2.9 निष्कर्ष

निर्धारित कार्य योजना के बिना धान का उपार्जन किया गया। जिसके तारतम्य में अनायोजित भंडारण हुआ और मिलिंग में अत्याधिक विलंब हुआ जिसकी परिणति ब्याज, भंडारण व्यय, सूखत, प्रासंगिक व्यय एवं परिवहन पर अधिक उपरिव्यय हुए जो कि राज्य शासन द्वारा वहन किए गए। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा मार्कफेड को प्रतिपूर्ति की पद्धति की सही रूप से निगरानी नहीं की गई तथा असमाशोधित रही। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केंद्रों पर प्राप्त चावल का मात्र 10 प्रतिशत वजन किया जा रहा था। नियंत्रण पद्धति दोषपूर्ण थी जिसके परिणाम में भारत शासन से गलत सबसिडी का दावा किया जाना और धान एवं चावल के उपार्जन, आवंटन, उठाव व लेखांकन में अनियमितताओं के विभिन्न उदाहरण थे।

3.2.10 अनुशंसाएं

- प्रत्येक खरीफ विपणन वर्ष हेतु उपार्जन, भंडारण कस्टम मिलिंग तथा आधिक्य की भारतीय खाद्य निगम को सुपुर्दगी के लिए पूर्व में कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए।
- धान की त्वरित मिलिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा मार्कफेड को प्रतिपूर्ति का पुनर्मिलान तथा बकाया का भुगतान शीघ्र किया जाना चाहिए। भारत शासन से शेष राशि का दावा करने के लिए लेखों का पुनर्मिलान होना चाहिए।
- छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केंद्रों पर प्राप्त चावल के पूर्ण वजन करने हेतु समुचित पद्धति लागू की जावे।
- आवंटन एवं परमितों को नियमबद्धता से जारी किया जाना चाहिए तथा नियमित पुनर्मिलान के माध्यम से विसंगतियों को चिन्हित किया जाना चाहिए।

ये अनुशंसाएँ अंतिम सम्मेलन में चर्चा की गईं एवं शासन द्वारा मान्य की गईं ।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

3.3 जल संग्रहण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

मुख्यांश

सूखे की स्थिति दूर कर, मरुस्थलीकरण को रोकने एवं भूमि की उर्वरता में सुधार कर आर्थिक रूप से कमजोर तबके की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु जल संग्रहण विकास कार्यक्रमों को आरंभ किया गया था।

वर्ष 2001-06 के दौरान जल संग्रहण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, त्रुटिपूर्ण जल संग्रहण परियोजनाओं का योजनाकरण एवं ग्रामों के दोषपूर्ण चयन के वजह से बाधित रहा। घटकों का क्रियान्वयन निर्धारित अनुक्रम से नहीं किया गया एवं कुछ उपेक्षित रहे। प्रारंभिक चार/पांच वर्षों में चयनित जिलों में गतिविधियों की प्रगति 62 प्रतिशत रही।

समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आठ जल संग्रहण परियोजनाओं पर 16.90 करोड़ रुपये का व्यय किया गया जहाँ कृषि भूमि 70 प्रतिशत से अधिक थी।

(कंडिका 3.3.7.2)

निर्धारित जल विभाजक से घाटी पद्धति का पालन नहीं किया गया तथा उपरी भूमि में भूसंरक्षण कार्य से पहले निचली भूमि पर जल संवर्धन कार्य कराया गया।

(कंडिका 3.3.7.4)

अन्य गतिविधियों को नजरअंदाज करते हुए चार जिलों में जल संवर्धन कार्यों पर 9.31 करोड़ रूपयों का व्ययवर्तन किया गया एवं जल संवर्धन कार्यों को उच्च प्राथमिकता देते हुए कुल व्यय का निर्धारित 40 प्रतिशत के स्थान पर 61 प्रतिशत व्यय किया गया।

(कंडिका 3.3.7.5)

9.02 करोड़ रुपये की लागत पर सृजित पूर्ण परियोजनाओं को जल संग्रहण समितियों को हस्तांतरित नहीं किया गया।

(कंडिका 3.3.7.9)

जगदलपुर में जल संग्रहण विकास कार्यक्रमों (सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम चरण-I) की उपलब्धियों को भू राजस्व अभिलेख में परिदर्शित नहीं किए जाने के कारण कार्यक्रम के प्रभावों को मापा नहीं जा सका।

(कंडिका 3.3.8)

जल संग्रहण समितियों द्वारा रायपुर एवं जगदलपुर में 7 परियोजनाओं पर मस्टर रोल के माध्यम से 4.09 करोड़ रुपये का व्यय कार्यों की प्रगति को दर्ज किए बिना किया गया।

(कंडिका 3.3.10)

3.3.1 प्रस्तावना

आर्थिक रूप से कमजोर तबके की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार, भूमि के मरुस्थलीकरण को रोकने, तथा सूखे की समस्या को दूर करने की दृष्टि से जल संग्रहण परियोजनाओं को राज्य द्वारा ग्रहण किया गया। केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत जल संग्रहण विकास परियोजनाएं प्रारंभ की गईं जैसे:- गैर कृषि योग्य भूमि के उपचार हेतु 1987 से सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) एवं बंजर भूमि के उपचार हेतु 1989 से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूपी) तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल संग्रहण परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए) एवं नदी घाटी परियोजना (आरवीपी) कृषि विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया। इस समीक्षा में सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम एवं समकेत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन शामिल है। दोनों योजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य अन्य बातों के साथ भूमि, जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जल संग्रहण विकास द्वारा सस्ते एवं स्थानीय उपलब्ध तकनीक से जैसे यथा स्थान मृदा एवं नमी संरक्षण उपायों, वनीकरण आदि की सहायता से किया जाना शामिल है। इन कार्यक्रमों की मूल विशेषता योजनाकरण एवं क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं एवं जन भागीदारी, परियोजनाओं में स्थानीय तकनीकी का प्रयोग एवं परिसम्पत्तियों का अनुसंधान करना है। वर्ष 2001-06 के दौरान सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम एवं समकेत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम पर कुल व्यय 149.62 करोड़ रुपये था।

3.3.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य स्तर पर विकास आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जल संग्रहण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु संपूर्ण प्रभार में हैं। विकास आयुक्त के अधीन मार्च 2005 में नए जल संग्रहण परियोजनाओं की संस्वीकृति, प्रगति प्रतिवेदनों की समीक्षा एवं परिवीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु एक जल संग्रहण विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की गई।

जिला स्तर पर कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, परियोजना अधिकारी के नेतृत्व में परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण¹ के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मु.का.अ.) जिला पंचायत द्वारा किया जाता है। प्रत्येक परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण एक या अधिक जल संग्रहण परियोजना² का पर्यवेक्षण करता है।

जल संग्रहण³ स्तर पर कार्यक्रमों का क्रियान्वयन स्वसहायता समूहों⁴ एवं प्रयोक्ता समूहों⁵ की सहायता से जल संग्रहण समितियों⁶ (डब्ल्यूसी) द्वारा किया जाता है।

¹ परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण- सरकारी विभाग, विश्वविद्यालय एवं परियोजना में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं के सदस्यों का दल।

² एक आईडब्ल्यूडीपी परियोजना लगभग 10 जल संग्रहणों को समाहित करती है।

³ एक जल संग्रहण लगभग 500 हेक्टेयर को समाहित करता है।

⁴ स्व सहायता समूह- कृषि मजदूर, महिला चरवाहे, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति इत्यादि जैसे समान पहचान वाले समरूपी समूह।

⁵ प्रयोक्ता समूहों- अत्यधिक प्रभावित हितग्राही या विपक्षी जनता के चिन्हित समूह।

⁶ जल संग्रहण समिति- प्रयोक्ता समूहों (4-5), स्व सहायता समूहों (3-4) ग्राम पंचायत (2-3) में से 10-12 नामित सदस्य तथा जल संग्रहण विकास दल के सदस्य (कृषि यांत्रिकी, उद्यानिकी, समाजशास्त्री आदि बहुआयामी में से)।

3.3.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या:

- वित्तीय प्रबंधन प्रभावी और दक्ष था;
- जल संग्रहण परियोजना का योजनाकरण पर्याप्त था;
- परियोजनाओं का चयन निर्धारित मापदण्ड एवं अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार था;
- परियोजनाओं के सभी घटकों का क्रियान्वयन अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए निर्धारित और उचित अनुक्रम में किया गया था;
- पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को अनुसूचना हेतु जल संग्रहण समितियों को हस्तांतरित किया गया था; एवं
- अभिलेखों का संधारण, पर्यवेक्षण और परिवीक्षण प्रभावी था;

3.3.4 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

लेखापरीक्षा के मापदण्ड थे

- भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश।
- भारत सरकार द्वारा तैयार की गई सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम की नियमावली।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किए गए परिपत्र एवं आदेश।
- प्रत्येक जल संग्रहण परियोजना की योजना एवं उसके क्रियान्वयन से संबंधित अभिलेख।

3.3.5 लेखापरीक्षा समावेशन एवं पद्धति

अवधि 2001-02 से 2005-06 के सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम एवं समकेत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा अप्रैल से जून 2005 एवं जुलाई से अगस्त 2006 के दौरान विकास आयुक्त एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग, जगदलपुर, कोरबा, रायपुर एवं राजनांदगांव के कार्यालयों में की गयी। राज्य में कुल 149.62 करोड़ रुपये के व्यय में से 86.25 करोड़ रुपये के खर्च का समावेश करते हुए 792 सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम एवं 49 समकेत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम जल संग्रहण परियोजनाओं में से 486 सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम एवं 10 समकेत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम जल संग्रहण परियोजनाओं की नमूना जांच की गई। विशेष सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ प्रवेश सम्मेलन (फरवरी 2006) के बाद लेखापरीक्षा के उद्देश्य/मापदण्ड तैयार किए गए। लेखापरीक्षा निष्कर्षों और समीक्षा की अनुशंसाओं पर चर्चा करने के लिए सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2006) किया गया। सम्मेलन में व्यक्त किए गए विचारों को निष्पादन लेखापरीक्षा तैयार करते समय शामिल किया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.3.6 वित्तीय प्रबंधन

भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य 75:25 (सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम) एवं 11:1 (समकेत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम) के अनुपात में लागत की भागीदारी के आधार पर दोनों कार्यक्रमों को केन्द्र प्रायोजित करता है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार अपना अंश जिला पंचायतों को प्रदान करती है जो बैंक खाते में रखा जाता है। जिला पंचायत उस राशि को परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण एवं जल संग्रहण समिति को खाता भुगतान चैक द्वारा प्रदान करता है जिसे बैंक खाते में जमा किया जाता है। जल संग्रहण

समिति द्वारा 80 प्रतिशत निधि विकास कार्यों के लिए उद्धिष्ट है। प्रशिक्षण के लिए निधि (5 प्रतिशत) एवं सामुदायिक संगठन के लिए (5 प्रतिशत) निधि परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण को हस्तांतरित की जाती है। प्रशासनिक व्यय (10 प्रतिशत) परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण एवं जल संग्रहण समिति के मध्य वहन किया जाता है। जल संग्रहण समिति, परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण एवं जिला पंचायत वार्षिक लेखे तैयार करते हैं जिस का सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट) द्वारा लेखापरीक्षा किया जाता है। जल संग्रहण समितियाँ एवं परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का मासिक प्रतिवेदन जिला पंचायतों को प्रस्तुत करती हैं। जिला पंचायतें उपयोगिता प्रमाण पत्रों के साथ वार्षिक लेखे भारत सरकार को प्रस्तुत करती हैं। वर्ष 2001-06 के दौरान सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम एवं समकेत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्रमशः 95.98 करोड़ रुपये एवं 53.64 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

3.3.6.1 परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण एवं जल संग्रहण समिति द्वारा राशि रोका जाना

सात करोड़ तिरियासी लाख रुपये परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों तथा जल ग्रहण समितियों द्वारा रोके गए, व्यय के रूप में प्रतिवेदित किए

वर्ष 2001-05 के दौरान दोनों कार्यक्रमों पर नमूना जांच किए गए जिलों में 29.95 करोड़ रुपये (दुर्ग 8.04 करोड़ रुपये, जगदलपुर 9.10 करोड़ रुपये, कोरबा 6.79 करोड़ रुपये एवं राजनांदगांव 6.02 करोड़ रुपये) के वास्तविक व्यय के विरुद्ध 37.78 करोड़ रुपये (दुर्ग 9.42 करोड़, जगदलपुर 9.83 करोड़, कोरबा 7.64 करोड़ एवं राजनांदगांव 10.89 करोड़) का व्यय उपयोगिता प्रमाण पत्रों में भारत सरकार को प्रतिवेदित किया गया। परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण एवं जल संग्रहण समिति द्वारा 7.83 करोड़ रुपये की राशि को रोककर रखा गया था। यह राशि परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण एवं जल संग्रहण समिति के बैंक खातों में बिना उपयोग के पड़ी रही।

3.3.6.2 उद्धिष्ट राशि का व्यपवर्तन

एक करोड़ सत्रह लाख रुपये की निधियों का व्यपवर्तन

दिशा निर्देशों के अनुसार उद्धिष्ट घटकों की उपयोगिता में कमी की राशि को जिला पंचायत को वापस किया जाना चाहिए एवं परियोजना घटकों पर व्यय को निर्धारित प्रतिशत तक सीमित रखा जाना चाहिए। तथापि, दुर्ग, जगदलपुर एवं राजनांदगांव में प्रशासनिक उपरिव्यय, सामुदायिक संगठन एवं प्रशिक्षण घटक मद के लिए उद्धिष्ट 1.17 करोड़ रुपये (1.10 करोड़ रुपये सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम एवं 7 लाख रुपये समकेत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम) की राशि संबंधित जिला पंचायतों को लौटायी नहीं गयी तथा परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण तथा जल संग्रहण समिति द्वारा आस्थामूलक⁷ कार्य एवं निर्माण कार्य के घटकों पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के अनुमोदन के बिना निर्धारित सीमा से अधिक उपयोग किया गया।

⁷ आस्थामूलक एक विश्वास पैदा करने वाला अभ्यास है जिसमें शालाओं, पंचायत भवनों, सामुदायिक भवनों, सार्वजनिक स्थानों, पेयजल स्रोतों आदि का जीर्णोद्धार सम्मिलित है।

अव्ययित राशि 24.00
लाख रुपये का वापस
न किया जाना

3.3.6.3 अव्ययित राशि वापस न किया जाना

प्रथम चरण की 86 पूर्ण परियोजनाओं से संबंधित 24 लाख रुपये की राशि (कोरबा 21 लाख रुपये एवं जगदलपुर 3 लाख रुपये) नवम्बर 2002 से जिला पंचायत (10.72 लाख रुपये) परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण एवं जल संग्रहण समिति (13.26 लाख रुपये) के बैंक खातों में थी (जुलाई 2006) जिसे भारत सरकार एवं राज्य सरकार को वापस किया जाना आवश्यक था। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जगदलपुर द्वारा बताया गया कि विकास आयुक्त से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर राशि लौटाई जाएगी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी कोरबा द्वारा बताया गया (जून 2005) कि राशि परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण एवं जल संग्रहण समिति से वापस प्राप्त होने पर लौटायी जाएगी। दिशा निर्देशों के स्पष्ट अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए उत्तर मान्य नहीं था।

3.3.7 कार्यक्रम प्रबन्धन

प्रथम वर्ष में समोच्च बांध एवं पौध रोपण द्वारा भूक्षरण को रोकने एवं भूमि की उर्वरता को उन्नत करने के लिए एवं योजना के आगे के वर्षों में जल संचयी यांत्रिकी संरचना द्वारा नमी को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम के क्रियान्वयन को अभिकल्पित किया जाना था।

कार्यक्रम योजनाकरण

3.3.7.1 जल संग्रहण के लिए योजनाकरण

कार्यक्रम में वार्षिक योजनाएं एवं पंचवर्षीय परिपेक्ष योजनाएं तैयार करना उपबन्धित था। अवक्रमित भूमि, बंजर भूमि, शासकीय भूमि एवं सामुदायिक भूमि के साथ कृषि के लिए अयोग्य भूमि में किये जाने वाले क्रियाकलाप की प्रकृति एवं लक्षित क्षेत्र के अनुसार जल संग्रहण उपचार योजना तैयार किया जाना था। योजना दस्तावेजों में केवल भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों और प्रत्येक वर्ष किए जाने वाले क्रियाकलापों के समूह को दर्शाया गया। स्थानीय आवश्यकताओं, स्थल रूपरेखा, जलीय रूपरेखा, भूमि अवयवों आदि के अध्ययन या निर्धारण के विवरण नहीं थे जिससे सिद्ध हो सके कि चयनित गतिविधियाँ जल संग्रहण के सम्पूर्ण विकास हेतु कैसे उपयुक्त होगी। विवरणों के अभाव में कार्यों का तदर्थ चयन आयोजनागत योजना में एक दूसरे के साथ अल्प सह संबंधों के साथ किया गया। परिणामस्वरूप कार्य निष्पादन भी तदर्थ एवं अनियोजित था, कार्यों/गतिविधियों के निर्धारित अनुक्रम का पालन नहीं किया गया।

परियोजना क्रियान्वयन अभिकरणों का चयन राज्य सरकार के विभागों, विश्वविद्यालयों, एवं परियोजना में कार्यरत स्वेच्छिक संगठनों से किया जाना था। परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण के गठन के तीन माह के अंदर प्रत्येक परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण को कृषि, यांत्रिकी, उद्यानिकी, समाजशास्त्री आदि बहुआयामी शाखाओं में से जल संग्रहण विकास दल का चयन करना था। नमूना जांच में पाया गया कि परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण में केवल विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारी ही थे। इस प्रकार परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण स्तर पर विभिन्न समूहों के भागीदारी का अस्तित्व नहीं पाया गया। नमूना जांच में पाया गया कि 295 परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण सदस्यों में से 276 शासकीय अधिकारी थे।

3.3.7.2 जल संग्रहण परियोजनाओं का चयन

जल संग्रहण परियोजनाओं के चयन का मुख्य मापदण्ड बंजरभूमि की अधिकता, सार्वजनिक भूमि, पेयजल की अत्यधिक कमी एवं जहां वास्तविक मजदूरी की दर निम्नतम मजदूरी की दर से कम होना था। जांच में यह देखा गया कि अनेक परियोजनाओं में इन मापदण्डों एवं आकार मानकों का अनुसरण नहीं किया गया जैसा कि उत्तरवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

कृषि योग्य भूमि की अधिकता वाले क्षेत्रों में जल संग्रहण परियोजनाएं

आठ परियोजनाओं में 70 प्रतिशत से अधिक कृषि भूमि क्षेत्र रहा

समकेत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित जिला पंचायतों द्वारा तीन जिलों⁸ में आठ जल संग्रहण परियोजनाओं का चयन किया गया। इन तीन जिलों में कुल 45028 हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल में से 44778 हैक्टेयर भूमि का जिला पंचायत द्वारा चयन किया गया जिसमें से 36595 हैक्टेयर(82 प्रतिशत) कृषि भूमि है। इस प्रकार 44778 हैक्टेयर भूमि के लिए 26.87 करोड़ रुपये की लागत में से अधिकतम कृषि भूमि वाले क्षेत्र में 16.90 करोड़ रुपये खर्च किए गए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतों ने बताया कि शासन के निर्देश के अनुसार चयन किया गया था। मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जल संग्रहण परियोजना का चयन परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण एवं जिला पंचायतों द्वारा किया गया इसके उपरांत शासन के अनुमोदन हेतु भेजा गया।

राजनांदगांव जिले के सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम विकास खण्ड की परियोजना आयोजना में आगे यह देखा गया कि 17⁹ ग्रामों का चयन किया गया जहां कृषि भूमि की प्रतिशत सीमा 70 से 100 प्रतिशत के बीच थी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि घोषित सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम विकास खण्ड के कारण संपूर्ण विकास खण्ड को उपचारित किया जाना था इस लिए इन ग्रामों का चयन किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इन विकास खण्डों में से उन ग्रामों का चयन करना था जो सूखा ग्रस्त हो एवं जहाँ बंजर भूमि हो।

निर्धारित जल संग्रहण आकार में भिन्नता

जल संग्रहणों में गांवों के क्षेत्र को बढ़ा कर दिखाया गया

पांच वर्षों की समयावधि में विकास एवं प्रभावी पर्यवेक्षण को सुगम बनाने के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार जल संग्रहणों का अनुशंसित आकार 500 हैक्टेयर था। जिला पंचायत कोरबा के 6 वें, 7 वें एवं 8 वें बैच के परियोजना आयोजना के नमूना जांच में देखा गया कि जल संग्रहण के अंतर्गत गांवों के क्षेत्र को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया जो निम्नानुसार है :

⁸ रायपुर, दुर्ग एवं राजनांदगांव

⁹ नवागांव, पिकापार, हरसाटोला, खडबत्तर, नाडेकल, उर्वाही, देवरी, खुर्सीटीकूल, भंडारी भर्दा, मंझीयापार, नाडिया, जनकपुर, शिकारीटोला, रामपुर, डोंगरगांव, हांडीटोला, जंतरगुदियां।

सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम के छठवें बैच में ग्रामों का नाम एवं भौगोलिक क्षेत्रफल	जलसंग्रहण विकास के लिए बढ़ाए गए एवं चयनित ग्रामों का क्षेत्रफल
बरबाहारी - 300 हैक्टेयर	500 है.
भालवल टिकरा - 160 हैक्टेयर	500 है.
पटपारा - 47 है.	125 है.
बहारापारा - 50 है.	125 है.
महुवापानी - 173 है.	200 है.
डुग्गुपारा - 35 है.	250 है.
लालमाटिआ - 53 है.	250 है.
बगदेवा - 66 है.	250 है.

परिणामतः इन ग्रामों में क्षेत्र को बढ़ाचढ़ा कर बहुत उच्च संसाधनों का उपयोग किया गया (6000 रुपये प्रति हैक्टेयर के आधार पर)।

सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम परियोजना के 7वें एवं 8 वें बैच में कई ग्रामों के छोटे हिस्सों को मिलाकर कोरबा में जलसंग्रहण परियोजना बनायी गयी। 8 ग्रामों के 2433 हैक्टेयर, 5 ग्रामों के 1511 हैक्टेयर, 6 ग्रामों के 1041 हैक्टेयर एवं 8 ग्रामों के 1570 हैक्टेयर को मिलाकर 500 हैक्टेयर प्रत्येक जलसंग्रहण परियोजना बनायी गयी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि ग्रामों का चयन बिलासपुर में पदस्थ भूजलविद द्वारा किया गया। उत्तर मान्य नहीं था। ग्रामों के क्षेत्र को बढ़ाचढ़ा कर बताना भूजलविद पर आरोपित नहीं किया जा सकता। यह भी देखा गया कि कोरबा ही एकमात्र जिला है जहाँ एक जल संग्रहण परियोजना में आठ ग्रामों के छोटे-छोटे हिस्से शामिल है।

कम आकार के एवं अधिक आकार के जल ग्रहणों का चयन

500 हैक्टेयर के निर्धारित मानदण्ड के विरुद्ध दुर्ग, जगदलपुर, कोरबा एवं राजनांदगाँव जिलों में 42.124 है. से 400 है. के बीच 47 कम आकार की जल संग्रहण परियोजनाओं को 4.55 करोड़ रुपये लागत से उपचार हेतु अनियमित रूप से लिया गया। दूसरी ओर, दुर्ग एवं रायपुर जिलों में 40 वृहत आकार के जल संग्रहण परियोजनाएं 619 से 1371 है. के बीच हैं। कम/वृहत आकार के जल संग्रहण परियोजनाओं के चयन के कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं है एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा स्पष्ट नहीं किए गए।

कार्यक्रम का क्रियान्वयन

3.3.7.3 भौतिक उपलब्धियाँ

कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उपलब्धि 62 प्रतिशत रही

दिशा निर्देशों के अनुसार, लक्षित क्षेत्रों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के अन्दर उपचारित किया जाना था। नमूना जांच किए गए जिलों दुर्ग, कोरबा, रायपुर एवं राजनांदगाँव में वर्ष 2001-06 के दौरान पूर्ण हुए। वृहत रूप से पूर्ण एवं संस्वीकृत 274 जल संग्रहण परियोजनाओं के अंतर्गत उपचारित भूमि की स्थिति निम्नानुसार है :-

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

जलसंग्रहण कार्यक्रम का नाम	संस्वीकृत परियोजना अवधि	मार्च 2006 में पूर्ण हुए वर्षों की संख्या	भूमि उपचार का लक्ष्य	अनुपातिक लक्ष्य	उपलब्धियाँ	कमी	कमी का प्रतिशत
सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम 6वाँ एवं 7वाँ बैच	2001-06	05	97925	97925	62205	35720	36.5
सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम.8 वाँ बैच	2002-07	04	34000	30600 ¹⁰	16208	14392	47.0
समकेत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम द्वितीय चरण	2001-06	05	49169	49169	32051	17118	34.8
योग			181094	177694	110464	67230	37.8

इस प्रकार अंतिम 5 वर्षों के दौरान 177694 है.के लक्षित क्षेत्र में से मात्र 110464 है. (62.1 प्रतिशत) क्षेत्र पूर्ण हुए एवं कमी का प्रतिशत 34.8 प्रतिशत से 47 प्रतिशत के मध्य रहा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने निम्न भौतिक उपलब्धियों एवं कार्य की धीमी प्रगति को निधियों की अल्पता का परिणाम बताया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वर्ष 2001-05 के दौरान 6.15 करोड़ रुपये जिला पंचायतों (दुर्ग 1.74 करोड़ रुपये, जगदलपुर 1.01 करोड़ रुपये, कोरबा 6 लाख रुपये एवं राजनांदगाँव 3.34 करोड़ रुपये) में अप्रयुक्त रहा इसके अतिरिक्त वर्ष 2001-05 में, 7.83 करोड़ रुपये से अधिक शेष जल संग्रहण समिति एवं परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण (दुर्ग 1.39 करोड़ रुपये, जगदलपुर 72 लाख रुपये कोरबा 85 लाख रुपये एवं राजनांदगाँव 4.87 करोड़ रुपये) के पास पड़े थे।

3.3.7.4 जल विभाजक से घाटी पद्धति नहीं अपनाया जाना

संरक्षण कार्य के लिए जल विभाजक से घाटी पद्धति को सुनिश्चित करना था। इसका आशय यह है कि प्रथम वर्ष में, भू संरक्षण कार्य परियोजनाओं के ऊपरी क्षेत्रों में करना था तथा दूसरे एवं तीसरे वर्षों में निचले क्षेत्रों में जल संवर्धन कार्य एवं अन्य गतिविधियाँ किया जाना था।

नमूना जाँच किए जिलों में यह देखा गया कि जल विभाजक से घाटी पद्धति को नहीं अपनाया गया एवं कार्यों का सम्पादन निचले क्षेत्रों पर पहले किया गया। कुछ जिलेवार उदाहरण नीचे दर्शित हैं:-

¹⁰ निधि प्रदाय व्यवस्था के अनुसार चार साल में 90 प्रतिशत क्षेत्र को उपचारित किया जाना था।

ऊपरी क्षेत्रों में भू-संरक्षण कार्यों से पहले निचले क्षेत्रों में जल संवर्धन कार्य किए गए थे।

जिले का नाम	जलग्रहण परियोजना का नाम	उपचार की अवधि	कार्य सम्पादन की तिथि	
			ऊपरी सतह (भू-संरक्षण कार्य)	निचली सतह (जल-संवर्धन कार्य)
दुर्ग	6वाँ बैच टेंगननाला	2001-04	09.12.04	01.09.02
	7वाँ बैच सोनारीनाला अन्दोही नाला	2003-04	04.12.04	28.03.03
	8वाँ बैच कम्पानाला	2005-06	कोई कार्य नहीं किया गया	24.04.05
कोरबा	6वाँ बैच पोड़ी उपरोड़ा	2001-04	04-01.04	12.12.01
	6 वाँ बैच कटघोरा	2001-04	22.12.03	26.11.01
जगदलपुर	6 वाँ बैच जमावाड़ा	2001-02	16.06.03	05.12.01
	9वाँ बैच सोअरगाँव	2002-04	09.07.04	25.11.03
राजनांदगाँव	6वाँ बैच पलुकसानाला	2002-06	20.02.06	08.02.02
	9वाँ बैच कोटरीनाला	2004-06	06.06.05	10.06.04

41 जल संग्रहणों के नमूने जिसकी पूरी जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गयी थी, प्रथम पाँच वर्ष के दौरान दो मुख्य गतिविधियों पर किए गए व्यय के संकलन द्वारा अनियोजित कार्य सम्पादन की पुष्टि की गई।

कुल व्यय (85.28 लाख रुपये पाँच वर्षों में) का मात्र पाँच प्रतिशत (4.31 लाख रुपये) प्रथम वर्ष में एवं 30 प्रतिशत (25.92 लाख रुपये) दूसरे वर्ष में भू-संरक्षण कार्यों पर व्यय किया गया जबकि कुल व्यय का 24 प्रतिशत (64.17 लाख रुपये) जल संवर्धन कार्य पर परियोजना के प्रथम वर्ष में किया गया जो भू-संरक्षण कार्य पूर्ण होने पर दूसरे वर्ष में किया जाना था। इस प्रकार जल संवर्धन पर अत्यधिक व्यय के कारण अधिकतम उपलब्धि को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।

3.3.7.5 खण्डवृत्त संबंधी गतिविधियों का प्राथमिकीकरण

दुर्ग, जगदलपुर, कोरबा एवं राजनांदगाँव जिलों में सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम 6वाँ, 7वाँ, 8वाँ बैच और समकेत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के द्वितीय चरण की 274 जल संग्रहण परियोजनाओं में देखा गया कि विकास कार्यों की गतिविधि वार लागत सीमा का पालन नहीं किया गया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	प्रतिशत सहित गतिविधियाँ	मानकों के अनुसार व्यय	वास्तविक व्यय	प्रतिशत	मानकों से अधिक/कमी का प्रतिशत
1.	भू-संरक्षण (30 प्रतिशत)	13.33	13.30	29.92	—
2.	जल संवर्धन (40 प्रतिशत)	17.78	27.09	60.94	(+) 21
3.	बनीकरण (10 प्रतिशत)	4.45	2.69	6.05	(-)4.1
4.	चारागाह विकास (10 प्रतिशत)	4.45	0.26	0.59	(-)9.4
5.	अन्य गतिविधियाँ (7.5 प्रतिशत)	3.33	0.52	1.17	(-)6.3
6.	स्व-सहायता समूह (2.5 प्रतिशत)	1.11	0.59	1.33	(-)1.2
	योग	44.45	44.45¹¹		

अन्य गतिविधियों से 9.31 करोड़ रुपये व्यर्तित कर जल संवर्धन कार्यों को उच्च प्राथमिकता दी गई।

¹¹ दुर्ग 10.39 करोड़ रुपये, जगदलपुर 9.89 करोड़ रुपये, कोरबा 11.29 करोड़ रुपये एवं राजनांदगाँव 12.88 करोड़ रुपये

44.45 करोड़ रुपये के कुल व्यय में से 27.09 करोड़ रुपये (61 प्रतिशत) जल संवर्धन कार्यों जैसे परकोलेशन टैंकों का निर्माण, खेतों में तालाब बनाना, डबरी¹², तालाब गहरीकरण आदि पर 9.31 करोड़ रुपये भू-संरक्षण, वनीकरण, चारागाह विकास और स्व-सहायता समूहों की गतिविधियों से व्ययवर्तित कर व्यय किए गए। भू-संरक्षण कार्यों के अंतर्गत दुर्ग (37 प्रतिशत) और जगदलपुर (35 प्रतिशत) में निर्धारित मानकों से अधिक व्यय किया गया जबकि कोरबा (21 प्रतिशत) एवं राजनांदगाँव (27 प्रतिशत) में निर्धारित मानकों से कम व्यय किया गया। वनीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न कोटि की जमीन की उत्पादकता को बढ़ाना एवं स्थानीय जनता को ईंधन और घास उपलब्ध कराना था। वनीकरण के लिए उपलब्ध राशि 4.45 करोड़ रुपये (10 प्रतिशत) के विरुद्ध 2.69 करोड़ रुपये (6 प्रतिशत) का व्यय किया गया। दुर्ग (2 प्रतिशत), कोरबा एवं राजनांदगाँव (4 प्रतिशत) का व्यय निर्धारित मानकों से बहुत कम था जबकि जगदलपुर में निर्धारित मानक से अधिक व्यय (15 प्रतिशत) किया गया। घास उपलब्ध कराने एवं भूमि कटाव रोकने के लिए चारागाह विकास तथा अन्य गतिविधियों के कार्य सभी जिलों में आंशिक रूप से शामिल किए गए थे या पूर्ण रूप से उपेक्षित थे।

3.3.7.6 पशु अवरोधक नाली (सीपीटी) का अवमानक कार्य

एक करोड़ चार लाख रुपये के अवमानक कार्य

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पशु अवरोधक नाली की ऊपरी चौड़ाई 2.50 मीटर, नीचे की चौड़ाई 1.25 मीटर तथा गहराई 1.5 मीटर निर्धारित (अक्टूबर 2001) की थी, किन्तु वर्ष 2001-06 के दौरान इनका निर्माण ऊपरी चौड़ाई 1.5 मीटर, नीचे की चौड़ाई 0.6 से 0.7 मीटर तथा गहराई 0.75 से 0.9 मीटर के आकार में दो जिलों में (जगदलपुर एवं राजनांदगाँव) निर्माण किया गया था। परिणामस्वरूप 1.04 करोड़ रुपये का कार्य अवमानक रहा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जगदलपुर ने मानक आकार की पशु अवरोधक नाली बनाने का आश्वासन दिया एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत राजनांदगाँव ने मध्यप्रदेश सरकार के 1995 के आदेश का हवाला (जुलाई 2006) दिया। अक्टूबर 2001 के उत्तरवर्ती आदेश के परिप्रेक्ष्य में उत्तर मान्य नहीं था।

3.3.7.7 काजू पौधे रोपण पर अधिक व्यय

बारह लाख रुपये का अधिक व्यय

वर्ष 2001-05 के दौरान जगदलपुर की 15 जल संग्रहण परियोजनाओं में 532.46 हेक्टेयर पर 400 काजू पौधे प्रति हेक्टेयर के मानक के विरुद्ध औसतन 868 पौधे प्रति हेक्टेयर के मान से 23 लाख रुपये की लागत पर 4.62 लाख काजू पौधे लगाए गए थे। 2.49 लाख काजू पौधों के अधिक रोपण के परिणामस्वरूप 12 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने भविष्य में मानकों का पालन करने का आश्वासन दिया।

3.3.7.8 स्व-सहायता समूहों को ऋण

दिशा निर्देशों के अनुसार, स्व-सहायता समूहों को व्यवसायिक विकास के लिए 10,000 रुपये से अनाधिक की दर पर मूल राशि (सीड मनी) मुहैया कराने के लिए एक लाख रुपये से अनाधिक राशि की परिक्रामी निधि प्रत्येक परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण में

¹² छोटा तालाब का स्थानीय नाम डबरी हैं।

सृजित की जानी थी। यह धन राशि मासिक आधार पर 6 किश्तों में वापस ली जानी थी तथा अन्य स्व-सहायता समूहों को पुनः दी जानी थी।

बावन लाख बहतर हजार रुपये के ऋण राशि की वसूली नहीं हुई

वर्ष 1997-98 से 2001-02 के दौरान तीन जिलों में सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम प्रथम चरण के अंतर्गत पूर्ण परियोजनाओं की 129 जल संग्रहण परियोजनाओं में स्व-सहायता समूहों को दी गयी 34.47 लाख रुपये की मूल राशि वापस नहीं ली गयी। इसी तरह वर्ष 2001 से 2006 के दौरान चार जिलों में सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम 6वाँ, 7वाँ, 8वाँ बैच एवं समकेत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम द्वितीय एवं तृतीय चरण की 276 चालू जल संग्रहण परियोजनाओं में 1555 स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया एवं दी गयी 18.25 लाख रुपये की बीज राशि स्व-सहायता समूहों से वापस नहीं ली गयी। यह बताए जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतों ने बताया (मई 2005 से जुलाई 2006) कि ऋण की राशि परियोजना अवधि के अन्त में वसूली की जावेगी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अवर्तन सुनिश्चित करने हेतु मूल राशि को छः माह में वापस लिया जाना था।

3.3.7.9 परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण न किया जाना

दिशा निर्देशों एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र.20 (मार्च 1999) के अनुसार जल संग्रहण विकास निधि की सहायता से अनुरक्षण एवं प्रचालन हेतु पूर्ण जल संग्रहण परियोजनाओं में सृजित परिसम्पत्तियों को जल संग्रहण समितियों को हस्तांतरित करना था।

जल ग्रहण समिति को 9.02 करोड़ रुपये की परिसम्पत्तियाँ हस्तांतरित नहीं की गई

नमूना जांच की गई 168 पूर्ण परियोजनाओं में से, 86 परियोजनाओं को जल संग्रहण समितियों को हस्तांतरित नहीं किया गया। इसमें कोरबा में वर्ष 2000-01 में 3.63 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण 52 जल संग्रहण परियोजनाएँ एवं वर्ष 2004-05 में राजनांदगाँव के चार विकास खण्डों में 5.39 करोड़ रुपये में पूर्ण 34 जलसंग्रहण परियोजनाएँ शामिल हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा एवं राजनांदगाँव ने सूचित किया कि हस्तांतरण की कार्यवाही जारी थी। इस प्रकार परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण जल संग्रहण समितियों को न किए जाने के कारण परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

3.3.8 उपलब्धियाँ

जल संग्रहण विकास द्वारा कमजोर तबके की आर्थिक स्थिति में सुधार का उद्देश्य निर्धार्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह विभिन्न सामाजिक आर्थिक घटकों पर निर्भर था एवं ये योजनाएँ ज्यादा से ज्यादा अल्प योगदान वाली भूमिकाएँ निभा सकती हैं। सूखा निवारण के संबंध में यह देखा गया कि पाँच नमूना जांच किए गए जिलों के 26 विकास खण्डों में 496 जल संग्रहण परियोजनाएँ आरंभ की गयी थीं एवं वर्ष 2002-04 के दौरान इनमें से 70 से 100 प्रतिशत विकास खण्ड को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। यह स्पष्ट था कि जल संग्रहण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन 10 वर्षों (1995-96) से जारी है एवं सूखा निवारण के सभी अन्य उपायों को कम सफलता मिली।

उपलब्धियों का भू-राजस्व अभिलेखों में प्रतिबिम्बित न होना

यह देखा गया कि जगदलपुर में सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम प्रथम चरण में 15.49 करोड़ रुपये की लागत में 38728 हेक्टेयर क्षेत्र में उपचार हेतु 59 जल संग्रहण परियोजनाओं को वर्ष 1995-96 में स्वीकृत किया गया था। इन परियोजनाओं को 11.59 करोड़ रुपये

की लागत में परियोजना अवधि के चार वर्षों के विरुद्ध 10 वर्षों में 30174.11 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करके फरवरी 2005 में पूर्ण होना सूचित किया गया। इन 59 जल संग्रहण परियोजनाओं के पूर्णता प्रतिवेदनों में कृषि योग्य भूमि में 3360.136 हेक्टेयर उद्यानिकी भूमि में 3686.042 हेक्टेयर बढ़ोत्तरी एवं खेती योग्य बंजर भूमि में 1645.153 हेक्टेयर, पड़त भूमि में 3738.039 हेक्टेयर, गोचर भूमि में 780.224 हेक्टेयर, ऊसर भूमि में 755.60 हेक्टेयर एवं वन भूमि में 127.162 हेक्टेयर कम होना बताया गया।

6 सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम विकास खण्ड जहाँ पर ये सभी परियोजनाएँ स्थित हैं, अधीक्षक भू-अभिलेख के अभिलेखों में 2001 एवं 2004 के भूमि वर्गीकरण का जाँच किया गया। राजस्व अभिलेख में भूमि के वर्गीकरण एवं सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम प्रथम चरण के अंतर्गत भारत सरकार को प्रतिवेदित की गयी उपलब्धियों की तुलना में विपरीत प्रवृत्ति देखी गई जैसे जल संग्रहण के अंतर्गत 3360.136 हेक्टेयर कृषि भूमि की प्रतिवेदित बढ़ोत्तरी के विरुद्ध 837 हेक्टेयर शुद्ध बुआई क्षेत्र राजस्व अभिलेख में कम होना बताया गया, 2001-04 के दौरान राजस्व अभिलेख में बंजर भूमि/ऊसर भूमि के कुल क्षेत्र में 2962 हेक्टेयर (चालू पड़त भूमि 722 हेक्टेयर, पुरानी पड़त भूमि 310 हेक्टेयर, बंजर भूमि 1898 हेक्टेयर, ऊसर भूमि 32 हेक्टेयर) की बढ़ोत्तरी हुई जबकि भारत सरकार को प्रतिवेदित पूर्णता प्रतिवेदन में 6138.792 हेक्टेयर क्षेत्र (बंजर भूमि 1645.153 हेक्टेयर, पड़त भूमि 3738.039 हेक्टेयर, ऊसर भूमि 755.600 हेक्टेयर) दर्शाया गया था। इस प्रकार भारत सरकार को प्रतिवेदित उपलब्धियाँ भू-राजस्व अभिलेखों में प्रतिबिम्बित नहीं हुई।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जगदलपुर ने बताया कि राजस्व अभिलेखों में बदलाव को अंकित करने हेतु परियोजना अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। दोनों समूहों के अभिलेखों में पूर्णतः भिन्न तथ्यों का पुनर्मिलान आवश्यक था।

3.3.9 प्रशिक्षण

प्रशिक्षण निधियों का व्यपवर्तन

दो परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों (दुर्ग एवं राजनांदगाँव) में यह देखा गया कि 2001-06 के दौरान प्रशिक्षण पर किया गया 35 लाख रुपये (दुर्ग 4 लाख रुपये एवं राजनांदगाँव 31 लाख रुपये) का व्यय वास्तविक रूप से व्यपवर्तित किया गया तथा नाम फलक (साइन बोर्ड), सब्जी बीज, रसायन, मछली खाद्य, मछली बीज एवं धुआँ रहित चूल्हा आदि की खरीद पर उपयोग किया गया।

3.3.10 अभिलेखों का संधारण न किया जाना

दिशा निर्देश के अनुसार जल संग्रहण स्वेच्छाकर्मी लेखा अभिलेखों के संधारण एवं किए गए कार्यों के माप के लिए जिम्मेदार थे।

रायपुर एवं जगदलपुर के सात परियोजनाओं में 4.09 करोड़ रुपये का व्यय उपस्थिति नामावली के भाग-II में कार्य की प्रगति/कार्य का माप लिए बिना, जैसा कि निर्धारित है, किया गया जबकि 111 जल संग्रहण परियोजनाओं में कार्यों का माप रखा गया था। परिणामस्वरूप भुगतान की यथार्थता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

माप को दर्ज किए बिना
4.09 करोड़ रुपये का
व्यय

शासन के अनुदेशों (मार्च 1996) के अनुसार जिला पंचायतों (11 पंजियाँ), परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण (14 पंजियाँ) एवं जल संग्रहण समिति (17 पंजियाँ) को पंजियों का संधारण करना था। जिला पंचायत रायपुर, दुर्ग, कोरबा तथा इनके परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण एवं जल संग्रहण समिति में सभी स्तर पर निर्धारित पंजियों का संधारण या तो नहीं किया गया या अपूर्ण था। निर्माण कार्य पंजियों में आवश्यक विवरणों के अभाव में किए गए कार्यों की प्रमाणिकता सत्यापित नहीं किया जा सकी।

इसी प्रकार हितग्राहियों एवं प्रयोक्ता समूहों द्वारा दिए गए अंशदानों को सुनिश्चित करने के लिए हितग्राहियों द्वारा किए गए अंशदान का विवरण देते हुए जल संग्रहण विकास निधि पंजी का संधारण नहीं किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने दुर्ग एवं कोरबा में अभिलेखों के संधारण/पूर्ण करने हेतु परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण एवं जल संग्रहण समिति को निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।

यद्यपि वर्ष 2004-05 के भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (कंडिका क्र. 4.4.1) में जल संग्रहण के लिए श्रमिकों की मजदूरी से कटौती की जाने पर टिप्पणी की गयी थी, राजनांदगाँव में यही प्रक्रिया अपनायी जा रही थी।

3.3.11 परिवीक्षण एवं पर्यवेक्षण

राज्य स्तर पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता एवं समानुरूप विभागों के अन्य प्रतिनिधियों के अधीन राज्य जल संग्रहण विकास समिति द्वारा जल संग्रहण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का परिवीक्षण किया जाना था। जल संग्रहण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति का पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन और परिवीक्षण तथा मूल्यांकन करने के लिए समिति की एक वर्ष में दो बार बैठकें आयोजित होनी थीं। जिला स्तर पर जल संग्रहण विकास कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करने हेतु जिला जल संग्रहण विकास समिति का गठन करना था। राज्य स्तर पर पर्यवेक्षण समिति का गठन नहीं किया गया तथा चयनित जिलों में केवल राजनांदगाँव में समिति को कार्यरत पाया गया।

यह देखा गया कि 71 एनडब्ल्यूडीपीआर¹³ परियोजनाओं का क्रियान्वयन समानान्तर रूप से 29 सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम विकास खण्डों एवं 24 विकास खण्डों जहाँ पर समकेत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम जल संग्रहण कार्यक्रम संचालित थे, में किया जा रहा था। यह ग्रामीण विकास एवं कृषि विभाग के मध्य अपर्याप्त समन्वय के कारण दोहरा क्रियान्वयन सूचित करता है।

3.3.12 निष्कर्ष

अपर्याप्त आयोजनागत परियोजना के द्वारा जल संग्रहण परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा था। परियोजना का चयन त्रुटिपूर्ण था एवं कुछ परियोजनाओं का चयन ऐसे क्षेत्रों में किया गया जो इसके योग्य नहीं थे। जल संग्रहणों के उचित विकास के लिए आवश्यक निर्धारित अनुक्रम में घटकों का क्रियान्वयन नहीं किया गया। कार्यक्रम का क्रियान्वयन सीमित क्षेत्र में किया गया, मुख्य ध्यान जल संवर्धन उपायों के अंतर्गत संरचना के निर्माण पर दिया गया तथा अन्य घटकों को आंशिक रूप से शामिल किया गया या पूर्ण रूप से उपेक्षित कर दिया गया था। कई पूर्ण परियोजनाओं को जल

¹³ कृषि मंत्रालय की जल संग्रहण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल संग्रहण परियोजना

संग्रहण समितियों को हस्तांतरित नहीं किया गया। निर्धारित अभिलेखों का उचित संधारण नहीं किया गया। कार्यक्रम में शामिल अनेक विकास खण्डों में सूखे की निरंतरता के द्वारा सूक्ष्म स्तर पर सीमित प्रभावकारिता परिलक्षित हुई।

3.3.13 अनुशंसाएँ

- परियोजनाओं की योजनाओं को उचित वैज्ञानिक एवं तकनीकी साधनों के साथ तैयार किया जाना चाहिए।
- जल संग्रहण परियोजनाओं में ग्रामों के चयन को बंजर भूमि की प्रतिशत के आधार पर प्राथमिकता दी जाना चाहिए।
- जल संग्रहण के आकार को सीमित करने हेतु निर्धारित 500 हेक्टेयर के अनुकूलतम आकार के ऊपर एवं नीचे की उपयुक्त सीमा निर्दिष्ट की जानी चाहिए।
- जल विभाजक से घाटी पद्धति अपनाकर एवं निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार विभिन्न श्रेणी के कार्यों को निर्धारित अनुक्रम में कराया जाना चाहिए।
- अतिव्याप्ति को रोकने तथा व्यापक दृष्टिकोण से जल संग्रहण के विकास के लिए गतिविधियों का समन्वय कृषि विभाग के साथ होना चाहिए।

इन अनुशंसाओं पर निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2006) में चर्चा की गयी एवं शासन उचित कार्यवाही के लिए सहमत हुआ।

राजस्व विभाग

3.4 भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (भुईयां)

मुख्यांश

भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना, इसके प्रारंभ होने के सत्रह वर्षों के बाद भी इस अवस्था में पहुँचने में विफल रही जिससे कि हस्तचालित पद्धति को प्रतिस्थापित किया जा सके। कम्प्यूटर प्रणाली की सूचनाओं में भरपूर त्रुटियाँ थीं और महत्वपूर्ण विवरण लुप्त थे। आँकड़ों (डेटा) को उचित रूप से अद्यतनीकृत नहीं किया गया ऐसे में कम्प्यूटर पद्धति से सृजित अधिकार अभिलेख विश्वसनीय नहीं थे। प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग नहीं किया गया और योजना के लिए क्रय की गई सामग्रियाँ (हार्डवेयर) अनुपयोगी पड़े रहे। योजना की असफलता के कारण और इसमें देखी गई कमियाँ अनुवर्ती कंडिकाओं में बतलाई गई हैं।

विभाग 6.24 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का उपयोग करने में असफल रहा, वर्ष 2001-02 के दौरान प्राप्त राशि 1.57 करोड़ रुपये आवंटन में निर्दिष्ट उद्देश्य के अतिरिक्त व्यपवर्तित किया गया, 4.40 करोड़ रुपये को व्यपगत होने से बचाने के लिए अनियमित रूप से आहरित कर नकद/बचत खाता में रखे गये और अव्यतित शेष के बावजूद उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजे गये।

(कंडिका 3.4.6)

साफ्टवेयर पर परिहार्य व्यय रु. 24 लाख, हार्डवेयर पर निष्फल व्यय 22.57 लाख रुपये, एवं अपात्र व्यक्तियों को हार्डवेयर का व्यपवर्तन किया जाना। डेटा प्रविष्टि कार्य हेतु निजी संस्थाओं (फर्मों) को अनुचित लाभ रु. 2.47 करोड़, खसरा एवं खतौनी के अंतिम मुद्रित प्रतियों पर निष्फल व्यय रु. 1.29 करोड़ और भूमि के नक्शों के अंकीकरण पर निष्फल व्यय 45.68 लाख रुपये।

(कंडिका 3.4.7)

डेटा की संपूर्णता एवं सत्यता को सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली में पर्याप्त नियंत्रण की व्यवस्था नहीं की गई जिसके कारण डेटा अविश्वसनीय था। विभाग द्वारा प्रणाली की परिकल्पना में पर्याप्त नियंत्रण निर्धारित नहीं किये गये। साफ्टवेयर का परीक्षण एवं जाँच नहीं किया गया और न ही इसे प्रलेखित किया गया था। डेटा की वैधता एवं भू-अभिलेखों के उपबंधों से जोड़ने हेतु कोई अंतर्निमित्त नियंत्रण नहीं थे।

(कंडिका 3.4.8)

निजी संस्थाओं द्वारा संगणित डेटा में खाली स्थान और भरपूर त्रुटियाँ थीं जिसके कारण प्रणाली से अधिकार अभिलेख का सृजन जोखिम भरा एवं अशुद्धता से युक्त था। इसके अतिरिक्त अमान्य संकेतक, स्थापित डेटा में भिन्नता, दोहरे खाते और सहायक नस्तियों में विसंगतियाँ देखी गई थीं।

(कंडिका 3.4.9)

नमूना जांच किये गये जिलों के कम्प्यूटरीकृत डेटा में नियमित अद्यतन नहीं किया गया था और तहसील प्रणालियों में प्रारंभिक डेटा स्थापना के उपरांत बमुश्किल कोई अद्यतनीकरण हुआ था।

(कंडिका 3.4.10)

पर्याप्त सामान्य नियंत्रण जैसे कर्तव्यों का पृथक्करण, अभिगमन नियंत्रण, पासवर्ड नीतियाँ और निर्गत पर नियंत्रण का अभाव इत्यादि भी लेखापरीक्षा में देखे गये।

(कंडिका 3.4.11)

पुनः प्राप्ति (रिकवरी), पीठ मुद्रण प्रति (बैंक-अप) और वाइरस रोधक योजनाओं का उचित रूप से निर्धारण एवं अनुसरण नहीं किया गया।

(कंडिका 3.4.12)

बिलासपुर जिले में ई-संगवारी के रूप में एक अनियंत्रित ई-शासन (ई-गवर्नेंस) पहल देखी गई। इन केन्द्रों से अधिकार अभिलेख जारी करने की व्यवस्था को शासन/विभाग द्वारा उचित रूप से प्राधिकृत नहीं किया गया था।

(कंडिका 3.4.15)

3.4.1 प्रस्तावना

हस्तचालित प्रणाली के संधारण एवं अद्यतन में अंतर्निहित कठिनाईओं से उबरने एवं भू-स्वामियों को उचित मूल्य पर कम्प्यूटरीकृत अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्र शासन द्वारा एक शत प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित योजना भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण वर्ष 1988-89 में प्रारंभ की गई थी। योजना के अंतर्गत भू-अभिलेखों में गति, परिशुद्धता, पारदर्शिता, विवाद समाधान और ऑन लाइन प्रबंधन प्रदान करना था। योजना प्रथमतः वर्ष 1988-89 में पूर्ववर्ती राज्य मध्य प्रदेश में आरंभ की गई थी और छत्तीसगढ़ राज्य में इसे नवंबर 2002 में भुईयाँ नाम से पुनः आरंभ किया गया था।

यद्यपि मूल योजना में भू-विवरणों का अंकीकरण, स्वामित्व विवरण, फसल प्रकार, ग्रामीण क्षेत्र पुस्तिका इत्यादि का कम्प्यूटीकरण शामिल था, केवल दो कार्य ग्रामीण क्षेत्र पुस्तिका (पी-11¹ या खसरा पाँचसाला पंजी) और स्वामित्व विवरण (बी-1² या खतौनी पंजी) ही कम्प्यूटीकरण हेतु लिये गये जो कि मुख्यतः भू-स्वामियों को उनके माँग पर अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु उपयोगी था।

विन्डोज मंच पर कार्य करने हेतु क्लाइंट एवं सर्वर पर आधारित अनुप्रयोग का विकास अग्रभाग पर विजुअल बेसिक और पृष्ठ भाग पर एस.क्यू.एल³। सर्वर के लिए रूपांकित

¹ इस पंजी में व्यक्तिगत भूमि विवरण बढ़ते क्रम में खसरावार अभिलिखित किये जाते हैं। पंजी पाँच वर्षों के लिए संधारित की जाती हैं।

² इस पंजी में सूचना भू-स्वामीवार एवं वर्णक्रमानुसार आबंटित खाता क्रमांक के अनुरूप अभिलिखित किये जाते हैं। इसे खतौनी या बी-1 भी कहते हैं।

³ स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लागू।

किया गया था। पैतृक डेटा की स्थापना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) छत्तीसगढ़ द्वारा की गई थी। आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एवं बायोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स⁴) के मध्य एक समझ का ज्ञापन पत्र (एम.ओ.यू.) नवंबर 2002 में योजना हेतु सहायता प्रदान करने जैसे योजना बनाना, क्रियान्वयन, प्रणाली अध्ययन, समाधान परिकल्पना, निविदा इत्यादि के लिए किया गया था।

भारत सरकार की योजना सत्रह वर्षों से (11^{1/2} वर्ष मध्य प्रदेश में और 5^{1/2} वर्ष छत्तीसगढ़ में) क्रियान्वयन की स्थिति में ही थी और इस पर मार्च 2006 तक छत्तीसगढ़ के अधीन जिलों में रु. 13.91 करोड़ का व्यय किया जा चुका था।

3.4.2 योजना के उद्देश्य

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार थे :

- भू-अभिलेखों के संधारण और सिंचित सुविधाओं के निर्माण, प्राकृतिक आपदाओं, भू-स्वामित्व के सुदृढीकरण, वैधानिक और स्वामित्व परिवर्तन, बटवारा, भू-अर्जन, पट्टा इत्यादि के कारण हुए परिवर्तनों हेतु अद्यतन की सुविधा प्रदान करना।
- भू-अभिलेख डेटा का लम्बे समय तक संचय माध्यमों में सुरक्षा तथा सूचना का शीघ्र एवं प्रभावी पुनः प्राप्ति करना।
- भू-अभिलेखों को छेड़छाड़ से बचाने हेतु व्यापक सुरक्षा प्रदान करना।
- भू-सूचना प्रणाली निर्मित करना और प्रभावी भूमि सुधारों, राजस्व प्रशासन और विकास हेतु आँकड़ा आधार (डेटा बेस) प्रदान करना।
- भू-राजस्व का संग्रहण और फसल प्रकार आदि के परिशुद्ध वार्षिक अभिलेख तैयार करने एवं अभिलिखित करने की सुविधा प्रदान करना।
- परिशुद्ध और सामयिक अधिकार अभिलेख की प्रतियाँ (खसरा और खतौनी) भू-स्वामियों को प्रदान करना।

3.4.3 संगठनात्मक संरचना

सचिव, राजस्व-सह-आयुक्त, भू-अभिलेख राज्य स्तरीय कार्यान्वयन प्राधिकारी है। जिलाधीश/अतिरिक्त जिलाधीश/उप-जिलाधीश/सहायक जिलाधीश/अधीक्षक भू-अभिलेख जिला स्तर पर और सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख विभागीय स्तर पर नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित है। हस्तचालित एवं कम्प्यूटर प्रणाली दोनों में तहसीलदार (प्रशासक) उनके अधिकार क्षेत्र में भू-अभिलेखों के अद्यतिकरण एवं संधारण हेतु उत्तरदायी है, राजस्व निरीक्षक (व्यवहार अनुमोदक) पटवारी के कार्य का पर्यवेक्षण तथा पटवारी (डेटा प्रविष्टि एवं संधारण) अपने हल्के से संबंधित सभी प्रकार के भू-अभिलेखों के संधारण हेतु मुख्य कार्यकर्ता है।

⁴ छत्तीसगढ़ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के अधीन जनवरी 2001 में पंजीकृत संस्था।

3.4.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

योजना की लेखापरीक्षा, निम्न मूल्यांकन हेतु की गई थीं:

- (i) राज्य में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण का स्तर।
- (ii) हार्डवेयर/साफ्टवेयर क्रय, इसकी उपयोगिता एवं कार्मिक प्रशिक्षण में दक्षता।
- (iii) कम्प्यूटरीकृत डेटा बेस की भू-सुधारों, प्रशासन एवं विकास कार्यों हेतु प्रभावी उपयोगिता।
- (iv) डेटा संग्रहण, अद्यतनीकरण, संधारण, सुरक्षा और मान्यता की दक्षता।
- (v) भू-स्वामियों को जारी अधिकार अभिलेखों की परिशुद्धता।

3.4.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, छः⁵ जिलाधीश कार्यालयों, चिप्स और राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के वर्ष 1999-2000 से 2005-06 तक के अभिलेखों की जाँच अप्रैल 2006 से जुलाई 2006 के मध्य की गई थी। 19⁶ तहसीलों (98 तहसीलों में से जहाँ योजना कार्यान्वित है) के डेटाबेस का विश्लेषण कम्प्यूटर सहायता प्राप्त लेखापरीक्षा तकनीक (सी.ए.ए.टी.) द्वारा एस.क्यू.एल. के उपयोग से किया गया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

3.4.6 केन्द्र की राशियों का अविवेकपूर्ण उपयोग

कार्य के एक जिले में पूर्ण होने तक योजना शत प्रतिशत केन्द्र शासन द्वारा वित्त पोषित थीं। बाद में केन्द्रीय सहायता बंद होनी थी तथा राज्य शासन को योजना के संधारण एवं निरंतरता हेतु खर्च वहन करना था। तदनुसार केन्द्रीय सहायता वर्ष 2002-03 के बाद बंद कर दी गई। भारत शासन द्वारा वर्ष 1999-2006 के दौरान रू. 14.64 करोड़ स्वीकृत किये गये जिसमें से रू. 6.25 करोड़ (सितम्बर 2006 तक) खर्च नहीं किये जा सके। राज्य शासन ने भी वर्ष 2003-06 के दौरान रू. 6.40 करोड़ स्वीकृत किये जिसमें से रू. 0.88 करोड़ समर्पित कर दिये गये।

⁵ बस्तर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा।

⁶ जगदलपुर, केशकाल और कोण्डागाँव (बस्तर); बिलासपुर, मरवाही और पेण्डारोड़ (बिलासपुर); धमतरी और कुरुद (धमतरी); बालोद, दुर्ग, गुण्डरदेही और पाटन (दुर्ग); अभनपुर, आरंग, गरियाबंद, रायपुर और राजिम (रायपुर); अम्बिकापुर और सूरजपुर (सरगुजा)।

3.4.6.1 केन्द्र की राशियों का उपयोग न करना

केन्द्र द्वारा प्रदत्त राशि रु. 6.24 करोड़ का उपयोग नहीं किया जा सका

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि राज्य स्तरीय निगरानी कक्ष की स्थापना, 16 जिलों में डेटा केन्द्र, 63 उप-संभागों के कम्प्यूटीकरण और 98 तहसीलों के कम्प्यूटर प्रणाली के उन्नयन हेतु प्रस्ताव सितम्बर 2004 में केन्द्र शासन को प्रेषित किया गया था। प्रस्ताव के विरुद्ध केन्द्र शासन द्वारा वर्ष 2004-06 के दौरान रु. 6.24 करोड़ जारी किये गये थे। चूंकि विभाग द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा सका इसलिए इसे समय-समय पर केन्द्र शासन द्वारा पुनः वैधीकृत किया गया। वर्ष 2006-07 हेतु पुनः वैधीकरण करने के पश्चात् भी राशि रु. 6.24 करोड़ में से एक रूपया भी खर्च करने में विभाग विफल रहा और दो वर्षों के बाद भी राज्य स्तरीय निगरानी कक्ष, जिलों में डेटा केन्द्रों की स्थापना और उप संभागों के कम्प्यूटीकरण में विभाग विफल रहा। विभाग द्वारा कोई सटीक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और सरलता से कहा गया (सितम्बर 2006) कि केन्द्र शासन के पुनः वैधीकरण के बावजूद राज्य के वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त नहीं की गई।

3.4.6.2 बिना आवश्यकता के निधियों का अग्रिम आहरण

निधियों को व्यपगत होने से बचाने हेतु अग्रिम आहरण 4.40 करोड़ रूपये

छः जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि निधियों को व्यपगत होने से बचाने के उद्देश्य से मार्च 1999 से फरवरी 2005 के मध्य रु. 4.40⁷ करोड़ रूपये अनियमित रूप से आहरित की गई और इसके विरुद्ध व्यय बाद के वर्षों में किया गया। इसमें से रु. 4.80⁸ लाख (जुलाई 2006) जिलाधीशों के पास नकद/बचत बैंक खाता में अव्यतित पड़े थे। इस प्रकार बिना आवश्यकता के निधियों के आहरण के फलस्वरूप शासकीय धन अवरूद्ध रहा और उसे शासकीय खाते से बाहर रखना वित्तीय नियमों का उल्लंघन था।

3.4.6.3 केन्द्रीय सहायता का व्यपवर्तन

केन्द्रीय सहायता राशि रु. 1.57 करोड़ का बिना अनुमति व्यपवर्तन

आयुक्त, भू-अभिलेख के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि सितम्बर 2001 में केन्द्र शासन द्वारा जारी रु. 1.57 करोड़ कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों के केन्द्रीकृत निविदा द्वारा क्रय हेतु प्रयुक्त किया जाना था जिसे मार्च 2002 में 16 जिलों को डेटा प्रविष्टि एवं लेखन सामग्री के विरुद्ध छः निजी संस्थाओं को भुगतान करने हेतु जारी किया गया जिसके परिणामस्वरूप राशि का व्यपवर्तन बिना केन्द्र के अनुमति के किया गया। इसके अलावा आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा सितम्बर 2003 में केन्द्र शासन को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण-पत्र में यह दर्शाया गया था कि पूर्ण राशि का उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्य हेतु किया गया जिस हेतु वह स्वीकृत था।

अव्यतित शेष के होते हुए केन्द्र शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा गया

उसी प्रकार, केन्द्र शासन द्वारा फरवरी 2003 में राजस्व कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु रु. 32.34 लाख स्वीकृत किये गये थे। रु. 15.68 लाख की अव्यतित राशि होते हुए, आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा सितम्बर 2003 में रु. 32.34 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र

⁷ बस्तर: रु. 32.92 लाख, बिलासपुर: रु. 133.83 लाख, धमतरी: रु. 13.88 लाख, दुर्ग: रु. 77.19 लाख, रायपुर: रु. 142.35 लाख और सरगुजा: रु. 31.59 लाख

⁸ धमतरी: रु. 1.31 लाख, रायपुर: रु. 3.06 लाख और सरगुजा: रु. 0.43 लाख,

केन्द्र शासन को यह दर्शाते हुए भेजा गया था कि पूर्ण राशि निर्दिष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग की गई जिसके लिए वह स्वीकृत था। इस प्रकार से केन्द्र शासन को तथ्य को गलत तरह से प्रतिवेदित किया गया था।

3.4.7 अर्जन एवं क्रियान्वयन

यद्यपि एम.ओ.यू. के अनुसार चिप्स को योजना बनाने, क्रियान्वयन, प्रणाली अध्ययन, परिकल्पना इत्यादि हेतु सहायता प्रदान करना था किन्तु लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि निविदा को छोड़कर विभाग चिप्स की अन्य सेवाओं का उपयोग नहीं कर सका। यह भी देखा गया कि केन्द्र शासन और अध्ययन दल द्वारा केन्द्रीकृत क्रय की अनुशंसा की गई थी किन्तु जिलाधीशों द्वारा विभिन्न निर्मित, प्रतिकृति और समाकृति के मशीनों का क्रय किया गया। इस प्रकार से विभाग सभी जिलों के लिए केन्द्रीकृत क्रय द्वारा प्रमापित विशिष्टियाँ सुनिश्चित करने और थोक आदेश पर प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव तथा छूट का लाभ लेने में विफल रहा; मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार है:

3.4.7.1 साफ्टवेयर क्रय पर परिहार्य व्यय रु. 24.00 लाख

साफ्टवेयर के गलत आकलन से रु. 24 लाख का परिहार्य व्यय

योजना के क्रियान्वयन हेतु तीन तहसीलों (कोण्डागाँव (बस्तर), मरवारी (बिलासपुर), और पाटन (दुर्ग)) में चिप्स द्वारा नवंबर 2002 में एक साफ्टवेयर जो कि सक्रिय नक्शों, भौगोलिक सूचना प्रणाली डेटा को वेब सेवाओं के द्वारा विकसित करने हेतु उपयोगी था अनुशंसित किया गया। इस साफ्टवेयर की तीन प्रतियाँ, आर्क आई.एम.एस. (इंटरनेट मेप सर्वर 5.0), अक्टूबर 2002 में रु. 8.00 लाख प्रति नग की दर से क्रय किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो तहसीलों में प्रतियाँ बिना उपयोग के व्यर्थ पड़ी हुई थीं और मरवाही (बिलासपुर) का साफ्टवेयर जनवरी 2004 में चिप्स को दिया गया था। यह भी देखा गया था कि चिप्स और तहसीलों के पास साफ्टवेयर चलाने हेतु तकनीकी योग्यता वाली जनशक्ति उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा साफ्टवेयर पूर्तिकर्ता के निशुल्क प्रशिक्षण प्रस्ताव का भी उपयोग नहीं किया गया परिणामस्वरूप साफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया जा सका।

इंगित करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स द्वारा बताया गया कि यह चिप्स की गलती नहीं है, साफ्टवेयर की अनुशंसा क्रय हेतु की गई थी किन्तु विभाग इसके क्रय करने अथवा न करने हेतु स्वतंत्र था। उत्तर बनावटी था क्योंकि चिप्स शुरुआत से ही योजना से संबद्ध था और इस तथ्य के बाद भी कि उसके पास भी कोई तकनीकी अनुभव नहीं था, उसकी अनुशंसा पूरी तरह अविश्वसनीय थी। इस प्रकार साफ्टवेयर आवश्यकताओं के गलत निर्धारण से रु. 24.00 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

3.4.7.2 हार्डवेयर क्रय पर निष्फल व्यय 22.57 लाख रुपये

हार्डवेयर क्रय पर रु. 22.57 लाख का निष्फल व्यय

विभाग द्वारा तीन⁹ स्पर्शपटल (टच स्क्रीन), 104 स्कैनर और अन्य उपकरण रु. 11.92 लाख की लागत से क्रमशः भू-स्वामियों को स्पर्शपटल पर भू-अभिलेखों के तत्क्षण अवलोकन, नामांतरण प्रलेख स्कैन करने और इंदिरा सूचना शक्ति केन्द्रों से सम्पर्क स्थापित कर सुदूर ग्रामीणों को कम्प्यूटरीकृत अधिकार अभिलेख उनके द्वार पर प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्रय किया गया था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि उक्त सामग्रीयाँ उनके स्थापना के समय (नवम्बर 2002) से बेकार पड़े हुए थे। कोण्डागाँव (बस्तर) के इंदिरा सूचना शक्ति केन्द्रों के लिए 18 स्कैनर दिये गये थे जो कि उनके बंद (जून 2004) होने के बावजूद भी वापस नहीं लिए गये। यह भी देखा गया कि 24 कम्प्यूटर (लागत 7.77 लाख रुपये) और दो सर्वर (लागत 2.88 लाख रुपये) भी नमूना जांच किये गये तहसीलों में बेकार पड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त 19 तहसीलों में से 17 तहसीलों में (आरंग और राजिम को छोड़कर) नेटवर्क स्थापित नहीं था जिससे सूचना के अदान प्रदान का उद्देश्य विफल रहा। इस प्रकार, कुल व्यय 22.57 लाख रुपये निष्फल था।

3.4.7.3 अपात्र व्यक्तियों को कम्प्यूटरों का व्यपवर्तन

रायपुर जिले में योजना हेतु क्रय किये गये आठ कम्प्यूटर, पाँच लेजर प्रिंटर, चार डाट मैट्रिक्स प्रिंटर और दो यू.पी.एस. अन्य अपात्र व्यक्तियों को व्यपवर्तित कर दिये गये जैसे जिलाधीश के वाचक, जिलाधीश के आशुलिपिक, अतिरिक्त जिलाधीश के आशुलिपिक, राजस्व मंत्री, अतिरिक्त जिलाधीश (राजस्व) के आशुलिपिक, संसद सदस्य रायपुर, सी.बी.आई. और निर्वाचन शाखा। इसके अतिरिक्त तहसीलों से संबंधित नौ¹⁰ कम्प्यूटर कमीशनरी में स्थापित पाये गये। इस प्रकार योजना के लिए क्रय किये गये हार्डवेयर का उपयोग अभीष्ट उद्देश्यों हेतु नहीं किया गया था।

3.4.7.4 निजी संस्थाओं को डेटा प्रविष्टि कार्य हेतु अनुचित लाभ 2.47 करोड़ रुपये।

आधार वर्ष 1999 हेतु 98 तहसीलों के खसरा और खतौनी पंजी के डेटा अधिग्रहण का कार्य तीन¹¹ निजी संस्थाओं को मई-अगस्त 2002 के दौरान सौंपा गया और इन्हीं संस्थाओं को आधार वर्ष 2002 तक अद्यतन का कार्य भी सितम्बर 2002 में सौंपा गया। नमूना जांच जिलों में यह बताया गया था कि डेटा प्रविष्टि कार्य 2.03 करोड़ रुपये और अद्यतनीकरण कार्य 1.71 करोड़ रुपये की लागत से क्रमशः अगस्त 2003 एवं मई 2004 तक पूर्ण किया गया। तथापि लेखापरीक्षा जांच में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये:-

- डेटा प्रविष्टि के भुगतान हेतु समान मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये और समान कार्य के लिए दरों में 1.95 से 2.15 रुपये प्रति प्रविष्टि की भिन्नता थी।

खसरा और खतौनी के डेटा पूर्ण रूप से एकत्र नहीं किए गए

⁹ प्रत्येक तहसील कोण्डागाँव (बस्तर), मरवाही(बिलासपुर) और पाटन (दुर्ग) के लिए एक-एक ।

¹⁰ बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जांजगीर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, रायगढ़ और सरगुजा से एक-एक कम्प्यूटर प्रणाली।

¹¹ बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर के लिए मैसर्स सोलीटेयर काम्पटेक प्रा.लि. ग्वालियर (म.प्र.), सरगुजा के लिए मैसर्स पंचशील साफ्टवेयर, भोपाल (म.प्र.) और धमतरी के लिए मैसर्स विवेकानंद कम्प्यूटर संस्थान, विदिशा (म.प्र.)।

- खसरा पंजी के प्रथम चार¹² और खतौनी पंजी के प्रथम आठ¹³ स्तंभों का डेटा ही लिया गया था। उपरोक्त पंजियों के शेष 23 स्तंभों के महत्वपूर्ण डेटा जैसे फसल और वर्ष के अन्त तक वसूले गये, जमा किये गये एवं शेष राजस्व के विवरण तथा राजस्व वर्ष की समाप्ति के पश्चात् वसूली के विवरण नहीं लिए गए थे।
- यद्यपि डेटा प्रविष्टि के सत्यापन का उत्तरदायित्व संबंधित पटवारी का था जिसकी जांच बाद में राजस्व निरीक्षक, अधीक्षक भू-अभिलेख और आकस्मिक जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आवर्धित की जानी थी, डेटा की पूर्णता और शुद्धता की जांच किए बगैर पूर्ण भुगतान कर दिये गये।

इस प्रकार शासकीय विनियमों, सिद्धांतों की सत्यता और वित्तीय दूरदर्शिता का अतिक्रमण करते हुए निजी संस्थाओं को 2.47 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान किया गया था

3.4.7.5 अपूर्ण डेटा स्थापना (पोर्टिंग)

कम्प्यूटर प्रणाली में 26 गांवों का डेटा स्थापित नहीं किया गया था

यह देखा गया कि अम्बिकापुर, गरियाबंद और पाटन तहसीलों के 26 गांवों के डेटा (अम्बिकापुर-6 गरियाबंद-15 और पाटन-5) जुलाई 2006 तक कम्प्यूटर प्रणाली में स्थापित नहीं थे। इसे इंगित किये जाने पर तहसीलदार गरियाबंद और पाटन ने कहा (जून 2006) कि इसका परीक्षण किया जावेगा और अधीक्षक भू-अभिलेख, सरगुजा ने कहा (जुलाई 2006) कि डेटा स्थापित करने हेतु एन.आई.सी. से अनुरोध किया गया है। इस प्रकार इन 26 गांवों के संबंध में कम्प्यूटरीकृत अधिकार अभिलेख जारी किया जाना संभव नहीं था।

3.4.7.6 निजी फर्मों की खसरा और खतौनी प्रपत्रों के प्रिंटआउट पर निष्फल व्यय रु. 1.29 करोड़

रु. 1.29 करोड़ के खसरा और खतौनी के अंतिम प्रिंटों का उपयोग नहीं किया गया

खसरा और खतौनी के अंतिम डेटा का प्रिंटआउट, डेटा प्रविष्टि करने वाली फर्मों से तीन प्रतियों में दो बार (आधार वर्ष 1999 एवं सितम्बर 2002 हेतु) लिया गया जिन्हें संबंधित तहसील कार्यालय, ग्राम पंचायत और पटवारियों को वितरित किया जाना था और पटवारियों द्वारा उक्त मुद्रित प्रतियों पर ही आगामी शुद्धीकरण/सुधार किया जाना था। राजस्व वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व उन्हें डेटा का स्वच्छ प्रिंट भी लेना था ताकि वर्ष के दौरान हुई प्रविष्टियों को दर्ज किया जा सके। यह देखा गया कि अंतिम डेटा प्रिंटआउट के लिए रु. 1.29¹⁴ करोड़ का भुगतान निजी फर्मों को किया गया जो कि जिलों या तहसील में बेकार पड़े हुए थे। इस प्रकार उक्त मुद्रित प्रतियों को प्राप्त करने का उद्देश्य पूरी तरह विफल होने की वजह से व्यय निष्फल था। इसके आगे, अनुबंध के अनुसार

¹² खसरा क्रमांक, क्षेत्र, भू-स्वामी/पट्टेदार का नाम, पिता का नाम और पता।

¹³ खाता क्रमांक, भू-स्वामी/पट्टेदार का नाम, खाता विवरण, भू-स्वामी द्वारा धारित भूमि और क्षेत्र, राजस्व विवरण जैसे किश्त, भू-राजस्व, उपकर और योग।

¹⁴ बस्तर: रु. 12.28 लाख; बिलासपुर: रु. 24.62 लाख; धमतरी: रु. 0.40 लाख; दुर्ग: रु. 30.38 लाख; रायपुर: रु. 36.92 लाख और सरगुजा: रु. 24.78 लाख।

प्रत्येक गांव के लिए *मिलान खसरा*¹⁵ की मुद्रित प्रति भी डेटा प्रविष्टि फर्म से प्राप्त किया जाना था। यह देखा गया कि *मिलान खसरा* की मुद्रित प्रति प्राप्त किये बिना फर्मों को भुगतान कर दिया गया, *मिलान खसरा* के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि खसरा के सभी स्तंभ डेटा प्रविष्टि के दौरान फर्मों द्वारा भरे गये थे।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा खसरा एवं खतौनी के खाली प्रपत्रों के मुद्रण पर वर्ष 2004-06 के दौरान रु. 8.95¹⁶ लाख का व्यय किया गया था जिस पर पटवारियों द्वारा हस्तचालित पद्धति में भू-अभिलेखों का संधारण किया जा रहा था और दो प्रतिवेदन नामतः *मिलान खसरा* एवं *जिन्सवार*¹⁷ प्रतिवेदन भी हाथ से बनाये और संकलित किये जा रहे थे। इस प्रकार भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के वाबजूद कोई भी अतिरिक्त लाभ इन प्रतिवेदनों के सृजन हेतु नहीं लिया गया और सभी व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु हस्तचालित पद्धति ही प्रचलन में थी।

3.4.7.7 नक्शों के अंकीकरण पर निष्फल व्यय

रु. 45.68 लाख के नक्शों का साफ्टवेयर स्थापित नहीं किया गया

वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के दो जिलों (रायपुर और सरगुजा) में खसरा क्रमांक को दर्शाते हुए कम्प्यूटरीकृत स्थानीय नक्शों ग्रामीणों को प्रदान करने के उद्देश्य से एक केंद्र प्रवर्तित प्रायोगिक योजना "*भू-नक्शों का अंकीकरण*" का आरंभ पूर्ववर्ती राज्य मध्य प्रदेश में आयुक्त, भू-अभिलेख मध्य प्रदेश द्वारा वर्ष 1998-99 में किया गया था। समुचित साफ्टवेयर विकसित करने हेतु पृथक अनुबंध आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश और नई दिल्ली आधारित दो¹⁸ फर्मों के मध्य हस्ताक्षरित किया गया था (अप्रैल/मई 2000)।

कार्यालय जिलाधीश, रायपुर के अभिलेखों की जाँच (मार्च 2005 और अप्रैल 2006) में पाया गया कि तीन¹⁹ तहसीलों के 745 ग्रामों के नक्शों को अंकीकृत किया गया और फर्म द्वारा अंतिम सी.डी. नवम्बर 2002 में दी गयी किन्तु यह विभाग के पास बेकार पड़ा रहा (मई 2006) और तीनों में से किसी भी तहसील में स्थापित नहीं था। फर्म द्वारा किये गये दावे रु. 48.76 लाख के विरुद्ध मार्च 2004 तक रु. 27.90 लाख का भुगतान किया जा चुका था। बजट की अनुपलब्धता एवं कार्य पूर्ण न होने के कारण फर्म को रु. 20.86 लाख की शेष का भुगतान नहीं किया जा सका (मई 2006)।

इसी प्रकार, कार्यालय जिलाधीश, सरगुजा के अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2006) में पाया गया कि सूरजपुर तहसील के 439 ग्रामों के नक्शों को अंकीकृत किया गया और 383 ग्रामों की अंतिम सी.डी. मार्च 2001 में फर्म द्वारा प्रदाय की गई किन्तु अंतिम सी.डी. और हस्तचालित पद्धति के नक्शों में विभिन्नता होने के कारण यह विभाग के पास निष्क्रिय पड़ी थी (जुलाई 2006) और नक्शों को स्थापित नहीं किया जा सका। फर्म को उनके अनुबंधित लागत रु. 30.55 लाख के विरुद्ध रु. 17.78 लाख का

¹⁵ इसमें एक गाँव के लिए भूमि का प्रकार, सिंचाई के साधन इत्यादि की जानकारी शामिल होती है।

¹⁶ बस्तर: रु. 1.60 लाख; धमतरी: रु. 1.14 लाख; रायपुर: रु. 2.28 लाख और सरगुजा: रु. 3.93 लाख। बिलासपुर और दुर्ग से जानकारी प्रतीक्षित थी (सितम्बर 2006)।

¹⁷ फसलवार प्रतिवेदन।

¹⁸ मैसर्स रेमटेक कार्पोरेशन लिमिटेड और मैसर्स जेराक्स मोदी कार्प लिमिटेड।

¹⁹ अभनपुर, आरंग और बिद्रावनगढ़ (गरियाबंद)

भुगतान मार्च 2001 तक जिलाधीश, सरगुजा द्वारा किया गया था। 56 ग्रामों का कार्य जुलाई 2006 तक अपूर्ण था इसलिए शेष राशि का भुगतान फर्म को नहीं किया जा सका। वर्ष 2003-04 के दौरान उक्त उद्देश्य हेतु विमुक्त रु. 2.27 लाख की राशि अनुपयुक्त पड़ी थीं और अनधिकृत रूप से बैंक के बचत खाता में रखी हुई थी (जुलाई 2006)।

इंगित करने पर संबंधित जिलाधीशों ने कहा कि फर्मों को बार-बार साफ्टवेयर स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु स्मरण पत्र और दूरभाष पर अनुरोधों के बावजूद, फर्म द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस विषय पर शासन द्वारा कोई सटीक उत्तर नहीं दिया गया।

इस प्रकार, छः वर्षों पूर्व प्रारंभ की गई केन्द्र प्रवर्तित योजना "भू-नक्शों का अंकीकरण" अपूर्ण थीं और इस प्रकार कार्य पर व्यय की गई राशि रु. 45.68 लाख निष्फल रही।

3.4.7.8 अधोसंरचना

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया है कि अद्योसंरचना निर्माण में अनेक कमियाँ थीं जो कि निम्नानुसार है :-

(i) भारत शासन के दिशा निर्देशानुसार राज्य शासन द्वारा प्रत्येक तहसील में कम से कम 200-250 वर्ग फीट का फर्शी क्षेत्र निर्मित/उपलब्ध कराना था। नमूना जाँच तहसीलों में कम्प्यूटर कक्ष हेतु उपलब्ध स्थान निर्धारित क्षेत्र से बहुत कम था जैसा कि आरंग, रायपुर और राजिम तहसीलों में अधिकतम फर्शी क्षेत्र केवल 60 वर्ग फीट था।

(ii) विभाग द्वारा सभी तहसीलों हेतु एयर कंडीशनर क्रय किये गये किन्तु 19 नमूना जाँच तहसीलों में से 14 तहसीलों में एयर कंडीशनर स्थापित नहीं पाये गये और उनका अता पता भी ज्ञात नहीं था।

(iii) अग्नि शमन यंत्र भी 18 तहसीलों में (धमतरी को छोड़कर) स्थापित नहीं थे। इसी प्रकार नमूना जांच किये गये जिलों की किसी भी प्रणाली में वाइरस रोधक साफ्टवेयर स्थापित नहीं था।

3.4.7.9 प्रशिक्षण गतिविधियाँ

प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वयन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तदनुसार भारत शासन द्वारा राजस्व कर्मियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2002-03 के दौरान रु. 32.34 लाख दिये गये। प्रशिक्षण उपरांत राजस्व कर्मचारियों द्वारा कम्प्यूटर पर ही भू-अभिलेख संधारित किया जाना था। नमूना जांच किये गये छः जिलों में यह देखा गया कि 1914 राजस्व कार्मिक प्रशिक्षित किये गये थे जिस पर रु. 14.03 लाख का व्यय हुआ था।

छः जिलों में प्रशिक्षण गतिविधियों की लेखा परीक्षा जाँच में पाया गया था कि :-

प्रशिक्षित जनशक्ति पर
अनुत्पादक व्यय रु. 14.03
लाख

- नमूना जांच जिलों में यद्यपि विषयवस्तु एक समान थीं किन्तु प्रति प्रशिक्षु दर में भिन्नता दर रु. 150/- से बढ़कर रु. 1000/- के मध्य थीं। सभी जिलों में प्रमापित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु संस्थाओं का चयन विभागीय स्तर पर नहीं किया गया था और पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव तथा अधिक प्रशिक्षण पर छूट का लाभ नहीं लिया जा सका। विवरण परिशिष्ट-3.4 में दिये गये हैं। नमूना जांच किये गये किसी भी जिले में प्रयोक्ता (यूजर) और प्रयोगिक (आपरेशनल) नियम पुस्तिकाएँ (मेन्यूअल) उपलब्ध नहीं कराई गई थीं।
- यद्यपि 1914 राजस्व कर्मियों के प्रशिक्षण पर रु. 14.03 लाख का व्यय किया गया किन्तु यह देखा गया कि उनकी सेवाओं का उपयोग डेटा अद्यतनीकरण हेतु तहसील स्तर पर नहीं किया जा रहा था। यद्यपि प्रशिक्षित राजस्व कार्मिक उनके हल्के से संबंधित अद्यतनीकरण के लिए उत्तरदायी थे किन्तु अधिकांश तहसीलों में डेटा का अद्यतन सितम्बर 2002 के बाद से नहीं किया गया था। इस प्रकार राजस्व कर्मियों के प्रशिक्षण पर किया गया व्यय अनुत्पादक सिद्ध हुआ।

3.4.8 प्रणाली रूपांकन

साफ्टवेयर का परीक्षण एवं प्रमाणीकरण नहीं किया गया था

विभाग द्वारा प्रणाली विकास कार्यप्रणाली और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और निरंतरता की रूपरेखा में प्रणाली रूपांकन के संसाधन, आंतरिक नियंत्रण, सुरक्षा आपदा बहाली, परिवर्तन प्रबंधन नियंत्रण इत्यादि निर्धारित नहीं किये गये थे। यह भी देखा गया कि एन.आई.सी द्वारा विकसित अनुप्रयोग साफ्टवेयर के उचित मूल्यांकन/स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा परीक्षण और प्रमाणीकरण नहीं किया गया था, साफ्टवेयर के लिए प्रलेख जैसे स्वीकृति प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं थे जिसके कारण साफ्टवेयर में निम्नांकित कमियाँ विद्यमान थीं:

3.4.8.1 कम्प्यूटर प्रणाली में स्वामित्व पूर्ववृत्त की अनुपलब्धता

कम्प्यूटर प्रणाली में स्वामित्व पूर्ववृत्त की अनुपलब्धता

हस्तचालित पद्धति में भू स्वामित्व का पूर्ववृत्त हमेशा उपलब्ध रहता था। तथापि, यह देखा गया कि साफ्टवेयर में खसरा के पूर्ववृत्त के संचय और प्रत्येक खसरा में हुए परिवर्तनों की पहचान हेतु नामांतरण पूर्ववृत्त की सुविधा उपलब्ध नहीं थीं। परिणामस्वरूप डेटाबेस में उपरिलेखन द्वारा नई प्रविष्टि से स्वामित्व परिवर्तन होता था और पूर्व अभिलेख का लेखा नहीं होता था। इस प्रकार प्रणाली हस्तचालित अभिलेखों के संदर्भ के बिना पूर्ण स्वामित्व विवरण देने में सक्षम नहीं था। उत्तर में एन.आई.सी. द्वारा यह कहा गया कि वर्तमान साफ्टवेयर संस्करण में सुविधा उपलब्ध करा दी गई हैं। तथापि यह सुविधा पूर्व संस्करणों में उपलब्धता नहीं थीं जिसके कारण पूर्व साफ्टवेयर में नामांतरित हो चुके खसरा का पूर्ववृत्त नहीं देखा जा सकता था।

3.4.8.2 शासकीय भूमि के नामान्तरण पर प्रतिबंध लागू न होना

हस्तचालित प्रक्रिया में यदि कहीं कोई प्रतिबंध हो तो पुनर्वास हेतु आबंटित शासकीय भूमि, भारत सम्पत्तियाँ जैसे कि बंधक, कोर्ट आदेश और टिप्पणियों के अधीन प्राधिकृत

हस्ताक्षर द्वारा नामांतरण हेतु प्रतिबंधित रखी जाती थीं। तथापि, साफ्टवेयर में डेटा को अवैध नामांतरण से रोकने हेतु कोई सुविधा उपलब्ध नहीं था। विभाग, एन.आई.सी को इस प्रकार की प्रक्रिया और अंकुशों को समाविष्ट करने हेतु सूचित करने में विफल रहा।

3.4.8.3 वैधता जाँच द्वारा साफ्टवेयर में शासकीय नियमों को समाविष्ट न करना

- 5657 प्रकरणों में, शासकीय भूमि जो कि पट्टों पर भी नहीं दी गई थीं, के विरुद्ध रु. 115525.48 का कर दर्शाया गया। शासकीय भूमि पर कर का दर्शाना अनियमित था।
- 18 तहसीलों के स्वामित्व डेटा के परीक्षण में पाया गया कि 290 खातों में (466673.308 हेक्टेयर) भू-स्वामियों के पास छत्तीसगढ़ कृषि भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 के नियम-7 में निर्दिष्ट मानकों से अधिक भूमि थीं। पाँच खातों में (9652 हेक्टेयर) भू-स्वामियों के नाम का उल्लेख नहीं था। इसके अतिरिक्त खसरावार स्वामित्व डेटा के परीक्षण में देखा गया कि 335714.132 हेक्टेयर क्षेत्र 255 निजी प्रकरणों और 753 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रकरणों में (जहाँ भूस्वामी का नाम नहीं दर्शाया गया) भूमि उक्त अधिनियम में निर्दिष्ट मानकों से बहुत अधिक थीं। इस प्रकार कम्प्यूटर प्रणाली में भूस्वामियों द्वारा धारित किये जाने वाली भूमि की अधिकतम सीमा एवं छत्तीसगढ़ कृषि भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 के प्रावधानों से संबद्धता एवं अनुरूप डेटा के वैधीकरण हेतु कोई अंतर्निर्मित जाँच नहीं थे।
- 271360 प्रकरणों में सिंचित एवं असिंचित क्षेत्र का योग भू-स्वामी द्वारा धारित कुल क्षेत्र से अधिक था। इस प्रकार डेटा के मान्यता के लिए एवं इसके खसरा में प्रविष्टि क्षेत्र से सम्बद्धता हेतु कोई अंतर्निर्मित नियंत्रण नहीं थे।

3.4.9 आगत नियंत्रण

डेटा एकत्र में कमियों की वजह से डेटा अविश्वसनीय था। इसमें गलत संकेतक, बिना नाम, जाति, पिता का नाम और भू-स्वामियों का पता, गलत राजस्व प्रविष्टि, गलत भूमि का प्रकार इत्यादि शामिल थे।

भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण में पूर्ण, सही और भू-स्वामियों के माँग पर अधिकार अभिलेख जारी करने हेतु सामयिक अद्यतनीकृत डेटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पद्धति में आधारभूत डेटा लिया गया है और उचित एवं सुरक्षित तरह से संधारित किया गया। यद्यपि पद्धति द्वारा सीधे वित्तीय व्यवहार नहीं किया जाता है किन्तु यह लोकहित डेटा का संसाधन करती है। इसलिए योजना की सफलता डेटा के विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। लिए गए 19 तहसीलों के 4193 ग्रामों के लिए 43.99 लाख खसरा एवं खतौनी प्रविष्टियों के सूचना प्रौद्योगिकी युक्त विश्लेषण एस.क्यू.एल. के उपयोग से किया गया जिसमें कई प्रकार की विसंगतियाँ डेटा के आगत नियंत्रण पर हुईं जो कि डेटा बेस की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। मुख्य कमियाँ निम्न प्रकार दी गयी हैं:

3.4.9.1 खतौनी पंजी में दोहरे खाते

नियमानुसार खतौनी पंजी में भू-स्वामियों को केवल एक खाता ही आबंटित किया जाना चाहिए जहाँ उसके द्वारा धारित भूमियों को एक स्थान पर दर्शाना चाहिए। कम्प्यूटर

पद्धति में 19 तहसीलों (गरियाबंद को छोड़कर) के विश्लेषण में पाया गया कि 30571 प्रकरणों (83222 खाते) में भू-स्वामियों को एक से अधिक खाते आवंटित किये गये थे। इसमें से 7028 खातों में (1237 प्रकरण) खातेदार का नाम या तो रिक्त, अल्पविराम, बिन्दु, एक अक्षर या संख्यात्मक और अर्थहीन शब्दों में प्रविष्टि की गई थी। 44559 खातों (17427 प्रकरण) में पिता का नाम दर्ज नहीं था उसी प्रकार, 6913 शासकीय खातों (438 प्रकरण), में से 2892 खाते (182 प्रकरण) अब तक मध्य प्रदेश शासन के नाम थे जिससे यह स्पष्ट है कि आधार वर्ष 1999 में लिया गया और आधार वर्ष सितम्बर 2002 में अद्यतन डेटा कालांकित था।

3.4.9.2 काश्तकारी संबंधी नस्तियों में विसंगतियाँ

काश्तकारी संबंधी नस्तियों में विसंगतियाँ जैसे एक अक्षर में नाम, जाति कूट की प्रविष्टि न होना या गलत प्रविष्टि इत्यादि

18 तहसीलों के डेटा विश्लेषण में पाया गया कि 1096 काश्तकारों, जिन्हें भूमि पट्टों पर दी गई थीं का नाम 175 प्रकरणों में केवल एक अर्थहीन अक्षर में दर्ज था, 773 प्रकरणों में जाति कूट दर्ज नहीं था और 103 प्रकरणों में गलत जाति कूट दर्ज था। 859 प्रकरणों में पिता का नाम दर्ज नहीं था या "पिता" दर्ज था और 232 प्रकरणों में पता दर्ज नहीं था।

3.4.9.3 अतिक्रमण नस्तियों में विसंगतियाँ

अतिक्रमण नस्तियों में नाम, पिता का नाम, कब्जेदार का पता नहीं दर्शाया गया था

आगे, 18 तहसीलों के डेटा विश्लेषण में पाया गया कि 14378.029 हेक्टेयर क्षेत्र पर 15740 कब्जेदारों द्वारा कब्जा किया गया था। इसमें से, 287 प्रकरणों में कब्जेदार का नाम केवल एक अर्थहीन अक्षर में या दर्ज नहीं था और 12727 प्रकरणों में पिता का नाम दर्ज नहीं था या "पिता" दर्ज था। 10277 प्रकरणों में कब्जेदार का पता दर्ज नहीं था और 17 मामलों में कब्जा किया गया क्षेत्र वास्तविक खसरा क्षेत्र से ज्यादा था।

3.4.9.4 रिक्त/अपूर्ण स्तंभ

- 130622 मामलों में खसरे का रकवा दर्ज नहीं था जिसके कारण भू-स्वामी द्वारा धारित वास्तविक रकवा अभिज्ञापित नहीं किया जा सका और इन प्रकरणों में कम्प्यूटरीकृत अधिकार अभिलेख जारी करना संभव नहीं था।
- 3236569 प्रकरणों में भू-राजस्व उगाही और 3952678 प्रकरणों में अन्य कर उगाही वर्तमान वर्ष के लिए दर्ज नहीं था जिसके कारण वर्ष के दौरान आरोपित वास्तविक अर्जित राजस्व सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- 9036 प्रकरणों में, भू-स्वामियों का नाम नहीं लिया गया या केवल एक अक्षर में था, 608372 प्रकरणों में भू-स्वामी के पिता/पति का नाम दर्ज नहीं था या "पिता" दर्ज था और 102602 प्रकरणों में भू-स्वामी का पता दर्ज नहीं था। इस प्रकार इन प्रकरणों में कम्प्यूटरीकृत अधिकार अभिलेख जारी करना संभव नहीं था।
- 3456237 प्रकरणों में यह दर्शाया गया था कि फसल बोयी गयी किन्तु उसे कितने क्षेत्र में बोया गया नहीं दर्शाया गया और 3177006 प्रकरणों में फसल विवरण जैसे फसल संकेतक (कोड) दर्ज नहीं थे जिसकी वजह से हर एक भूमि के फसल विवरण उपलब्ध नहीं थे।

3.4.9.5 अमान्य संकेतक (कोडिंग)

- भूमि का प्रकार '1', '2' या '3' के रूप में दर्शाया जाना था जो कि क्रमशः 'शासकीय', 'निजी' या 'संस्था' के संकेतक थे। तथापि, 830 प्रकरणों में (9834.662 हेक्टेयर) भूमि का प्रकार दर्ज नहीं था। यह भूमि के अनियमित स्थानांतरण को पता लगाने में कठिनाई निर्मित करता है।
- भूमि-स्वामी की जाति '1', '2' या '3' के रूप में दर्शाया जाना था जो कि क्रमशः 'अनुसूचित जाति', 'अनुसूचित जनजाति' या 'सामान्य' के संकेतक थे। 895061 प्रकरणों में जाति संकेतक दर्ज नहीं थे, 167292 प्रकरणों में संकेतक निर्धारित संकेतकों के अलावा अन्य संख्या में दर्ज थे जैसे '4', '5' या '6' इत्यादि। इस प्रकार साफ्टवेयर में नामान्तरण के दौरान राजस्व नियमावली के नियम 170 के अंतर्गत निहित प्रावधानों के तहत अनुसूचित जनजाति द्वारा धारित भूमि उसी वर्ग को विक्रय संबंधी नियम सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

3.4.9.6 स्थापित (पोर्टेड) डेटा में अन्तर

- बिलासपुर तहसील में 97 ग्रामों के लिए 220985 खसरा डेटा जुलाई 2003 में स्थापित किया गया था जबकि वर्तमान में तहसील प्रणाली 112 ग्रामों के लिए 208377 खसरा दर्शा रही थी इस प्रकार 15 ग्रामों की बढ़ोतरी के बावजूद 12608 खसरा की कमी थी जो कि संभव नहीं था। उसी प्रकार, पेण्ड्रा रोड तहसील में 158907 खसरा दिसम्बर 2003 में स्थापित किये गये थे जबकि वर्तमान में तहसील प्रणाली में 1261 खसरों की कमी के साथ 157646 दर्शाया जा रहा था।

उपरोक्त बिन्दुओं को लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर संबंधित तहसीलदारों द्वारा कहा गया कि त्रुटियों के सुधार हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जायेगे और डेटा को अद्यतन किया जावेगा।

3.4.10 नियमित डेटा अद्यतनीकरण का अभाव

नियमित डेटा अद्यतनीकरण का अभाव

19 नमूना जांच किये गये तहसीलों में कम्प्यूटरीकृत पद्धति स्थापित होने की तिथि से जुलाई 2006 तक केवल 118346 नामांतरण दर्ज किये गये थे। जब प्रारंभ में स्थापित डेटा से आंकड़ों की तुलना की गई तो छः तहसीलों में स्थापित डेटा और वर्तमान डेटा में मामूली अंतर था जो कि छः से लेकर 858 खसरा का था जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता था कि कम्प्यूटर प्रणाली में नियमित रूप से डेटा अद्यतनीकरण नहीं किया गया था। इसके आगे विभाग द्वारा विधान सभा प्रश्न के विरुद्ध प्रस्तुत जानकारी के अनुसार रायपुर के पांच नमूना जांच किये गये तहसीलों में 25657 पंजीकरण, भूमि के क्रय/विक्रय हेतु वर्ष 2004-05 के दौरान हुए किन्तु कम्प्यूटर प्रणाली में जून 2006 तक केवल 3145 नामांतरण ही दर्ज थे। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि डेटा अपूर्ण था और समय समय पर अद्यतन नहीं किया गया। इसके अलावा 7255 प्रकरणों में, खसरा का वास्तविक क्षेत्र डेटा स्थापना के पश्चात समय समय पर बदला गया था क्योंकि खसरा का सही क्षेत्र प्रविष्टि के समय नहीं लिया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि

न कार्यवृत्त (लाग्स) रखे गये थे न ही डेटा परिवर्तन पर उचित नियंत्रण था। इस तरह, यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि परिवर्तन उचित रूप से प्राधिकृत थे या नहीं।

इंगित किये जाने पर संबंधित तहसीलदारों और जिलाधीशों द्वारा कहा गया कि डेटा के अद्यतनीकरण हेतु कार्ययोजना तैयार की जावेगी।

3.4.11 अपर्याप्त सामान्य नियंत्रण

3.4.11.1 कर्तव्यों का पृथक्करण

हस्तचालित एवं कम्प्यूटरीकृत पद्धति दोनों में पटवारियों, राजस्व निरीक्षकों और तहसीलदारों को विभिन्न स्तर के प्राधिकार क्रमशः प्रविष्टि और संधारण, प्रविष्टियों का पर्यवेक्षण और अनुमोदन दिये गये। तथापि, नमूना जाँच तहसीलों में यह देखा गया था कि उपरोक्त पदों के कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा किये जा रहे थे जैसे डाटा एन्ट्री आपरेटर। यद्यपि पटवारी, राजस्व निरीक्षण और तहसीलदार सूचना प्रौद्योगिकी पद्धति के उपयोग हेतु प्रशिक्षित थे फिर भी सभी कार्यवाही डेटा एन्ट्री आपरेटर पर छोड़ दी गई जिससे संगठन में वर्गीकृत कर्तव्यों एवं शक्तियों के विभाजन की अवधारणा गंभीर रूप से प्रभावित रही। प्रणाली में नियंत्रण एवं सामंजस्य की कमी पद्धति को खतरों से असुरक्षित एवं दुरुपयोग्य बनाती थीं।

3.4.11.2 अभिगमन नियंत्रणों का अभाव

नामांतरण मोड्यूल की जाँच में पाया गया कि विश्वसनीय और आसान सुरक्षा हेतु प्रस्तावित जैवमितीय पद्धति संयुक्त अंगुठा पहचान के रूप में दो अधिकारियों द्वारा सुधार पूर्व के प्रमाणित नामांतरण प्रविष्टियों में सुधार/परिवर्तन हेतु प्रदान नहीं किया गया था।

यह भी देखा गया कि अच्छी पासवर्ड नीतियाँ जैसे पासवर्ड समयावधि, एक निश्चित व्यर्थ समय बाद लागू आउट इत्यादि लागू नहीं किये गये थे। 18 तहसीलों में त्रुटिपूर्ण पासवर्ड उपयोग में था। इसके अलावा अनाधिकृत प्रयोगकर्ता द्वारा किये गये असफल प्रयासों की संख्या को सीमित करने हेतु साफ्टवेयर के लागू इन पासवर्ड में कोई रोक नहीं थी।

इसके सिवाय, साफ्टवेयर के महत्वपूर्ण मीनू एवं सह-मीनू में कोई भी पहुँच सकता था और बिना पासवर्ड/की-वर्ड के प्रविष्टियों में बढ़ोतरी/सुधार कर सकता था। इसके अतिरिक्त कुछ सह-मीनू में गलत प्रविष्टि यदि कोई हो तो, को हटाने हेतु विकल्प नहीं था। चूंकि अधिकार अभिलेख सीधे सर्वर से सृजित किये जा रहे थे न कि टर्मिनल मशीनों से, यह डेटा बेस में अतिरिक्त असुरक्षाएँ उत्पन्न कर रहा था।

इस प्रकार युक्तियुक्त अभिगमन नियंत्रण कमजोर थे और प्रणाली अनधिकृत पहुँच हेतु खुली थी जिससे डेटा के दुरुपयोग, छेड़छाड़ और नुकसान का गंभीर खतरा था।

3.4.11.3 अधिकार अभिलेख की संख्या पर नियंत्रण का अभाव

प्रत्येक अधिकार अभिलेख के जारी करने के विरुद्ध प्रभावी कार्मिक द्वारा एक निश्चित राशि वसूल की जानी थी। प्रतिदिन प्रिंट किये गये वास्तविक प्रतियों की संख्या को सुनिश्चित करने एवं उसकी वसूली हेतु नियंत्रण का अभाव था। वास्तविक रूप से जारी किये गये अधिकार अभिलेख, को सुनिश्चित करने और राजस्व वसूली हेतु प्रणाली में दैनिक/ साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक प्रतिवेदन सृजित करने की सुविधा होनी चाहिए जिससे कि दुरुपयोग की संभावना को कम किया जा सके। साफ्टवेयर में इस प्रकार की सुविधा विकसित करने हेतु विभाग द्वारा कोई अनुरोध एन.आई.सी. से नहीं किया गया था।

3.4.12 अपर्याप्त पुनःप्राप्ति योजना बैकअप और वाइरस रोधक रणनीति

पुनःप्राप्ति, नियमित बैकअप और वाइरस रोधक रणनीति का अभाव

यह देखा गया कि जोखिम निर्धारण नहीं किया गया था और गतिविधियों की निरंतरता के लिए मूल कार्मिकों के अनुपस्थिति में पर्याप्त विकल्प व्यवस्थाएँ बनायी नहीं गयी थीं। इसके अलावा वारंटी अवधि समाप्त होने के बाद भी (अम्बिकापुर और सूरजपुर को छोड़कर) कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त विभाग में कोई प्रमाणित बैकअप नीति नहीं थी। चार तहसीलों में (अभनपुर, दुर्ग, कोण्डागांव और सूरजपुर) यह देखा गया कि बैकअप सीधे प्रणाली में लिया जा रहा था और शेष तहसीलों ने सूचित किया कि उनके पास बैकअप लेने हेतु प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है। चूंकि सभी तहसीलों में डेटाबेस एक हार्डडिस्क में संघारित था इसलिए डेटा हानि का बहुत अधिक खतरा था। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन एवं पुनःप्राप्ति और विपरीत स्थितियों में पूर्ण डेटा बेस के पुनः स्थापना के लिए योजनाएं विकसित नहीं की गई थीं। चूंकि भू-अभिलेखों में बहुत अधिक डेटा था इसलिए इसका बैकअप कम अन्तरालों में लिया जाना चाहिए था। डेटा को लम्बे अवधि तक सुरक्षित रखना योजना में शामिल था। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि तीन तहसीलों में (कोण्डागांव, मरवाही और पाटन) चिप्स द्वारा प्रदत्त विशिष्टियों में सी.डी. राइटर शामिल नहीं था जबकि यह अन्य तहसीलों के लिए था। इसके अलावा जगदलपुर और बिलासपुर की तहसील प्रणालियों में सी.डी. राइटर स्थापित नहीं पाये गये जिसके कारण डेटा का बैकअप सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इस प्रकार इन स्थानों पर आपात स्थितियों में डेटा नुकसान का बहुत अधिक जोखिम था।

3.4.13 मासिक प्रगति प्रतिवेदन

विभाग मासिक प्रगति प्रतिवेदन के विश्लेषण करने में विफल रहा

आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ कार्यालय में संकलित मासिक प्रगति प्रतिवेदन (नवम्बर 2005 और मार्च 2006) की जाँच में पाया गया कि विभाग समय पर मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करने और उपलब्ध प्रतिवेदनों को राज्य में योजना की निगरानी एवं क्रियान्वयन हेतु परीक्षण करने में विफल रहा। इसके प्रमुख उदाहरण निम्नानुसार हैं:

3.4.13.1 यह देखा गया कि पाँच जिलों (दंतेवाड़ा, जशपुर, कवर्धा, महासमुंद और सरगुजा) द्वारा दिसम्बर 2005 से मासिक प्रतिवेदन नहीं भेजे गये किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

3.4.13.2 प्रतिमाह पांचवीं तारीख को विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप (मार्च 2004) में सभी जिलों द्वारा हस्तचालित और कम्प्यूटरीकृत पद्धति द्वारा जारी किये गये अधिकार अभिलेख की जानकारी भेजी जानी थी। यह देखा गया कि आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ कार्यालय में प्राप्त मासिक प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में नहीं थे जिसकी वजह से पटवारी द्वारा हस्तचालित पद्धति से जारी अधिकार अभिलेख और कम्प्यूटर पद्धति से जारी अधिकार अभिलेख की निगरानी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

3.4.13.3 यद्यपि महासमुंद जिले में दिसम्बर 2001 से मार्च 2006 के मध्य 214 अधिकार अभिलेख जारी किये जाने के बावजूद राजस्व उगाही में कमी थी। इसी प्रकार, नवम्बर 2005 तक जशपुर जिले में 14613 अधिकार अभिलेख जारी किये गये थे जबकि मार्च 2006 के प्रतिवेदन में 14524 अधिकार अभिलेख जारी होना बताया गया था। इस प्रकार की विसंगतियों पर ध्यान एवं कार्यवाही नहीं की गई।

3.4.14 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

प्रभाव विश्लेषण और निगरानी
तंत्र का अभाव

भारत शासन के दिशा निर्देशानुसार राज्य स्तरीय क्रियान्वयन प्राधिकारी, सचिवालय/राजस्व मंडल/ आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय और नोडल अधिकारियों को योजना के प्रभावी कार्यक्रम क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर जिलों एवं तहसीलों का भ्रमण करना था जो कि नहीं किया गया था। मैदानी निरीक्षणों की अनुसूची राज्य स्तर पर नहीं बनाई गई और न भारत सरकार के भेजी गई जैसा कि आवश्यक था। विभाग ने राज्य में योजना की प्रभावी मैदानी मानीटरिंग एवं मूल्यांकन हेतु कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की। उपरोक्त अधिकारियों द्वारा किए जिलों/तहसीलों निरीक्षणों के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन अभिलेखों में नहीं थे।

आयुक्त कार्यालय का मुख्य कार्य राज्य के सभी जिलों से आँकड़े एकत्रित करने तक ही सीमित था। योजना के प्रभाव के विश्लेषण हेतु कार्यबद्ध मैदानी अनुश्रवण की आवश्यकता थी किन्तु अनुश्रवण केवल मासिक प्रगति प्रतिवेदनों द्वारा ही की गई जिनका विश्लेषण भी शासन/आयुक्त कार्यालय स्तर पर नहीं किया गया। अधीनस्थ कार्यालयों के भ्रमण हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये न ही कोई अभिलेख संघारित किये गये। इस प्रकार समीक्षा में लिए गए पूर्ण अवधि में योजना का प्रदर्शन एवं प्रभाव अमूल्यांकित रह गया।

3.4.15 ई-संगवारी केन्द्र (बिलासपुर) से जारी अधिकार अभिलेख, एक अनियंत्रित ई-शासन पहल

तहसील कार्यालय से जारी अधिकार अभिलेख को बंद करना अनधिकृत था

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार साधनों का उपयोग करते हुए एकल खिड़की प्रणाली द्वारा बिलासपुर जिले के नागरिकों को शासकीय सेवाएँ जैसे जाति, निवास, जन्म, आय, विवाह, चिकित्सा और गरीबी रेखा प्रमाण पत्र, होटल, बंदूक और वाहन चालन लाइसेंस, भू-अभिलेखों की जानकारी (खसरा और खतौनी) पासपोर्ट आवेदन, वाहन पंजीयन, शपथ पत्र, शिकायत इत्यादि प्रदान करने के उद्देश्य से एक पहल ई-संगवारी वर्ष 2004 में जिलाधीश, बिलासपुर द्वारा प्रारंभ की गई थी।

ई-संगवारी केन्द्र, बिलासपुर से एकत्रित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जुलाई 2004 से मई 2006 के मध्य 10 पृथक अनुबंध विभिन्न तहसीलदारों और एक पटना आधारित निजी फर्म के बीच किये गये, फर्म की चयन प्रक्रिया से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये। अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपरोक्त तहसीलों के स्थानीय प्रशासन द्वारा शासकीय विभागों को यह आवश्यक निर्देश जारी किये जाने थे कि वे सीधे नागरिकों से आवेदन ग्रहण न करें। इसके स्थान पर आवेदकों को आवेदन ई-संगवारी केन्द्रों में जमा करना था जिसके एवज में केन्द्रों द्वारा आवश्यक जानकारी संबंधित विभाग से प्राप्त कर आवेदक को प्रदान करना था और सेवा शुल्क के रूप में 5/- से 50/- रु. तक की राशि अतिरिक्त लेना था। उदाहरण - खसरा और खतौनी के लिए रु 20/- प्रति अधिकार अभिलेख निर्धारित था जिसमें से रु. 15/- शासन के पास जाना था और शेष रु. 5/- सेवा शुल्क के रूप में ई-संगवारी केन्द्र द्वारा रखा जाना था।

लेखापरीक्षा में इस योजना के क्रियान्वयन में अनेक अनियमितताएँ पाई गईं जो कि नीचे दी गई हैं:

- आयुक्त, भू-अभिलेख के प्राधिकार के बिना, जिलाधीश बिलासपुर के आदेशों (जुलाई 2004) द्वारा तहसील कार्यालय से खसरा और खतौनी जारी किया जाना बंद कर दिया गया था। यह पूर्णतः राज्य के राजपत्र (अक्टूबर 2002) का उल्लंघन था जिसके अनुसार यह प्राधिकार आयुक्त के पास निहित था।
- यह स्पष्ट नहीं था कि एक प्रकार की सेवा जैसे अधिकार अभिलेख प्रदान करने हेतु राशि सबसे कम रु. 5/- खसरा के लिए और अधिकतम रु. 50/- वाहन पंजीयन के लिए कैसे सीमित हो सकती थी। उद्देश्यों के अनुरूप नागरिकों से प्रभारित राशि का निर्धारण जिसके लिए अधिकार अभिलेख उपयोगी था और जब इसके प्राप्त करने की प्रक्रिया भी वही थी तब यह पूर्णतः अन्यायपूर्ण और नागरिकों से कुल अधिक प्रभार के रूप में परिणामित हुआ।
- जिलाधीश के निर्देशानुसार (मई 2005), शासकीय अंश का राजस्व ई-संगवारी केन्द्रों द्वारा प्रतिदिन तहसील कार्यालय में एवं तहसीलदार को इसे सप्ताह में एक बार शासकीय खाते में जमा करना था किन्तु यह देखा गया कि केन्द्रों द्वारा राशि को सीधे शासकीय खाते में मासिक आधार पर जमा किया जा रहा था।
- यह देखा गया कि 10 तहसीलों/उप तहसीलों में से चार तहसीलों में ई-संगवारी

केन्द्रों का विद्युत व्यय और केन्द्रों में रखे उपकरणों के वार्षिक संधारण व्यय तहसीलों/स्थानीय प्रशासन द्वारा वहन किया जाना था जबकि शेष छः तहसीलों में यह व्यय निजी फर्म द्वारा वहन किया जाना था जिससे यह स्पष्ट है कि अनुबंध करते समय प्रमाणित प्रारूपों का उपयोग नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि तहसीलदार एवं जिलाधीश द्वारा इन केन्द्रों का कोई अनुश्रवण नहीं किया गया था। इसके अलावा, अनुबंध (जुलाई 2004) के अनुसार दो वर्ष व्यतीत होने के बाद भी बिलासपुर तहसील में कोई स्पर्शपटल (कियोस्क) फर्म द्वारा स्थापित नहीं किया गया।

- इन केन्द्रों की सेवाओं में कमियों के विरुद्ध कोई शिकायत निवारण तंत्र मौजूद नहीं था। चूंकि वे शासकीय विभागों में लागू अन्तर्निहित नियमों एवं नियंत्रण से बाहर है इसलिए फर्मों द्वारा इन केन्द्रों का संचालन बिना कोई जवाबदेही पर आधारित था भले ही वे राशि लेकर नागरिकों को अधिकार अभिलेख इत्यादि दे रहे थे।
- महत्वपूर्ण यह था कि नागरिकों को सेवाओं प्रदान करने में कोई भी सूचना प्रौद्योगिकी और संचार साधनों का प्रयोग नहीं था और ई-संगवारी केन्द्र केवल मध्यवर्ती के रूप में नागरिक और शासकीय विभागों के बीच कार्य कर रहे थे। इस प्रकार से वर्तमान रूप में पृथक केन्द्रों का निर्माण केवल आवेदन लेने और तहसील कार्यालय से प्राप्त अधिकार अभिलेख प्रदान करने हेतु पूर्णतः अनावश्यक था। इस विषय पर तहसीलदार और जिलाधीश द्वारा कोई अभिमत नहीं दिया गया (जुलाई 2006)। प्रकरण जुलाई 2006 में आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ के ध्यान में लाया गया, उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2006)।

3.4.16 निष्कर्ष

भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना वर्ष 1988-89 में पूर्ववर्ती राज्य मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई थीं और नवम्बर 2002 में छत्तीसगढ़ राज्य में पुनः प्रारंभ की गई। योजना स्थिर एवं विश्वसनीय भू-अभिलेख संधारण प्रणाली और अधिकार अभिलेख सृजन करने में विफल थीं। प्रणाली रूपांकन में विसंगति, हस्तचालित अभिलेख से अपूर्ण डेटा संग्रहण, डेटा आगत नियंत्रण में विसंगति की वजह से कम्प्यूटर प्रणाली की सूचनाएं गलतियों से युक्त पाई गईं। इसके अलावा सितम्बर 2002 के बाद से अधिकांश तहसीलों में डेटा अद्यतन नहीं किया गया था। इस प्रकार से गलतियों से युक्त, अविश्वसनीय और पुराने डेटा के परिणामस्वरूप योजना अभिभूत भू-सूचना प्रणाली की परिकल्पना प्राप्त नहीं की जा सकी।

चूंकि योजना प्रभावी तरीके से प्रबंधित नहीं थी और निरुत्साहपूर्वक क्रियान्वित की गई थी इसलिए भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण केवल कार्य की पुनरावृत्ति, हार्डवेयर/साफ्टवेयर पर निष्फल पूंजी व्यय और निष्फल आवधिक व्यय सिद्ध हुआ। विभाग अभी भी सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए हस्तचालित पद्धति पर ही निर्भर था। योजना में बहुत अधिक धन का व्यय बिना वित्तीय सिद्धांतों और दूरदर्शिता के किया

गया। इस प्रकार 17 वर्षों और इतने अधिक व्यय के बाद भी योजना इस स्थिति में नहीं पहुँच पाई कि राज्य के नागरिकों को कम्प्यूटरीकरण के निर्दिष्ट लाभ प्राप्त हो सकें।

3.4.17 अनुशांसाएं

राज्य में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शासन को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लिया गया डेटा सही है, साथ ही सावधिक अद्यतन एवं पूर्णता सुनिश्चित हो।
- तहसील और जिला स्तरों पर प्रभावी मैदानी निरीक्षण नियमित अन्तराल पर (मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक) लागू किया जाना चाहिए। निरीक्षण और मूल्यांकन तंत्र का समावेश एवं निष्ठापूर्वक क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।
- योजना को लागू करने हेतु बनाई गई राज्य, जिला एवं तहसील स्तरीय समितियों को प्रभावी करके उनके कार्यकलापों में कसावट लाना चाहिए।
- डेटा के अद्यतन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम का निर्धारण और नैतिक सतर्कता से उसका पालन किया जाना चाहिए। उसी प्रकार बैकअप और सुरक्षा नीति का भी निर्धारण और पालन किया जाना चाहिए।
- समय समय पर पुनरीक्षण पाठ्यक्रम और कम्प्यूटर प्रशिक्षण द्वारा नियोजित जनशक्ति की कुशलता विकसित की जानी चाहिए और क्रय किये गये हार्डवेयर का अनुकूलतम उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए आवश्यक वार्षिक रखरखाव हेतु अनुबंध किये जाने चाहिए।
- भू-अभिलेखों की हस्तचालित पद्धति में उपलब्ध आवश्यक सुविधाएं कम्प्यूटर प्रणाली में प्रदान की जानी चाहिए और साफ्टवेयर विकसित करने के लिए आधारभूत मंच और एकरूपता निश्चित की जानी चाहिए।
- अधोसंरचना निर्माण के लिए व्यय और योजना का क्रियान्वयन पारदर्शिता के साथ वित्तीय सिद्धांतों का पालन करते हुए जवाबदेही से किया जाना चाहिए।

वन विभाग

3.5 राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों का संरक्षण

3.5.1. प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ राज्य का वन क्षेत्रफल 59722 वर्ग किलोमीटर (44 प्रतिशत) है। राज्य सरकार ने वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 14 आरक्षित क्षेत्रों की घोषणा की है जिनमें तीन राष्ट्रीय उद्यान एवं 11 अभ्यारण्य हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 8023 वर्ग किलोमीटर है, जो कि वन क्षेत्रफल का 13 प्रतिशत है। भारत सरकार द्वारा इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान को फरवरी 1983 में "बाघ परियोजना" क्रियान्वयन हेतु चयनित किया गया था। वर्ष 2001-06 तक की अवधि के दौरान वन्य प्राणी संरक्षण हेतु किए गए विभिन्न प्रयासों की समीक्षा दो राष्ट्रीय उद्यान¹ एवं तीन अभ्यारण्यों² के अभिलेखों की नमूना जाँच के माध्यम से दिसम्बर 2005 एवं जून 2006 के दौरान की गई थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष आगामी कंडिकाओं में दिए गए हैं।

3.5.2 वित्तीय प्रबंधन

वन्य प्राणी संरक्षण के विकास कार्य हेतु आयोजना निधियाँ चार स्रोतों से प्राप्त हुईं। भारत सरकार ने केन्द्र प्रवर्तित योजना "राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास" राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के चारों ओर ईको विकास एवं बाघ संरक्षण में "बाघ परियोजना एवं ईको विकास" के अंतर्गत अनावर्ती व्यय के विशिष्ट कार्य एवं आवर्ती व्यय के निर्धारित कार्य हेतु शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी थी। आवर्ती व्यय की अन्य मदों हेतु भारत सरकार को 50 प्रतिशत तथा राज्य सरकार को समरूपी 50 प्रतिशत निधि उपलब्ध कराना था। राज्य आयोजना अंतर्गत योजना "वन्य प्राणियों का संरक्षण एवं विकास" वर्ष 2005-06 में आरम्भ की गई। राज्य सरकार ने आयोजनेत्तर व्यय के लिए निधि उपलब्ध करायी। समस्त निधियाँ राज्य के बजट के माध्यम से उपलब्ध कराई गई थी।

3.5.2.1 निधियों का कम उपयोग होना

वर्ष 2001 से 2006 की अवधि के लिये वन्य प्राणियों के संरक्षण पर निधियों का प्रावधान एवं किये गये व्यय की स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

¹ इन्द्रावती एवं गुरु घासीदास

² अचानकमार, बारनवापारा एवं तोमर पिंगला

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट प्रावधान				व्यय			वचत (-) आधिक्य (+)				
	आयोजनेत र	आयोजना			कुल	आयोजनेत र	आयोजना	कुल	आयोजनेत र	प्रतिशत	आयोजना	प्रतिशत
		केन्द्रांश	राज्यांश I	कुल								
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
2001-02	4.40	3.77	1.21	4.98	9.38	3.64	2.24	5.88	(-) 0.76	17	(-) 2.74	55
2002-03	6.43	1.99	0.45	2.44	8.87	4.65	1.18	5.83	(-) 1.78	28	(-) 1.26	52
2003-04	5.38	3.85	0.60	4.45	9.83	5.53	3.63	9.16	(+) 0.15	2.8	(-) 0.82	18
2004-05	5.86	5.66	1.28	6.94	12.80	5.85	2.67	8.52	(-) 0.01	0.17	(-) 4.27	62
2005-06	6.08	6.36	1.08	7.44	13.52	5.94	4.11	10.05	(-) 0.14	2	(-) 3.33	45
योग	28.15	21.63	4.62	26.25	54.40	25.61	13.83	39.44	(-) 2.54	9	(-) 12.42	47

आयोजना प्रावधान के
47 प्रतिशत का
उपयोग न होना

वर्ष 2001-02 से 2005-06 की अवधि में विभाग आयोजना निधि के अंतर्गत 12.42 करोड़ रुपये (47 प्रतिशत) का उपयोग करने में विफल रहा। यह देखा गया कि वर्ष 2004-05 में विमुक्त की गई प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने या विलम्ब से प्रस्तुत करने के फलस्वरूप भारत सरकार ने कुल सात आरक्षित क्षेत्रों के लिए अनुमोदित 162.25 लाख रुपये में से शेष 41.22 लाख रुपये विमुक्त नहीं किए थे। संचालक, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बैकुण्ठपुर ने 12.40 लाख रुपये की वास्तविक उपयोगिता के विरुद्ध 25.62 लाख रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रस्तुत किया। उपयोगिता प्रमाण पत्र में 3000 रुपये 2001-02 से अग्रेषित किए गए थे। विस्तृत लेखा, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

3.5.3. कार्यक्रम प्रबंधन

3.5.3.1 वन्य प्राणी के लिए बजट प्रावधान

वन विभाग के बजट प्रावधान का
3.50 प्रतिशत मात्र वन्य प्राणी
संरक्षण हेतु निर्धारित किया गया
था

राज्य सरकार ने 2001-06 की अवधि में वन विभाग के लिए 1556.28 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जिसमें से 54.40 करोड़ रुपये (3.50 प्रतिशत) का स्वल्प अंश आरक्षित क्षेत्रों में वन्य प्राणी संरक्षण के लिए प्रावधानित था। भारतीय वन्य प्राणी समिति (इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लॉइफ) की अनुशंसा (सितम्बर 1985) के अनुसार राज्य के बजट में वन विभाग हेतु आवंटित निधि का 15 प्रतिशत वन्य प्राणी के लिये आवंटित होना चाहिए। वन्य प्राणी संरक्षण एवं आरक्षण हेतु कुल बजट प्रावधान में से 26.25 करोड़ रुपये (48 प्रतिशत) मात्र आयोजना गतिविधियों हेतु थे। इस आयोजना निधि का अधिकांश केन्द्र से प्राप्त हुआ था एवं राज्य ने पाँच वर्ष में अपने स्रोत से 14 आरक्षित क्षेत्रों में वन्य प्राणी संरक्षण के लिए 4.62 करोड़ रुपये मात्र आवंटित किए थे। अतः राज्य सरकार द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण एवं आरक्षण गतिविधियों को कम प्राथमिकता दी गई थी। विभाग ने वन्य प्राणी संरक्षण के लिये कम बजट प्रावधान के लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया।

बाघ परियोजना की प्रबंध योजनाएँ राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं की गयी थीं एवं वन्य प्राणी संबधन एवं संरक्षण के परीवीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए निर्धारित रूपरेखा क्रियाशील नहीं थी जिसका विस्तृत विवरण **कॉडिका 3.5.7** में दिया गया है।

3.5.3.2 सर्वेक्षण, सीमांकन, अधिसूचना एवं पुनर्वास

क्षेत्र का 48 प्रतिशत असीमांकित रहा

वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 एवं 35 के अनुसार, जैसे ही शासन किसी क्षेत्र को अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित करता है, उसकी सीमाओं का वन्य प्राणियों के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के प्रयोजनों के लिए, सर्वेक्षण, सीमांकन एवं संघनन होना चाहिए। नमूना जाँच किए गए पाँच आरक्षित क्षेत्रों में 22.82 लाख रुपये का सीमांकन कार्य पर व्यय किया गया। दो आरक्षित क्षेत्रों³ में सीमांकन कार्य पूर्ण हो चुका था एवं तीन आरक्षित क्षेत्रों में जून 1975 एवं अगस्त 2001 के मध्य प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने के बावजूद उनके कुल क्षेत्रफल के 48 प्रतिशत का सीमांकन नहीं हुआ था।

14 आरक्षित क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र के लिए अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की गई। इसका कारण, उद्यान/अभ्यारण्य में रहने वाले ग्रामवासियों के अधिकारों का विनिश्चयन न होना बताया गया।

राष्ट्रीय उद्यानों/आरक्षित क्षेत्रों में मानव बसाहटों के कारण जैविक दबाव एवं मानव हस्तक्षेप

वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 27 के अनुसार वन्य प्राणी क्षेत्रों में प्रवेश करना एवं निवास करना वन्य प्राणियों के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले। उद्यान में स्थित मानव बस्तियों का आरक्षित क्षेत्र के बाहर पुनर्वास करना आवश्यक था। नमूना जाँच किए गए पाँच आरक्षित क्षेत्रों में 146 ग्राम, 4982 परिवार एवं 31552 लोग रहते थे जिसके कारण वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं आरक्षण पर जैविक दबाव का विपरीत प्रभाव पड़ता था।

भारत सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से छः परिवारों के विस्थापन हेतु वर्ष 2003-04 में 6.00 लाख रुपये विमुक्त किए थे परन्तु ग्रामीणों के अधिकारों का विनिश्चयन न होने के कारण कोई भी व्यय भी व्यय नहीं किया गया। अचानकमार अभ्यारण्य में अधिसूचना के 27 वर्ष उपरान्त सितम्बर 2002 में पहली बार विस्थापन कार्य प्रारंभ किया गया। फरवरी 2006 में छः ग्रामों के 249 परिवार तथा 753 लोगों के पुनर्वास का प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) को प्रेषित किया गया था। इस संबंध में आगे कार्यवाही लंबित है (मार्च 2006) जैसा वनमंडल अधिकारी, बिलासपुर द्वारा सूचित किया। बारनवापारा अभ्यारण्य में तीन ग्रामों के 355 परिवारों के विस्थापन का प्रस्ताव वनमंडल अधिकारी ने जनवरी 2006 में वन संरक्षण को भेजा। अतः ग्रामों का पुनर्वास अवहेलित था इन आरक्षित क्षेत्रों के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने के समय से कोई कदम नहीं उठाए गए थे।

3.5.3.3 वन्य प्राणी क्षेत्रों का अतिक्रमण

वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 27 एवं 35(8) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अभ्यारण्य या उद्यान में अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत प्रदत्त अनुज्ञा एवं उसकी शर्तों के अनुसार प्रवेश करने, निवास करने के अतिरिक्त अभ्यारण्य या उद्यान में प्रवेश या निवास नहीं करेगा। भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया (मई 1996) कि वन्य प्राणी क्षेत्रों के अतिक्रमण का नियमन अधिनियम के अंतर्गत अनुमेय नहीं था एवं राज्य सरकार को ऐसे समस्त अतिक्रमण शीघ्र हटाना चाहिए।

³ बारनवापारा तथा तोमर पिंगला

वर्ष 2000-01 से 2004-05 की अवधि में अचानकमार अभ्यारण्य की 136.04 हेक्टेयर क्षेत्र का कृषि के उद्देश्य से अतिक्रमण किया गया। विभाग ने वर्ष 2001-02 में 4.205 हेक्टेयर (3 प्रतिशत) क्षेत्र खाली कराया था। वनमंडल अधिकारी ने कहा (मार्च 2006) कि प्रकरण न्यायालय में लंबित है, अधिकांश प्रकरणों में स्थगन नहीं दिया गया एवं ऐसे में राज्य सरकार विधि विभाग से परामर्श कर अतिक्रमण हटाने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर सकती है।

3.5.3.4 आरक्षित क्षेत्र में पशुधन की संख्या

वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 35(7) उद्यान/अभ्यारण्य में पशु चराना वर्जित करती है। आरक्षित क्षेत्रों के अंदर एवं आसपास के 240⁴ ग्रामों में 76903⁵ की संख्या में पशुधन था। घास चराई को नियंत्रित करने हेतु संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पशु अवरोधक खंतियाँ या फेंसिंग जैसे कार्य नहीं कराए गए थे। बारनवापारा अभ्यारण्य में 12.6 किलोमीटर पशु अवरोध खंतियाँ बनायी गयी थीं (मार्च 2006) परन्तु वहाँ कोई फेंसिंग नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में पशुधन द्वारा अवैध घास चराई को रोकने के लिये आवश्यक संरक्षण कदम के अभाव में आरक्षित क्षेत्रों में शाकाहारी वन्य प्राणियों के चारे में कमी उत्पन्न होगी।

3.5.4 सुरक्षा उपाय

3.5.4.1 संचार तंत्र

राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के अंदर वन्य प्राणियों एवं उनके रहवास को शिकार, अतिक्रमण एवं अन्य अवैध गतिविधियों से सुरक्षा देने के लिये वायरलेस नेटवर्क, वन मार्ग एवं वाहन जैसे संचार के साधन हैं। वर्ष 2001-06 अवधि के दौरान संचार नेटवर्क स्थापित करने पर 1.45 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं जिसमें से सबसे ज्यादा वन मार्ग निर्माण (1.04 करोड़ रुपये) एवं वाहनों के क्रय पर 20.77 लाख रुपये का व्यय किया गया है। वायरलेस संचार पर जैसे टावर, स्टेशन एवं यंत्रों पर मात्र 19.02 लाख रुपये व्यय हुआ था।

बारनवापारा एवं अचानकमार अभ्यारण्यों में वायरलेस सेट चालू थे परन्तु तोमर पिंगला अभ्यारण्य एवं इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान में ये उपलब्ध नहीं थे। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के 12 वायरलेस हेण्डसेट जिला पुलिस, कोरिया को सितम्बर 2003 में विधानसभा चुनाव हेतु प्रदाय किए गए थे जो मार्च 2006 में वापस किए गए। संचालक, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ने कहा (अप्रैल 2006) कि उद्यान क्षेत्र में नक्सल समस्या के कारण वायरलेस सेट्स कर्मचारियों को वितरित नहीं किए गए थे जो तीन दिवस के अंदर किए जावेंगे। यह स्पष्ट नहीं था कि इतनी कम अवधि में कैसे वायरलेस सेट्स का वितरण कर दिया जावेगा।

⁴ इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान 56, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 93, अचानकमार 37, बारनवापारा 54

⁵ इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान 22330, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 28145, अचानकमार अभ्यारण्य 7129 और बारनवापारा अभ्यारण्य 19299

वाहन क्रय

वर्ष 2002-03 में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा "बाघ परियोजना" के लिये दो जिप्सी एवं एक टाटा सुमो वाहन हेतु 9.75 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति (जुलाई 2002) के विरुद्ध इन्द्रावती टाइगर रिजर्व, जगदलपुर ने एक टोयोटा क्वालिस एवं दो महेन्द्रा बोलेरो 13.07 लाख रुपये में 2002-03 के दौरान क्रय की थीं। टोयोटा क्वालिस वन मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर को आवंटित की गई थी (जनवरी 2004)।

क्षेत्र संचालक ने कहा (दिसम्बर 2005) कि वाहनों के मूल्य में वृद्धि होने के कारण क्रय की लागत में वृद्धि हुई तथा टोयोटा क्वालिस वाहन, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) के 6 जनवरी 2004 के आदेश के परिपालन में वनमंत्री को अंदरूनी वन क्षेत्र में दौरे के लिये हस्तांतरित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वाहनों की अपेक्षा कीमती वाहनों क्रय की गई थीं।

3.5.4.2 अवैध शिकार निरोधक परिचालन

अवैध शिकार एवं पशुओं के अंगों का अवैध व्यवसाय, वन्य प्राणी का मुख्य खतरा है। नमूना जाँच किए गए पाँच संरक्षित क्षेत्रों में से अचानकमार अभ्यारण्य में अवैध शिकार निरोधक दस्ता गठन किया गया था एवं वर्ष 2000-01 में अवैध शिकार निरोधक दस्ता के गठन एवं गश्त पर एक लाख रुपये का व्यय किया गया परन्तु किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र एवं गोला बारूद आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। वर्ष 2000-01 से 2004-05 की अवधि में सात अवैध शिकार के प्रकरण न्यायालय में लंबित थे। बारनवापारा अभ्यारण्य में वर्ष 2004-05 में चार अवैध शिकार निरोधक दस्ते प्रत्येक दस्ता चार सदस्यों से शामिल कर गठन किया गया जबकि वर्ष 2000-03 की अवधि के दौरान पाँच अवैध शिकार के प्रकरण दर्ज किए गए थे। इन दस्तों को भी किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र एवं गोला-बारूद उपलब्ध नहीं कराया गया था। तोमर पिंगला अभ्यारण्य, इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में एक भी अवैध शिकार निरोधक दस्ता गठित नहीं किया गया था और केवल चार बंदूकें 2799.086 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान की सुरक्षा के लिए उपलब्ध थीं। उपलब्ध बंदूकें भी पुलिस थाना में जमा थीं। तोमर पिंगला अभ्यारण्य के प्रकरण में भी चार बंदूकें दक्षिण सरगुजा वनमंडल (जनवरी 2003) में जमा की गई थीं। रात के समय में दूर की वस्तु को पास दिखने वाले यंत्र (नाईट विजन बाइनोक्यूलर्स) कहीं पर भी उपलब्ध नहीं थे। जहाँ कहीं अवैध शिकार की रोकथाम के लिये अवैध शिकार निरोधक दस्ते गठित किए गए उनके पास शिकार से निपटने के लिए विशेष प्रकार के साधन नहीं थे। इस प्रकार अवैध शिकार निरोधक परिचालन की अपेक्षा की गई थी। शासन का उत्तर भी सितम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था। .

3.5.4.3 अग्नि सुरक्षा

राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य क्षेत्रों के वृक्षों एवं वन्य प्राणियों को आग से गंभीर खतरा बना रहता है। आग का निवारण एवं नियंत्रण, उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के प्रबंधन उपायों का एक महत्वपूर्ण घटक है। वर्ष 2001-05 अवधि में नमूना जाँच किए गए पाँच आरक्षित क्षेत्रों में 138 अग्नि प्रकरणों में 2318 हेक्टेयर प्रभावित हुआ। वर्ष 2000-03 अवधि में

अचानकमार अभ्यारण्य में अग्नि सुरक्षा के लिए कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई थी और वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के लिए क्रमशः एक लाख रुपये एवं 1.50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे। विश्व वन्य प्राणी निधि वर्ष 2004-05 में अचानकमार अभ्यारण्य को 200 अग्नि शमन यंत्र (फायर बीटर्स) उपलब्ध कराए थे। तथापि, उक्त दोनों वर्षों के दौरान अग्नि प्रकरणों की संख्या तथा उससे प्रभावित क्षेत्र में वृद्धि हुई थी। शासन का उत्तर अगस्त 2006 तक प्रतीक्षित था।

3.5.4.4 पशु चिकित्सा सुविधाओं की अनुपलब्धता

किसी भी अभ्यारण्य में पशु चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध नहीं थीं

वन्य पशुओं के इलाज के लिये उद्यानों एवं अभ्यारण्यों में पशु रोग से संबंधित स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करना आवश्यक था। नमूना जाँच किए गए किसी भी उद्यान एवं अभ्यारण्य में चिकित्सक एवं अमला नहीं थे। किसी भी आरक्षित क्षेत्र में पशु रोग चिकित्सकों के पद स्वीकृत नहीं थे।

अधिनियम की धारा 33 के अनुसार अभ्यारण्य में या अभ्यारण्य की सीमा से पाँच किलोमीटर के अन्दर टीकाकरण केन्द्र होना चाहिए जो पशुधन को अस्वभाविक मृत्यु से बचाने के लिये आवश्यक है। नमूना जाँच किए गए पाँच आरक्षित क्षेत्रों में वर्ष 2001-06 की अवधि में टीकाकरण पर कुल 6.74 लाख रुपये का व्यय किया गया था।

3.5.4.5 वन्य प्राणी प्रबंधन प्रशिक्षण

प्रथम पंक्ति कर्मचारी वन्य प्राणी संरक्षण में अप्रशिक्षित रहे थे

नमूना जाँच किए गए पाँच आरक्षित क्षेत्रों में वन्य प्राणी प्रबंधन में उचित प्रशिक्षण देना था। वर्ष 2001-06 की अवधि में कुल 176 प्रथम पंक्ति कर्मचारियों (वनपालों एवं वनरक्षकों) में से केवल 29 को वानिकी पर प्रशिक्षण दिया गया था। वन्य प्राणी संरक्षण के लिए अलग से कोई प्रशिक्षण विषय नहीं था।

3.5.4.6 वन्य प्राणियों की संख्या

छत्तीसगढ़ में स्थित विभिन्न आरक्षित क्षेत्रों में वन्य प्राणी गणना की समीक्षा में प्रकट हुआ कि कुछ आरक्षित क्षेत्रों में पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई एवं अन्य कुछ क्षेत्र में संख्या प्रायः स्थिर थी।

वन भैंसा जो कि राज्य पशु है, भोरमदेव अभ्यारण्य में लुप्त हो चुका है एवं अन्य अभ्यारण्यों में वन प्राणियों की संख्या में कमी को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य वन्य प्राणी भी लुप्त प्राय होने के संकट में हैं। विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों की संख्या का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 3.5 में दर्शाया गया है।

इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान में शेरों की संख्या वर्ष 2001 में 19 से बढ़कर वर्ष 2005 में 27⁶ हो गई। लेखापरीक्षा जाँच में दृष्टिगत हुआ कि वर्ष 2001-05 अवधि में कुल स्वीकृत राशि 13.80 लाख रुपये के विरुद्ध 1.20 लाख रुपये (8.69 प्रतिशत) शेर की गणना पर व्यय किए गए। वर्ष 2000-01 एवं 2001-02 में क्रमशः 1.50 लाख रुपये एवं 0.50 लाख रुपये की उपलब्धता के बावजूद, राशि शेर की गणना पर व्यय नहीं की

⁶ 12 शेर, 13 शेरनी और 02 शावक

गई एवं व्यय के बिना गणना कर दी गई। केवल वर्ष 2004-05 का पगमार्क ट्रेसिंग शीट्स⁷ प्लास्टर कास्टस आदि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये। क्षेत्र संचालक, इन्द्रावती टाइगर रिजर्व ने कहा (मार्च 2006) कि वर्ष 2001-03 की गणना से संबंधित सभी वस्तुएँ अन्यत्र सेमीनार के लिये भेजी गयी थीं एवं जैसे ही प्राप्त होंगी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की जावेंगी। परन्तु ट्रेसिंग की छायाप्रतियाँ भी उपलब्ध नहीं थीं। मूल साक्ष्यों के अभाव में शेरों की गणना की प्रमाणिकता एवं यथार्थता सत्यापित नहीं की जा सकी।

3.5.4.7 वन्य प्राणी मृत्यु

बाघ परियोजना, निदेशक ने निर्देश दिया (सितम्बर 2001) कि शेरों के प्राकृतिक निवास स्थल में अर्ध-वार्षिकी, मृत्यु का सर्वेक्षण किया जाए तथा शेरों एवं अन्य वन्य प्राणियों की मृत्यु होने पर विशेष रूप से उम्र/लिंग का निर्धारण कर प्रतिवेदन प्रेषित करें। इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अभिलेख यह साक्ष्य सूचित नहीं करते कि उक्त प्रकार का कोई सर्वेक्षण (सर्वे) वर्ष 2000-01 से 2004-05 के बीच हुआ था। क्षेत्र संचालक, आई.टी.आर. ने सूचित किया (अप्रैल 2006) कि वर्ष 2000-01 से 2004-05 के बीच शेरों की मृत्यु का एक भी प्रकरण प्रतिवेदित नहीं किया गया। शेरों की मृत्यु के संबंध में कोई भी प्रतिवेदन बाघ परियोजना संचालनालय को नहीं भेजा गया। बारनवापारा अभ्यारण्य में वर्ष 2001 से 2005 के मध्य 33 वन्य जीवों की मृत्यु (हिरण, बायसन, सांभर) को प्रतिवेदित किया गया था।

3.5.5. मानव संसाधन

आरक्षित क्षेत्रों में वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण, विकास योजना क्रियान्वयन में मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण घटक है। वन विभाग के लिए कुल 11023 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 612 (5.6 प्रतिशत) विभाग के वन्य प्राणी शाखा के लिए चिन्हित हैं। 31 मार्च 2006 की स्थिति में स्वीकृत 612 पदों में से 105 पद (17 प्रतिशत) रिक्त पड़े थे।

परिक्षेत्र अधिकारी, क्षेत्रों में जमीनी कार्यों के क्रियान्वयन तथा योजना को लागू कराने के लिए उत्तरदायी था। पाँच परिक्षेत्रों⁸ में कोई भी परिक्षेत्र अधिकारी अभ्यारणों में पदस्थ नहीं था। वनरक्षक/वनपाल, क्रियान्वयन स्तर पर कार्य करते हैं और आरक्षित क्षेत्रों में क्रियाकलापों से संबंधित बुनायादी जानकारी उपलब्ध कराने और सुरक्षा करने के लिए उत्तरदायी हैं। वनरक्षक/वनपाल के स्वीकृत 335 पद में से 90 (27 प्रतिशत) रिक्त पड़े थे। अधिकांश वनरक्षक/वनपाल 45 वर्ष से अधिक उम्र के थे। चूंकि उनका कार्य पैदल गश्त करना है, यह उम्र उक्त कार्य में सहायक नहीं है। यह स्पष्ट है कि मानव संसाधन संरक्षण संबंधी विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का संचालन करने हेतु अपर्याप्त था।

3.5.6. अन्य बिन्दु

3.5.6.1 कपटपूर्ण व्यय

कार्यालय उप संचालक, इन्द्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (जनवरी 2006) में प्रकट हुआ कि:

⁷ पगमार्क ट्रेसिंग शीट:-शेर के पंजे को ट्रेसिंग पेपर पर उतारना

⁸ पामेड़, भैरमगढ़, सेमरसोत, बादलखोल एवं उदन्ती

- सीमांकन के लिए 75 पक्का मुनारों⁹ का निर्माण/मरम्मत की गई थी उनमें प्रयुक्त होने वाले सीमेंट का क्रय, कार्य पूर्ण होने के पश्चात् किया गया। जो कि संभव नहीं था एवं इससे प्रतीत होता है कि उपरोक्त कार्य पर किया गया 0.75 लाख रुपये का व्यय कपटपूर्ण था।
- मजदूरी भुगतान में 1.34 लाख रुपये का कपटपूर्ण व्यय किया गया। इससे ऐसे मजदूरों को तथा कथित भुगतान किया गया जिन्हें एक ही समय पर अलग-अलग स्थानों पर कार्य करना बताया गया।

उप संचालक, इन्द्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर ने कहा (जनवरी 2006) कि मामले की जाँच कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जावेगा।

3.5.6.2 दोषपूर्ण माप

वन जीवों को पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2003-04 में 3.27 लाख की लागत से 20 झिरियों¹⁰ का निर्माण किया गया।

उप संचालक, इन्द्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर के लेखों की नमूना जाँच (जनवरी 2006) में प्रकट हुआ कि चार परिक्षेत्रों¹¹ में झिरियों का निर्माण किया गया था। इनके परिमाण कुएँ के समान थे जिससे वन्य प्राणी अपने आप पानी नहीं पी सकते थे। अतः उपरोक्त निर्माण कार्य पर किया गया व्यय 3.27 लाख रुपये गलत था और मामले की जाँच की आवश्यकता थी।

3.5.6.3 कर्रा पेड़ों की अनियमित कटाई

बारनवापारा अभ्यारण्य के लेखों की नमूना जाँच (मई 2006) किये जाने पर प्रकट हुआ कि उपखण्ड क्रमांक 161,163,164 के 50 हेक्टर क्षेत्र में 26.09.2005 से 07 नवंबर 2005 के मध्य सी.बी.ओ.(कट बैंक ऑपरेशन) कार्य के अंतर्गत कर्रा पेड़ों की कटाई की गई थी।

यह बताया गया कि उपरोक्त कटाई से 19900 बल्ली और 355 जलाऊ चट्टे प्राप्त हुये थे और उसे अभ्यारण्य के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनके वास्तविक उपयोग के लिए मुफ्त में वितरित किया गया था। निश्चित तौर पर कितने पेड़ों की कटाई की गई तथा उनके माप क्या थे लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया। वनमंडलाधिकारी, रायपुर ने उत्तर में कहा कि वार्षिक एक्शन प्लान (ए.पी.ओ.) वर्ष 2005-06 के अनुसार "कर्रा सी.बी.ओ." कार्य क्रियान्वित किया गया था।

वनमंडलाधिकारी का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था। सी.बी.ओ.कार्य का अर्थ जीवित टूठों को तराशकर कोयले देने वाले पौधे विकसित करना है न की वृक्षों की कटाई है। वार्षिक एक्शन प्लान में कहीं भी वृक्षों की कटाई दर्शायी नहीं गयी थी। इस प्रकार बिना किसी विदोहन योजना के वृक्षों की अनियमित कटाई की गई थी एवं ग्रामीणों को इसके

⁹ राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारण्यों के सीमांकन के लिए सीमेंट क्रंकीट पिलर लगाना

¹⁰ ग्रीष्म काल की अवधि में वन्य प्राणियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु नाला के तट पर झिरिया निर्माण

¹¹ बीजापुर, कुचु, सेन्द्रा तथा भैरमगढ़

वितरण द्वारा निपटान सत्यापन योग्य नहीं था। काष्ठ का आयतन एवं मूल्य की भी जानकारी नहीं थी मामले की जाँच की आवश्यकता है।

3.5.7. परिवीक्षण एवं मूल्यांकन

रूपरेखा

विभिन्न बोर्डों/समितियों का गठन न होने/विलंब से होने एवं कार्यरत न होने के कारण परिवीक्षण एवं मूल्यांकन का अभाव था।

3.5.7.1 वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार राज्य सरकार, संशोधन अधिनियम (सितम्बर 2003) प्रारंभ होने की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर एक राज्य वन्य जीव बोर्ड गठित करेगी जिसका अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होगा और धारा 7 के अनुसार वर्ष में कम से कम दो बार बोर्ड की बैठक होगी। बोर्ड का गठन अक्टूबर 2004 में हुआ और गठन के पश्चात् बोर्ड की बैठक केवल एक बार जुलाई 2005 में हुई थी।

3.5.7.2 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 64 के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन ने जुलाई 2006 तक कोई नियम या अधिनियम नहीं बनाया और मध्यप्रदेश शासन द्वारा बनाए गए अधिनियम या नियम¹² लागू किए। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तविक रूप से अधिनियम या नियम को अपनाया गया क्योंकि आदेश/अधिसूचना की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई और न ही आदेश/अधिसूचना की दिनांक लेखापरीक्षा को सूचित की गई।

3.5.7.3 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 33 बी के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार, एक सलाहकार समिति का गठन करेगी जिसका मुख्य वन जीव संरक्षक अथवा वन संरक्षक से अनिम्न पद का या उसके द्वारा नामित व्यक्ति होगा तथा उसमें उस राज्य विधान मण्डल का सदस्य, जिसके निर्वाचन क्षेत्र में वह अभ्यारण्य स्थित है और गैर सरकारी संगठन के अन्य प्रतिनिधि सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) ने सूचित किया कि प्रस्ताव राज्य सरकार को (दिसम्बर 2004) अधिसूचना जारी करने हेतु भेजा गया था जो अब तक लंबित था (जुलाई 2006)।

3.5.7.4 भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (बाघ परियोजना) के निर्देशानुसार (सितंबर 2001) राज्य सरकार के स्तर पर "परिवीक्षण एवं मूल्यांकन" हेतु एक समिति का गठन किया जाना था ताकि परियोजना के क्रियान्वयन तथा प्रगति की समीक्षा कर उसकी रिपोर्ट नियत अवधि में प्रस्तुत की जा सके। राज्य सरकार ने समिति का गठन (फरवरी 2005) किया लेकिन नियत तिथि अगस्त 2005 और जनवरी 2006 को भारत सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित न होने के कारण नियत बैठक नहीं हो सकी और समिति की एक भी बैठक अब तक नहीं हुई।

विभिन्न स्तरों पर मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन किये जाने हेतु विविध समितियों की आवश्यकता थी जिनका गठन या तो नहीं हुआ या उनका क्रियाकलाप अभी-अभी शुरू

¹² मध्यप्रदेश राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1955 और वन्य प्राणी (संरक्षण) नियम 1974

हुआ है। वन्य जीवों के संरक्षण को अधिक प्राथमिकता प्रदान करने के लिए उक्त समितियों का गठन किया जाना चाहिए था।

3.5.8. निष्कर्ष

वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं रहवास के उद्देश्य को बहुत कम प्राथमिकता दी गई थी। निधियों की न्यून उपयोगिता थी, किसी भी अभ्यारण्य के लिए अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की गई। सीमांकन एवं पुर्नवास बहुत धीमा था, संचार तंत्र बहुत ही सीमित था। अवैध शिकार निरोधक परिचालन मुख्य रूप से उपेक्षित थे। अभ्यारण्यों में पशुरोग संबंधित सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं, वनरक्षक अप्रशिक्षित एवं अधिक उम्र के थे और कुछ अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों की संख्या में गिरावट पाई गई। विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लिये विभिन्न निकायों का गठन या तो नहीं किया गया या असावधानी से कार्य कर रही हैं।

3.5.9. अनुशंसाएँ

- वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु बजट आवंटन की समीक्षा होनी चाहिए जिससे इस गतिविधि को उच्च प्राथमिकता दी जा सके।
- समस्त अभ्यारण्यों के लिए सीमांकन कार्य जल्द से जल्द पूर्ण किया जाना चाहिए। शासन को विधि विभाग के परामर्श से अभ्यारण्यों में से ग्रामिणों को हटाने की शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।
- संचार तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए।
- कुछ राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्यों में कुछ वन्य प्राणियों की संख्या में तेजी में गिरावट के कारणों की जाँच कर उनके संरक्षण के लिये आवश्यक अल्पावधि एवं दीर्घावधि उपाय किये जाने चाहिए।
- राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारण्यों में विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन की परिवीक्षा एवं मूल्यांकन के लिये निर्धारित रूपरेखा को पूर्ण रूप से कार्यशील करना चाहिए।

उपरोक्त बिन्दु शासन के ध्यान में लाए गए थे (अगस्त 2006); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

चौथा अध्याय

4.1 कपटपूर्ण आहरण/दुर्विनियोजन/गबन/हानियाँ/अधिक भुगतान

वन विभाग

4.1.1 डिपो के भौतिक सत्यापन पर संशयित कपटपूर्ण व्यय

डिपो के तथाकथित भौतिक सत्यापन पर 24.68 लाख रुपये के मजदूरी भुगतान पर संदेहास्पद कपटपूर्ण व्यय

वन संरक्षक वृत्त, रायपुर कार्यालय में बिना उच्च अधिकारियों के स्वीकृति के एवं बजट प्रावधान के आरा मिलों के सत्यापन पर उड़नदस्ता द्वारा तैयार किये गये मजदूरी भुगतान वाउचरों द्वारा 2.29 करोड़ रूपयों का कपटपूर्ण व्यय का 31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक 4.1.1 में उल्लेख किया गया था।

वन संरक्षक, रायपुर कार्यालय के अभिलेखों की और जाँच (अप्रैल 2005) में पाया गया कि उप वनमंडल अधिकारी/रेंज अधिकारी द्वारा पाँच मंडलों¹ के अंतर्गत प्रचालित 130 डिपो का नियमित मंडलीय गतिविधि के रूप में भौतिक सत्यापन 30 जून 2003 से 17 दिसम्बर 2003 के बीच किया गया था। प्रमाणकों के जाँच में पाया गया कि उसी अवधि में वृत्त स्तरीय उड़नदस्ता द्वारा उन्हीं पाँच मंडलों के अंतर्गत 30 डिपो का तथाकथित भौतिक सत्यापन (4 अप्रैल 2003 से 21 फरवरी 2004) कर मजदूरों को भुगतान करने संबंधी 24.68 लाख रूपयों के प्रमाणक प्रस्तुत किए गए।

चूंकि उड़नदस्ता, वन संरक्षक, रायपुर वृत्त के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्यरत था अतः डिपो के तथाकथित भौतिक सत्यापन पर व्यय भी वन संरक्षक, रायपुर वृत्त कार्यालय को विकलनीय था। तथापि यह व्यय तीन अन्य वनमंडल (रायपुर पूर्व: 2.82 लाख रुपये महासमुंद: 7.79 लाख रुपये, उदंती गरियाबंद: 7.82 लाख रुपये एवं वन संरक्षक, रायपुर: 6.25 लाख रुपये) के मध्य विभाजित किया गया। उदंती गरियाबंद वनमंडल में विकलित किया गया संपूर्ण व्यय 7.82 लाख रुपये धमतरी वनमंडल के अंतर्गत आने वाले डिपो के भौतिक सत्यापन पर था। जाँच में पाया गया कि स्थायी निर्देशों के विपरीत समस्त प्रमाणकों को स्वीकार किया गया एवं बिना उप वनमंडल अधिकारियों के सत्यापन एवं जाँच के संबंधित वनमंडल अधिकारियों एवं वनसंरक्षक द्वारा भुगतान हेतु पारित किया गया। कुछ मामलों में मजदूरी भुगतान की पावती मस्टर रोल में दर्ज नाम के स्थान पर किसी दूसरे के द्वारा दी गई थी।

आगे पाँच डिपो² जहाँ तथाकथित भौतिक सत्यापन पर 6.63 लाख³ रुपये शामिल थे, के प्रतिसत्यापन (मई 2006) में पाया गया कि उड़नदस्ता द्वारा प्राप्ति, निर्गम एवं स्कंध

¹ धमतरी, महासमुन्द, रायपुर पूर्व, रायपुर सामान्य एवं उदंती गरियाबंद

² सिमगा, मंदिरहसौद, खरोरा, धमतरी एवं कुरुद

³ धमतरी- (6.07 लाख रुपये), कुरुद- (0.29 लाख रुपये), खरोरा- (0.10 लाख रुपये), मंदिरहसौद- (0.08 लाख रुपये), सिमगा- (0.09 लाख रुपये)

पंजी का सत्यापन नहीं किया गया। संबंधित डिपो मैनेजर/वनमंडल अधिकारी द्वारा भी कहा गया (मई 2006) कि उड़नदस्ता द्वारा प्रश्रित अवधि में डिपो का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। इस तरह डिपो के भौतिक सत्यापन पर किया गया रूपये 24.68 लाख का व्यय संदेहास्पद है।

शासन द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमति व्यक्त की गई (सितम्बर 2005) एवं बताया कि उपरोक्त कार्यों पर किया गया व्यय पूर्णतः कपटपूर्ण एवं एक सुनियोजित षडयंत्र के अंतर्गत किया गया था। शासन द्वारा की गई कार्यवाही अपेक्षित है (दिसम्बर 2006)।

4.1.2 स्टाप डेम्स के निर्माण पर संदिग्ध कपटपूर्ण व्यय

गेमरेंजर, पामेड़ (बीजापुर) द्वारा रोकड़ पुस्तिका में बिना पर्याप्त शेष राशि के 7.16 लाख रूपये का एवं स्टॉप डेम के निर्माण पर 7.68 लाख रूपये का संदिग्ध कपटपूर्ण व्यय

उप संचालक, इंद्रावती बाघ रिजर्व (डी.डी.आई.टी.आर.), बीजापुर (दंतेवाड़ा) के अभिलेखों की नमूना जाँच (जनवरी 2006) में पाया गया कि गेम रेंजर को वन अग्रिम के रूप में 7.50 लाख रूपये के पाँच चैक, मजदूरी एवं अन्य आकस्मिकताओं के भुगतान हेतु जारी हुए जिनमें से कोई भी चैक वास्तविक रूप से बैंक में भुनाने हेतु प्रेषित किये बिना रेंजर रोकड़ पुस्तिका में 16 से 20 दिसम्बर तक प्राप्ति में लिया गया। प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बीजापुर ने पुष्टि की, कि पाँच चैक्स का भुगतान 21 से 23 दिसम्बर 2004 के बीच हुआ। दिनांक 16 से 21 दिसम्बर 2004 के रोकड़ पुस्तिका में प्रविष्टियों एवं वास्तविक अंतिम शेष का वितरण निम्न तालिका में दर्शाया गया:

तालिका-1

दिनांक	रोकड़ पंजी के अनुसार					वास्तविक वस्तुस्थिति		
	प्राप्ति		भुगतान			रोकड़ पंजी के अनुसार योजना उपलब्ध शेष राशि	वास्तविक उपलब्ध राशि	बैंक स्क्रॉल के अनुसार चैक का भुगतान दिनांक
चैक क्रमांक	चैक की राशि	तथाकथित भुगतान की गई राशि	व्हाउचर क्रमांक एवं दिनांक					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
16.12.2004	प्रारंभिक शेष				6774	6774		
16-12-04	267455	150000	151163	14 से 18 16-12-04	5611	6774	21-12-04	भुगतान संभव नहीं, अपर्याप्त राशि
17-12-04	267456	150000	148265	19 से 25 17.12.04	7346	6774	21-12-04	
18-12-04	267458	150000	135193	26 से 30 18.12.04	22153	6774	22-12-04	
19-12-04 (रविवार)	267459	150000	127691	31 से 34 19.12.04	44462	6774	22-12-04	
20-12-04	267460	150000	161434	35 से 39 20.12.04	33,028	6774	23-12-04	
21-12-04	267461	150000	311934	40 से 56 21.12.04	-128906	6774 + 300000 का चैक क्र.267455, 267456 द्वारा भुगतान	23-12-04	रु.3,06,774 का भुगतान संभव

तालिका से यह देखा जा सकता है कि दिनांक 16 से 20 दिसम्बर तक का 7.23 लाख रूपये का तथाकथित भुगतान संभव नहीं था क्योंकि गेम रेंजर के पास 6,774

रूपये ही उपलब्ध थे। यदि रोकड़ पंजी रोजाना बंद किया जाता तो 21 दिसम्बर 2004 को यह ऋणात्मक शेष दर्शाता।

45 व्हाउचर्स की नमूना जांच में से 11 भुगतान व्हाउचर्स में उपरिलेखन एवं सफेदा लगाकर निष्पादित कार्य की मात्रा एवं मजदूरों की नियुक्ति की अवधि बदलना पाया गया। व्हाउचर बिना दिनांक के हस्ताक्षरित थे एवं मुख्य दिनांक खाने में केवल "दिसम्बर 2004" अंकित था। इन कमियों के साथ नकदी रोकड़ के बिना असंभावित बड़ा भुगतान किये जाने को जोड़ने पर दर्शित था कि दिनांक 16 से 20 दिसम्बर तक 7.16 लाख⁴ रूपये का तथाकथित भुगतान किया जाना संदेहास्पद था।

उप संचालक, इंद्रावती बाघ रिजर्व, बीजापुर ने बताया (फरवरी 2006) कि गेम रेंजर ने चैक्स को बाद के दिनांकों में भुनाया क्योंकि वह मुख्यालय से बाहर था तथा चैक्स के धनीगत (भुनाने) होने की प्रत्याशा में मजदूरों का भुगतान स्थानीय व्यवस्था कर किया गया।

उप संचालक, इंद्रावती बाघ रिजर्व का उत्तर स्व-विरोधी था एवं मान्य नहीं था। यदि गेम रेंजर मुख्यालय से बाहर था तो गेम रेंजर के पक्ष में चैक जारी नहीं किया जाना चाहिए था। यह भी अकल्पनीय है कि दुर्गम क्षेत्र पर नहीं रहते हुए भी उसके द्वारा इतनी बड़ी रकम की स्थानीय व्यवस्था की जा सकी। साथ ही रेंजर ने चैक्स को भुनाए बिना रोकड़ पंजी में राशि को प्राप्ति में दर्शाया जो एक मिथ्याप्रदर्शन था।

4.1.2.2 केन्द्र प्रवर्तित योजना "प्रोजेक्ट टाइगर-इको डेवलेपमेंट योजना" के अंतर्गत भारत शासन ने तीन स्टॉप डेम निर्माण हेतु वर्ष 2003-04 में 12 लाख रूपये विमुक्त किये थे। उप संचालक, इंद्रावती बाघ रिजर्व, बीजापुर ने एलेगेंड्रा (बीजापुर रेंज) एवं एडकापल्ली (कुट्टू रेंज) में दो स्टॉप डेम निर्माण हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2004) जिनका निर्माण 7.68 लाख रूपये की लागत से हुआ था। सामग्री के क्रय/संग्रहण, परिवहन एवं खपत के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2006) में अबोधय विसंगतियाँ पायी गई जैसा नीचे दर्शाया गया है:

सामग्री के क्रय/संग्रहण से पहले खपत

वस्तु का नाम	कार्य का नाम	मात्रा	खपत का दिनांक	क्रय दिनांक	संग्रहण एवं परिवहन दिनांक
सीमेंट	40 मि.मी. गिट्टी के साथ 1:3:6 नींव भराई	429 बैग	19.2.04-26.2.04	27.2.04	
		429 बैग	1.2.04-15.2.04	27.2.04	
	20 मि.मी. गिट्टी के साथ 1:2:4 आर.सी.सी. कार्य	56 बैग	20.2.04-26.2.04	29.2.04	
		56 बैग	24.2.04-28.2.04	29.2.04	
	40 मि.मी. गिट्टी के साथ 1:3:6 आर.सी.सी. कार्य	54 बैग	19.2.04-28.2.04	28.2.04	
		54 बैग	16.2.04-23.2.04	29.2.04	
40 मि.मी. गिट्टी	रबल स्टोन के साथ 1:6 सी.सी. कार्य	494 बैग	16.2.04-26.2.04	28,29.2.04	
	22 मि.मी. गिट्टी के साथ 1:6 सी.सी. कार्य	79 बैग	20.2.04-29.2.04	29.2.04	
	1:3:6 नींव भराई कार्य	89.6 घ.मी.	19.2.04-26.2.04		17.2.04-5.3.04
	आर.सी.सी. 1:3:6	11.34 घ.मी.	19.2.04-28.2.04		17.2.04-5.3.04

⁴ पूर्ण तथाकथित भुगतान 7,23,246 रु. (-) उपलब्ध राशि 6,774 रु. =7.16 लाख रूपये

तालिका ने दर्शाया कि कार्य में उपयोग किया गया पूरा सीमेंट क्रय करने से पूर्व ही खपत हो गया एवं पूरी गिट्टी का उसके कार्य स्थल पर परिवहन से पहले ही उपयोग हो गया जो असंभव है।

और भी त्रुटियाँ देखी गई हैं वे इस प्रकार हैं:

- पिचिंग स्टोन (22 मि.मी.आकार; 88 घनमीटर मात्रा) संग्रहण स्थल से परिवहन किये बिना तथाकथित रूप से खपत हो गया था।
- रबल स्टोन (92.66 घनमीटर) संग्रहण (20.2.2004 से 10.3.2004) से पूर्व ही तथाकथित रूप से परिवहन होना (17.2.2004 से 5.3.2004) बताया गया।
- एम.एस.रॉड (756 किलोग्राम) का क्रय (28.2.2004) अधिकांशतः आर.सी.सी.कार्य पूर्ण होने के बाद किया गया एवं दोनों कार्यों में एम.एस.रॉड की खपत होना नहीं दर्शाया गया। बिना एम.एस.रॉड के आर.सी.सी.कार्य कराना संभव नहीं था।
- दोनों कार्यों के लिए पूरा सीमेंट एक ही प्रदायकर्ता से क्रय किया गया। स्टॉप डेम निर्माण हेतु सीमेंट क्रय के 3.42 लाख रुपये (कुल व्यय का 44 प्रतिशत) के भुगतान व्हाउचर में दर्शाए गए कैश रिसीप्ट⁵ के सरल क्रमांक सही अनुक्रम में नहीं थे अतः इनकी सत्यता पर संदेह है।

इस दृष्टि से उक्त 7.68 लाख रुपये का पूरा व्यय संदेहास्पद प्रतीत होता है एवं विस्तार पूर्वक जाँच की आवश्यकता है।

यह सूचित करने पर, उप संचालक ने कहा (जनवरी 2006) कि प्रकरण की लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए जाँच की जाएगी। प्रकरण शासन को भेजा गया था (अप्रैल 2006), उत्तर अपेक्षित है (दिसम्बर 2006)।

4.2 अधिक भुगतान/निष्फल/निरर्थक व्यय

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

4.2.1 वसूली न होने से शासन को हानि

ठेकेदार से वसूली न होने के फलस्वरूप शासन को 1.29 करोड़ रुपये की हानि

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत 25 सड़कों के निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार^अ को चार विभिन्न अनुबंधों अंतर्गत निविदा दरों से 12.95 से 14.75 प्रतिशत बढ़ाकर 20.22 करोड़ रुपये की लागत पर कार्य सौंपे गए थे। कार्य छः माह के भीतर पूर्ण करने के लिए कार्यादेश (जनवरी-मार्च 2002) जारी किये गए थे।

⁵ कैश मेमो क्रमांक 162,163,170,172,173 दिनांक 4.3.2004 को तैयार किये गये
कैश मेमो क्रमांक 160,161,164,165,166,168 दिनांक 11 एवं 12.3.2004 को तैयार किये गये।

अनुबंध में समतुल्य बैंक गारण्टी के विरुद्ध गतिशीलन अग्रिम एवं कार्यपालन अभियंता की लिखित अनुमति बिना कार्यस्थल से हटायी न जाने वाली गिरवी मशीनों और संयंत्रों के विरुद्ध मशीनरी एवं संयंत्र अग्रिम के भुगतान की व्यवस्था थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में ठेकेदार को गतिशील एवं मशीनरी अग्रिम पर क्रमशः 10 व 12 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज का भुगतान करना था। उपरोक्त अग्रिमों की वसूली या तो चल देयकों से पाँच सामान किश्तों या 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर समस्त राशि की वसूली जो भी पहले से प्रभावशील होगी। कार्य पूर्ण करने में ठेकेदार की विफलता के कारण समस्त चार अनुबंधों को अनुबंध की विकलनीय⁶ धारा के अंतर्गत कुल 8.99⁷ करोड़ रुपये भुगतान करने के पश्चात् अनुबंध विखण्डित कर दिया गया (जुलाई-दिसम्बर 2003)।

कार्यपालन यंत्रियों, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कांकर एवं धमतरी के अभिलेखों की नमूना जाँच (फरवरी एवं मार्च 2006) के दौरान देखा गया कि 1.71 करोड़ रुपये गतिशील एवं मशीनरी अग्रिम के भुगतान (फरवरी, मार्च एवं जून 2002) के विरुद्ध केवल 1.03 करोड़ रुपये का सामायोजन ठेका की अविधिमाम्यता तिथि तक किया गया था। इससे बिना वसूल हुए 68 लाख रुपये एवं सितंबर 2006 तक 42 लाख रुपये के अतिरिक्त ब्याज की वसूली छूट गई जैसा कि विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 4.1** में दर्शित है। ठेकेदार के द्वारा राशि 0.78⁸ करोड़ रुपये गतिशीलन अग्रिम के विरुद्ध 0.77 करोड़ रुपये की बैंक गारण्टी प्रस्तुत की गई थी किन्तु उपरोक्त जमानत की न तो पुर्नवैधता हुई न ही वैधता अवधि में नगदीकरण किया गया था। मशीनरी एवं संयंत्र जो कि गिरवी रखी जाना मान लिया गया था वह विभाग के कब्जे में नहीं थी। इस अवहेलना के कारण, विभाग 1.10 करोड़ रुपये की लंबित राशि को वसूलने की स्थिति में नहीं था।

उपरोक्त के अलावा रायल्टी, विलम्ब हेतु जुर्माना, अधिक भुगतान एवं अनुबंध की विकलनीय धारा अंतर्गत अतिरिक्त लागत के 1.19⁹ करोड़ रुपये ठेकेदार के विरुद्ध लंबित थे जिससे कुल वसूली योग्य राशि 2.29 करोड़ रुपये हो गई।

निष्पादन प्रतिभूति एवं सुरक्षा जमा की एक करोड़ रुपये की राशि विभाग के पास समायोजन के लिए उपलब्ध थी किन्तु तीन वर्षों से वसूली नहीं की गयी। ठेके की शर्तों के अंतर्गत देयताओं की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही आवश्यक थी जो कि प्रारंभ नहीं की गई। इस प्रकार उपलब्ध एक करोड़ रुपये का समायोजन करने के पश्चात भी वसूली न होने के कारण 1.29 करोड़ रुपये की हानि रहेगी। धमतरी एवं कांकर संभागों की राशि का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 4.2** में दर्शित है।

⁶ विकलनीय:-मूल ठेकेदार के द्वारा कार्य अधूरा छोड़ दिए जाने पर अन्य ठेकेदार को कार्य सौंपने पर कार्य की जोखिम एवं लागत दोषी ठेकेदार पर।

⁷ 124.36 लाख रुपये, 211.79 लाख रुपये, 284.30 लाख रुपये एवं 279.25 लाख रुपये चार अलग-अलग अनुबंध द्वारा दिये गये।

⁸ कांकर 0.43 करोड़ रुपये, एवं धमतरी 0.35 करोड़ रुपये

⁹ रायल्टी 7.12 लाख रुपये, विलम्ब हेतु जुर्माना 44.22 लाख रुपये अधिक भुगतान 47.49 लाख रुपये, विकलनीय धारा अंतर्गत अतिरिक्त लागत 20.20 लाख रुपये = 1.19 करोड़ रुपये

कार्यपालन यंत्रियों ने स्वीकार किया (फरवरी मार्च 2006) कि समाप्ति के पूर्व बैंक गारण्टियों का पूनर्वेधकरण नहीं कराया गया था एवं शासन ने बताया (दिसम्बर 2006) कि ठेकेदारों से लंबित राशि की वसूली के प्रयास किए जा रहे थे एवं संबंधित ठेकेदारों से वसूली हेतु धमतरी और कांकेर के जिलाधीशों द्वारा राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

4.2.2 "इंदिरा हरेली सहेली योजना" के अंतर्गत निष्फल व्यय

बिना सुनिश्चित सिंचाई स्रोत एवं अनुचित देखरेख के किये गये वृक्षारोपण के कारण 15.41 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ

भूमिहीन एवं निम्न आय वर्ग के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने हेतु शासन द्वारा "इंदिरा हरेली सहेली योजना" का प्रारंभ (मई 2001) किया गया। योजना के अंतर्गत शासन का अनुत्पादक भूमि को लक्षित हितग्राहियों को फलोत्पादित पेड़ लगाने हेतु पट्टे पर दिया जाना था जो उनके द्वारा विक्रय किया जा सकता था लेकिन भूमि पर उनका हक नहीं था। जिला कलेक्टरों एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायतों को सिंचाई सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करना था एवं व्यक्तिगत रूप से सिंचाई व्यवस्था की परिवीक्षा करना था ताकि पानी की कमी की वजह से पौधों को कोई नुकसान न हो। पौधों को वन, कृषि/उद्यानिकी विभाग की नर्सरी से प्राप्त करना था एवं हितग्राहियों को पौधों का रोपण एवं बचाव करना था।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जगदलपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (अक्टूबर 2004) में पाया गया कि वर्ष 2002-03 में 5778 हितग्राहियों द्वारा 4969.62 हेक्टेयर क्षेत्र में 8,69,085 काजू पौधों के रोपण हेतु 23.71 लाख रुपये का व्यय किया गया। पौधों की जीवितता दर 14 प्रतिशत रही। इस तरह पूर्ण वृक्षारोपण नष्ट हो गया एवं वृक्षारोपण पर किया गया 15.41¹⁰ लाख रुपये (86 प्रतिशत) का व्यय निष्फल रहा एवं हितग्राहियों द्वारा आय अर्जन का उद्देश्य वृहद रूप से पराजित रहा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर ने कहा (अक्टूबर 2004) कि वृक्षारोपण का कार्य शासन के निर्देशानुसार किया गया एवं पौधों की ऊँची मृत दर, मौसमी उच्च तापमान के कारण थी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर ने कलेक्टर को सूचित किया था (मार्च 2003) कि 14 ब्लॉक में से आठ ब्लॉक में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है एवं बाकी छः स्थानों पर आंशिक रूप से डबरों से सिंचाई की गई थी एवं नल कूप स्थापित करने की आवश्यकता थी। इस तरह वृक्षारोपण के कार्य से पूर्व सिंचाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने में ढिलाई बरतने के कारण वृक्षारोपण पर किया गया 15.41 लाख रुपये का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

¹⁰ 40% जीवित को 100% जीवित मानते हुए, गणना किया गया
 23.71 लाख = 40 प्रतिशत
 मृत पौधों पर व्यय = $\frac{23.71 \text{ लाख} \times (40-14)\%}{40\%} = 15.41 \text{ लाख}$

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित था (जनवरी 2005); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2006)।

लोक निर्माण विभाग

4.2.3 उच्च दरों की प्रयुक्ति के कारण अधिक भुगतान

सीमेंट कांक्रीट सड़क कार्य के क्रियान्वयन में उच्च दरों की प्रयुक्ति के कारण ठेकेदार को 25.41 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ

छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग ने नगर निगम रायपुर के क्षेत्राधिकार अंतर्गत 7.50 करोड़ रुपये अनुमानित लागत पर 5.337¹¹ कि.मी.लम्बाई में सीमेंट कांक्रीट पट्टी की तीन सड़कों के निर्माण का अनुमोदन किया (नवम्बर 2002)। 17 फरवरी 2003 तक संशोधित नवम्बर 2002 की दर अनुसूची से 18.18 प्रतिशत कम दर पर ठेकेदार^अ को वर्षाकाल सहित चार माह में पूर्ण करने हेतु कार्यादेश दिया गया था (अप्रैल 2003)। कार्य पूर्ण हो गया था (नवम्बर 2004) एवं ठेकेदार को अंतिम बिल के लिए 6.79 करोड़ रु. का भुगतान किया गया था।

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सड़क एवं भवन) संभाग क्रमांक 1 रायपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (फरवरी 2004) के दौरान देखा गया कि विस्तृत प्राक्कलन में 3092 रुपये प्रति घनमीटर की दर पर प्रबलित सीमेंट कांक्रीट एम-35, प्रावधानित था, अनुबंध की "जी" अनुसूची में दर्शित साधारण सीमेंट कांक्रीट एम-35 के अनुसार ठेके का अंतिमीकरण किया गया था। तथापि, समस्त कार्य साधारण सीमेंट कांक्रीट एम-35 (14675.645 घनमीटर) का 3092 रुपये प्रति घनमीटर से भुगतान किया गया जो कि प्रबलित सीमेंट कांक्रीट एम-35 के लिए प्रयोज्य था।

शासन ने बताया (दिसम्बर 2006) कि सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, माइक्रो दर विश्लेषण डाटा पुस्तक अनुसार साधारण सीमेंट कांक्रीट के लिए दर प्राप्त की गई थी। दर 3107 रुपये प्रति घनमीटर प्राप्त हुई एवं 3092 रुपये प्रति घनमीटर की न्यून दर से भुगतान किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था। संभाग के द्वारा तैयार दर विश्लेषण की जाँच में देखा कि माइक्रो विश्लेषित दर पुस्तक में दिए गए मदों के अलावा अतिरिक्त मदों फार्म वर्क एवं स्टेजिंग व्यय, सामग्री/श्रम की लागत, जल/बिजली प्रभार एवं विविध/आकस्मिक व्ययों का प्रावधान शामिल किया गया था इस कारण बनावटी रूप से वृद्धि कर कुल दर को 3107 रुपये तक बढ़ाया गया था। दूसरी तरह, साधारण सीमेंट कांक्रीट का मूल्य प्रबलित सीमेंट कांक्रीट के समकक्ष/अधिक नहीं हो सकता क्योंकि प्रबलित सीमेंट कांक्रीट तैयार करते समय लोहा/स्टील राड या जाली लगाई जाती है जो सदैव महँगी होगी।

¹¹ आमापारा से रिंगरोड (2.640 कि.मी.), आमापारा से तेलघानी नाका (1.340 कि.मी.) एवं तेलघानी नाका से कोटा (1.357 कि.मी.)

यथोचित साधारण सीमेंट कांक्रीट की दर निश्चित करने हेतु मुख्य अभियंता द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए जारी (अप्रैल 2003) दर अनुसूची से लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची (नवम्बर 2002) की तुलना की गई (परिशिष्ट 4.3) एवं सत्यापन किया कि (अ) साधारण सीमेंट कांक्रीट की लागत सदैव प्रबलित सीमेंट कांक्रीट से कम होगी (ब) चार मर्दों दोनों दर अनुसूची में सामान्य दरों पर एक समान दर्शित हैं (साधारण सीमेंट कांक्रीट एम 20, एम 25, एम 30 एवं प्रबलित सीमेंट कांक्रीट एम 25)।

इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की दर अनुसूची को आधार मानकर प्रबलित सीमेंट कांक्रीट एम-35 के लिए लागू योग्य दर का साधारण सीमेंट कांक्रीट 35 के लिए अत्यधिक उच्च दर से भुगतान किया गया, परिणामस्वरूप 25.41¹² लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

4.2.4 ठेकेदार को अधिक भुगतान

102.57 मैट्रिक टन डामर का कम उपयोग करने के फलस्वरूप ठेकेदार को 18.71 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ

प्रमुख अभियंता (प्र.अ.), लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर द्वारा सड़क कार्य के लिए जारी (नवम्बर 2002) दर अनुसूची की सामान्य टीप क्रमांक 9 में वर्णित है कि ठेकेदारों को भुगतान करने के पूर्व विशिष्टियों के अनुसार सभी आवश्यक परीक्षण निर्धारित आवृत्ति में कराये जाने चाहिए। सड़क एवं सेतु कार्य हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (स.प.एवं रा.मा.मंत्रा.) की विशिष्टियों (चतुर्थ संस्करण) में प्रावधान है कि बिछाई जाने वाली बिटुमिनस मेकाडम (बी.एम.), बिल्ट-अप स्प्रे ग्राउट (बी.यू.एस.जी.) एवं मिक्स सील सरफेस (एम.एस.एस.) के मिश्रण में बिटुमिन की मात्रा भार की क्रमशः 3.4 प्रतिशत (68 किलोग्राम/घनमीटर), 2 प्रतिशत (30 किलोग्राम/10 वर्गमीटर)¹³ एवं 4.75 प्रतिशत (19 किलोग्राम/10 वर्गमीटर)¹⁴ होना चाहिए।

उत्तर-दक्षिण गलियारा के अन्तर्गत जगदलपुर-गीदम-दंतेवाड़ा-बैलाडीला सड़क (112 किलोमीटर से 123/2-4 किलोमीटर) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य 2.07 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत पर दो ठेकेदारों "अ" एवं "ब" को प्रतिशत दर निविदा के आधार पर दर अनुसूची से क्रमशः 12.5 एवं 12.45 प्रतिशत अधिक पर प्रदान किया गया (अप्रैल 2003)।

¹² भुगतान किया गया (14425.645 घनमीटर @ 3092 रुपये + 250 घनमीटर @ रुपये 2782.80) कम निविदा दर 18.18 % = 37064292

भुगतान योग्य (14425.645 घनमीटर @ 2880 रुपये + 250 घनमीटर @ 2592 रुपये) कम निविदा दर 18.18% = 34523015

250 घनमीटर के अनियमित सतह के लिए भुगतान 10 प्रतिशत कम किया गया अधिक भुगतान = 254178 रुपये (25.41 लाख रुपये)

¹³ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रावधान के अनुसार बी.यू.एस.जी. के 75 मी.मी. मोटाई के आधार पर भार के दो प्रतिशत में बदलना।

¹⁴ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रावधान के अनुसार एम.एस.एस. के 20 मी.मी. मोटाई के आधार पर भार के दो प्रतिशत में बदलना।

कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, दक्षिण बस्तर संभाग, दंतेवाड़ा के अभिलेखों की जाँच (नवम्बर 2005) के दौरान यह देखा गया था कि ठेकेदार द्वारा दो सड़कों में बिछाई गई बी.एम., बी.यु.एस.जी. एवं एम.एस.एस. में जाँच परिणाम के अनुसार बिटुमिन की मात्रा क्रमशः 3.12 व 3.23 प्रतिशत, 1.4 व 1.53 प्रतिशत एवं 2.8 व 3.4 प्रतिशत के औसत की थी जो कि स.प.एवं रा.मा.मंत्रा. द्वारा निर्धारित मानक से कम थी, इस फलितार्थ सड़क निर्माण में निर्धारित न्यूनतम मानक से 102.57 मैट्रिक टन कम डामर का उपयोग किए जाने के बावजूद जाँच परिणाम के संज्ञान लिए बिना पूर्ण भुगतान किया गया (मार्च एवं मई 2005)। परिणामतः 18.71 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ जिसका विवरण **परिशिष्ट 4.4** में दर्शाया गया है। विशिष्टियों के अनुसार डामरीकरण कार्यों के लिए सहनशीलता सीमा का स्वीकार्य मानदण्ड डामर के निर्धारित प्रतिशत का ± 0.3 प्रतिशत है। आगे यह भी देखा गया कि कुछ जाँच परिणामों में मिश्रण में डामर की मात्रा 3.1 प्रतिशत (अनुबन्ध क्रं. 3डीएल/2003-04 बी एम 2.66 प्रतिशत) अनुबंध क्रं. 4 डी एल/2003-04, बी एम 2.94 प्रतिशत) के स्वीकार्यता मानदण्ड से काफी कम थी, जिसे कि विभाग द्वारा अस्वीकृत किया जाना चाहिए था, परन्तु कार्य को न तो अस्वीकृत किया गया न ही कोई अनुवर्ती कार्य विभाग द्वारा किया गया।

शासन ने बताया (दिसम्बर 2006) कि डामर का उपयोग वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया गया था जैसा कि माप पुस्तिका में दर्ज किया गया अतः कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं हुआ, इस दावे के समर्थन में डामर की खपत के पुनरीक्षित जाँच परिणाम पुनः प्रस्तुत किये गये थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। स.प.एवं रा.मा.मंत्रा. की विशिष्टियों के मानक के अनुसार डामर की सटीक मात्रा माप पुस्तिका में दर्ज कराई गई थी एवं पूर्ण भुगतान किया गया था जबकि उसी संभाग से लेखापरीक्षा द्वारा एकत्रित जाँच परिणाम में डामर की वास्तविक मात्रा कम दर्शाई गई थी। संशोधित जाँच परिणामों में से अनेक बिना दिनांक के थे एवं बी.एम.(निर्धारित मानक 3.4) एवं एम.एस.एस.(निर्धारित मानक 4.75) के जाँच परिणाम में डामर की निहित मात्रा एक समान 3.4 प्रतिशत दर्शाई गई थी, जो कि व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है क्योंकि वास्तविक कार्य में निर्धारित मानक से अल्प भिन्नता आना संभावित है।

जल संसाधन विभाग

4.2.5 कार्य की अस्वीकार्य मद पर अधिक भुगतान

कार्य की अस्वीकार्य मद पर ठेकेदार को 18.80 लाख रुपये का अमान्य भुगतान

भूमिया ग्राम के पास शिवनाथ नदी पर 1.60 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत के सोमनाथ स्टाप डेम (एनिकट) का निर्माण कार्य मद दर निविदा (फर्म बी) पर ठेकेदार¹⁵ को 215.84 लाख रुपये, अर्थात् एकीकृत प्रचलित दर अनुसूची से 34.60 प्रतिशत अधिक पर सौंपा गया था (नवम्बर 2002)। ठेकेदार को 228.09 लाख रुपये के अंतिम देयक का भुगतान किया गया था (नवम्बर 2005)।

अनुबंध की धारा 3.9 व्यवस्था करती है कि पूर्ण निर्माण कार्य की सुपुर्दगी तक उपरोक्त निर्माण कार्य, सामग्री, मशीनरी आदि को यथोचित रूप में रखने एवं क्षति से होने वाली हानि से मुक्त रखने के लिए ठेकेदार अपने स्वयं के व्यय से सभी सावधानियाँ बरतेगा एवं यदि उसके अथवा उसके किसी भाग की क्षति या हानि की घटना हो तो उसे तत्काल ही अपने व्यय पर पुनः स्थापित कर ऐसी हानि या क्षति की भरपायी करेगा।

कार्यपालन अभियंता महानदी जलाशय परियोजना डिसनेट संभाग क्र.3, तिल्दा के अभिलेखों की जाँच (अक्टूबर 2005) के दौरान यह देखा गया था कि 60 मीटर से 217 मीटर तक एग्रन की खुदाई कार्य में अधिक टूटफूट के कारण 1081.55 घनमीटर कांक्रीट से भराई किया गया था। अधिक टूटफूट एवं परिणामतः उसकी भराई की जिम्मेदारी ठेकेदार की थी। इसके परिणामस्वरूप 18.80¹⁵ लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

शासन ने बताया (दिसम्बर 2006) कि अनुबंध की धारा 3.9 अधिक टूटफूट से संबंधित नहीं है, दिसम्बर 1980 की मध्यप्रदेश सिंचाई विभाग की विशिष्टियों की धारा 3.1.1(ii) (सामान्य) के अनुसार पूरे कार्य में औसतन 150 मि.मी.तक का अधिक टूटफूट मान्य सीमा के अन्तर्गत आता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, 1980 की विशिष्टियों की धारा 3.1.8 में टूटफूट के लिए दिए गए मार्गदर्शन में यह प्रावधान है कि कांक्रीट द्वारा भराई कार्य ठेकेदार के स्वयं के व्यय पर किया जाना है। इसके अलावा मध्यप्रदेश सिंचाई विभाग ने 1995 में 1980 की विशिष्टियों को संशोधित किया था एवं उल्लेखित धारा 3.1.1(ii) या उसके समकक्ष को निविदा की शर्तों में सम्मिलित नहीं किया था।

¹⁵ कठोर चट्टान की खुदाई 1081.55 घनमीटर @ ₹.238/- प्रति घनमीटर पी.सी.सी.1:3:6 से भराई 1081.55 घनमीटर @ ₹. 1500/- प्रति घनमीटर = ₹.18,79,734/-

4.3 संविदात्मक बाध्यताओं का उल्लंघन/ठेकेदारों का अनुचित पक्ष/परिहार्य व्यय

जल संसाधन विभाग

4.3.1 दोषपूर्ण अनुबंध के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान

कोहेसिव नान स्वेलिंग (सी.एन.एस.) का कार्य न किए जाने पर ठेकेदार को 3.48 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान

मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की वित्तीय संहिता के अनुसार संविदाओं को केवल निर्धारित प्रपत्रों में निष्पादित किया जाना चाहिए। निर्माण विभाग नियमावली के अनुसार एक मुश्त संविदाएँ प्रपत्र एफ¹⁶ के अनुरूप होना चाहिए।

महानदी मुख्य नहर के किलोमीटर 87 से 116.43 के मध्य पुनरूपांकन एवं पेवर मशीन द्वारा सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग तथा अन्य संबंधित कार्य, प्राक्कलित दरों से 70.80 प्रतिशत अधिक पर एक ठेकेदार को 42.12 करोड़ रुपये की एक मुश्त संविदा पर नवम्बर 2005 तक पूर्ण करने के लिए सौंपे गए थे (फरवरी 2004)। कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंधन संभाग क्रमांक-I रायपुर एवं संभाग क्रमांक-II बालोदाबाजार द्वारा क्रमशः किलोमीटर 87 से किलोमीटर 99 एवं किलोमीटर 100 से किलोमीटर 116 का कार्य निष्पादित कराया गया था। जुलाई 2005 तक 42.12 करोड़ रुपये का चल देयक (रायपुर संभाग के 24.56 करोड़ रुपये एवं बालोदाबाजार संभाग के 17.56 करोड़ रुपये) का भुगतान किया जा चुका था एवं अंतिम देयक लम्बित था।

कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंधन संभाग-I रायपुर (अक्टूबर 2005) एवं कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंधन संभाग-II बालोदाबाजार (मार्च 2005) के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि 519000 घनमीटर सी.एन.एस.मिट्टी का पृष्ठाधार कार्य 236.90 रुपये प्रति घनमीटर की दर से स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुबंध में प्रावधानित था, ठेकेदार ने कि.मी.87 से 116.43 के बीच केवल 372227 घनमीटर कार्य ही किया जिसके लिये 8.82 करोड़ रुपये देय था, तथापि ठेकेदार को 12.30 करोड़ रुपये सम्पूर्ण अनुबंधित राशि का भुगतान किए जाने के कारण 3.48 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ। यद्यपि एक मुश्त अनुबंध प्रारूप "एफ" के अनुसार निष्पादित हुआ था, इसके पाँच क्लॉज हटा दिए गए थे, हटाए गए क्लॉजों में से एक में व्यवस्था थी कि कार्य करते समय सभी अतिरिक्त, लोप या परिवर्तन को मापा जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा एवं कार्यपालन अभियंता द्वारा प्रमाणित किया जाएगा तथा इसे ठेके की राशि से जोड़ा अथवा घटाया जाएगा, संविदा में कोई समरूपी प्रावधान नहीं किया गया था जिससे शासन निष्पादित मात्रा में कमी के कारण एक मुश्त निविदा से उस राशि को घटाने में सक्षम हो।

¹⁶ एक मुश्त संविदाओं के लिए प्रपत्र 'एफ' रखा गया है एवं इसका उपयोग वहाँ किया जाना चाहिए जहाँ एक निश्चित राशि के लिए निष्पादन हेतु सम्पूर्ण कार्य दी गई रेखांकन एवं विशिष्टियों के अनुसार एकल ठेकेदार को सौंपा जाना है।

शासन ने बताया (दिसम्बर 2006) कि संविदा प्रपत्र में से जो पाँच क्लाज हटाए गए थे उसे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्य सचिव एवं वित्त विभाग के प्रतिनिधियों के साथ छत्तीसगढ़ सिंचाई योजना मण्डल की कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। जबकि संशोधित संविदा प्रपत्र उच्चतम स्तर पर जाँचा एवं अनुमोदित था, मानक प्रपत्र (एफ) के पाँच क्लाज हटाना ठेकेदार को 3.48 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान का कारण बना।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

4.3.2 अनियमित निष्पादन के कारण परिहार्य अतिरिक्त लागत

ग्रामीण सड़कों पर अनियमित रूप से बिटुमिनस मेकाडम का कार्य निष्पादित कराए जाने के कारण 1.57 करोड़ रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु भारतीय सड़क कांग्रेस (भा.स.कां.) द्वारा विशिष्ट रूप से प्रकाशित विशिष्ट प्रकाशन-20 में बेस कोर्स हेतु वाटर बाऊंड मेकाडम (डब्ल्यू.बी.एम.) ग्रेड-II एवं ग्रेड-III व सतहीकरण हेतु 20 मी.मी. मोटा प्रीमिक्स कारपेट मिक्स सील सरफेस का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत पैकेज क्र.सी.जी.05-07 एवं सी.जी.05-09 के अधीन क्रमशः 5.96 करोड़ रुपये एवं 4.37 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत पर 13 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य ठेकेदार "अ" एवं "ब" को जून 2000 से लागू दर अनुसूची से क्रमशः 9.90 एवं 11.50 प्रतिशत अधिक पर प्रदान किया गया था। ठेकेदारों को क्रमशः 7.20 करोड़ रुपये एवं 5.10 करोड़ रुपये का अंतिम भुगतान किया गया था (अक्टूबर-नवम्बर 2005)।

कार्यपालन अभियंता परियोजना क्रियान्वयन इकाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दुर्ग के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2006) में प्रकट हुआ कि भा.स.कां. की विशिष्टियों के उल्लंघन में छः सड़कों के सतहीकरण कार्य में बिटुमिनस मेकाडम (बी.एम.) का उपयोग किया गया जबकि ठेकेदार से किए गए अनुबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, इस प्रकार अनियमित रूप से बी.एम. का निष्पादन कराए जाने के परिणामस्वरूप 1.57¹⁷ करोड़ रुपये की परिहार्य अतिरिक्त लागत हुई।

कार्यपालन अभियंता ने बताया (जनवरी 2006) कि बी.एम. का कार्य वास्तव में बेस कोर्स हेतु एवं कार्यस्थल की स्थिति को देखते हुए कराया गया था एवं गलती से सतहीकरण कार्य उल्लेखित हो गया था।

शासन ने बताया (सितम्बर 2006) कि बी.एम. अधिक यातायात घनत्व के चलते कराया गया।

¹⁷ पैकेज क्र. सी.जी. 05-07: बिटुमिनस मेकाडम की मात्रा का निष्पादन (5248.92 घनमीटर) × दर (1985 रुपये) + 9.9 प्रतिशत = 114.51 लाख रुपये पैकेज क्र. सी.जी. 05-09: बिटुमिनस मेकाडम की मात्रा का निष्पादन (38238.01 वर्गमीटर) × दर (99 रुपये) + 11.5 प्रतिशत = 42.21 लाख रुपये

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वास्तविक प्रकल्पन के साथ संलग्न जानकारी के अनुसार इन सड़कों का यातायात घनत्व बहुत कम था एवं भा.स.कां. की विशिष्टियों के अनुसार बी.एम. का कार्य बेस कोर्स या सतहीकरण कार्य के लिए अनावश्यक एवं अनियमित था।

लोक निर्माण विभाग

4.3.3 उच्चतर विशिष्टियों को अपनाने के कारण अतिरिक्त लागत

हार्ड शोल्डर के निष्पादन में उच्चतर विशिष्टियों को अपनाने की वजह से 19.27 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियाँ एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुसरित दर अनुसूची में प्रावधानित है कि सड़क का शोल्डर अर्दन या हार्ड या पेव्ड होना चाहिए।

मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने नाबार्ड सहायतित योजना अंतर्गत 4.75 करोड़ रुपये प्राक्कलित लागत पर सराईपाली-गाताडीह ग्रामीण सड़क के 39.30 किलोमीटर के मजबूतीकरण की स्वीकृति (जुलाई 2002) दी थी। जून 2000 की दर अनुसूची पर 31.96 प्रतिशत अधिक पर कार्य सौंपा गया (दिसम्बर 2002)। कार्य जून 2004 तक पूर्ण होना था। ठेकेदार को 14वें एवं अंतिम बिल के लिए 6.38 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया (जून 2006)।

लोक निर्माण संभाग, महासमुन्द के अभिलेखों की जाँच (अगस्त 2004) में देखा गया कि प्राक्कलन के अनुसार सड़क के दोनों किनारों को 1.92 मीटर में मिट्टी कार्य द्वारा 30 से.मी. चौड़ाई में उसके ऊपर 15 से.मी. मोटा हार्ड शोल्डर एवं 15 से.मी. ग्रेन्युल सब बेस डालकर उंचा किया जाना था इस प्रकार 23185.054 घ.मी. महंगी ग्रेन्युल सब बेस से उपरी परत निष्पादित की गई थी। इस 15 से.मी. परत को हार्ड शोल्डर के रूप में किया जाना चाहिए था क्योंकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एवं दर अनुसूची में शोल्डर निर्माण में ग्रेन्युल सब बेस के उपयोग के लिए कोई भी प्रावधान नियत नहीं है। इस तरह अनियमित प्रावधान एवं महंगी मद के निष्पादन के परिणामस्वरूप 19.27¹⁸ लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

शासन ने बताया (दिसम्बर 2006) कि यह सड़क एकांकी मार्ग है एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-6 एवं राज्य राजमार्ग (शिवरीनारायण-सारंगगढ़ सड़क) के मध्य जोड़ने का काम करता है, भारी लदे हुए ट्रकें इस शोल्डर से गुजरती हैं। इस प्रकार डामरीकृत सड़क के किनारों की सुरक्षा के कारण उच्च कैलोफोर्निया बियरिंग रेशों युक्त ग्रेन्युल सबबेस का उपयोग किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था। शोल्डर के लिए ग्रेन्युल सबबेस उपयोग करने के लिए कहीं पर प्रावधान नहीं था। इसके अलावा अधिकतर राज्य राजमार्गों में हार्ड शोल्डर था एवं ग्रामीण सड़कों में महंगी ग्रेन्युल सबबेस का उपयोग अनियमित था।

¹⁸ 23185.054 घनमीटर x रू. (215-152) + 31.96 प्रतिशत अधिक = 19.27 लाख

4.4 व्यपवर्तन/निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/निधियों का अवरूद्ध होना

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

4.4.1 उपकरणों पर निष्क्रिय पूंजी

संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा विभिन्न जिला अस्पतालों को बिना माँग के 1.14 करोड़ रुपये की मशीनें एवं उपकरण प्रदाय करने से उपकरण निष्क्रिय पड़े रहे एवं क्रय नियमों का उल्लंघन हुआ।

(अ) सिविल सर्जन, धमतरी कार्यालय के अभिलेखों के नमूना जाँच (जून 2005) में प्रकट हुआ कि संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ (डी.एच.एस.) द्वारा 82.19¹⁹ लाख रूपयों के उपकरण बिना किसी माँग पत्र के क्रय (दिसम्बर 2002 से मार्च 2004) कर जिला अस्पताल धमतरी को अक्टूबर 2002 से अप्रैल 2005 के बीच प्रदाय किये गये। यह उपकरण प्रशिक्षित प्रवर्तक/विशेषज्ञ के अभाव में अनुपयोगी पड़े रहे (अप्रैल 2006)। अनुपयोगी उपकरण में 6.88 लाख रुपये मूल्य की एक एक्स-रे मशीन (500 एम.ए.) भी शामिल थी जो कि संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा अप्रैल 2005 में प्रदाय की गई थी जबकि एक एक्स-रे मशीन (500 एम.ए.) सिविल सर्जन, धमतरी कार्यालय में पूर्व से ही कार्यशील थी एवं इसकी प्रति माह 40 एक्स-रे के लगभग न्यून उपयोगिता थी। इस तरह संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा बिना आवश्यकता के उपकरण क्रय करने के परिणामस्वरूप 82.19 लाख रुपये के उपकरण निष्क्रिय रहे।

सिविल सर्जन, धमतरी ने स्वीकार किया (जून 2005) कि इन उपकरणों के प्रदाय हेतु संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ को कोई माँग पत्र नहीं भेजा गया था लेकिन कहा कि ये उपकरण जिला अस्पताल में सुविधाओं के उन्नयन हेतु प्रदाय किये गये थे। जरूरत पड़ने पर उपकरणों को मरीजों के उपचार हेतु उपयोग किया जाएगा। एक्स-रे मशीन के प्रदाय के संबंध में सिविल सर्जन ने माना कि इस मशीन का तुरन्त उपयोग नहीं था एवं एक ही रेडियोग्राफर पदस्थ था जो पूर्व में प्रदाय एक्स-रे मशीन पर संलग्न था।

उत्तर पुष्टि करता था कि संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किये बिना उपकरणों का एक तरफा क्रय कर प्रदाय किया गया जिससे उपकरण निष्क्रिय रहे।

(ब) इसी तरह सिविल सर्जन, बैकुण्ठपुर के अभिलेखों के जाँच (जून 2005) में देखा गया कि 32.13 लाख रुपये की मशीनें/उपकरण संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा क्रय

¹⁹ आठ मल्टीपेस मोनीटर (9.92 लाख रुपये), पाँच कार्डियोस्कोप (14.74 लाख रुपये), चार अपनिया मोनीटर (3.08 लाख रुपये), एक आर्थोस्कोप अन्य सामग्री सहित (18.09 लाख रुपये), एक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर (21.59 लाख रुपये) एक एक्स-रे मशीन (6.88 लाख रुपये) एवं ब्लड गैस इनलाइजर (7.89 लाख रुपये)

कर बिना माँग के सिविल सर्जन बैकुण्ठपुर को वर्ष 2003-04 में प्रदाय की गई थीं जो निष्क्रिय थी जिनका विवरण परिशिष्ट 4.5 में दिया गया है।

सिविल सर्जन, बैकुण्ठपुर ने कहा (जून 2005) कि नया सिविल अस्पताल निर्माणाधीन है एवं मशीनें/उपकरण अस्पताल के निर्माण पूर्ण होने पर नये अस्पताल को प्रदाय किया जाएगा। उत्तर पुनःपुष्टि करता है कि संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा बिना आंकलन किये मशीनें/उपकरण का क्रय किया गया एवं सिविल सर्जन बैकुण्ठपुर को वास्तविक आवश्यकता से काफी पहले ही प्रदाय कर दिया गया। अस्पताल भवन का निर्माण अप्रैल 2006 तक पूर्ण नहीं हुआ था।

प्रकरण शासन को भेजा गया (दिसम्बर 2005), उत्तर अपेक्षित है (दिसम्बर 2006)।

4.4.2 वेंटिलेटर्स के क्रय पर व्यपवर्तन एवं निष्क्रिय पूंजी

जिला अस्पतालों के सुदृढीकरण हेतु प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की निधि से 1.34 करोड़ रुपये का व्यपवर्तन किया गया जिसमें से 58.80 लाख रुपयों के मूल्य के उपकरण आधारभूत संरचना एवं विशेषज्ञों के अभाव में निष्क्रिय पड़े रहे।

शत प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, (पी.एम.जी.वाई.) में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी न्यूनतम सेवाएँ प्रदाय करना उद्देशित था। भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (ग्रामीण स्वास्थ्य प्रभाग) द्वारा योजना के स्वास्थ्य घटक पर जारी दिशा-निर्देश (जुलाई 2000) में परिकल्पित है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन हेतु निधियों का उपयोग (अ) निधियों के पचास प्रतिशत को औषधियों, उपभोज्य एवं अन्य आकस्मिकताएं जैसे ए.एन.एम.²⁰ की यात्रा लागत पर, आवश्यक उपकरणों की मरम्मत, फर्नीचर्स की मरम्मत/प्रतिस्थापना पर एवं (ब) पचास प्रतिशत, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों की अधोसंरचना की मरम्मत एवं संधारण के लिए किया जाना था।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ ने पी.एम.जी.वाई.निधियों का उपयोग सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्र स्तर पर प्राथमिक सुविधाओं के उन्नयन के बजाय निधियों का व्यपवर्तन कर 1.34 करोड़ रुपये मूल्य के 16 माइक्रो प्रोसेस्ड कन्ट्रोल्ड टाइम साइकिल्ड वाल्यूम कॉन्स्टेंट वेंटिलेटर्स का क्रय (जून 2002) जिला अस्पतालों के स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढीकरण करने में किया। ये वेंटिलेटर जिला अस्पतालों द्वारा बिना माँग पत्र के क्रय कर प्रदाय किए गए थे।

सिविल सर्जन कार्यालय दुर्ग, कांकेर, रायगढ़, राजनांदगाँव एवं जगदलपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच एवं संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर से जानकारी एकत्रित (अप्रैल 2004 से अगस्त 2004 एवं जनवरी 2006) करने पर पाया गया कि 58.80 लाख रुपये मूल्य के सात वेंटिलेटर जिला अस्पतालों²¹ में स्थापित करना सूचित (दिसम्बर 2002)

²⁰ असिस्टेंट नान मेडिकल सुपरवाइजर्स को क्षय नियंत्रण इकाईयों में क्षय रोग प्रकरण के घर-घर सर्वेक्षण कार्य हेतु लगाया जाता है।

²¹ जिला अस्पताल:- दुर्ग (2), कांकेर (1), रायगढ़ (2), राजनांदगाँव (2)

किया गया था जो प्रशिक्षित स्नातकोत्तर चिकित्सकों के अभाव में वास्तविक रूप से निष्क्रिय पड़े थे।

नमूना जाँच किये गये चार जिलों के सिविल सर्जनों ने कहा (जनवरी 2006) कि जिला अस्पतालों में विशेषज्ञों के अभाव में वेंटिलेटर्स उपयोग में नहीं लाए जा सके एवं सिविल सर्जन जगदलपुर ने कहा कि वेंटिलेटर का उपयोग केवल दो मरीजों के उपचार हेतु दिसम्बर 2002 एवं दिसम्बर 2005 के मध्य किया गया था।

उत्तर पुष्टि करता है कि संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा आवश्यकता का आंकलन किए बिना एवं प्रशिक्षित स्टाफ सुनिश्चित किए बिना एकतरफा रूप से वेंटिलेटर्स क्रय किए गए थे एवं जिला अस्पतालों को प्रदाय किए गए थे जो उनको उपयोग करने की हालत में नहीं थे। इस प्रकार 1.34 करोड़ रुपये के व्यपवर्तन से न केवल लक्षित हितग्राही, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य लाभ की सेवा से वंचित रहे बल्कि व्यपवर्तित किये गये 58.80 लाख रुपये से किसी को लाभ नहीं पहुँचा क्योंकि क्रय किये गये वेंटिलेटर्स बिना उपयोग के अक्टूबर 2002 (40 माह) से स्टॉक में पड़े थे।

प्रकरण शासन को भेजा गया (अगस्त 2004 एवं अप्रैल 2006); उत्तर अपेक्षित है (दिसम्बर 2006)।

4.5 नियामक मुद्दे एवं अन्य बिन्दु

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

4.5.1 छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य समिति में अनियमित व्यय

त्रुटिपूर्ण क्रय प्रक्रिया, बिना बजट प्रावधान के व्यय एवं प्रचार सामग्री के लेखांकन न करने से 3.59 करोड़ रुपये का अतिरिक्त एवं अनियमित व्यय हुआ

छत्तीसगढ़ मूलभूत स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य समिति की सात²² संघटक समितियों के अप्रैल 2001 से मार्च 2006 तक आवृत्त करते हुए अभिलेखों की नमूना जाँच (दिसम्बर 2005 से जून 2006) में वित्तीय नियंत्रण में कमी एवं त्रुटिपूर्ण क्रय प्रक्रिया पायी गयी। इसके कारण अतिरिक्त व्यय के दृष्टांत, क्रय में अनियमितता, व्यपवर्तन एवं निधियों का दुरुपयोग हुआ जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में दर्शाया गया है।

(1) प्रचार गतिविधियों में 1.52 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय सहित 11.28 करोड़ रुपये के कार्यादेशों में अनियमितताएँ

नेशनल शॉपिंग प्रक्रिया के अंतर्गत उप समितियों द्वारा कम से कम तीन कोटेशन बुलाने के पश्चात् ही क्रय किया जाना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने

²² प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य (आर.सी.एच.) उप समिति, एड्स नियंत्रण उप समिति, मलेरिया नियंत्रण उप समिति, कुष्ठ निवारण उप समिति, क्षय रोग उप समिति, अंधत्व निवारण उप समिति तथा डेनिडा

निर्देशित (अगस्त 2001 एवं नवम्बर 2003, दिसम्बर 2005 में दोहराया) किया था कि सभी छपाई एवं प्रचार-प्रसार के कार्य छत्तीसगढ़ संवाद²³ (संवाद) के द्वारा कराये जाने चाहिए।

छ: उप समितियों एवं डेनिडा के अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि "संवाद" से अवतरण (कोटेशन) प्राप्त किये बिना 11.28 करोड़ रुपये के कार्यादेश निजी संस्थाओं को वर्ष 2002-06 के दौरान सूचना, शिक्षा एवं प्रचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों के अंतर्गत दिए गए। इसमें से होर्डिंग प्रदर्शित करने, दीवार पेंटिंग एवं पोस्टर छपाई हेतु 3.44 करोड़ रुपये का भुगतान (दिसम्बर 2002 से मार्च 2006) विभिन्न निजी संस्थाओं को किया गया जबकि इसी के समतुल्य कार्य संवाद के द्वारा 1.92 करोड़ रुपये में कराया जा सकता था। इसके कारण 1.52 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त व्यय हुआ जैसा **परिशिष्ट 4.6, 4.7 एवं 4.8** में दर्शाया गया।

शासन ने कहा (सितम्बर एवं दिसम्बर 2006) कि छपाई एवं प्रचार-प्रसार कार्य संवाद से कराने हेतु शासनादेश केवल उन संस्थाओं के लिए है जो राज्य शासन से निधियाँ प्राप्त करते हैं, जबकि ये संस्थाएँ स्वशासी हैं एवं नेशनल शापिंग प्रक्रिया को पालन करने को बाध्य है जो दानकर्ता एवं केन्द्र शासन द्वारा नियत है। साथ ही, अवसरों पर संवाद समय पर सामग्री परिदान नहीं कर पाया था (2005-06)। उत्तर मान्य नहीं था। नेशनल शापिंग प्रक्रिया के साथ शासनादेश पढ़ा जाये तो कार्यादेश देने हेतु संवाद की दरें भी प्राप्त की जानी चाहिए। संवाद पर लिया गया अधिष्ठान भी परस्पर विरोधी था क्योंकि समितियों ने एकल दर पर भी संवाद से कई अवसरों पर कई कार्य कराये थे।

पेंटिंग, छपाई एवं प्रचार-प्रसार कार्य हेतु छ: फर्मों को किये गये 4.02 करोड़ रुपये (11.28 करोड़ रुपयों के आदेशों में) के भुगतान की और जाँच करने पर पाया गया कि बड़ी संख्या में बिल उपयुक्त फार्म में प्रस्तुत नहीं किए गए थे, सरल क्रमांक मशीन से मुद्रित नहीं थे एवं केन्द्रीय/राज्य वाणिज्यिक कर पंजीयन क्रमांक अंकित नहीं थे, जो कि बहुत ऊँचे मूल्य (एक लाख रुपये से ज्यादा) के थे। यह वित्तीय नियम का सकल उल्लंघन था तथा ये बिल भुगतान हेतु पारित नहीं किये जाने थे। जाँच में यह भी पाया गया कि पोस्टर, पैम्फलेट एवं बैनर के छपाई हेतु छ:²⁴ जिला क्षय नियंत्रण उप-समितियों द्वारा 17.06 लाख रुपये का भुगतान किया गया जिनकी प्रविष्टि स्कंध पंजी में नहीं की गई थी।

शासन ने बताया (दिसम्बर 2006) कि विक्रय कर पंजीयन क्रमांक प्राप्त कर लिए गये हैं तथा भविष्य में केवल पंजीकृत फर्मों से ही बिल स्वीकार किये जावेंगे उत्तर स्वीकार्य नहीं था। पंजीकरण की पृष्ठीकरण के साक्ष्य लेखापरीक्षा को दिखाये नहीं गये थे।

²³ संवाद:- छपाई एवं प्रचार-प्रसार कार्य के संबंध में जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की एक सहायक संस्था

²⁴ दंतेवाड़ा- 6.47 लाख रुपये, जशपुर- 2.93 लाख रुपये, बिलासपुर- 3.18 लाख रुपये, कोरबा- 0.79 लाख रुपये, दुर्ग- 2 लाख रुपये, जगदलपुर- 1.69 लाख रुपये

2. दोषपूर्ण क्रय

(अ) प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य (आर.सी.एच.) के अभिलेखों की जाँच में प्रकट हुआ कि परियोजना संचालक, आर.सी.एच.ने 4,36,000 डिस्पोजेबल डेलिवेरी (डी.डी.) किट्स का क्रय (फरवरी एवं अक्टूबर 2003) छः रुपये की दर से बिना कोटेशन बुलाए सीधे एक फर्म से 26.16 लाख रुपये में किया ।

जवाब में शासन ने कहा (सितम्बर 2006) कि सामग्री का क्रय भारत शासन के दिशा निर्देशानुसार एवं उनके द्वारा निर्धारित दरों पर किया गया और कहा कि डी.डी.किट्स तकनीकी स्वरूप में हैं एवं देश में सीमित उत्पादकर्ता/प्रदायकर्ता हैं। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि भारत शासन ने 6 रुपये प्रति किट के हिसाब से निधियाँ उपलब्ध कराई थी पर ये लक्षित नहीं करता कि कोटेशन प्राप्ति से बच निकला जाय।

(ब) राज्य क्षय रोग नियंत्रण उप समिति द्वारा लेबोरेटरी कन्ज्यूमेबिल (इम्मर्शन आयल, एक्वियस मिथिलीन ब्लू एवं सल्फ्यूरिक एसिड) का क्रय (मार्च 2004) फर्म "अ" और फर्म "ब", रायपुर से 105 रुपये से 325 रुपये की दर पर किया गया था जबकि वही सामग्री का फर्म "स" भोपाल एवं फर्म "द" जबलपुर से अति कम दरों (39.75 रुपये से 190 रुपये) पर क्रय (अगस्त से अक्टूबर 2004) किया गया जिससे 9.08 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ (परिशिष्ट-4.9)।

उत्तर में शासन ने कहा (सितम्बर 2006) कि सामग्री का क्रय विभिन्न वित्तीय वर्षों का है एवं गुणवत्ता में अंतर के अनुसार दरों में भिन्नता आई होगी। उत्तर मान्य नहीं था। क्रय का अंतराल कुछ ही महीनों का था एवं गुणवत्ता में अंतर अभिलेखों में नहीं था।

(स) परियोजना संचालक, डेनिडा के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दाई प्रशिक्षण सामग्री के 300 किट का प्रदाय आदेश (फरवरी 2003) फर्म "ई" रायपुर को दिया गया था। जैसा कि क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, बिलासपुर के द्वारा सूचित किया गया था कि (अप्रैल 2003) प्रदाय किये गये 300 किट में से एक सौ किट प्रत्यक्ष प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं थे एवं अति निम्न स्तर के थे। इस तरह 100 किट पर किया गया 2.72 लाख रुपये का व्यय निष्फल रहा।

उत्तर में शासन ने कहा (सितम्बर 2006) कि निम्न स्तर के 100 किट बदल दिये गये थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बदलने के समर्थन में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

3. व्यपवर्तन

(अ) राज्य प्रशिक्षण केन्द्र एवं कार्यालयों में आंतरिक सजावट हेतु आर.सी.एच.समिति एवं डेनिडा द्वारा 16.05 लाख रुपये का व्यपवर्तन (2002-03 एवं 2004-05) कर व्यय किया गया। शासन ने कहा (सितम्बर 2006) कि नया राज्य होने एवं आधारभूत संरचना की कमी की वजह से आकस्मिक शीर्ष से निधियों का उपयोग किया गया। उत्तर मान्य

नहीं है क्योंकि व्यय कार्यक्रम के दिशा निर्देश के अनुरूप नहीं था एवं डेनिडा के आकस्मिक शीर्ष में कोई बजट प्रावधान नहीं था।

(ब) स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव एवं परियोजना संचालक, डेनिडा को आवंटित किये गये वाहनों के वातानुकूलन एवं उपसाधनों एवं स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय में वातानुकूलन पर 4.86 रूपये का व्यय आर.सी.एच.एवं डेनिडा की निधियों को व्यपवर्तित (2002-04) कर किया गया।

उत्तर में शासन ने कहा (सितम्बर 2006) कि नियमित बजट से कोई राशि उपलब्ध नहीं थी लेकिन वित्त विभाग के परामर्श से एवं शासी निकाय की अनुमति प्राप्त कर इन मदों को कार्यक्रम निधि से क्रय किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्यक्रम दिशा निर्देश के अनुसार व्यय नहीं किया गया था।

4. जिला उप-समितियों में प्रचार-प्रसार सामग्री का लेखांकन न होना

राज्य मलेरिया नियंत्रण समिति द्वारा वर्ष 2002-05 में आई.ई.सी.गतिविधि के अंतर्गत 1.31 करोड़ रूपये की प्रचार-प्रसार सामग्री जैसे- कैलेंडर, पोस्टर, ब्रोचर, बुकलेट, पैम्फलेट की छपाई का कार्य कराया गया जो जिला मलेरिया नियंत्रण उपसमितियों को वितरित किया जाना दर्शाया गया। तथापि, यह सामग्री नमूना जाँच की गई 10²⁵ जिला उप समितियों की स्कंध पंजियों में न तो दर्ज पायी गयी और न ही खण्ड चिकित्सा अधिकारी को प्रदाय प्रमाणक (इश्यू व्हाउचर) में पायी गयी।

शासन ने कहा (सितम्बर 2006) कि संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा स्टॉक सत्यापन का कार्य संदर्भित 10 जिलों में किया जा रहा है। शासन ने पुनः बताया (दिसम्बर 2006) कि विभिन्न जिलों को वितरित प्रचार सामग्री का सत्यापन स्कंध पंजियों से कर लिया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था। क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान पंजी में कोई प्रविष्टि उपलब्ध नहीं थी तथा मामले में जाँच की आवश्यकता है।

वन विभाग

4.5.2 उड़नदस्ता द्वारा अनियमित व्यय

वन संरक्षक कार्यालय रायपुर वृत्त के उड़नदस्ता द्वारा विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन और कम्प्यूटर एवं फोटोकापी मशीन क्रय पर 34.93 लाख रूपये का अनियमित व्यय किया गया

वन संरक्षक कार्यालय, रायपुर वृत्त (सी.एफ.) के अभिलेखों की 2003-04 अवधि की जाँच (अप्रैल 2005) में पाया गया कि वृत्त स्तरीय उड़नदस्ता द्वारा फेंसिंग मरम्मत, सी.एफ.कार्यालय में फर्नीचर मरम्मत हेतु इमारती लकड़ी क्रय, सी.एफ.कार्यालय एवं स्टाफ क्वार्टर परिसर की सफाई, कम्प्यूटर, फोटोकापी मशीन एवं लेखन सामग्री के क्रय

²⁵ अम्बिकापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, जशपुर, कांकेर, कोंडागाँव, रायपुर, रायगढ़, राजनांदगाँव

में 25.42²⁶ लाख रुपये का व्यय किया गया था। इन मदों पर व्यय, उड़नदस्ते के कार्य से संबंधित नहीं था एवं निष्पादन हेतु सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। इस पर किये गये व्यय को पाँच वनमंडलों (उदंती गरियाबंद, महासमुन्द, धमतरी, रायपुर पूर्व एवं रायपुर सामान्य) के लेखों में बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के दर्ज किया गया था। सभी प्रमाणकों को संबंधित उप वनमंडल अधिकारियों के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण के बिना पाँच वनमंडल अधिकारियों एवं वन संरक्षक द्वारा स्वीकार किया गया एवं पारित कर दिया गया। यह विभागीय अनुदेशों (जून 1990) का उल्लंघन में था।

अभिलेखों की जाँच में और पाया गया कि वनमंडल अधिकारी, महासमुन्द के लेखों में दर्ज (सितम्बर 2003) 6.62 लाख रूपयों में से वन संरक्षक कार्यालय, रायपुर में फर्नीचर कार्य हेतु बीजा लकड़ी क्रय हेतु 4.32 लाख रुपये एवं फर्नीचर मरम्मत हेतु 1.20 लाख रुपये एक काल्पनिक फर्म को भुगतान किया जाना दर्शाया गया। जिसे काल्पनिक होना प्रतिवेदित किया गया था। फर्म द्वारा प्रदाय किये गये केश मेमो में वाणिज्यिक कर पंजीयन क्रमांक, मशीन मुद्रित सरल क्रमांक अंकित नहीं थे। न तो केश मेमो पर स्कंध पंजी में प्रविष्टि संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्र अंकित था और न वनमंडल अधिकारी, महासमुन्द कार्यालय की स्कंध पंजी में वास्तविक रूप में प्रविष्टि की गई थी।

इसी प्रकार सी.एफ.कार्यालय परिसर में फेंसिंग कार्य एवं मुरुम बिछाने के कार्य पर 9.51 लाख रुपये का व्यय उड़नदस्ता द्वारा किया गया और उसपर किये गये व्यय को तीन²⁷ वनमंडलों एवं वन संरक्षक रायपुर कार्यालय के लेखों में प्रदर्शित किया गया।

यह बताये जाने पर, शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया। विभाग ने यह भी पुष्टि की (सितम्बर 2005) कि फर्नीचर हेतु 4.32 लाख रुपये की लकड़ी तथाकथित रूप से काल्पनिक फर्म से क्रय की गई थी।

4.5.3 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वनीकरण पर अनियमित व्यय

सुधार कार्य वृत्त के अंतर्गत क्षेत्र विकास, वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास पर 34.77 लाख रुपये का अनियमित व्यय

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत शासन, वनीकरण एवं पर्यावरण विकास मंडल, नई दिल्ली ने राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बिगड़े वनों की पुनः स्थापना (आर.डी.एफ.) परियोजना की स्वीकृति (दिसम्बर 2002) प्रदान की। वन संरक्षक की अध्यक्षता एवं वनमंडल अधिकारी के सदस्य सचिव के रूप में वन विकास अभिकरणों द्वारा वनमंडलों में ग्रामवन समितियों के माध्यम से सघन पौधरोपण जैसे बाँस, औषधीय पौधे लगाना एवं चारागाह विकास, के द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन, किया जाना था। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने निर्देशित किया था (दिसम्बर 1999) कि निधियों का उपयोग वनमंडल की अनुमोदित कार्य योजना के अभिज्ञापित आर.डी.एफ.कार्य वृत्त में करना था। कोई भी परियोजना कार्य, बाह्य क्षेत्र को बिगड़े वन क्षेत्र में वर्गीकरण करने एवं मुख्य

²⁶ भवन मरम्मत एवं इमारती लकड़ी क्रय- 11.43 लाख रुपये, कम्प्यूटर, लेजर प्रिंटर एवं फोटो कॉपीयर क्रय- 7.14 लाख रुपये, मुद्रण व्यय- 2.92 लाख रुपये, वाहन मरम्मत एवं किराया- 2.42 लाख रुपये, मजदूरी भुगतान- 1.51 लाख रुपये

²⁷ उदन्ती, महासमुंद एवं पूर्व रायपुर

वन संरक्षक (मुख्य वन संरक्षक, योजना) तथा भारत शासन के पूर्व स्वीकृति के बाद ही, आर.डी.एफ. से बाह्य क्षेत्रों में कराया जा सकता था क्योंकि यह अनुमोदित कार्य योजना का विचलन होगा।

वनमंडल अधिकारी, राजनांदगांव के अभिलेखों की नमूना जाँच (मार्च 2006) में पाया गया कि आर.डी.एफ.क्षेत्र पर 2.29 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। इसमें से आर.डी.एफ.क्षेत्र से बाहर सुधार कार्य वृत्त के 421 हेक्टेयर क्षेत्र²⁸ में क्षेत्र विकास, पौधरोपण एवं चारागाह विकास पर 34.77 लाख रुपये का व्यय किया गया। उपरोक्त कार्य मुख्य वन संरक्षक एवं भारत शासन की स्वीकृति के बिना कराया गया था। साथ ही कार्य योजना में अभिज्ञापित 2500 हेक्टेयर आर.डी.एफ.क्षेत्र में से 1011 हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार नहीं किया गया। इस तरह, आर.डी.एफ.कार्य वृत्त के बाहर वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास कार्य पर किया गया 34.77 लाख रुपये का व्यय अनियमित था क्योंकि यह अनधिकृत क्षेत्रों में किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर, शासन ने कहा (अक्टूबर 2006) कि कार्य भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा वनीकरण एवं पर्यावरण विकास मंडल के निर्देशानुसार वन विकास प्राधिकरण द्वारा राजनांदगांव में किये गये तथा यह भी बताया कि कार्य मानपुर रेंज के अवनत वन क्षेत्रों में किये गये जो कार्य योजना में कार्य सुधार वृत्त के अंतर्गत आते हैं। कार्य योजना में इस क्षेत्र को बायोलाजिकल दबाव से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र दर्शित किया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सुधार कार्य वृत्त में मुख्य वन संरक्षक एवं भारत शासन से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ही कार्य किया जा सकता था जो नहीं किया गया। यदि कुछ क्षेत्रों में वनों का घनत्व कम था तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भारत शासन की स्वीकृति से उसे बिगड़े वनों की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाना था। इसके अतिरिक्त वन संरक्षक (भूमि प्रबंधन) ने भी निर्देश जारी किये (दिसम्बर 2005) कि कार्य सुधार वृत्त में वृक्षारोपण हेतु स्थल का चयन आपत्तिजनक था। अतः 34.77 लाख रुपये का संपूर्ण व्यय अनियमित था।

लोक निर्माण विभाग

4.5.4 सड़क कार्यों पर अनियमित व्यय

विशिष्टियों को अनधिकृत प्रतिस्थापन के फलस्वरूप 35.29 लाख रुपये का अनियमित व्यय

मोवा दलदल सिवनी उरकुरा सड़क के कि.मी.1 से 3/6 में 5.97 लाख रुपये की संभावित ठेका लागत पर डामर नवीनीकरण एवं हार्ड शोल्डर के निर्माण का कार्य मैसर्स क्वालिटी कंस्ट्रक्शन को दर अनुसूची से 19 प्रतिशत अधिक पर चार माहों अर्थात् 4.12.2002 तक की निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के लिए दिया गया था। निविदा

²⁸ क्षेत्र क्र. 605,608,619,650,653 (बाघ नदी रेंज) एवं 1089 (उत्तर मानपुर रेंज)

आमंत्रण अनुसूची में प्रोफाइल करेक्शन सहित ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट (ओ.जी.पी.सी.) के साथ सीलकोट का कार्य शामिल था। कार्य पूर्ण हो गया था (दिसम्बर 2003) एवं ठेकेदार को अप्रैल 2004 में 42.37 लाख रुपये का अंतिम भुगतान किया गया था।

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, विधानसभा संभाग रायपुर के अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2005) में देखा गया कि कार्य के क्रियान्वयन के दौरान ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट के साथ सीलकोट की मर्दों के स्थान पर परिवर्तन कर 50 एम.एम.मोटी बिटुमिनस मेकेडम एवं मिक्स सील सरफेसिंग कार्य किया गया। कार्यपालन यंत्री के द्वारा मुख्य अभियंता को 37.41 लाख रुपये की अनुपूरक अनुसूची यह बताते हुए प्रस्तुत की गई (सितम्बर 2003) कि लोक निर्माण विभाग मंत्री के मौखिक अनुदेशों एवं सड़क यातायात घनत्व की संवीक्षा कर इस सड़क की मजबूती के लिए ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट एवं सीलकोट के विरुद्ध 50 एम.एम.बी.एम. से सड़क सुदृढीकरण का कार्य प्रस्तावित है। चूँकि कार्य की प्रकृति पूर्णतः परिवर्तित हुई इस कारण कार्य की लागत 7.10 लाख रुपये से 42.37 लाख रुपये हो गई परिणामतः लागत में छः गुना बढ़ोत्तरी हो गई। (निविदा दर प्रतिशत शामिल कर) कार्य क्षेत्र में बदलाव के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर नवीन निविदा आमंत्रित करना चाहिए था। ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट के साथ सीलकोट के स्थान पर बी.एम.व एम.एस.एस.कार्य के क्रियान्वयन के फलस्वरूप 35.27 लाख रुपये (42.37 लाख (-) 7.10 लाख रुपये का अनधिकृत व्यय हुआ)।

शासन (दिसम्बर 2006) ने बताया कि कार्य का निष्पादन उच्च प्राधिकारियों के निर्देशन एवं सड़क यातायात के घनत्व तथा आई.आर.सी.37 विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए 20 एम.एम.ओ.जी.पी.सी.के स्थान पर 50 एम.एम.बी.एम. का कार्य निष्पादित किया गया था। संशोधित प्राक्कलन पूर्व से ही मुख्य अभियंता को सितम्बर 2003 में प्रस्तुत किया एवं प्रकरण वित्त विभाग के पास पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के लिए लंबित है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था। कार्य क्षेत्र में बदलाव उपसंभागीय अधिकारी स्तर पर किया जा चुका था जबकि कार्यपालन यंत्री द्वारा तथाकथित रूप से सितंबर 2003 में अनुपूरक सूची मुख्य अभियंता को प्रस्तुत की गई थी। जनवरी 2004 में उपसंभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उपसंभागीय कार्यालय क्रमांक-2, रायपुर से 20 एम.एम.ओ.जी.पी.सी.के स्थान पर 50 एम.एम.बी.एम.कार्य के निष्पादन पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। यह साक्ष्य था कि उपसंभागीय अधिकारी ने कार्य के क्षेत्र में बदलाव कार्यपालन यंत्री के बिना जानकारी एवं अनुमति के प्रारंभ किया था एवं तत्पश्चात पूर्व तिथि में अनुपूरक अनुसूची उपरिलेखन कर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया था। तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी प्रशासकीय स्वीकृति एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी (सितम्बर 2006)।

पाँचवां अध्याय

सरकारी विभाग में आन्तरिक नियंत्रण तंत्र

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

5.1 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र

विशेषताएँ

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा के दौरान बजटीय, व्यय से संबंधित, प्रचालन एवं माल सूची नियंत्रण में कमजोरियाँ प्रकट हुईं जिनके कारण व्यय में बचतें एवं आधिक्य, व्यय की अधिकता, संग्रह लेखों का पुनर्मिलान न होना, अत्यधिक क्रय, संग्रह का परिहार्य संचयन, दोषपूर्ण निविदा पद्धतियाँ एवं ठेकेदारों से वसूली न होने के प्रकरण हुए। विभागीय निरीक्षण अपर्याप्त था एवं आंतरिक लेखापरीक्षा संरचना भी नहीं थी।

- आवंटन से ऊपर 31.11 करोड़ रुपये का अधिक व्यय किया गया एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना निक्षेप कार्यों पर 3.74 करोड़ रुपये का भारी व्यय किया गया।

(कंडिका 5.1.5.5 एवं 5.1.5.7)

- सात संभागों ने 9.11 करोड़ रुपये की लागत पर 2329 नलकूपों का अतिरिक्त कार्य अनुपूरक सूचियों के माध्यम से अनियमित रूप से सौंपा था।

(कंडिका 5.1.6.1)

- प्रतिभूत अग्रिम के अधिक भुगतान द्वारा ठेकेदार को 54.47 लाख रुपये की अनधिकृत वित्तीय सहायता दी गई।

(कंडिका 5.1.6.2)

- संग्रह उचंत के प्रचालन को रोक देने से प्रमुख अभियंता द्वारा 87.51 लाख रुपये का अधिक क्रय किया गया क्योंकि वर्तमान संग्रह शेष की जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इससे आगे, संग्रह उचंत बंद किये जाने के कारण वास्तविक संग्रह शेष, खाता शेषों से 3.78 करोड़ रुपये कम थे।

((कंडिका 5.1.7.1)

- अग्रिम भुगतान प्राप्त किए बिना अन्य संभागों को 38.73 लाख रुपये की सामग्री जारी की गई थी।

(कंडिका 5.1.7.6)

➤ विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी तथा मार्च 2006 तक 2001-02 से 88 पुराने निरीक्षण प्रतिवेदन लम्बित थे।

(कंडिका 5.1.8.1)

5.1.1 प्रस्तावना

किसी संगठन में आंतरिक नियंत्रण तंत्र, यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि उसका प्रचालन मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावी रूप से प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुसार किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, राज्य की 1.66 करोड़ ग्रामीण एवं 42 लाख शहरी जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नलकूपों के खनन तथा पाईप लाईनें बिछाने एवं उनके संधारण के लिए उत्तरदायी है। चूँकि विभाग की गतिविधियों में पाईपों एवं हैंड पम्प सेट्स का थोक क्रय निहित था, संग्रह एवं स्कंध का आंतरिक नियंत्रण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था।

5.1.2 संगठनात्मक संरचना

विभाग शासन के सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है एवं प्रमुख अभियंता इसके अध्यक्ष हैं जिनकी सहायता के लिए दो मुख्य अभियंता¹, छः अधीक्षण यंत्री² एवं मैदानी संभागों में 25 कार्यपालन यंत्री हैं।

5.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य यह आकलन करना थे कि :

- नियंत्रण प्रविधियाँ जो अधिनियम और नियम पुस्तिकाओं में उल्लिखित हैं, उनका अनुसरण किया गया था;
- बजटीय, व्यय, कार्यचालन और सामग्री प्रबंध संबंधी नियंत्रणों का पालन किया गया था; एवं
- विभाग में स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा संरचना है और यह कार्यरत है।

5.1.4 लेखापरीक्षा समावेशन एवं पद्धति

वर्ष 2003-04 से 2005-06 की अवधि के लिए अक्टूबर 2005 एवं मई 2006 के दौरान प्रमुख अभियंता कार्यालय एवं पाँच संभागों³ में संधारित अभिलेखों की नमूना जाँच द्वारा विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा की गई। पूर्व में प्रतिवेदित आंतरिक नियंत्रण विफलता के उदाहरण भी उपयुक्त स्थानों पर सम्मिलित किए गए हैं। लेखापरीक्षा पद्धति प्राथमिक रूप से अभिलेख समीक्षा और मैदानी संरचनाओं के साथ चर्चाओं पर आधारित थी। 22 सितंबर 2006 को एक निर्गम सम्मेलन हुआ। चर्चाओं के

¹ रायपुर एवं बिलासपुर जोन

² अधीक्षण यंत्री (सिविल) रायपुर, बिलासपुर, अम्बिकापुर, जगदलपुर, दुर्ग एवं अधीक्षण यंत्री (वि/या) रायपुर

³ कार्यपालन यंत्री (सिविल संभाग) रायपुर, अम्बिकापुर, बैकुण्ठपुर, बिलासपुर एवं कार्यपालन यंत्री (व/या संभाग) रायपुर

परिणाम समीक्षा में सम्मिलित हैं।

5.1.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

बजटीय एवं व्यय नियंत्रण

विभाग अपने अधिकार में रखे गए अनुदान के विरुद्ध प्रारंभिक अनुमान तैयार करने और व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी है। बजट अनुमानों की तैयारी में निम्नलिखित त्रुटियाँ ध्यान में आयी थीं:-

5.1.5.1 अवास्तविक बजट अनुमान

वर्ष 2001-02 से 2005-06 के लिए माँग संख्या 20,41 एवं 64 के बजट अनुमान अवास्तविक थे। 888.66 करोड़ रुपये के बजट प्रावधानों के विरुद्ध 668.88 करोड़ रुपये का व्यय था अर्थात् 2001 से 2006 के दौरान 219.78 करोड़ रुपये की बचत थी।

प्रमुख अभियंता ने बतलाया (सितम्बर 2006) कि बचतें इन कारणों से हुई थी (1) मैदानी अधिकारियों की कमी (2) छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा दर संविदा में विलम्ब से समय पर सामग्री क्रय नहीं की जा सकी और (3) गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अंतिम तिमाही में निधियाँ जारी की गई थी। इन कारकों को प्रतिवर्ष बजट तैयार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिये था और अधिक, संभावित बचतों को 15 फरवरी से पहले समर्पित किया जाना चाहिए था जैसा कि निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 4.155 में प्रावधानित है।

निर्माण कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन में विलम्ब

वर्ष 2002-03 से 2005-06 के दौरान शासन द्वारा 13 योजनाओं के लिए 12.95 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था किन्तु प्रशासनिक अनुमोदन के अभाव में कार्य आरम्भ नहीं हुए जिससे बचतें हुईं। प्रशासनिक अनुमोदन में विलम्ब का मुख्य कारण स्थानीय निकायों से अंश प्राप्त नहीं होना था। प्रमुख अभियंता ने बताया (सितम्बर 2006) कि सभी प्रशासनिक अनुमोदन 31.10.2006 तक दिए जाएंगे।

5.1.5.2 लोक लेखे में निधियों का अन्तरण

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 2002-03 एवं 2003-04 के वर्षों में बजट आवंटनों को व्यपगत होने से बचाने के लिए केन्द्र प्रवर्तित शहरी जल आपूर्ति योजनाओं से 6.39 करोड़ रुपये मार्च के अंत में लोक लेखे (8443 सिविल जमा) में अंतरित किए थे। प्रमुख अभियंता ने बताया (सितम्बर 2006) कि अंतरण वित्त विभाग के अनुमोदन से किए गए थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों के आहरण से व्यय पर विधायी नियंत्रण शिथिल हुआ एवं परिणामस्वरूप व्यय का अधिकथन हुआ।

5.1.5.3 व्यय का पुनर्मिलान न होना

प्रशासनिक अनुमोदन को विचार में लिए बिना 13 योजनाओं के लिए 12.95 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया।

विभाग ने बजट आवंटन को व्यपगत होने से बचाने के लिए 6.39 करोड़ रुपये सिविल जमा के अन्तर्गत रखे थे।

विभाग महालेखाकार द्वारा तैयार किए गए व्यय के आँकड़ों के साथ पुनर्मिलान नहीं कर सका जिसके फलस्वरूप 2 लाख रुपये से लेकर 4.38 करोड़ रुपये के भारी अंतर थे।

अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखाओं में कोषालय से आहरण एवं प्रेषण का सही चित्रण सुनिश्चित किए जाने के लिए विभागीय आँकड़ों का महालेखाकार द्वारा दर्ज व्यय के आँकड़ों के साथ समय पर मिलान किया जाना आवश्यक था जैसा कि सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 66(2) में प्रावधानित है। कपटपूर्ण आहरणों एवं व्ययवर्तनों के विरुद्ध यह एक प्रमुख नियंत्रण था। अपूर्ण पुनर्मिलान के कारण वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान महालेखाकार द्वारा दर्ज किए गए एवं विभागीय आँकड़ों के मध्य 60 उपशीर्षों में 2 लाख रुपये से 4.38 करोड़ रुपये तक के अन्तर थे।

5.1.5.4 वित्तीय वर्ष के अन्त में माँग एवं समर्पण

तीन संभागों ने 2.64 करोड़ रुपये 31 मार्च 2006 को प्रमुख अभियंता को समर्पित किए।

निर्माण विभाग नियमावली (नि.वि.नि.) की कंडिका 4.155 एवं 4.153 में निहित है कि निधियों को 15 फरवरी अथवा अधिक से अधिक 15 मार्च तक शासन को समर्पित किया जाना चाहिए तथा वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख अभियंता के समक्ष अंतिम माँगें 25 जनवरी तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। ये नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्याशित बचतों का अन्य निर्माण कार्यों में समय पर पुनर्विनियोजन कर उपयोग किया जा सके।

जबकि तीन संभागों⁴ ने 31 मार्च 2006 को 2.64 करोड़ रुपये प्रमुख अभियंता को समर्पित किए थे, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग अम्बिकापुर ने 50 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियों की माँग की एवं प्रमुख अभियंता द्वारा उसी दिन 33.50 लाख रुपये आवंटित किए गए थे। इस प्रकार, समय पर समर्पण एवं पुनर्विनियोजन के माध्यम से विचारित बजटीय अनुशासन एवं नियंत्रणों का पालन नहीं किया गया था। प्रमुख अभियंता ने आश्वासन दिया (सितम्बर 2006) कि समय पर समर्पण एवं पुनर्विनियोजन के माध्यम से बजटीय अनुशासन एवं नियंत्रण का अनुपालन किया जावेगा।

5.1.5.5 आवंटन से अधिक व्यय

कुछ शीर्षों में 31.11 करोड़ रुपये का अधिक व्यय

कंडिका 4.144 (नि.वि.नि.) के अनुसार व्यय पर नियंत्रण हेतु प्रमुख अभियंता उत्तरदायी है। यह अवलोकन किया गया कि वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 में 25 शीर्षों के अंतर्गत क्रमशः 12.41 करोड़ रुपये, 5.90 करोड़ रुपये, 6.98 करोड़ रुपये, 2.02 करोड़ रुपये एवं 3.80 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हुआ था। चूँकि सभी माँग संख्याओं में कुल मिलाकर बचतें थीं, समय पर पुनर्विनियोजन द्वारा आधिक्यों को टाला जा सकता था।

कंडिका 4.143 (नि.वि.नि.) में कार्यपालन यंत्री (का.यं.) को शीर्षवार ब्यौरे के साथ साखपत्र जारी किए जाने की व्यवस्था है। साखपत्र में निर्दिष्ट शीर्षवार सीमाओं में चैक्स जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए साखपत्र की एक प्रति उस बैंक को प्रेषित की जाती है जिसके माध्यम से कार्यपालन यंत्री अपना खाता प्रचालित करता है। साखपत्र में प्राधिकृत राशियों का सकल योग कार्यपालन यंत्री को अलग से जारी किए गए आवंटन के भीतर रखा जाना चाहिए। यह अवलोकन किया गया कि प्रमुख अभियंता,

⁴	(i) कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, कांकेर	100.00 लाख रुपये
	(ii) कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, चांपा	65.50 लाख रुपये
	(iii) कार्यपालन यांत्रिकी भूजल संवर्धन संभाग, दुर्ग	98.95 लाख रुपये
	योग	264.45 लाख रुपये

लोक स्वास्थ्य विभाग ने बिना किसी साखपत्र के 31.3.2006 को 138.32 लाख रुपये का आवंटन विभिन्न संभागों को जारी किया था। प्रमुख अभियंता ने बताया (सितम्बर 2006) कि अतिरिक्त आवंटन उन संभागों को दिया गया था जिनके पास अन्य माँगों के लिए पूर्व में जारी किए गए साखपत्रों में अव्ययित राशियाँ शेष थीं। उत्तर दर्शाता है कि शीर्षवार साखपत्र एवं आवंटन के माध्यम से नियंत्रण शिथिल था।

5.1.5.6 व्यय की अधिकता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने मार्च 2004, 2005 एवं 2006 के दौरान योजनाओं के कुल वार्षिक व्यय के विरुद्ध क्रमशः 11 योजनाओं पर 49 प्रतिशत, 10 योजनाओं पर 52.70 प्रतिशत एवं 21 योजनाओं पर 78.02 प्रतिशत व्यय किया था।

सामान्य वित्तीय नियम का नियम 69 बजटीय नियंत्रण के उपाय के रूप में वर्ष के दौरान व्यय की एकरूपता को निर्धारित करता है। यह अवलोकन किया गया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने मार्च 2004, 2005 एवं 2006 में योजनाओं के कुल वार्षिक व्यय के विरुद्ध क्रमशः 11 योजनाओं पर 49.41 प्रतिशत, 10 योजनाओं पर 52.70 प्रतिशत एवं 21 योजनाओं पर 78.02 प्रतिशत व्यय किया था। प्रमुख अभियंता ने उत्तर दिया (सितम्बर 2006) कि अधिकांश निर्माण कार्य मार्च से जून एवं जनवरी से मार्च के दौरान किए गए थे इसलिए सम्पूर्ण वर्ष में एकरूपता संधारित नहीं की जा सकी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 32.74 करोड़ रुपये की व्यय में अधिकता केवल मार्च में देखी गई थी।

5.1.5.7 निक्षेप कार्यों पर अधिक व्यय

दस संभागों ने जमा राशि के विरुद्ध 3.74 करोड़ रुपये की अधिक राशि व्यय की।

कंडिका 2.167(एफ) (नि.वि.नि.) के अनुसार राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना निक्षेप कार्यों पर जमा राशियों से अधिक व्यय नहीं किया जाना चाहिए। यह अवलोकन किया गया कि वर्ष 2003-04 से 2005-06 में 10 संभागों⁵ द्वारा 21.72 करोड़ रुपये जमा से अधिक 3.74 करोड़ रुपये की राशि उच्च प्राधिकारी के अनुमोदन बिना व्यय की गई एवं विविध लोक निर्माण अग्रिम में दर्ज की गई। आधिक्य का मुख्य कारण स्थानीय निकायों से जमा प्राप्त किए बिना शहरीय जल प्रदाय योजना के कार्यों का संपादन किया जाना था। प्रमुख अभियंता ने उत्तर दिया (सितम्बर 2006) कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

5.1.5.8 अस्थायी अग्रिम

निर्माण कैशबुक से अनियमित रूप से यात्रा अग्रिम आहरित किए गए थे एवं सात संभागों में मार्च 2006 तक 5.68 लाख रुपये लंबित थे।

निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 4.069 के अनुसार निर्माण कार्य हेतु पारित प्रमाणक के विरुद्ध अस्थायी अग्रिम आहरित किए जा सकते हैं। निर्माण कार्य व्यय के अलावा किसी अन्य प्रयोजन हेतु अग्रिम कोषालय के माध्यम से आहरित किए जाते हैं। यह अवलोकित हुआ कि नियंत्रक/प्रशासकीय कार्यालयों के अधिकारियों को भी दस्ती रसीदों पर कार्य शीर्षों से यात्रा अग्रिम दिए गए थे तथा सात संभागों⁶ में मार्च 2006 तक 5.68 लाख रुपये लंबित थे। प्रमुख अभियंता ने बताया (सितम्बर 2006) कि लंबित अस्थायी अग्रिमों के समायोजन के लिए अनुदेश जारी किए गए थे।

⁵ (1) रायपुर (सिविल) 54.40 लाख रुपये (2) रायपुर परियोजना 24.66 लाख रुपये (3) धमतरी 6.45 लाख रुपये (4) दुर्ग 51.98 लाख रुपये (5) राजनांदगाँव 157.72 लाख रुपये (6) कवर्धा 3.94 लाख रुपये (7) बिलासपुर परियोजना 20.29 लाख रुपये (8) कोरबा 12.25 लाख रुपये (9) जांजगीर-बाँपा 14.97 लाख रुपये (10) बैकुण्ठपुर 26.99 लाख रुपये योग 373.65 लाख रुपये

⁶ 1. जगदलपुर 1.47 2. बिलासपुर 0.48 3. जगदलपुर (वि/याँ) 0.45 4. बिलासपुर (वि/याँ) 0.53 5. अम्बिकापुर (वि/याँ) 0.04 6. जशपुर 2.56 7. बिलासपुर परियोजना 0.15 योग उ 5.68 लाख रुपये

5.1.6 प्रचालन नियंत्रण

5.1.6.1 अनुपूरक सूचियों के माध्यम से कार्य दिया जाना

बिना निविदा बुलाए 2329 नलकूपों के अनुबंधों के विरुद्ध 9.11 करोड़ रुपये लागत के 3558 नलकूपों के खनन के अतिरिक्त कार्य दिए गए।

निर्माण कार्य नियमावली की कंडिका 2.075(ख) के अनुसार 15000 रुपये या अधिक लागत के सभी कार्यों हेतु निविदा बुलाना चाहिए जिन्हें ठेके के माध्यम से निष्पादित कराना प्रस्तावित हो। यह अवलोकन किया गया कि सात संभागों में 2329 नलकूपों के मूल ठेकों के विरुद्ध, ठेकेदारों को 9.11 करोड़ रुपये लागत के 3558 नलकूपों के खनन के अतिरिक्त कार्य बिना नवीन निविदा बुलाए अनुपूरक सूचियों के माध्यम से सौंपे गए थे जैसा कि परिशिष्ट 5.1 में दर्शाया गया है। शासन ने मुख्य अभियंता बिलासपुर को इस कार्यप्रणाली को बंद किए जाने के निर्देश दिए थे (जुलाई 2006)।

5.1.6.2 ठेकेदारों को अनधिकृत वित्तीय सहायता

ठेकेदारों को प्रतिभूति अग्रिम के रूप में 54.47 लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया।

निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 2.091 (परिशिष्ट 2.13) में कार्यस्थल पर लाई गई सामग्री की प्रतिभूति पर अग्रिम के भुगतान की व्यवस्था है।

अम्बिकापुर संभाग में यह देखा गया (मई 2006) कि दो ठेकेदार कार्यस्थल पर 75.37 लाख रुपये मूल्य की सामग्री लाए थे एवं अनुबंध के अनुसार सामग्री के मूल्य पर प्रतिभूति अग्रिम (75 प्रतिशत) 56.53 लाख रुपये भुगतान योग्य था। कार्यपालन यंत्री ने 1.11 करोड़ रुपये का भुगतान किया था (मार्च 2006)। परिणामस्वरूप ठेकेदारों को 54.47 लाख रुपये की अनधिकृत वित्तीय सहायता हुई। प्रमुख अभियंता ने बताया (सितम्बर 2006) कि कार्यस्थल पर लाई गई सामग्री के मूल्य के अनुसार अग्रिमों का सही भुगतान किया गया था। उत्तर सही नहीं था। सामग्री का मूल्य उस पर निविदा का प्रतिशत जोड़कर अधिक बताया गया था जबकि सामग्री के ऐसे उच्च मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

5.1.6.3 विविध लोक निर्माण अग्रिमों (वि.लो.नि.अ.) का समायोजन न होना

16 संभागों में विविध लोक निर्माण अग्रिम के अंतर्गत 9.74 करोड़ रुपये समायोजन हेतु मार्च 2006 तक लंबित थे।

मार्च 2006 तक 16 संभागों में विविध लोक निर्माण अग्रिम के कुल 9.74 करोड़ रुपये समायोजन हेतु लंबित थे। अम्बिकापुर संभाग की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था (मई 2006) कि संभाग ने 37.54 लाख रुपये असमायोजित शेष दर्शाते हुए वि.लो.नि.अ. की पंजी 1996-97 तक संधारित की थी किन्तु महालेखाकार को मार्च 2006 का मासिक लेखा प्रस्तुत करते समय शेष निरंक दर्शाया गया था। 1996-97 से आगे पंजी का संधारण नहीं किया गया था। इस प्रकार वसूली/समायोजन की स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी। प्रमुख अभियंता ने आश्वासन दिया (सितम्बर 2006) कि लंबित राशियों के नियमितिकरण की कार्यवाही की जावेगी।

5.1.7 भण्डार एवं मालसूची नियंत्रण

भण्डार प्रबंधन की ठोस प्रणाली में क्रय आवश्यकता की योजना, दक्षतापूर्वक एवं मितव्ययी रूप से अधिग्रहण, प्रदाय पर नियंत्रण, समय पर एवं उपयुक्त लेखांकन तथा सुरक्षित भौतिक अभिरक्षा सम्मिलित है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में भण्डारों का अधिग्रहण अभिरक्षा एवं निपटान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपनायी गई मध्यप्रदेश निर्माण विभाग नियमावली भण्डार क्रय नियम एवं केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता के

प्रावधानों द्वारा शासित है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने प्रचुर मात्राओं में जी.आई.पाईप एवं हैण्ड पंप सेट्स क्रय किए थे। प्रमुख अभियंता कार्यालय ने क्रय आदेश जारी किए थे (2003-04 एवं 2004-05) एवं सामग्री सीधे ही संभागों को प्रदाय की गई जहाँ सामग्री की प्राप्ति पर भुगतान हुए। प्रत्येक संभाग में एक केन्द्रीय भण्डार था जो प्रायः उप संभागीय कार्यालय में स्थित था।

5.1.7.1 "संग्रह उचंत" का प्रचालन न होना

निर्माण विभाग नियमावली के अनुसार संभाग के केन्द्रीय भण्डार द्वारा प्राप्त की गई अथवा क्रय की गई सामग्री का मूल्य "संग्रह उचंत" शीर्ष में नामे प्रविष्टि के रूप में दर्ज किया जाता है। केन्द्रीय भण्डार संग्रह पंजी के माध्यम से विभिन्न उप संभागों को सामग्री जारी करता था। उप संभाग अपनी संग्रह पंजी के माध्यम से उप अभियंताओं को सामग्री प्रदाय करते थे जो कार्य स्थल पर वास्तविक निष्पादन के प्रभार में थे। प्राप्त हुई सामग्री को उप अभियंता के कार्यस्थल लेखे में दर्ज किया जाता था। उप अभियंता आवश्यकता अनुसार कार्यस्थल लेखे से विभिन्न कार्यों के लिए सामग्री जारी करता था। उप अभियंता द्वारा कार्यस्थल सामग्री लेखे से वास्तविक खपत की सूचना उप संभाग को एवं उप संभाग, संभाग को प्रेषित करता था तब संग्रह उचंत खपत की राशि के अनुरूप क्रेडिट प्रविष्टि द्वारा समायोजित किया जाता था। यदि सामग्री अन्य संभाग/विभाग को जारी की जाती थी तब संग्रह उचंत ऋण नामे (माइनस डेबिट) प्रविष्टि द्वारा समायोजित किया जाता था। इस प्रकार संभागीय लेखे में संग्रह उचंत में संचित डेबिट संभाग के पास उपलब्ध भौतिक संग्रह का मूल्य प्रदर्शित करता था। राज्य के लिए कुल शेष विभाग में उपलब्ध संग्रह प्रदर्शित करता था। इसलिए संग्रह लेखांकन शीर्ष, संग्रह की अभिरक्षा के नियंत्रण तंत्र की आधारशिला (कर्णशिला) था।

यह अवलोकन किया गया कि राज्य के सूत्रपात के समय से ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए संग्रह उचंत के अंतर्गत बजट प्रावधान नहीं किया गया था। इससे ज्ञात हुआ कि किसी नवीन क्रय के लिए इस शीर्ष का प्रचालन नहीं किया जा सका एवं पुराने शेषों का ही समायोजन हुआ था। परिणामतः ऊपर वर्णित भंडारों की परिवीक्षण एवं नियंत्रण का सम्पूर्ण तंत्र अक्रियाशील हो गया तथा पूरा तंत्र भारी जोखिमों के लिए खुल गया जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

भौतिक सत्यापन एवं लेखों के माध्यम से संग्रह का परिवीक्षण न होना

प्राप्त हुई सामग्रियाँ प्रारम्भिक रूप से संभाग के केन्द्रीय भण्डार में ली जाती हैं। निर्माण विभाग नियमावली में वर्णित प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न कार्यों में वास्तविक खपत को क्रेडिट/माइनस डेबिट द्वारा संग्रह उचंत से घटाया जाता था जैसा पूर्व में वर्णन किया गया है। संग्रह के शेषों के परिवीक्षण के लिए निर्माण कार्य विभागीय नियमावली में दो विवरणों की व्यवस्था है, संग्रह में शेष मदों की संख्या का विस्तृत विवरण एवं उनके मूल्य का मिलान संग्रह उचंत शेष से करके क्रमशः फार्म-11 एवं फार्म-73 में संभाग द्वारा दर्ज करके मासिक लेखे के साथ महालेखाकार एवं प्रमुख अभियंता को प्रेषित किया जाता है। इससे हर स्तर पर उपलब्ध संग्रह का सही शेष (मात्रा एवं मूल्य) सुनिश्चित होता था एवं इसका परिवीक्षण हो सकता था। जिस समय संग्रह उचंत का प्रचालन बंद हुआ था नवीन क्रय संग्रह पंजी में दर्ज नहीं हुए थे। किसी अनुदेश के अभाव

संग्रह का सत्यापन केवल पुरानी मदों के लिए किया गया जो राज्य के निर्माण से पूर्व क्रय किए गए थे।

में संभागों ने संग्रह की प्राप्ति एवं निर्गम के लेखांकन हेतु उप संभागीय स्तर पर कार्यस्थल सामग्री लेखे खोलकर एक सामानान्तर पद्धति अपनायी थी। यह पद्धति अपर्याप्त थी; क्योंकि इसमें मूल नियंत्रण नहीं थे। इस पद्धति में प्रमुख अभियंता एवं संभागों, संभागों एवं उप संभागों तथा उप संभागों एवं उप अभियंताओं के मध्य संग्रह का पुनर्मिलान समाप्त हो गया था। हर इकाई ने बिना शेष संग्रह की जानकारी के अपने स्वयं के लेखे संधारित किए थे एवं प्रमुख अभियंता की जानकारी के बिना अन्य इकाईयों को संग्रह का निर्गम किया इसलिये पुनर्मिलान संभव नहीं था। कार्यस्थल सामग्री लेखों में लिए गए संग्रह का मिलान मासिक लेखों के फार्म-11 एवं 73 में सम्मिलित नहीं था।

संग्रह का सत्यापन केवल पुरानी मदों के लिए किया जा रहा था जो राज्य बनने से पहले संग्रह उचंत में दर्ज की गई थीं। कार्यस्थल सामग्री लेखों में संग्रह का संधारण होने से संग्रह का सत्यापन बंद हो गया। पुनर्मिलान एवं संग्रह के सत्यापन के अभाव में हानियों एवं चोरियों के चिंताजनक जोखिम के लिए प्रणाली खुल गई थी। यह स्पष्ट था कि संग्रह उचंत शीर्ष के प्रचालन से जुड़े विभिन्न नियंत्रण जो संग्रह की सुरक्षा एवं अभिरक्षा के लिए निर्धारित थे स्थगित हो गए थे जब संभागों ने उचंत शीर्ष का प्रचालन बंद किया था इससे अत्यधिक क्रय, विसंगतियाँ एवं संग्रह का अनियमित संचय हुआ।

प्रमुख अभियंता ने बताया (सितंबर 2006) कि सभी स्तरों पर भौतिक सत्यापन एवं संग्रह लेखों का परिवीक्षण सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए जाएंगे।

अत्यधिक क्रय

रायपुर के दो संभागों में 2004-05 के दौरान 87.51 लाख रुपये की सामग्री का अधिक क्रय किया गया है।

प्रमुख अभियंता रायपुर विद्युत/यांत्रिकी एवं सिविल संभागों में उचंत का प्रचालन न होने के कारण शेष संग्रह ज्ञात करने एवं सही ढंग से आवश्यकताओं का आकलन करने की स्थिति में नहीं थे। इसके कारण 2004-05 के दौरान 87.51 लाख रुपये मूल्य की सामग्री का अधिक क्रय हुआ जैसा **परिशिष्ट 5.2** में वर्णित है। **निर्गम सम्मेलन** में यह स्वीकार किया गया था।

स्कंध लेखा में विसंगति

दो संभागों में वास्तविक स्कंध शेष का बही शेष से 3.78 करोड़ रुपये कम होना।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (वि/यां) संभाग रायपुर को 31 मार्च 2005 को केन्द्रीय भण्डार, छ: उप संभागीय भण्डार एवं सात उप यंत्रियों के कार्यस्थल सामग्री लेखाओं के आधार पर स्कंध के शेष (पाइप्स एवं हे.पं.सेट) को समानान्तर रूप से लेखापरीक्षा द्वारा ज्ञात किया गया। 1 अप्रैल 2004 को प्रारंभिक स्कंध को लेखे में लेने पर एवं माहवार विभिन्न कार्य की प्रत्येक उप-इकाईयों में उपयोग तथा वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ (केवल केन्द्रीय भण्डार में प्राप्त) के आधार पर बही शेष निकाला गया। यह देखा गया कि वास्तविक अंतिम स्कंध, जो कि उप संभागों से प्राप्त, लेखापरीक्षा द्वारा निकाले गये बही शेष से 85.84 लाख रुपये कम थे जैसा कि **परिशिष्ट 5.3** में दर्शित है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग बैकुण्ठपुर (जुलाई 2005)के प्रपत्र-73 "स्कंध लेखा" में विगत तीन वर्षों से स्कंध का शेष 2.92 करोड़ रुपये दर्शित करता आ रहा था जबकि वास्तविक स्कंध शेष निरंक था। कार्यपालन यंत्री ने बतलाया कि स्कंध के समायोजन से संबंधित अभिलेख तैयार कर आगामी लेखापरीक्षा को दिखा दिये जावेंगे।

इस प्रकार उचंत शीर्ष के परिचालन की समाप्ति के पश्चात् विभिन्न स्कंध लेखाओं के मध्य उचित पुनर्मिलान नहीं किया गया जिसके कारण रिसाव का जोखिम बढ़ रहा था। प्रमुख अभियंता ने आश्वासन दिया (सितम्बर 2006) कि प्रकरण का परीक्षण किया जाएगा एवं कार्यवाही की जाएगी।

स्कंध का अनियंत्रित संग्रहण

1.28 करोड़ रुपये की राशि का स्कंध अनुपयोगी पड़ा था।

शीर्ष "स्कंध उचंत" के अन्तर्गत बजट प्रावधान न होने से, सामग्री के क्रय हेतु प्रावधान उसी मुख्य शीर्ष में रखा गया था जिसके अन्तर्गत कार्य किया जाना था। संभाग द्वारा सामग्री की प्राप्ति पर विभिन्न कार्य शीर्षों पर सामग्री की राशि को विकलित किया जा रहा था। सामग्री की वास्तविक उपयोगिता को न देखते हुए सामग्री पर होने वाले व्यय को विभिन्न कार्यों में दर्ज करने एवं प्रत्येक कार्य के तदर्थ रूप से पूर्व दर्ज भाग के कारण व्यय में वृद्धि हुई।

कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (सिविल) एवं (वि/यां) रायपुर संभागों, में वर्ष 2004-05 के दौरान दोनों संभागों द्वारा 1.28 करोड़ रुपये स्कंध संचयित होकर संभागों के केन्द्रीय भण्डार में अनुपयोगी पड़ा था⁷।

3.54 करोड़ रुपये के लेखों में दर्ज व्यय के विरुद्ध 64.14 लाख रुपये का स्कंध कार्यों पर बिना वास्तविक खपत के संग्रहित किया गया और इतनी ही राशि के व्यय का अधिकथन हुआ। 1.28 करोड़ रुपये का स्कंध संग्रहित कर अनुपयोगी पड़ा था जिसका लेखों में कोई विवरण नहीं था।

"स्कंध उचंत" परिचालन में न होने के कारण प्रमुख अभियंता द्वारा कोई रक्षित स्कंध सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। रक्षित स्कंध सीमा एवं शेषों के पुनर्मिलान के अभाव में, स्कंध को क्रय कर अनियंत्रित रूप से संग्रहित किया गया।

5.1.7.2 सामग्री के वितरण पर नियंत्रण का अभाव

2001-02 से 2005-06 के दौरान बजट अनुमान बढ़ा-चढ़ाकर बनाए गए।

प्रत्येक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग के लिए सामग्री की आवश्यकता प्रमुख अभियंता द्वारा आकलित की जाती है तदनुसार सामग्री वितरित की जाती है। इसके प्रतिकूल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग (सिविल) रायपुर द्वारा प्रमुख अभियंता को सूचित किए बिना अन्य संभागों को 13.54 लाख रुपये मूल्य की सामग्री स्थानांतरित की गई थी (जुलाई 2004, अगस्त 2004) जैसाकि परिशिष्ट 5.4 में दर्शाया गया है।

दो अन्य प्रकरणों में इसी संभाग में निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु उप संभाग के कार्यस्थल लेखे से ठेकेदारों को सामग्री जारी की गई थी। कार्य पूर्ण होने के बाद उपयोग न की गई सामग्री भंडार में वापिस की जानी थी एवं उप संभाग के कार्यस्थल लेखे में ली जानी थी। यह अवलोकन किया गया कि उपयोग न की गई सामग्री उप संभाग के कार्यस्थल लेखे में लिए बिना, अनियमित रूप से उपयंत्री के कार्यस्थल लेखे में लेकर उसी ठेकेदार को अन्य कार्यों के लिए स्थानांतरित की गई।

⁷ (1) 150 मि.मी.जी.आई. (2) 125 मि.मी.जी.आई. (3) 32 मि.मी.जी.आई. (4) 150 मि.मी.यू.पी.वी.सी. (5) 125 मि.मी.यू.पी.वी.सी. (6) नार्मल स्टेण्ड असेम्बली (7) टेलीस्कोपिक स्टेण्ड असेम्बली

इससे जारी किए गए एवं खपत हुए भंडारों की क्रास चेकिंग की प्रणाली शिथिल हुई। प्रमुख अभियंता ने बताया (सितम्बर 2006) कि लेन-देनों के नियमितकरण के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

5.1.7.3 आवश्यकता के बिना क्रय

16.70 लाख रुपये के डी.आई. पाईप बिलासपुर संभाग में आवश्यकता के बिना क्रय किए गए।

प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग बिलासपुर के लिए 150 मि.मी. व्यास वाले 2000 मीटर डी.आई.पाईप के प्रदाय हेतु एक फर्म को आदेश दिए थे, (नवम्बर 2004) यद्यपि वहाँ कोई माँग नहीं थी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग बिलासपुर ने मार्च 2005 में पाईप प्राप्त किए थे एवं सितम्बर 2005 में उन्हें बैकुण्ठपुर संभाग को स्थानांतरित कर दिया था जो सितम्बर 2006 तक केवल 17 प्रतिशत पाईप का उपयोग कर पाया था शेष बिना उपयोग के पड़ा था।

प्रमुख अभियंता ने उत्तर दिया (सितम्बर 2006) कि नगर निगम बिलासपुर द्वारा कार्यपालन यंत्री परियोजना संभाग बिलासपुर से 10500 मीटर डी.आई.पाईप बिछाये जाने के अनुरोध पर पाईप क्रय किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वास्तविक रूप से 2000 मीटर पाईप बिलासपुर के भिन्न संभाग को प्रदाय किया गया था जिसे उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी एवं विभाग इसके क्रय के दो वर्ष पश्चात् भी इसका उपयोग ढूँढने में विफल रहा था।

5.1.7.4 निष्क्रिय स्कंध (स्टाक)

50.80 लाख रुपये मूल्य के निष्क्रिय स्कंध के निपटान के प्रयास नहीं किए गए।

तीन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभागों⁸ के फार्म-11 से अवलोकन किया गया कि 50.80 लाख रुपये मूल्य का स्कंध पिछले पाँच वर्षों के दौरान निष्क्रिय पड़ा था। पिछले पाँच वर्षों में स्कंध का मूल्यांकन भी नहीं किया था। प्रमुख अभियंता ने बताया (सितम्बर 2006) कि आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

5.1.7.5 अनुपयोगी भण्डार वस्तुएँ

सिविल संभाग रायपुर में 63.11 लाख रुपये मूल्य की अनुपयोगी सामग्री का वर्ष 1979 से निपटान नहीं किया गया था।

निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 4.083 में प्रावधान है कि अनुविभागीय अधिकारी अनुपयोगी भण्डार सामग्री का प्रतिवेदन अगले 12 माह के दौरान कार्यपालन यांत्रिकी को प्रस्तुत करेगा जो अधीक्षण यंत्री के आदेशों से इन वस्तुओं का निपटान करेगा। नियमावली की कंडिका 4.073 के अनुसार प्रतिवर्ष जनवरी में अनुपयोगी वस्तुओं की सर्वे रिपोर्ट मुख्य अभियंता को फार्म 18/18 क में प्रस्तुत की जानी चाहिए जो ऐसी वस्तुओं के निपटान की कार्यवाही करेंगे। इस संहितीय प्रावधान के होते हुए भी तीन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभागों⁹ में 63.11 लाख रुपये मूल्य की अनुपयोगी सामग्री का 1979 से निपटान नहीं किया जा सका था। यह कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री एवं मुख्य अभियंता स्तर पर नियंत्रण विफलता का सूचक था। प्रमुख अभियंता ने बताया (सितम्बर 2006) कि आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

⁸ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सिविल संभाग, रायपुर- 32.29 लाख रुपये
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सिविल संभाग, बिलासपुर- 11.89 लाख रुपये
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सिविल संभाग, अम्बिकापुर- 6.62 लाख रुपये

⁹ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सिविल संभाग रायपुर 14.56 लाख रुपये, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सिविल संभाग बिलासपुर 44.51 लाख, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग अम्बिकापुर 4.04 लाख रुपये।

5.1.7.6 अन्य संभागों को जारी की गई सामग्री के मूल्य की वसूली न होना

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग कवर्धा एवं बिलासपुर ने अग्रिम भुगतान प्राप्त किए बिना अन्य संभागों को 38.73 लाख रुपये की सामग्री जारी की थी।

अप्रैल 1993 से संभाग अन्य संभागों को केवल अग्रिम भुगतान के विरुद्ध ही सामग्री स्थानांतरित कर सकते हैं। तथापि, यह देखा गया कि उपरोक्त प्रावधान के प्रतिकूल कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग कवर्धा एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सिविल संभाग बिलासपुर ने अग्रिम भुगतान प्राप्त किए बिना 38.73 लाख रुपये की सामग्री अन्य संभागों को जारी की थी (जनवरी 2003 एवं जुलाई 2005)। ये भुगतान जुलाई 2006 तक लंबित थे। इस प्रकार "कैश एण्ड कैरी सिस्टम" की अनदेखी की गई। प्रमुख अभियंता ने आश्वासन दिया (सितम्बर 2006) कि उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

5.1.7.7 ठेकेदारों से सामग्री के मूल्य की वसूली न होना

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग राजनांदगाँव में उपयोग न की गई 35 लाख रुपये मूल्य की सामग्री 2000-01 से ठेकेदारों ने वापिस नहीं की थी। इसी समान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सिविल संभाग रायपुर में 2004-05 के दौरान विभिन्न ठेकेदारों को 5.28 लाख रुपये मूल्य की सामग्री प्रदाय की गई थी किन्तु उसके उपयोग का कोई प्रमाण नहीं था। सामग्री के मूल्य की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। प्रमुख अभियंता ने आश्वासन दिया (सितम्बर 2006) कि उपयुक्त कार्यवाही की जावेगी।

5.1.8 आंतरिक लेखापरीक्षा एवं परीक्षण प्रणाली

5.1.8.1 आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र

विभाग में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है। मुख्य तकनीकी परीक्षक (मु.त.प.) सतर्कता द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं एवं 2001-02 से संबंधित 88 निरीक्षण प्रतिवेदन लंबित थे (मार्च 2006)।

5.1.8.2 विभागीय निरीक्षण

निर्माण कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 4.113 में व्यवस्था है कि विभागीय निरीक्षण वार्षिक रूप से सम्पन्न होने चाहिए एवं प्रमुख अभियंता मु.अ./अ.अ./का.अ. से हर तिमाही के अंतिम सप्ताह में एक विवरण प्राप्त करेगा जिसमें वर्ष के दौरान नियत निरीक्षण एवं वास्तव में किए गए निरीक्षण दर्शाए जाएंगे। इन प्रतिवेदनों का समेकन कर इसे प्रमुख अभियंता द्वारा शासन को प्रेषित किया जाएगा। यह अवलोकित हुआ कि विभाग में संहितिय प्रावधान का पालन नहीं हुआ था। मुख्य अभियंताओं ने कोई निरीक्षण नहीं किया था। तथापि अ.अ.लो.स्वा.यां.वि. मण्डल रायपुर ने संभागों एवं उप संभागों के वार्षिक निरीक्षण का कार्यक्रम तैयार किया था किन्तु वास्तव में पालन नहीं किया गया था और न कोई निरीक्षण प्रतिवेदन जारी हुआ था। प्रमुख अभियंता ने बताया (सितम्बर 2006) कि विभाग की संरचना नवीन है एवं नियमावली में व्यवस्थित निरीक्षणों को सम्पादित किया जाएगा।

5.1.9 निष्कर्ष

बजटीय एवं व्यय नियंत्रणों में कमियों के कारण कुछ लेखा शीर्षों में लगातार

बचतें/आधिक्य हुए थे निर्माण कार्य व्यय में अग्रिमों को अनियमित रूप से लेखांकित किया गया था। अनुपूरक सूचियों के माध्यम से कार्यों का निष्पादन कर निविदा प्रक्रिया की अनदेखी की गई थी। संग्रह उचंत शीर्ष का प्रचालन न होने से संग्रह का उचित आकलन, क्रय, निर्गम एवं सुरक्षा तथा अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित नियंत्रण पूर्णतः समाप्त हो गए थे। परिणामतः संग्रह लेखाओं में बहुत त्रुटियाँ थीं, आवश्यकता से अधिक क्रय हुआ एवं संग्रह का अनियंत्रित संचयन हुआ तथा चोरी की चिंताजनक जोखिम निर्मित हुई। भण्डारों के वितरण से संबंधित, प्रदाय की गई वस्तुओं के मूल्य की वसूली एवं भण्डार प्रबंधन जैसे अन्य नियंत्रण भी क्रियाशील नहीं थे। आंतरिक लेखापरीक्षा अनुपस्थित थी एवं निर्धारित विभागीय निरीक्षण अधीक्षण यंत्री एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नहीं किए गए थे।

5.1.10 अनुशंसाएँ

- बजटीय अनुमान की प्रक्रिया में विभिन्न नियंत्रणों, पुनर्विनियोजनों व समर्पणों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए एवं निर्माण कार्य व्यय में अस्थायी अग्रिमों को अनुमत्य नहीं किया जाना चाहिए।
- अनुपूरक सूचियों के माध्यम से अतिरिक्त कार्यों का निष्पादन अनुमत्य नहीं किया जाना चाहिए तथा ऐसे अतिरिक्त कार्यों को खुली निविदाएँ बुलाकर दिया जाना चाहिए जिससे स्पर्धात्मक दरें प्राप्त हों।
- "संग्रह उचंत" शीर्ष का उपयोग पुनः आरम्भ किया जाए ताकि संग्रह का उचित आकलन, क्रय निर्गम एवं सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के निर्धारित नियंत्रणों का पालन हो सके।
- संग्रह उचंत शीर्ष में दर्ज हुए बिना जो संग्रह क्रय किए गए थे उन सभी के लिए सारे संभागों में पुनर्मिलान एवं भौतिक सत्यापन कराया जाना चाहिए।
- आंतरिक लेखापरीक्षा संरचना गठित की जानी चाहिए एवं विभागीय निरीक्षणों को सुदृढ़ करना चाहिए।

इन अनुशंसाओं पर निर्गम सम्मेलन में शासन के साथ चर्चा की गई थी (सितम्बर 2006) जिन्हें शासन द्वारा स्वीकार किया गया।

छठवाँ अध्याय

सरकारी वाणिज्यिक एवं व्यापारिक गतिविधियाँ

6.1 सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

6.1.1 प्रस्तावना

31 मार्च 2005 को नौ सरकारी कम्पनियाँ, एक विद्युत नियामक आयोग तथा दो सांविधिक निगम (सभी कार्यरत) की तुलना में 31 मार्च 2006 को दस¹ सरकारी कम्पनियाँ, एक विद्युत नियामक आयोग तथा दो सांविधिक निगम (सभी कार्यरत) राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन थे। सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा, (कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित), कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के प्रावधानों के अनुसार इन लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा भी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा व्यवस्था नीचे दर्शाए अनुसार है -

क्र. सं.	निगम का नाम	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार	लेखापरीक्षा व्यवस्था
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (सी.एस.ई.बी.)	विद्युत प्रदाय (वार्षिक लेखा) नियम, 1985 के नियम 14 सहपठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 185(2)(डी) के अंतर्गत	भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा एक मात्र लेखापरीक्षा
2.	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम	राज्य भण्डार गृह अधिनियम 1962 की धारा 31(8)	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा

पूर्ववर्ती विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 के अंतर्गत राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सी.एस.ई.आर.सी.) का गठन किया (अक्टूबर 2001) एवं उसकी लेखापरीक्षा का कार्य विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 104(2) के अंतर्गत नियंत्रक- महालेखापरीक्षक को सौंपा गया।

सभी सरकारी कम्पनियों एवं वैधानिक निगमों के बारे में विस्तृत जानकारी **परिशिष्ट 6.1, 6.2 तथा 6.3** में दी गई है।

1 तीन कम्पनियों ने अभी तक वाणिज्यिक गतिविधियाँ प्रारंभ नहीं की हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यरत उपक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यरत उपक्रमों में निवेश

6.1.2 क्रमशः मार्च 2005 एवं मार्च 2006 की समाप्ति पर सार्वजनिक क्षेत्र के 11 कार्यरत उपक्रमों (नौ सरकारी कम्पनियाँ और दो सांविधिक निगम) एवं 12 कार्यरत उपक्रमों (दस सरकारी कम्पनियाँ और दो सांविधिक निगम) में कुल निवेश निम्नानुसार था:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश			
		अंश पूंजी	अंश परायणता धन	ऋण	योग
2004-05	11	35.66	3.00	1021.81	1060.46
2005-06	12	39.16 ²	-	958.71	997.87 ³

कार्यरत सरकारी कम्पनियों व सांविधिक निगमों में 31 मार्च 2005 के 3.64 प्रतिशत अंश पूंजी तथा 96.36 प्रतिशत के ऋण रूपी कुल निवेश की तुलना में 31 मार्च 2006 को कुल निवेश क्रमशः 3.92 प्रतिशत एवं 96.08 प्रतिशत था।



सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का विश्लेषण निम्न कंडिकाओं में दिया गया है -

कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में क्षेत्रवार निवेश

मार्च 2005 एवं मार्च 2006 के अंत में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (अंश पूंजी एवं दीर्घकालिक ऋण) और इनका प्रतिशत निम्न पाई चार्टों में दर्शाया गया है:

² उपक्रमों द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यरत उपक्रमों में राज्य सरकार का अंश पूंजी में निवेश 37.58 करोड़ रुपये था। वित्त लेखों के अनुसार आंकड़े 33.16 करोड़ रुपये हैं। अंतर मिलान के अधीन है।

³ सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यरत उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश 866.78 करोड़ रुपये था (ऋण एवं अंश पूंजी का योग)।



कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ

6.1.3 मार्च 2005 एवं मार्च 2006 के अंत में कार्यरत सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश निम्नानुसार था:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	कम्पनियों की संख्या	कार्यरत सरकारी कम्पनियों में निवेश			
		अंश पूंजी	अंश परायणता धन	ऋण	योग
2004-05	9	11.54	3.00	1.00	15.54
2005-06	10	15.04	-	12.00	27.04

इन सरकारी कम्पनियों में शासकीय निवेश की संक्षिप्त स्थिति का अंश पूंजी और ऋण के रूप में **परिशिष्ट 6.1** में विवरण दिया गया है।

कार्यरत सरकारी कम्पनियों में 31 मार्च 2005 को 93.56 प्रतिशत अंश पूंजी स्वरूप एवं 6.44 प्रतिशत ऋण स्वरूप के कुल निवेश की तुलना में 31 मार्च 2006 को कुल निवेश क्रमशः 55.62 प्रतिशत एवं 44.38 प्रतिशत था।

कार्यरत सांविधिक निगम

6.1.4 मार्च 2005 एवं मार्च 2006 के अंत में दो कार्यरत सांविधिक निगमों में निवेश निम्नानुसार था:

(राशि करोड़ रुपये में)

निगम का नाम	2004-05		2005-06	
	पूंजी	ऋण	पूंजी	ऋण
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल	23.12 ⁴	1020.81	23.12	946.71
छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम	1.00	निरंक	1.00	निरंक
योग	24.12	1020.81	24.12	946.71

कार्यरत सांविधिक निगमों में 31 मार्च 2005 के 2.30 प्रतिशत अंश पूंजी स्वरूप एवं 97.70 प्रतिशत ऋण स्वरूप के कुल निवेश की तुलना में 31 मार्च 2006 को कुल निवेश क्रमशः 2.48 प्रतिशत एवं 97.52 प्रतिशत था।

कार्यरत सांविधिक निगमों में अंश पूंजी और ऋण के रूप में निवेश की संक्षिप्त स्थिति का विवरण **परिशिष्ट 6.1** में दिया गया है।

4 उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 4.11.04 के अनुसार, म.प्र.वि.मं. की अवितरित अंश पूंजी 14.4.01 को 2311.50 लाख रुपये थी जिसे अस्थायी रूप से अंश पूंजी का सम्पत्ति पर अनुपात में 2311.50 लाख रुपये छ.ग.रा.वि.मं. को प्रभाजित किया।

बजटीय व्यय, अनुदान/सहायता, गारंटियाँ, देयताओं की माफी और ऋणों का अंश पूंजी में परिवर्तन

6.1.5 सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के संबंध में बजटीय व्यय, अनुदान/सहायता, जारी गारंटियाँ, देयताओं की माफी तथा राज्य सरकार द्वारा ऋणों का अंश पूंजी में परिवर्तन संबंधी विवरण **परिशिष्ट 6.1** तथा **6.3** में दिए गए हैं।

2005-06 तक तीन वर्षों के लिए बजटीय व्यय (अंश पूंजी तथा ऋणों के रूप में) और राज्य सरकार द्वारा सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों को अनुदान/सहायता का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि करोड़ रुपये में)

	2003-04				2004-05				2005-06			
	कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
बजट से अंश पूंजी व्यय	2	2.45	--	--	1	1.00	--	--	1	0.50	--	--
बजट से दिए गए ऋण	-	-	1	0.85	--	--	1	47.28	1	11.00	-	-
अन्य अनुदान/सहायता	2	153.66	2	78.11	2	40.84	1	75.46	5	59.72	1	129.79
कुल निगम	4⁵	156.11	2⁵	78.96	3⁵	41.84	1⁵	122.74	5⁵	71.22	1⁵	129.79

वर्ष 2005-06 के दौरान एक कार्यरत सांविधिक निगम द्वारा कुल 354.07 करोड़ रुपये के प्राप्त किए गए ऋण की गारंटी सरकार द्वारा दी गई। वर्ष के अंत में गारंटी की कुल राशि 325.16 करोड़ रुपये लंबित थी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों को अंतिम रूप दिया जाना

6.1.6 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 166, 210, 230 और 619 सहपठित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी कम्पनियों के लेखे संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अंदर अंतिम रूप से बनाये जाने आवश्यक हैं। इन्हें वित्त वर्ष की समाप्ति से नौ माह के अंदर, विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत भी किया जाना है। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के प्रकरण में इनसे संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इनके लेखों को अंतिम रूप दिया जाता है, इनका लेखा परीक्षण किया जाता है तथा इन्हें विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

जैसा कि **परिशिष्ट 6.2** में देखा जा सकता है, दस सरकारी कम्पनियों तथा दो सांविधिक निगमों में से किसी भी सरकारी कम्पनी/सांविधिक निगम द्वारा वर्ष 2005-06 के लिए अपने लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया। चार सरकारी कम्पनियों तथा एक निगम द्वारा अक्टूबर 2005 से सितंबर 2006 तक की अवधि में पिछले वर्षों के लेखों को अंतिम रूप दिया गया।

⁵ ये उन कम्पनियों/निगमों की वास्तविक संख्या है जिन्हें, वर्ष के दौरान, अंशपूंजी, ऋण, अनुदान और सहायता के रूप में राज्य सरकार से बजटीय समर्थन प्राप्त हुआ है।

सभी कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के लेखे सितंबर 2006 को एक वर्ष से चार वर्षों की अवधि हेतु अधूरे थे, जैसा कि निम्नानुसार वर्णित है -

क्र.सं.	कार्यरत कम्पनी/निगमों की संख्या		अवधि जिस हेतु लेखों को अंतिम रूप दिया जाना है	अंतिम रूप दिए जाने वाले लेखों के वर्षों की संख्या	परिशिष्ट 6.2 के सरल क्रमांक का संदर्भ	
	सरकारी कम्पनी	सांविधिक निगम			सरकारी कम्पनी	सांविधिक निगम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	1	1	2002-03 से 2005-06	4	क - 6	बी-1
2.	2	1	2003-04 से 2005-06	3	क-3,4	बी-2
3.	2	निरंक	2004-05 से 2005-06	2	क-1, 5	निरंक
4.	5	निरंक	2005-06	1	क-2,7,8, 9,10	निरंक
	10	2				

कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यरत परिणाम

6.1.7 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सरकारी/कम्पनी एवं सांविधिक निगम) द्वारा अंतिम रूप से तैयार किए गए नवीनतम लेखों के अनुसार संक्षिप्त वित्तीय परिणाम परिशिष्ट 6.2 में दिए गए हैं।

अंतिम रूप से तैयार किए गए नवीनतम लेखों के अनुसार, चार कार्यरत सरकारी कम्पनियों को 41.85 करोड़ रुपये का घाटा हुआ तथा दो सरकारी कम्पनी एवं दो सांविधिक निगम द्वारा 370.75 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया गया।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के लेखों की, की गयी लेखापरीक्षा के परिणाम

6.1.8 अक्टूबर 2005 से सितम्बर 2006 अवधि के दौरान चार कम्पनियों तथा एक निगम समीक्षा के लिए चयनित किया गया। सी.ए.जी. द्वारा अवलोकित टिप्पणी के परिणामस्वरूप सी.एस.ई.बी.* (2001-02) द्वारा अपना लेखा संशोधित किया गया। सार्वजनिक उपक्रमों के समीक्षा के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों का शुद्ध प्रभाव निम्नानुसार था:

विवरण	सरकारी कम्पनियाँ	
	लेखों की संख्या	राशि (लाख रूपयें में)
लाभ में वृद्धि	1	111.89
हानि में वृद्धि	1	4.49
महत्वपूर्ण तथ्यों को न दर्शाना	1	31.92

* छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल

वार्षिक लेखों के समीक्षा के दौरान पाये गये कुछ प्रमुख त्रुटियाँ एवं भूलें नीचे दिये गये हैं:

- (1) **छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2004-05)** 31 मार्च 2005 को उपार्जित किंतु अदेय ब्याज का लेखांकन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष में 1.12 करोड़ रुपये का लाभ कम हुआ।
- (2) **छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (2003-04)** भारत अधोसंरचना प्रदर्शनी में हुए व्यय के पूंजीकरण के परिणामस्वरूप 4.49 लाख रुपये की हानि का न्यून कथन हुआ।

सार्वजनिक उपक्रमों की समिति द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) की चर्चा की स्थिति

6.1.9 जुलाई 2006 के अंत तक सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में चर्चा की गई कंडिकाओं की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शित कंडिकाओं एवं समीक्षाओं की संख्या	चर्चित कंडिकाओं की संख्या
1999-2000	5 ⁶	3
2000-01	7 ⁷	-
2001-02	2	-
2002-03	7	-
2003-04	8	-
2004-05	3	-

619-ख कम्पनियाँ

6.1.10 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (ख) के अंतर्गत कोई कम्पनी नहीं था।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं और समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

6.1.11 लेखापरीक्षा के दौरान दृष्टिगत हुई लेखापरीक्षा आपत्तियाँ, जिनका स्थल पर निराकरण नहीं हुआ, को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों तथा शासन से संबंधित विभागों को सूचित किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम प्रमुखों द्वारा संबंधित विभाग प्रमुखों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर, छः सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। मार्च 2006 तक 11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में जारी, निरीक्षण प्रतिवेदनों में मार्च 2006 के अंत तक 516 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 1288 कंडिकाएं लंबित थीं। इनमें से 1246 कंडिकाओं वाले 506 निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर, एक वर्ष से अधिक समय से नहीं दिए गए थे। 31 मार्च

6 मध्य प्रदेश सरकार के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की दो समीक्षाओं से संबंधित।

7 मध्य प्रदेश सरकार के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की एक समीक्षा से संबंधित।

2006 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा आपत्तियों का विभाग-वार विवरण **परिशिष्ट 6.4** में दिया गया है।

इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य प्रणाली पर प्रारूप कंडिकाएं, तथ्यों तथा आँकड़ों की पुष्टि और उन पर टिप्पणियाँ, छः सप्ताह में भेजने हेतु संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा अग्रेषित की जाती हैं। पाँच प्रारूप कंडिकाएं तथा एक समीक्षा तीन विभागों नामशः खाद्य (एक समीक्षा), ऊर्जा विभाग (एक कंडिका) तथा वाणिज्य एवं उद्योग (चार कंडिकाएँ) विभाग को जनवरी एवं अगस्त 2006 के समय अग्रेषित की गई थीं, किसी भी समीक्षा/कंडिका का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2006)।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन यह सुनिश्चित करे कि (क) निरीक्षण प्रतिवेदन/प्रारूप कंडिकाओं का निर्धारित समय सीमा में उत्तर भेजने में असफल कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए प्रक्रिया विद्यमान है, (ख) हानि/लंबित अग्रिमों/अधिक भुगतान की वसूली हेतु समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही की गई है और (ग) लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रतिक्रिया की व्यवस्था में सुधार किया गया है।

6.2 छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम मर्यादित में "भण्डागारों का निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण पर निष्पादन मूल्यांकन

मुख्यांश

सात वर्षीय गारंटी योजना के अंतर्गत भण्डारों के निर्माण के पूर्व निगम तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने में विफल रहा तथा स्थान चयन में एफ.सी.आई.के साथ तालमेल करने में असमर्थ होने के परिणामस्वरूप 5.40 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित भण्डागारों की न्यून उपयोगिता थी।

(कंडिका 6.2.9)

निगम द्वारा भण्डार गृह निर्माण के पूर्व अपने पक्ष में भूमि स्वामित्व विलेख प्राप्त करने में असफल रहने से कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक से सहायिकी राशि 43.50 लाख रुपये अप्राप्त रही।

(कंडिका 6.2.10)

निगम द्वारा भण्डारण हानि के संबंध में जमाकर्ताओं द्वारा स्वीकार्य मानदण्ड स्थापित करने में असफल होने के कारण निगम को देय राशि में से 6.62 करोड़ रुपये जमाकर्ताओं द्वारा काट/रोक लिये गये।

(कंडिका 6.2.13)

प्रस्तावना

6.2.1 मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम (एम.पी.एस.डब्ल्यू.सी.) के विभाजन के पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम (निगम) का गठन (मई 2002) राज्य भण्डार गृह निगम अधिनियम 1962 के अंतर्गत हुआ था। निगम के संचालक मण्डल ने अपनी प्रथम बैठक (9 मई 2002) में प्रस्ताव पारित किया कि व्यवसाय का संचालन पूर्वोक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जाये। निगम की प्राथमिक गतिविधियाँ निम्न हैं:-

- केन्द्रीय भण्डार गृह निगम के पूर्व अनुमोदन पर राज्य के भीतर ऐसे स्थानों पर गोदामों एवं भण्डार गृहों की प्राप्ति एवं निर्माण करना;
- भण्डारण हेतु भण्डार गृहों का राज्य में संचालन करना तथा कृषि उत्पाद, बीजों, जैविक खादों, उर्वरकों, कृषि औजारों एवं अधिसूचित वस्तुओं के परिवहन हेतु सुविधा प्रदान करना;
- कृषि उत्पाद, बीजों, जैविक खादों, उर्वरकों, कृषि औजार और अधिसूचित वस्तुओं के क्रय-विक्रय, भण्डारण एवं वितरण के उद्देश्य के लिए केन्द्रीय भण्डार गृह निगम अथवा शासन के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना

6.2.2 निगम संचालक मण्डल द्वारा प्रबंधित है। 31 मार्च 2006 को पूर्णकालिक प्रबंध संचालक को शामिल करके संचालक मण्डल में 10 संचालक थे। दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रबंध संचालक करते हैं जिनकी सहायता वित्तीय, वाणिज्यिक, कार्मिक एवं तकनीकी विभाग के प्रभारी, 4 प्रबंधकों द्वारा की जाती है। मार्च 2006 को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में निगम की कुल 102 शाखाएँ थी जिनमें 614 भण्डार गृह थे जिसकी कुल

क्षमता 6.76 लाख मी.टन थी। केन्द्रों का प्रबंध शाखा प्रभारी करते हैं जिनकी सहायता तकनीकी सहायकों इत्यादि द्वारा की जाती है।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

6.2.3 "भण्डार गृहों का निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण" पर वर्तमान निष्पादन समीक्षा मार्च से जून 2006 के दौरान की गयी थी, जिसमें अवधि मई 2002 से मार्च 2006 तक की निगम की गतिविधियों को शामिल किया गया है। निगम के अभिलेखों की जाँच निगम मुख्यालय एवं 11⁸ भण्डार गृह केन्द्रों में की गई जो कि कुल 102 भण्डार गृह केन्द्रों की कुल क्षमता का 40 प्रतिशत है।

लेखापरीक्षण का उद्देश्य

6.2.4 निष्पादन मूल्यांकन यह निर्धारण करने के लिए किया गया कि क्या:-

- एक अच्छा सुनियोजित तंत्र विद्यमान था तथा उसका प्रभावी ढंग से अनुसरण किया गया;
- गोदामों का निर्माण एफ.सी.ई.की आवश्यकताओं/माँग के आधार पर स्थानों तथा विशिष्टियों के अनुसार किया गया है।
- विभाग कार्य आदेशित करने एवं निष्पादित करने के लिए नियम बनाये गये थे तथा उनका पालन किया गया था;
- भण्डार गृह की उपलब्ध क्षमता का अनुकूलतम उपयोग किया गया है;
- भण्डारण, भण्डारण हानियों एवं दुर्विनियोजन आदि के बचाव हेतु प्रभावी आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था विद्यमान है; और
- गोदाम खाली रहने तथा परिणामतः राजस्व हानि को टालने हेतु समय-समय पर गोदामों का अनुरक्षण किया गया था।

लेखापरीक्षण सिद्धांत

6.2.5 गोदामों के निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण के संबंध में निगम के मूल्यांकन का निर्धारण निम्न संदर्भों में किया गया:-

- भूमि क्रय तथा भण्डारों के निर्माण हेतु शासन/संचालक मण्डल द्वारा जारी मार्गदर्शिकाएँ एवं अनुदेश;
- भण्डार गृहों के निर्माण, क्षमता उपयोगिता, किराये पर भण्डार गृह लेना एवं खाली करने, मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए नीतियाँ एवं मानदण्ड; एवं
- निगम में लागू लिखित विधि, नियम, प्रक्रियाएँ एवं अधिनियम।

लेखापरीक्षण की रीति

6.2.6 निम्न रीतियों को मिलाकर उपयोग किया गया था:-

- अभिलेखों की जाँच;

⁸ दुर्ग, राजनांदगाँव, कवर्धा, धमतरी, जयराम नगर, बिलासपुर, खरसिया, कांकेर, जगदलपुर, गुडियारी एवं मंदिरहसौद (9 शाखा जिसकी क्षमता 10,000 से अधिक एम.टी. और 2 शाखा 5000-10,000 एम.टी.के बीच)

- निगम के मुख्यालय तथा शाखा कार्यालयों से एकत्रित साक्ष्यों का अभिलेखीकरण एवं विश्लेषण तथा
- शासन द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शिकाएँ, अनुदेशों तथा संचालक मण्डल की कार्य सूची एवं कार्य विवरण की जाँच इत्यादि।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

वित्तीय स्वरूप

6.2.7. निगम ने 9.54 करोड़ की लागत से 14 स्थानों में 34 गोदामों का निर्माण किया जिसमें निगम के स्वयं स्रोत से 4.60 करोड़ रुपये (48.25 प्रतिशत), शासन (82.91 लाख रुपये) एवं वाणिज्यिक बैंक (1.98 करोड़ रुपये) से 2.81 करोड़ तथा 2.13 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता (राज्य सरकार: 79.89 लाख रुपये, नाबार्ड: 1.33 करोड़ रुपये) शामिल है।

भण्डार गृह का संचालन

6.2.8 31 मार्च 2006 को समाप्त गत चार वर्षों के लिए निगम की गतिविधियों की संक्षिप्त स्थिति नीचे दी गई है:-

1	भण्डार गृह केन्द्रों की संख्या	99	96	103	102
2	उपलब्ध वार्षिक क्षमता (लाख एम.टी.में)				
	(क) स्वयं के भण्डार गृह	46.67	55.22	58.14	58.29
	(ख) किराये के भण्डार गृह	27.09	24.23	15.96	13.83
	(ग) योग	73.76	79.45	74.10	72.12
	(घ) किराये की क्षमता का कुल क्षमता पर प्रतिशत	37	30	22	19
3	वार्षिक उपयोगिता क्षमता (लाख एम.टी.में)				
	(क) स्वयं के भण्डार गृह	35.05	33.62	34.88	30.67
	(ख) किराये के भण्डार गृह	20.51	17.21	11.59	09.96
	(ग) योग	55.56	50.83	46.47	40.63
4	उपलब्ध क्षमता की उपयोगिता का प्रतिशत				
	(क) स्वयं के भण्डार गृह	75	61	60	53
	(ख) किराये के भण्डार गृह	76	71	73	72
	(ग) योग	75	64	63	56
5	2002-03 की तुलना में क्षमता उपयोग में गिरावट (लाख एम.टी.में)	-	4.73	9.09	14.93
6	निर्मित गोदाम : संख्या में क्षमता वृद्धि	06 10800	28 50000	-	-
7	आय (भण्डार गृह किराया) (राशि: लाख रुपये में)	2067.97	2029.00	2191.63	लागू नहीं
8	आय प्रति एम.टी.प्रति वर्ष (राशि: रुपये में)	28.04	25.54	29.58	लागू नहीं
9	व्यय (राशि: लाख रुपये में)	895.12	972.00	1188.59	लागू नहीं
10	व्यय प्रति एम.टी.प्रतिवर्ष (राशि: रुपये में)	12.14	12.23	16.04	लागू नहीं
11	लाभ (राशि: लाख रुपये में)	1172.85	1057.00	1003.04	लागू नहीं
12	लाभ प्रति एम.टी.प्रतिवर्ष (राशि: रुपये में)	15.90	13.31	13.54	लागू नहीं

(पंक्ति संख्या 7 से 12 में दिखाये गये वर्ष 2003-04 से 2004-05 के आँकड़े अनांकित हैं।)

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया कि:-

- जबकि भण्डार गृह किराया से 2002-03 में 20.68 करोड़ रुपये की आय बढ़कर वर्ष 2004-05 में 21.92 करोड़ रही, क्षमता उपयोगिता में कमी वर्ष 2002-03 की 55.56 लाख एम.टी.(75 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2004-05 में 46.47 लाख एम.टी.(63 प्रतिशत) रही। इस कमी का विश्लेषण लेखापरीक्षा ने किया जो कि कमजोर बाजार प्रयास, भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) तथा सी.डब्ल्यू.सी. से नये गोदामों के निर्माण के संबंध में समन्वय का अभाव तथा कमजोर गुणवत्ता नियंत्रण उपाय इत्यादि कारणों पर आरोपणीय था।
- स्थापना लागत के उच्च भार के कारण व्यय में वृद्धि वर्ष 2002-03 की 8.95 करोड़ रुपये से वर्ष 2004-05 में 11.88 करोड़ रुपये हो गयी। परिणामतः लाभ वर्ष 2002-03 की 11.72 करोड़ रुपये से गिरकर 2004-05 में 10.03 करोड़ रुपये रहा ।

गोदामों का निर्माण

अनुपयुक्त योजना

6.2.9 किसी परियोजना क्षेत्र में भण्डारगृहों का निर्माण सामान्यतया प्रक्षेपित क्षमता उपयोगिता के आधार पर गोदामों की व्यवहार्यता एवं लाभदायकता, अनुमानित आय एवं व्यय, प्रत्याय दर और बाजार की संभाव्यता इत्यादि के परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के बाद करते हैं। यही प्रक्रिया सी.डब्ल्यू.सी. भी अपनाती है।

राज्य शासन ने निर्देशित किया था (सितम्बर 2002) कि निगम 50,000 एम.टी.क्षमता के गोदाम निर्माण 7 वर्षीय एफ.सी.आई. गारंटी योजना के तहत आठ स्थानों पर करे। लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के तहत निर्मित गोदामों के संबंध में निगम ने न ही परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया और न ही कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया। निगम द्वारा एफ.सी.आई. की क्षमता उपयोग सुनिश्चित करने तथा उसके द्वारा चाही गई गोदाम संबंधी गुणवत्ता मापदण्ड के निर्धारण, हेतु स्थान चयन के पहले एफ.सी.आई.के साथ सामंजस्य नहीं किया। निगम ने स्थल का चयन अकेले ही किया। एफ.सी.आई. से प्रक्षेपित गोदामों के उपयोग के संबंध में कोई स्थाई वचनबद्धता भी प्राप्त नहीं की। निगम ने बिना उचित नियोजन अथवा आवश्यकता का निर्धारण किये वर्ष 2003-04 के दौरान 9.54 करोड़ रुपये की लागत के कार्य आदेश जारी किये। परिणामतः चार⁹ स्थलों पर निर्मित कुल 34,200 एम.टी.(लागत: 5.40 करोड़) क्षमता की गोदामों की उपयोगिता नीचे दिये गये अनुसार कम थी :

सरल क्रमांक	स्थल	क्षमता एम.टी.में	उपयोगिता का प्रतिशत		
			2003-04	2004-05	2005-06
1.	जयराम नगर	10,000	81	40	10
2.	रायगढ़	9,000	77	25	29
3.	लिंगियाडीह	6,200	32	64	11
4.	मंदिरहसौद	9,000	62	58	17

⁹ जयराम नगर, रायगढ़, लिंगियाडीह और मंदिरहसौद

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया कि उचित नियोजन के अभाव में 31 मार्च 2006 को, नवनिर्मित गोदामों की औसत उपयोगिता के 83 प्रतिशत का उपयोग नहीं हो सका।

पूँजीगत आर्थिक सहायता 43.50 लाख रुपये की वसूली न होना

6.2.10 ग्रामीण भण्डारण योजना के अनुसार, निगम पूँजीगत आर्थिक सहायता के रूप में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित गोदामों की लागत के 25 प्रतिशत के बराबर राशि प्राप्त करने के योग्य था बशर्ते कि नाबार्ड को उचित प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये भूमि आवंटन/अधिग्रहण संबंधी प्रपत्र प्रस्तुत कर दे। यद्यपि लेखापरीक्षा में यह पाया कि निगम 10,000 एम.टी. क्षमता के गोदाम का निर्माण (2003) 1.74 करोड़ रुपये की लागत से जयराम नगर में किया, किन्तु निगम अपने पक्ष में स्वामित्व प्रलेख प्राप्त करने हेतु समय पर कार्यवाही करने में असफल रहा। परिणामतः आर्थिक सहायता के रूप में 43.50 लाख रुपये के निगम के दावे को नाबार्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। स्वामित्व प्रलेख अभी तक निगम के पक्ष में हस्तांतरित नहीं हुए हैं (जून 2006)।

ठेकेदार को अग्रिम का अनियमित भुगतान

6.2.11 निगम ने रायगढ़ में 9000 एम.टी. क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए कार्य आदेश दिया (नवम्बर 2002)। कार्य फरवरी 2004 में पूर्ण हुआ जबकि निर्धारित तिथि के अनुसार जुलाई 2003 में पूर्ण होना था। ठेकेदार द्वारा अंतिम देयक प्रस्तुत किया गया (मई 2004), किन्तु निम्न कारणों से भुगतान नहीं किया गया था:-

- गोदाम का पहुँच मार्ग अनुमोदित रूपांकन एवं नक्शे के अनुसार नहीं था;
- अनुपयुक्त नींव की वजह से अहाते की दीवार में दरार हो गयी थी;
- अवमानक ईटो का उपयोग किया गया था, और
- कार्य पूर्णता में विलंब।

ठेकेदार ने निगम से अनुरोध किया (नवम्बर 2004) कि अंतिम देयक के 90 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दें, कमियों के बावजूद अंतिम देयक के विरुद्ध प्रबंध संचालक के निर्देश पर ठेकेदार को 10 लाख रुपये अग्रिम का भुगतान कर दिया गया। तत्पश्चात निगम ने 4.06 लाख रुपये का अंतिम देयक पारित किया जिसके परिणामस्वरूप 5.94 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ। प्रकरण वर्तमान में पंचनिर्णय के समक्ष लंबित है (सितम्बर 2006)।

गोदामों का संचालन एवं अनुरक्षण

भण्डारण हानि

6.2.12 निगम, एफ.सी.आई. छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (सीजीएससीएससी) और विपणन संघ को भण्डारण सेवा प्रदान करता था। निगम आकस्मिक तौर पर चयनित प्रत्येक खण्ड से 10 प्रतिशत वजन करने पश्चात माल स्वीकृत करता था। परन्तु जमाकर्ताओं को सुपुर्दगी सम्पूर्ण मात्रा के वजन के पश्चात ही करते थे तथा अंतर भण्डारण हानि के रूप में वर्गीकृत किये गए थे।

भण्डारण हानि के लिए नियम निर्धारित करने हेतु निगम ने कोई अनुभव सिद्ध अध्ययन स्वतंत्र रूप से अथवा जमाकर्ताओं के साथ संयुक्त रूप से नहीं किये, यद्यपि निगम ने एमपीएसडब्ल्यूसी द्वारा निर्धारित एक से पाँच प्रतिशत की भण्डारण हानि के मानदण्ड अंगीकृत किये थे, जमाकर्ताओं जैसे एफसीआई, सीजीएससीएमसी और विपणन संघ द्वारा कम भण्डारण हानि क्रमशः आधा, आधा एवं एक प्रतिशत स्वीकृत किये थे। निगम तथा जमाकर्ताओं द्वारा भण्डारण हानि की भिन्न दर अपनाने के कारण निगम द्वारा दावाकृत भण्डार गृह किराया बिलों से जमाकर्ताओं ने 6.62 करोड़ रुपये कटौती/अवरूद्ध कर लिये। फिर भी निगम ने, न तो कटौती/अवरूद्ध राशि की वसूली के लिए कोई प्रयास किये और न ही भण्डारण हानि दर संयुक्त सहमति से निर्धारित करने के लिए कोई प्रयास किये। इसके अलावा भण्डारण हानि के कारणों को विश्लेषित भी नहीं किया जो 2002-03 के 4.43 प्रतिशत से बहुत ज्यादा बढ़कर 2004-05 में 20.4 प्रतिशत हो गया।

गोदाम के अनुरक्षण न होने से हानि

6.2.13 निगम द्वारा गोदामों के नैतिक/नियमित अनुरक्षण के लिए कोई मानदण्ड नहीं बनाये थे। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया कि सुन्दरगंज, धमतरी में स्थित गोदाम (क्षमता 640 एमटी) नैतिक अनुरक्षण के अभाव में मार्च 2004 से खाली है। जबकि धमतरी केन्द्र के अन्य गोदाम 100 प्रतिशत उपयोगिता दिखा रहे थे, इन गोदामों के अनुरक्षण न होने से परिणामतः निगम को 3.46 लाख* रुपये के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

कमियों को पूरा करने के लिए स्कंध के निर्गमन में बनावटी वृद्धि

6.2.14 गोदाम में प्राप्त समस्त स्कंधों के लिए निगम भण्डारगृह प्राप्ति (डब्ल्यूएचआर) फार्म रखती है जिसमें मुख्य रूप से जमाकर्ता का नाम, जमा दिनांक, जमा की गई मात्रा, सुपुर्दगी दिनांक, सुपुर्द की गई मात्रा और कमियाँ इत्यादि का उल्लेख रहता है। कमियों के समायोजन के पश्चात प्राप्त मात्रा एवं सुपुर्द मात्रा का मिलान होना चाहिए। गोदाम से स्कंध की सुपुर्दगी के समय समस्त थैलों का वजन किया जाता है।

कांकेर केन्द्र में स्कंध के संबंध में रखे गये अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि सुपुर्दगी के समय 50 किलोग्राम वजन के प्रमाणित अनाज की बोरियों के वजन में काफी अन्तर पाया गया जो कि 186.25 किलोग्राम तक था। इन प्रमाणित आकार की बोरियों में ऐसी क्षमता असंभव थी। इस बनावटी वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव यह था कि अधिक मात्रा में अनाज की सुपुर्दगी हुई परिणामस्वरूप स्कंध में 9.83 लाख रुपये मूल्य की 1074.04 क्विंटल मात्रा की कमी हुई। जो कि वर्ष 2005-06 के दौरान प्राप्त मात्रा में बनावटी वृद्धि करके समायोजित किया गया। प्रबंधन ने न ही मामले की जाँच की और न ही कमियों के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए कोई कार्यवाही की।

* 24 महीनों के लिए कुल क्षमता के 75 प्रतिशत पर 50 किलोग्राम वजन के एक बोरी के लिए 1.50 रुपये की दर से

शासन का अभाव

6.2.15 प्रारंभ से, चार वर्षों के दौरान निगम ने संचालक मण्डल के आठ सभाएँ की जबकि अपेक्षित सभाओं की संख्या 16 थी। लेखापरीक्षा में पाया कि महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे निर्माण की प्रगति, क्षमता उपयोग, क्षमता उपयोग में सुधार हेतु ब्यूहनीति योजना, भण्डारण हानि के लिए मानदण्ड आधिक्य भण्डारण हानि के कारणों पर इन सभाओं में चर्चा नहीं की गई। यद्यपि निगम के 6.62 करोड़ रुपये विभिन्न जमाकर्ताओं द्वारा अवरूद्ध कर लिये थे, मामला कभी भी मण्डल को प्रस्तुत नहीं किया था।

आंतरिक लेखापरीक्षा

6.2.16 निगम द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली तैयार नहीं की गई। वर्ष 2005-06 तक निगम की आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार फर्म द्वारा की गयी थी। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सामग्री की भौतिक सत्यापन, शाखाओं की लाभदायकता का निर्धारण, गोदामों का निष्पादन तथा क्षमता वृद्धि इत्यादि बातों को शामिल नहीं किया। इन रिपोर्टों में मुख्यतः नैतिक क्षेत्र जैसे रोकड़ एवं बैंक बही, भण्डारण देयक, खाता बही का रख-रखाव तथा विविध देनदार इत्यादि को शामिल किया गया। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट संचालक मण्डल की समीक्षा तथा निर्देश जारी करने हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी।

कम्प्यूटरों की खरीदी

6.2.17 निगम ने निर्णय लिया (अप्रैल 2004) कि 53 केन्द्रों को मुख्यालय के साथ जोड़ा जाये और तदानुसार कुल 38.29 लाख रुपये की लागत के 60 कम्प्यूटर (53 केन्द्रों के लिए तथा 7 मुख्यालय के लिए) क्रय करने का आदेश जारी किया (मई 2004)। यह भी निर्णय लिया गया कि साथ-साथ आवश्यक साफ्टवेयर विकसित/क्रय किया जाये।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि यद्यपि ये कम्प्यूटर जुलाई 2004 में प्राप्त हो गये थे किन्तु निगम द्वारा टेलीफोन कनेक्शन तथा साफ्टवेयर विकसित करने में असफल रहने के कारण केन्द्रों को मुख्यालय से जोड़ा नहीं जा सका जबकि 2 वर्ष व्यतीत हो चुके थे (जून 2006), ये कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। परिणामतः 38.29 लाख रुपये व्यय करने के पश्चात भी निगम को मुख्यालय से केन्द्रों को जोड़ने का उद्दिष्ट लाभ प्राप्त नहीं हुआ था।

मानव शक्ति

6.2.18 निगम द्वारा कर्मचारी नियम का निर्धारण प्रत्येक केन्द्र के भण्डारण क्षमता के आधार पर किया गया था। कर्मचारी नियम के अनुसार विभिन्न केन्द्रों में उसकी भण्डारण क्षमता के आधार पर जरूरत के अनुसार दो से 28 कर्मचारियों की पदस्थापना की जानी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कर्मचारी नियम के विचलन में 18 केन्द्रों में दो से 12 अधिक कर्मचारी नियोजित किये गये थे, जबकि दस केन्द्रों में कर्मचारियों की संख्या में एक से 23 संख्या तक कमी थी, जो कि कर्मचारी नियोजन में असंतुलन को दर्शाता है।

निष्कर्ष

गोदामों के निर्माण एवं अनुरक्षण में आवश्यकता निर्धारण पर आधारित उचित नियोजन के अभाव में भण्डारगृहों के निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण के संबंध में निगम के निष्पादन में कमी पायी गयी जिससे क्षमता की उपयोगिता बहुत कम है, उच्च भण्डारण हानियाँ और अनुपयुक्त अनुरक्षण था भण्डारण हानियाँ 20.4 प्रतिशत तक उच्च पायी गयी थीं। आपसी स्वीकार योग्य भण्डारण हानि नियम के अभाव में सारभूत राशि अवरूद्ध थी। स्कंध की प्राप्ति एवं गोदाम से सुपुर्दगी के आंतरिक नियंत्रण में भी कमी थी।

अनुशंसाएँ

निगम को आवश्यकता है कि:-

- नये गोदामों के निर्माण के लिए उपयुक्त नियोजन तंत्र गठित किया जाये;
- अनुभव सिद्ध अध्ययन आधारित, भण्डारण हानि मानदण्ड निर्धारित किए जाएं;
- क्षमता उपयोगिता की सामयिक समीक्षा किया जाना चाहिए तथा इसमें सुधार के लिए उपाय किये जाने चाहिए;
- प्रबंध सूचना प्रणाली एवं निगरानी को उन्नत बनाये; और
- आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ किया जाये।

मामला शासन/प्रबंध को सूचित किया गया (अगस्त 2006) प्रत्युत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2006)।

6.3 लेनदेन लेखा परीक्षा प्रेक्षण**छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग विकास निगम मर्यादित****6.3.1 अपूर्ण संविदा प्रबंध से हानि**

छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग विकास निगम मर्यादित, अपूर्ण संविदा प्रबंधन के कारण एक ऋण लेनेवाले दोषी से ऋण एवं ब्याज के 2.42 करोड़ रुपये वसूल करने में विफल रहा।

पूर्ववर्ती म.प्र.वित्त निगम (एम.पी.एफ.सी.)की रायपुर शाखा जो बाद में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित, रायपुर (कम्पनी) में विलीन हो गयी, ने 2 करोड़ रुपये का ऋण कैलाश इंजीनियरिंग कम्पनी मर्यादित (के.ई.सी.एल.), राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ को बाँध निर्माण (अनुमानित लागत 8.52 करोड़ रुपये) हेतु रेडियस वाटर लिमिटेड (आर.डब्ल्यू.एल.) राजनांदगांव के लिए स्वीकृत एवं वितरित किया (मार्च 1999)।

के.ई.सी.एल. के साथ निष्पादित ऋण अनुबंध (मार्च 1999) के अनुसार सम्पूर्ण ऋण की राशि ब्याज सहित जुलाई 2001 तक चुकाना था। ऋण इन माध्यमों से प्रत्याभूत था (i) के.ई.सी.एल. के प्रवर्तकों के चल/अचल सम्पत्तियों पर बंधक (ii) आर.डब्ल्यू.एल. की कारपोरेट प्रतिभूति (iii) के.ई.सी.एल. के प्रवर्तकों की व्यक्तिगत प्रतिभूति तथा (iv) कम्पनी, के.ई.सी.एल. तथा आर.डब्ल्यू.एल. के बीच निष्पादित निलंब लेख अनुबंध, जिसके अन्तर्गत आर.डब्ल्यू.एल. ने वचन दिया कि देय राशि कम्पनी को सीधे के.ई.सी.एल. द्वारा उद्धृत निर्माण बिल से पुनर्भुगतान करेगा। निलंब लेख अनुबंध 16जुलाई 2001 तक वैध था।

प्रारंभ से ही के.ई.सी.एल. का पुनर्भुगतान असंतोषजनक था। कम्पनी ने के.ई.सी.एल. के प्रवर्तकों की सम्पत्ति का अधिग्रहण कर लिया था (सितम्बर 2001)। किंतु के.ई.सी.एल. की इस वचनबद्धता पर सम्पत्ति विमुक्त कर दी (नवम्बर 2001) कि आर.डब्ल्यू.एल. सितम्बर 2001 से प्रति माह राशि 12 लाख रुपये चुकाएगी। यह व्यवस्था बंद कर दी गयी (फरवरी 2002) क्योंकि ऋण खाते का 10 लाख रुपये वाली मासिक 18 किश्तों में अप्रैल 2002 से सितम्बर 2003 तक पुर्नअनुसूचियन किया था। पुर्नअनुसूचियन के कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे। फिर से के.ई.सी.एल. ने चूक की (जून 2002) तथा कम्पनी द्वारा मासिक राशि 7.42 लाख रुपये वाली 24 किश्तों में अवधि अप्रैल 2003 से मार्च 2005 के लिए ऋण का पुर्नअनुसूचियन किया (मार्च 2003) तत्पश्चात इस शर्त के साथ एक वर्ष का ऋण स्थगन भी स्वीकृत किया गया कि यदि ऋणकर्ता पुर्नअनुसूचियन के अनुसार भुगतान करने में असफल रहता है तो राहतें एवं रियायतें निरस्त कर दी जायेंगी (अप्रैल 2003)। फिर भी, के.ई.सी.एल. ने अप्रैल 2004 से भुगतान करना बंद कर दिया।

एक वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने पर कम्पनी ने आर.डब्ल्यू.एल.को नोटिस जारी किया (जुलाई 2005) और उनसे कहा कि एस्करो अनुबंध कार्यान्वित करें और अदत्त किश्तें जमा करें। आर.डब्ल्यू.एल. ने भुगतान करना अस्वीकार किया (28 जुलाई 2005)

क्योंकि एस्करो अनुबन्ध जुलाई 2001 में समाप्त हो चुका था। और अधिक उन्होंने के.ई.सी.एल. को अंतिम भुगतान पूर्व में ही विमुक्त कर दिया था एवं आर.डब्ल्यू.एल. अब प्रत्याभू नहीं था। इसके बाद कंपनी ने के.ई.सी.एल. के विरुद्ध अपनी देयताओं की वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही आरंभ की।

लेखापरीक्षा में ध्यान में आया कि:-

- यद्यपि त्रिपक्षीय एस्करो अनुबंध जो जुलाई 2001 को समाप्त हो गया था एक निर्दिष्ट पुनर्भुगतान सूची के विरुद्ध निष्पादित किया गया था जिसमें भुगतान में चूक होने पर एक पखवाड़े के भीतर आर.डब्ल्यू.एल. को संदर्भित किया जाना था, कंपनी समय पर आर.डब्ल्यू.एल.को सूचना देने में अथवा के.ई.सी.एल. द्वारा चूक पर अनुबंध को आगे बढ़ाने में विफल रही।
- कंपनी ने आर.डब्ल्यू.एल. की सहमति के बिना दो बार ऋण वापसी पुनर्निर्धारित की
- यद्यपि पुनर्निर्धारण अनुबंधों में प्रावधान था कि के.ई.सी.एल. सहमति देगा कि आर.डब्ल्यू.एल. प्रत्याभू बना रहेगा, कंपनी आवश्यक सहमति प्राप्त करने में विफल रही थी।

के.ई.सी.एल. के हीन पुनर्भुगतान के रिकार्ड की जानकारी होते हुए भी कंपनी ने आर.डब्ल्यू.एल. को प्रत्याभू के रूप में बना रहना सुनिश्चित किए बिना ही के.ई.सी.एल. को बारम्बार रियायतें एवं राहतें दी थीं।

इस प्रकार संविदात्मक प्रावधानों को लागू करने में एवं आर.डब्ल्यू.एल. को प्रत्याभू के रूप में निरंतर रखने की कार्यवाही में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप देयताओं की कुल मिलाकर 2.42 करोड़ रुपये की हानि हुई (मार्च 2006)।

प्रबंधन ने बताया (जून 2006) कि लंबित राशि के.ई.सी.एल. के प्रवर्तकों/निर्देशकों द्वारा अनुप्रासंगिक प्रतिभूति (कोलेटरल सिक्यूरिटी) के रूप में बंधक व्यक्तिगत सम्पत्ति से वसूली योग्य थी। कंपनी का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि कम्पनी ने बंधक सम्पत्ति को अधिग्रहण कर विक्रय के द्वारा देयताओं की वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की थी। और भी बंधक सम्पत्ति की उपलब्धता, एस्करो अनुबंध लागू न करने की कंपनी की कार्यवाही को न्यायसंगत नहीं ठहराती है।

प्रकरण शासन को सूचित किया गया था (मई 2006); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2006)।

6.3.2 भू-प्रब्याजि के वार्षिक पुनरीक्षण में विफलता से हानि

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित द्वारा 2003-05 के दौरान आवंटित की गई 109.1304 हेक्टेयर भूमि पर वार्षिक रूप से भू प्रब्याजि का पुनरीक्षण न करने से 2.08 करोड़ रुपये की हानि उठायी गई

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित (कम्पनी) राज्य सरकार द्वारा इसे आवंटित भूमि उद्यमियों को उद्योगों की स्थापना हेतु भू प्रब्याजि एवं भू-भाटक के विरुद्ध पट्टे पर देता है। कम्पनी आवंटियों द्वारा भुगतान योग्य भू-भाटक के अतिरिक्त भूमि के

लिए वसूल की जाने वाली प्रब्याजि सावधिक रूप से निर्धारित करती है। मध्यप्रदेश शासन ने अनुदेश दिए थे (जनवरी 1989) एवं छत्तीसगढ़ शासन ने पुनः दोहराया था (सितम्बर 2003) कि दरों के किन्ही दो क्रमिक पुनरीक्षणों के मध्य अंतराल के दौरान भूप्रब्याजि को 7.5 प्रतिशत वार्षिक रूप से बढ़ाया जाना था। कंपनी ने दरों में पिछला पुनरीक्षण सितंबर 2000 में किया था।

लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान पश्चातवर्ती वर्षों 2001-04 (4.97 लाख रू. से 13.36 लाख रू.) के लिए दरों में 7.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि किए बिना सितंबर 2000 में निर्धारित भूप्रब्याजि की दरों (चार लाख रू. से 10 लाख रू. प्रति हेक्टेयर) पर छः वृद्धि केन्द्रों¹ पर 135 उद्यमियों को क्रमशः 49.2745² एवं 59.8559³ हेक्टेयर भूमि आबंटित की थी। इस प्रकार शासन के अनुदेशों का पालन न करने से कम्पनी को 2.08 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2005) कि कम्पनी द्वारा निर्धारित की गई दरें शासन द्वारा निर्धारित दरों से अधिक थीं इसलिए दरें 7.5 प्रतिशत वार्षिक बढ़ाई नहीं गयी थीं। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि शासन के विद्यमान निर्देशों के अनुसार प्रब्याजि में बढ़ोतरी, दर निर्धारण से स्वतंत्र है तथा यह सुनिश्चित करता है कि दो पुनरीक्षणों के बीच की अंतरिम अवधि में प्रब्याजि हमेशा समुचित स्तर पर बनी रहे।

मामला शासन को सूचित किया गया (फरवरी 2006); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2006)।

6.3.3 सह प्रवर्तक का अनुचित पक्ष

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित ने अधूरे फूड पार्क पर 1.59 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय किया एवं शासन और निदेशक मण्डल के आदेशों के उल्लंघन में सह प्रवर्तक को निधियाँ विमुक्त करके 31 लाख रू. के गबन में सुगमता दी

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित (कंपनी) ने बोरई/तेदेसरा जिला राजनांदगांव में एक फूड पार्क बनाने के लिए प्रस्ताव मांगे थे (मार्च 2002)। निविदा शर्तों के पूर्ण होने के आधार पर कंपनी की निविदा समिति ने वेस्टर्न फूडस एंड वेजिटेबिल लिमिटेड बंगलौर (वेस्टर्न फूडस) को सह प्रवर्तक के रूप में चयनित किया (जुलाई 2002)। चयन होने पर वेस्टर्न फूडस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सी.ई.ओ.) ने आग्रह किया (जुलाई 2002) कि समझौता ज्ञापन अन्य कम्पनी चमोकू एग्रो एंड स्पाईसेज लिमिटेड (सी.ए.एस.एल.) बंगलौर के साथ हस्ताक्षरित किया जाए जिसका सी.ई.ओ. भी वही था। यद्यपि सी.ए.एस.एल. ने निविदा शर्तों को पूरा नहीं किया था क्योंकि केवल 700⁴ रू. की अंशपूंजी के साथ वह एक नई पंजीकृत कंपनी थी, अनुभव भी नहीं था, उसने सार संपन्नता का प्रमाण पत्र नहीं दिया था निविदा में भी भाग नहीं

¹ सिलतरा, उरला, सिरगिट्टी, तिफरा, बोरई एवं भनपुरी रावणभाटा

² 56 लघु उद्योग इकाइयों को 32.4813 हेक्टेयर एवं 7 मध्यम एवं वृहद इकाइयों को 16.7932 हेक्टेयर

³ 71 लघु उद्योग इकाइयों को 55.8545 हेक्टेयर एवं एक बड़ी इकाई को 4.0014 हेक्टेयर

⁴ 13 दिसम्बर 2000 से प्रत्येक नई निजी कम्पनी मर्यादित एवं नई सार्वजनिक कम्पनी मर्यादित की न्यूनतम दत्त पूंजी क्रमशः 1 लाख एवं 5 लाख रुपये होगा। विद्यमान कम्पनी दो वर्ष के भीतर इसका परिपालन करेगी।

लिया था, मु.का.अ. का आग्रह शासन द्वारा मान लिया गया एवं 50 करोड़ रु. के लिए सी.एस.ए.एल. के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया (अगस्त 2002)।

समझौता ज्ञापन में उपबंधित था कि सी.एस.एल. 40 करोड़ रु. निवेश करेगा जबकि छत्तीसगढ़ शासन 10 करोड़ रु. (भारत सरकार से चार करोड़ रु. की आर्थिक सहायता सहित) निवेश करेगा। सी.एस.एल. को प्रथम वर्ष में 11 करोड़ रु., द्वितीय एवं तृतीय वर्षों में क्रमशः 15 एवं 24 करोड़ रु. का निवेश करना था। फूडपार्क को 36 माहों में अर्थात् अगस्त 2005 तक संचालन में लाना था।

कंपनी ने सी.एस.एल. को 50 लाख रु. की आर्थिक सहायता की प्रथम किश्त विमुक्त की (सितंबर 2002)। यद्यपि शासन ने, और आर्थिक सहायता विमुक्त करने से पूर्व कंपनी को सी.एस.एल. की वित्तीय वचनबद्धता सुनिश्चित करने के अनुदेश दिए थे (नवंबर 2002) कंपनी ने बिना सत्यापन किए कि क्या सी.एस.एल. ने उसका अंशदान निवेशित किया था, 30 लाख रु. दिसम्बर 2002 में विमुक्त कर दिए। शासन ने कंपनी को पुनः निदेशित किया कि और निधियाँ विमुक्त करने से पूर्व शासन की पूर्वानुमति प्राप्त की जाए एवं सी.एस.एल. की वित्तीय वचनबद्धता सुनिश्चित की जाए (जनवरी/फरवरी 2003) निदेशक मंडल ने भी सी.एस.एल. की वित्तीय वचनबद्धता सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश दिए थे (फरवरी 2003)। इन अनुदेशों की उपेक्षा कर कंपनी ने सी.एस.एल. की वित्तीय वचनबद्धता सुनिश्चित करने या शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना पुनः 1.10 करोड़ रु. विमुक्त कर दिए (मार्च/अप्रैल 2003)। सी.एस.एल. द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदनों में स्पष्ट रूप से प्रकट था कि वह केवल शासकीय धन का उपयोग कर फूड पार्क का निर्माण कर रही थी एवं उसने अपना कोई भी पैसा निवेश नहीं किया था। भारत सरकार द्वारा विमुक्त किए गए दो करोड़ रु. की आर्थिक सहायता में से कुल 1.90 करोड़ रु. भुगतान किए गए थे।

कंपनी से 1.90 करोड़ रु. लेने के बाद सी.एस.एल. का सी.ई.ओ. फरार हो गया एवं तब से लगभग 1.59 करोड़ रु. मूल्य के निष्पादित कार्य के पश्चात परियोजना विराम स्थिति में आ गई। सी.ई.ओ. की अनुपस्थिति में वचनबद्धता का निर्वाह करने सी.एस.एल. का कोई कर्मचारी नहीं था। और अधिकांश निर्माण कार्य अपूर्ण थे। सी.ई.ओ. के विरुद्ध एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई गई (जुलाई 2005) 31 लाख रु. की शेष राशि का गबन हुआ था।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2006) कि सी.एस.एल. द्वारा प्रस्तुत स्थिति/प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर एवं निर्धारित समय के भीतर परियोजना का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के दृष्टि से राशि विमुक्त की गई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रगति प्रतिवेदनों से भलीभांति स्पष्ट था कि सी.एस.एल. ने जारी कार्यों में अपना अंश नहीं लगाया था केवल निवेश के दावे किए थे जो कभी सत्यापित नहीं किए गए थे। प्रबंधन स्पष्ट करने में विफल था कि उसने सी.एस.एल. की वित्तीय वचनबद्धता के सत्यापन के बिना निधियों को जारी न करने के बारे में मंडल एवं शासन के अनुदेशों का बारम्बार उल्लंघन क्यों किया था।

इस प्रकार निविदा शर्तों के सकल उल्लंघन में सह प्रवर्तक के रूप में सी.ए.एस.एल. का शासन द्वारा चयन एवं शासन और मंडल के आदेशों के उल्लंघन में कंपनी द्वारा उसे राशि विमुक्त की जाने के परिणामस्वरूप न केवल 1.59 करोड़ रु. का निष्फल व्यय हुआ अपितु लगभग 31 लाख⁵ रु. के गबन में सुगमता दी गई। उत्तरदायित्व के निर्धारण हेतु मामले की जांच की आवश्यकता है।

मामला शासन को सूचित किया गया था (मई 2006); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2006)।

6.3.4 शासकीय भूमि के संबंध में 12.20 लाख रुपये की कम वसूली

शासन के निर्देशों के उल्लंघन में, औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पट्टे पर दी गई 21.453 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर 12.20 लाख रु. की मौद्रिक क्षतिपूर्ति की वसूली में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित, विफल रहा

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित रायपुर (कम्पनी) ने 179.654 हेक्टेयर भूमि (शासकीय भूमि 21.453 हेक्टेयर एवं 158.201 हेक्टेयर निजी भूमि) मोनेट इस्पात लिमिटेड, नई दिल्ली को 99 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया (मई 2005)। रायगढ़ जिले के गाँव सलाई भाटा सिंघनपूर एवं नहर पल्ली में क्रमशः इस्पात, स्पंज आयरन, फेरो एलॉयज एवं उर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि आवंटित की गयी। उद्यमियों को आवंटित शासकीय भूमि का मूल्यांकन अप्रैल 1982 की शासकीय अधिसूचना के परिपेक्ष्य में निजी भूमि के समतुल्य करना था।

उपरोक्त अधिसूचना के उल्लंघन में कम्पनी ने शासकीय भूमि पर 12.20 लाख रु. की सान्त्वना क्षतिपूर्ति की वसूली नहीं की जबकि निजी भूमि के प्रकरण में 0.57 लाख रु. प्रति हेक्टेयर की दर से यह वसूल की गई थी। इसके अलावा सान्त्वना क्षतिपूर्ति को शामिल नहीं करने से कम्पनी वर्ष 2005-06 में 0.27 लाख रु. प्रतिवर्ष पट्टा किराया वसूल करने योग्य नहीं थी जो शेष अवधि 98 वर्षों में संचय होकर 26.46 लाख रु. होगा।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2006) कि शासकीय भूमि का मूल्यांकन जिलाधीश, रायगढ़ द्वारा अधिसूचित दरों पर किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कलेक्टर द्वारा अधिसूचित वही दरें निजी भूमि के मूल्यांकन के लिए उपयोग की गयी थीं जिसमें 30 प्रतिशत अतिरिक्त मौद्रिक क्षतिपूर्ति भी प्रभारित की गयी थी। इस प्रकार शासकीय आदेशों के अनुसार मूल्य-साम्यता नहीं बनायी गयी थी।

मामला शासन को सूचित किया गया (जनवरी 2006); प्रत्युत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2006)।

⁵ 190 लाख रुपये अग्रिम घटाइए 159 लाख रुपये निर्माण के लिए प्रयुक्त; जैसा कि कम्पनी द्वारा निर्धारण किया

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल

6.3.5 फीडर एवं ट्रांसफार्मर पेनल की खरीदी पर अतिरिक्त व्यय

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल ने प्रथम आमंत्रण में प्राप्त न्यून दरों को निरस्त कर बाद की निविदा के विरुद्ध उच्च दरों पर फीडर एवं ट्रांसफार्मर पेनल के क्रय में 27.29 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय किया

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल ने 220 के.व्ही.फीडर सी एंड आर पेनल एवं 220 के.व्ही.ट्रांसफार्मर सी एंड आर पेनल की खरीदी के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं (जनवरी 2004)। प्राप्त हुए प्रस्तावों को मण्डल ने इस आधार पर निरस्त कर दिया कि दरें पिछली निविदा की दरों की तुलना में उच्च थीं (अप्रैल 2002)। मण्डल ने पुनः निविदाएं बुलाईं (सितंबर 2004) एवं फीडर और ट्रांसफार्मर पेनल के लिए न्यूनतम दरें प्राप्त कीं जो अधिक उच्च थीं। मण्डल ने जनवरी 2004 की पूर्व निविदा की दरों की अपेक्षा उच्चतर दरों पर प्रदाय आदेश दिए थे (अप्रैल 2005)।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि जब प्रथम बार आमंत्रित निविदा के न्यूनतम प्रस्ताव को अस्वीकृत किया उस समय प्रचलित बाजार दरों के निर्धारण हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया था, इसके बजाय दो वर्ष पूर्व प्राप्त दरों से तुलना की गई थी। पुनः निविदा में प्राप्त दरें पूर्व निविदा की दरों की तुलना में अधिक थीं किंतु मण्डल द्वारा इस तर्क पर स्वीकार कर ली गयीं कि चल रहे कार्य के लिए सामग्री आवश्यक थी एवं दरें प्रचलित बाजार दरों के आधार पर उचित पायीं गयीं। मण्डल द्वारा बाजार मूल्यों पर आधारित दरों की उपयुक्तता का यदि वास्तविक निर्धारण कर पूर्व प्रस्तावों को क्रियान्वित किया जाता तो उच्च दरों पर फीडर एवं ट्रांसफार्मर पेनल के क्रय में 27.29 लाख रूपये के अतिरिक्त व्यय को टाला जा सकता था।

मण्डल ने कहा (मई 2006) कि पुनः निविदा की न्यूनतम प्रस्ताव की दरें मूल निविदा के समान ही थीं साथ ही कच्ची सामग्री जैसे तांबा की कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखकर स्वीकृत किया था। आगे यह कहा था कि दरों की उपयुक्तता प्रचलित बाजार दरों से निर्धारित की थी साथ ही अन्य एस.ई.बी. की क्रय दरों से तुलना की थी।

उत्तर मान्य नहीं है, मूल तथा बाद की निविदा का आंकलन अलग अलग मापदंडों के आधार पर किया गया था। यदि पुनः निविदा प्रचलित बाजार दरों पर उचित थी तो मूल निविदा का न्यूनतम प्रस्ताव इन्हीं मापदण्डों पर और भी ज्यादा उचित था। फिर भी बाजार दरों के आकलन के बिना अस्वीकृत कर दिया था परिणामतः मण्डल को अतिरिक्त व्यय करना पड़ा था।

मामला शासन को सूचित किया गया (जुलाई 2006); प्रत्युत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2006)।

रायपुर
दिनांक

(सुवीर मल्लिक)
महालेखाकार
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ कंडिका 1.8)

31 मार्च 2005 को छत्तीसगढ़ सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(राशि करोड़ रुपये में)

31-03-2005 को		देयताएं	31-3-2006 को	
6928.52		आंतरिक ऋण		7827.75
	2786.54	ब्याज सहित बाजार ऋण	2700.78	
	2.51	ब्याज रहित बाजार ऋण	2.89	
	1061.53	अन्य संस्थाओं से ऋण	1065.50	
		अर्थोपाय अग्रिम		
		भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष		
	3077.94	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं हेतु जारी विशेष प्रतिभूति	4058.58	
2339.20		केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम		2230.77
	79.98	1984-85 से पूर्व के ऋण	0.68	
	108.07	आयोजनेत्तर ऋण	2.99	
	2093.59	राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण	2201.79	
	12.11	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण	0.19	
	45.45	केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण	25.12	
40.00		आकस्मिकता निधि		40.00
1569.25		लघु बचत, भविष्य निधियां आदि		1563.23
987.63		निक्षेप		1107.21
750.77		आरक्षित निधियां		939.36
4.53		उचन्त एवं विविध शेष		-9.23
12619.90		योग		13699.09
परिसंपत्तियाँ				
5295.77		अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय		6792.67
	87.86	कम्पनियों, निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश	102.74	
	5207.91	अन्य पूंजीगत परिव्यय	6689.93	
868.87		ऋण एवं अग्रिम		1188.43
	561.79	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ऋण		
	311.81	अन्य विकास ऋण	765.06	
	- 4.73 [#]	सरकारी सेवकों को ऋण एवं विविध ऋण	430.00	
	--	आरक्षित निधि निवेश	-6.63	
40.00		आकस्मिक निधि को विनियोग		40.00
- 2.34[#]		अग्रिम		2.01
207.75		प्रेषण शेष		222.74
701.44		नगद		1312.49
	0.22	कोषालय में नगद एवं स्थानीय प्रेषण	0.22	

सम्पत्तियाँ एवं दायित्वों का मध्यप्रदेश एवं छ.ग.शासन के बीच बंटवारा न होने की बजह से ऋणात्मक शेष

	7.48	रिजर्व बैंक में निक्षेप	-485.40	
	8.50	स्थाई नगद अग्रदाय सहित विभागीय नगद शेष	14.70	
	685.24	नगद शेष निवेश एवं चिन्हित निधि निवेश	1782.97	
5481.77*		शासकीय लेखे में घाटा		4114.11
	5627.57	(i) संचित घाटा	(-) 5481.77	
	0.02	(ii) विविध शासकीय लेखा	(-) 13.69	
	-	(iii) जोड़िये : चालू वर्ष का राजस्व घाटा		
	(+)145.82	(iii) घटाईये : चालू वर्ष की राजस्व बचत	1381.35	
26.64		अन्तर्राज्यीय समाशोधन		26.64
12619.90		योग		13699.09

* पूर्णांक करने के कारण एक लाख रुपये की वृद्धि

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ कडिका 1.8)

वर्ष 2005-06 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(राशि करोड़ रुपये में)

प्राप्तियाँ			संवितरण					
2004-05		2005-06	2004-05		2005-06			
					आयोजनेतर	आयोजनगत	योग	
अनुभाग क राजस्व								
7248.87		राजस्व प्राप्तियाँ	8838.49	7103.05	राजस्व व्यय	5448.75	2008.39	7457.14
	3227.80	कर राजस्व	4051.91	2493.97	सामान्य सेवाएं	2182.25	4.66	2186.91
				2430.96	सामाजिक सेवाएं	1570.43	1277.30	2847.73
	1243.93	कर भिन्न राजस्व	1229.53	1136.41	शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	665.90	558.17	1224.07
				277.59	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	191.49	101.38	292.87
	1876.29	संघीय करों का राज्यांश	2507.82	228.22	जल प्रदाय, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	81.13	230.38	311.51
	182.32	आयोजनेतर अनुदान	224.95	9.08	सूचना एवं प्रसारण	11.46	0.13	11.59
				460.97	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	387.08	103.36	490.44
	441.72	राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	525.48	24.80	श्रम एवं श्रम कल्याण	19.98	7.02	27.00
				291.43	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	211.08	276.59	487.67
	276.81	केन्द्रीय एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	298.80	2.45	अन्य	2.31	0.27	2.58
				1925.63	आर्थिक सेवाएं	1363.42	726.43	2089.85
				965.57	कृषि एवं संलग्न गतिविधियां	723.07	266.80	989.87
		--		440.58	ग्रामीण विकास	284.00	293.85	577.85
		--			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-
		--		120.52	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	77.49	45.51	123.00
		--		153.97	ऊर्जा	93.66	43.02	136.68
		--		60.75	उद्योग एवं खनिज	39.90	36.07	75.97
		--		161.62	परिवहन	137.54	24.11	161.65
		--		1.51	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0.50	3.14	3.64
		--		21.11	सामान्य आर्थिक सेवाएं	7.26	13.93	21.19
				252.49	सहायता अनुदान एवं अंशदान	332.65	-	332.65
		अनुभाग ख को अग्रेनित 641.10 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा		145.82	II- अनुभाग ख को अग्रेनीत राजस्व बचत			1381.35
7248.87		योग -क	8838.49	7248.87	योग - क			8838.49

अनुभाग ख अन्य								
415.49	III	स्थाई अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष	701.44	--	III भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक अधिविकर्ष	--	--	--
	IV	विविध पूंजीगत प्राप्तियां			IV पूंजीगत परिव्यय			
--				29.27	सामान्य सेवाएं	0.02	27.55	27.57
				255.72	सामाजिक सेवाएं	2.52	364.80	367.32
				53.28	शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	-	77.26	77.26
				38.62	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	38.48	38.48
				50.73	जल प्रदाय, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	-	43.07	43.07
					सूचना एवं प्रसारण	0.34	-	0.34
				101.36	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	183.73	183.73
				11.01	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	2.18	19.84	22.02
				0.72	अन्य सामाजिक सेवाएं	-	2.42	2.42
				994.14	आर्थिक सेवाएं	1.24	1100.78	1102.02
				34.64	कृषि एवं संलग्न गतिविधियां	0.82	25.48	26.30
				33.67	ग्रामीण विकास	-	45.52	45.52
				621.49	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	-	547.07	547.07
				--	ऊर्जा	-	25.00	25.00
				17.33	उद्योग एवं खनिज	0.02	51.42	51.44
				284.38	परिवहन	0.40	403.58	403.98
				2.63	सामान्य आर्थिक सेवाएं	-	2.71	2.71
				1279.13	योग (पूंजीगत लेखे)	3.78	1493.13	1496.91
--	V	अन्तर्राज्यीय समाशोधन		--	V अन्तर्राज्यीय समाशोधन		--	--
14.80	VI	ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां	17.92	113.04	VI ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण			337.48
	--	विद्युत परियोजनाओं से	1.97	47.28	विद्युत परियोजनाओं हेतु		205.25	
	2.29	सरकारी सेवकों से	1.96	0.17	सरकारी सेवकों को		0.06	
	12.51	अन्य से	13.99	65.59	अन्य को		132.17	
145.82	VII	अधनीत राजस्व बचत	1381.35	--	VII अधनीत राजस्व घाटा		--	--
1909.81	VIII	लोक ऋण प्राप्तियां	1234.35	1151.65	VIII लोक ऋणों का पुनर्भुगतान			443.55

1480.61		अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्ष के अलावा आंतरिक ऋण	1178.07	123.78	अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्ष के अलावा आंतरिक ऋण	278.84	
--		अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेन देन		--	अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेन देन	--	--
429.20		केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	56.28	1027.87	केन्द्र सरकार को ऋणों एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान	164.71	
--	IX	आकस्मिता निधि को विनियोग	--	--	IX आकस्मिता निधि को विनियोग	--	--
--	X	आकस्मिकता निधि को अन्तरित राशि	--	--	X आकस्मिकता निधि से व्यय	--	--
9295.44	XI	लोक लेखा प्राप्तियां	10806.61	8536.1	XI लोक लेखा संवितरण		10551.24
		449.19 लघु बचतें एवं भविष्य निधियां	379.39	391.12	लघु बचतें एवं भविष्य निधियां	398.66	
		301.07 आरक्षित निधियां	247.16	41.47	आरक्षित निधियां	58.56	
		5427.58 उच्चत एवं विविध	6580.76	5161.01	उच्चत एवं विविध	6594.52	
		2217.39 प्रेषण	2579.27	2256.74	प्रेषण	2594.69	
		900.21 निक्षेप एवं अग्रिम	1020.03	685.76	निक्षेप एवं अग्रिम	904.81	
--	XII	भारतीय रिजर्व बैंक से अंत में अधिविकर्ष		701.44	XII वर्ष के अंत में रोकड़ शेष		1312.49
				0.22	कोषालयों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण		0.22
				7.48	रिजर्व बैंक के पास जमा		-485.40
				8.50	स्थायी रोकड़ अग्रदाय सहित विभागीय रोकड़ शेष		14.70
				685.24	रोकड़ शेष निवेश तथा चिन्हित निधियों का निवेश		1782.97
11781.36		योग ख	14141.67	11781.36	योग ख		14141.67

परिशिष्ट - 1.3

(संदर्भ कंडिका 1.8)

निधियों के स्रोत एवं उपयोग

((राशि करोड़ रुपये में)

2004-05	स्रोत	2005-06	
राशि		राशि	राशि
7248.87	1. राजस्व प्राप्तियां		8838.49
14.80	2. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली		17.92
758.16	3. लोक ऋण में वृद्धि		790.80
798.69	4. लोक लेखे से प्राप्तियां		270.79
58.07	अ. लघु बचतों में वृद्धि	-19.27	
214.45	ब. निक्षेपों एवं अग्रिमों में वृद्धि	115.22	
259.60	स. आरक्षित निधियों में वृद्धि	188.60	
--	द. प्रेषण लेन-देनों का प्रभाव	--	
266.57	ई. उचन्त एवं विविध	-13.76	
--	अंतिम नगद शेष में कमी		
8820.52	योग		9918
	उपयोग		
7103.05	1. राजस्व व्यय		7457.14
113.04	2. विकास एवं अन्य प्रयोजनों हेतु उधार		337.48
1279.13	3. पूंजीगत व्यय		1496.91
--	4. आकस्मिकता निधि लेन-देनों का निवल प्रभाव		--
39.35	5. लोक लेखे से उपयोग		15.42
--	अ. उचन्त एवं विविध लेन-देनों का निवल प्रभाव		
--	ब. विविध सरकारी लेखा		
39.35	स. प्रेषण लेन-देनों का प्रभाव	15.42	
285.95	6. अंतिम नगद शेषों में वृद्धि		611.05
--	7. अन्तर्राज्यीय समाशोधन		
8820.52	योग		9918

परिशिष्ट 1.1, 1.2 एवं 1.3 हेतु स्पष्टीकरण टिप्पणियां:

- विवरण पत्रों में दर्शाए गए संक्षिप्त लेखे वित्त लेखे में दी गई टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ ही पढ़े जाएं।
- सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण **परिशिष्ट-1.1** में यथादर्शित सरकारी लेखे में घाटा, वाणिज्यिक लेखांकन में उपाजित आधार के विपरीत रोकड़ आधार पर स्थिति का सूचक है। परिणामतः भुगतान योग्य अथवा प्राप्ति योग्य मर्दे या मूल्य ह्रास या भण्डार के आंकड़े इत्यादि में भिन्नता जैसी मर्दे लेखे में नहीं दर्शाई गई हैं।
- उचन्त एवं विविध शेषों में जारी परन्तु भुगतान नहीं किए गए बैंक, राज्य की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य लंबित समाशोधन सम्मिलित हैं।
- रोकड़ शेष में समाविष्ट 'रिजर्व बैंक में जमा' से संबंधित लेखों में प्रतिबिम्बित आंकड़ों यथा 485.40 करोड़ रुपये (क्रेडिट) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित 481.08 लाख रुपये (डेबिट) के मध्य 4.32 करोड़ रुपये (क्रेडिट) का अंतर था। 31 मार्च 2006 के लेखों को बंद करने के पश्चात मिलान योग्य निवल अंतर की राशि 4.32 करोड़ रुपये (क्रेडिट) थी।

परिशिष्ट - 1.4

(संदर्भ कडिका 1.8)

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण

((राशि करोड़ रुपये में)

भाग - क प्राप्तियाँ	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1. राजस्व प्राप्तियाँ	4376 (81)	5417 (77)	5959 (71)	7249 (79)	8838 (88)
(i) कर राजस्व	1993 (46)	2327 (43)	2588 (43)	3228 (45)	4052 (46)
विक्रय, व्यापार, आदि पर कर	940 (47)	1102 (47)	1299 (50)	1674 (52)	2089 (52)
राज्य उत्पाद शुल्क	314 (16)	362 (16)	402 (15)	458 (14)	635 (15)
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	121 (6)	148 (06)	171 (7)	248 (8)	313 (8)
माल एवं यात्रियों पर कर	196 (10)	252 (11)	230 (9)	287 (9)	395 (10)
अन्य कर	422 (21)	463 (20)	486 (19)	561 (17)	620 (15)
(ii) कर भिन्न राजस्व	722 (16)	957 (18)	1124 (19)	1244 (17)	1229 (14)
खनन तथा धातुकर्म उद्योग	454 (63)	538 (56)	630 (56)	680 (55)	721 (59)
वानिकी तथा वन्य जीवन	98 (14)	106 (11)	141 (13)	160 (13)	203 (17)
अन्य	170 (5)	313 (33)	677 (12)	404 (12)	305 (25)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	1176 (27)	1350 (25)	1570 (26)	1876 (26)	2508 (28)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	485 (11)	783 (14)	677 (12)	901 (32)	1049 (12)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	--	--			
3. कुल राजस्व एवं ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2)	4376	5417	5959	7249	8838
4. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	04	19	11	15	18
4 (अ) अन्तरराज्यीय समाशोधन	05	--		--	--
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	995 (18)	1613 (23)	2432 (29)	1910 (21)	1234 (12)
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त)	654 (66)	1179 (73)	1978 (81)	1481 (78)	1178 (95)
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतर्गत निवल लेन देन	--	--	--		--
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	341 (66)	434 (27)	454 (19)	429 (22)	56 (5)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (3+4+4(अ)+5)	5380	7049	8402	9174	10090
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियाँ	--	--	--	--	--
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	5620	6924	7071	9295	10807
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	11000	13973	15473	18469	20897
भाग - ख व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	4945 (90)	5530 (86)	6600 (81)	7103 (84)	7457 (80)
आयोजनागत	1017 (21)	1270 (23)	1541 (23)	1620 (23)	2008 (27)
योजनेतर	3928 (79)	4260 (77)	5059 (77)	5483 (77)	5449 (73)
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	1746 (35)	1839 (33)	2154 (33)	2494 (35)	2186 (29)
सामाजिक सेवाएँ	1915 (39)	2086 (38)	2269 (34)	2431 (34)	2848 (38)
आर्थिक सेवाएँ	1150 (23)	1443 (26)	1917 (29)	1926 (27)	2090 (28)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	133 (3)	162 (03)	260 (4)	252 (4)	333 (5)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
11. पूंजीगत व्यय	476 (9)	820 (13)	1016 (12)	1279 (15)	1497 (16)
आयोजनागत	455 (96)	819 (99.9)	1014 (99.8)	1276 (99.8)	1493 (99.7)
योजनेत्तर	21 (4)	01 (0.1)	2 (0.2)	3 (0.2)	4 (0.3)
सामान्य सेवाएँ	20 (4)	19 (02)	22 (2)	29 (2)	28 (2)
सामाजिक सेवाएँ	106 (22)	137 (17)	186 (18)	256 (20)	367 (24)
आर्थिक सेवाएँ	350 (74)	664 (81)	808 (80)	994 (78)	1102 (74)
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	50 (1)	58 (01)	558 (7)	113 (1)	337 (4)
12 (अ) अंतर्राज्यीय समाशोधन	31	01	--	--	--
13. कुल व्यय (10+11+12+12(अ))	5502	6409	8174	8495	9291
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	184	413	778	1152	444
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त)	45 (24)	47 (11)	89 (11)	124 (11)	279 (63)
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतर्गत निवल लेन देन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	139 (76)	366 (89)	689 (89)	1028 (89)	165 (37)
15. आकस्मिक निधि में विनियोग	(-) 0.02	--	--	--	--
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	5686	6822	8952	9647	9735
17. आकस्मिक निधि संवितरण	--	--	--	--	--
18. लोक लेखा संवितरण	5223	6644	6824	8536	10551
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	10909	13466	15776	18183	20286
भाग - ग घाटा					
20. राजस्व घाटा (+)/राजस्व बचत (-) (1-10)	(-) 569	(-) 113	(-) 641	146	1381
21. राजकोषीय घाटा (3+4+4(अ)-13)	1117	973	2204	1231	435
22. प्राथमिक घाटा (21-23)	386	163	1150	79	-527
भाग - घ अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	731	810	1054	1152	962
24. राजस्व बकाया (कर एवं कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत)	0.01	3.56	3.5	4	75
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	177	211	247	353	1236
26. लिए गए अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
27. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज	--	--	--	--	--
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद	29545	31588	38610	40220	44118[#]
29. बकाया ऋण (वर्षान्त)	7421	9245	11144	12240¹	13270
30. बकाया गारंटियाँ* (वर्षान्त)	466	266	295	620	855
31. गारंटीकृत अधिकतम राशि (वर्षान्त)	508	309	807	1343	1782
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	59	72	70	71	80
33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूंजी	1597	2023	2438	3042	3580

टिप्पणियाँ :

कोष्टक में आंकड़े प्रत्येक उप शीर्ष के पूर्ण योग के निकटतम प्रतिशत को दर्शाते हैं।

* उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य बंटवारे हेतु मध्य प्रदेश में 9,667 करोड़ रुपये रोके गए।

[#] वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक के आंकड़े बदल दिये गये हैं। वर्ष 2005-06 के आंकड़े राज्य द्वारा उपलब्ध कराये गए अनुमानित आंकड़े हैं, अंतिम आंकड़े आना शेष है।

¹ चालू वर्ष के वित्त लेखे में प्रारंभिक शेष के आंकड़ों को बदल दिया गया है।

परिशिष्ट 1.5

(संदर्भ कड़िका 1.4)

पहले अध्याय में उपयोग में लाए गए शब्दों की शब्दावली एवं उनकी संगणना का आधार

शब्द	संगणना के आधार
तरलशीलता मापसूचक	माप सूचक की वृद्धि की दर (प्रतिशत) सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर (प्रतिशत)
अन्य माप सूचक (Y) से तरलशीलता का मापसूचक (X)	माप सूचक की वृद्धि दर (X) माप सूचक की वृद्धि दर (Y)
वृद्धि की दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि/पिछले वर्ष की राशि}) - 1] * 100$
प्रवृत्ति/औसत	पिछले 5 वर्षों में वृद्धि की प्रवृत्ति (लॉगेस्ट (1996-97 की राशि: 2001-02की राशि)-1)*100
अंश परिवर्तन/माप सूचक की परिवर्तन दर	व्यय अथवा राजस्व जैसा भी प्रकरण हो, में पांच वर्षों में अंश प्रतिशत की प्रवृत्ति के माप सूचक
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ + आर्थिक सेवाएँ
भारित ब्याज दर (राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान)	ब्याज भुगतान/[पूर्व वर्षों की राजकोषीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएँ]/2]*100
ब्याज वृद्धि	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि - भारित ब्याज दरें
दिए गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज का प्रतिशत	ब्याज की प्राप्ति [(प्रारंभिक शेष ऋणों एवं अग्रिमों का अंतिम शेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष	राजस्व प्राप्तियां ऋण '2048 - ऋण की कमी या परिहार्यता' के अंतर्गत ऋणों के अतिरिक्त सभी आयोजनागत अनुदानों एवं योजनेत्तर राजस्व व्यय

परिशिष्ट - 1.6

(संदर्भ कंडिका 1.7.1)

उपयोग न किये गये अनुदानों एवं ऋणों का विवरण पत्रक

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	विभाग का नाम	कुल जारी अनुदान	व्यय	शेष राशि	बचत का प्रतिशत
1	संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर	42.78	33.35	9.43	22
2	संचालक, ऊर्जा विभाग रायपुर	165.67	107.82	57.85	35
3	संचालक, खाद्य एवं आपूर्ति छत्तीसगढ़ रायपुर	425.07	385.03	40.04	9
4	संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, रायपुर	13.60	12.77	0.83	6
6	संचालक, नगरीय विकास रायपुर	420.13	391.78	28.35	7
	योग	1067.25	930.75	136.50	

परिशिष्ट - 1.7

(संदर्भ कंडिका 1.7.1)

उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने वाली इकाइयों का विवरण पत्रक

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	विभाग का नाम	इकाइयों की संख्या	अनुदान/ ऋण प्राप्त	किया गया व्यय	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतीक्षित
1	संचालक, उद्योग, छत्तीसगढ़, रायपुर	6	27.21 (+) 14.00 (ऋण)	विभाग द्वारा ऑकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए	27.21
2	संचालक, कृषि, छत्तीसगढ़, रायपुर	8	22.67	22.67	22.67
3	संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर	अनुपलब्ध	42.78	33.35	33.35
4	संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़, रायपुर	2	0.17	0.17	0.17
5	ऊर्जा /विद्युत विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर	3	165.67 (+) 196.46 (ऋण)	107.82 (+) 196.46 (ऋण)	107.82
6	संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर	23	0.25	0.25	0.25
7	संचालक उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर	76	81.46	81.46	35.78
8	संचालक, लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़, रायपुर	अनुपलब्ध	18.75	18.75	18.75
9	संचालक , खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति छत्तीसगढ़,, रायपुर	अनुपलब्ध	425.07	385.03	385.03
10	संचालक , भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी,, रायपुर	अनुपलब्ध	13.60	12.77	11.30
11	संचालक नगरीय विकास छत्तीसगढ़ रायपुर	72	420.13	391.78	391.78
12	आयुक्त, आदिवासी विभाग छत्तीसगढ़ रायपुर	29	6.53	विभाग द्वारा ऑकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए	6.53
13	पंजीयक सहकारी संस्थाएँ छत्तीसगढ़ रायपुर	20	11.42 (+) 18.66 (ऋण)	11.42 (+) 18.66 (ऋण)	11.31
	योग		1235.71	1065.47	1051.95

परिशिष्ट-1.8
(कंडिका -1.7.2.5)
पंचायतों द्वारा आवश्यकता से अधिक जारी अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(करोड़ रुपये में)

स.क्र.	जिले का नाम	जिला स्तर पर जारी राशि	विकास खंड स्तर पर जारी राशि	योग	अनुमोदित कार्य			स्वीकृत कार्यों की कुल लागत	ग्राम पंचायतों को जारी राशि	स्वीकृत कार्यों के संबंध में जारी राशि अधिक (+)/कम (-)	ग्राम पंचायतों द्वारा किया गया व्यय
					ग्राम पंचायत भवन सह उचित मूल्य दुकान	मिनी स्टेडियम	जिला पंचायत भवन				
1	रायपुर	2.98	4.45	7.44	129	7	1	7.25	7.44	0.19	0.57
2	महासमुंद	1.08	1.63	2.71	63	0	0	2.21	2.71	0.51	1.4
3	धमतरी	0.88	1.31	2.19	41	1	0	1.69	2.19	0.5	1.85
4	दुर्ग	2.38	3.57	5.94	109	0	0	3.82	5.94	2.13	1.12
5	राजनांदगाँव	1.54	2.31	3.84	47	3	1	3.32	3.84	0.52	1.89
6	कबीरखाम	0.8	1.2	1.99	19	2	1	1.6	1.99	0.39	0.52
7	बस्तर	2.01	3.01	5.02	118	10	0	6.63	5.02	-1.61	0.89
8	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	1.35	2.03	3.38	43	8	0	3.51	3.38	-0.12	1.07
9	कांकेर	0.97	1.45	2.42	52	4	0	2.82	2.42	-0.4	1.44
10	बिलासपुर	2.1	3.16	5.26	98	4	0	4.43	5.26	0.83	2.1
11	कोरबा	1.02	1.53	2.56	12	3	0	1.17	2.56	1.39	2.33
12	जांजगीर-चांपा	1.55	2.33	3.88	94	3	0	4.04	3.88	-0.16	0.38
13	रायगढ़	1.54	2.3	3.84	25	4	0	1.88	3.84	1.97	1.44
14	सरगुजा	1.76	4.13	6.89	123	10	0	6.81	6.89	0.08	3.65
15	जशपुर	1.07	1.61	2.69	25	6	0	2.38	2.69	0.31	1.12
16	कोरिया	0.7	1.06	1.76	45	1	0	1.83	1.76	-0.07	1.19
	योग	23.73	37.08	61.81	1043	66	3	55.39	61.81		22.96

11 (+) 8.82

5 (-) 2.36

परिशिष्ट 1.9 (i)
(कंडिका 1.7.2.7)
जारी अनुदानों के विरुद्ध किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(रूपये करोड़ों में)

स.क्र.	ईकाई का नाम	आवंटन		स्वीकृत कार्य			व्यय	पूर्ण कार्यों की संख्या	उपयोगिता प्रमाण-पत्र में व्यय दर्शित	टिप्पणी
		पंचायत का नाम	राशि	नाम	संख्या	राशि				
1.	जिला पंचायत बिलासपुर	1. जिला स्तर	2.10	1. मिनी स्टेडियम	4	1.00		-		
		2. विकास खण्ड स्तर	3.16	2. ग्राम पंचायत सह उचित मूल्य दुकान	98	3.43		-		
		3. ग्राम पंचायत स्तर	5.26	3. निजी शौचालय	51065	0.00	2.10	8945	7.05	आवंटन से अधिक व्यय
2.	जिला पंचायत दुर्ग	1. जिला स्तर	2.38	1. मिनी स्टेडियम	-				0.00	
		2. विकास खण्ड स्तर	3.57	2. ग्राम पंचायत सह उचित मूल्य दुकान	109	3.82	0.00		3.82	
		3. ग्राम पंचायत स्तर	5.94	3. निजी शौचालय	14975	0.00	1.12	4640	3.40	
3.	जिला पंचायत रायपुर	1. जिला स्तर	2.98	1. जिला पंचायत भवन	1	0.99			3.70	ग्राम पंचायत भवन व्यय शामिल
		2. विकास खण्ड स्तर	4.67	2. मिनी स्टेडियम		1.75			0.04	
		3. ग्राम पंचायत स्तर	7.44	3. ग्राम पंचायत सह उचित मूल्य दुकान	129	4.51			0.00	
			0.00	4. निजी शौचालय	19568	0.00	0.57	2308	3.70	
4.	जिला पंचायत बस्तर	1. जिला स्तर	2.01	1. मिनी स्टेडियम	10	2.50				
		2. विकास खण्ड स्तर	3.02	2. ग्राम पंचायत सह उचित मूल्य दुकान	92	3.22				
		3. ग्राम पंचायत स्तर	5.02	3. निजी शौचालय	13993	1.00	0.89	2877	6.90	आवंटन से अधिक व्यय

जिला स्तर: बिलासपुर (2.10), दुर्ग (2.38), रायपुर (2.98) एवं बस्तर (2.01)

जनपद स्तर: तखतपुर (0.40) पाटन (0.38) भाटापारा (0.21)

(परिशिष्ट मुंगेली (0.32)

1.9 (ii) से

कुल (10.78 करोड़)

परिशिष्ट 1.9 (ii)
(कंडिका 1.7.2.7)
जारी अनुदानों के विरुद्ध किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(रूपये करोड़ों में)

स.क्र.	जनपद पंचायत का नाम	आवंटन	स्वीकृत कार्य			दिनांक	व्यय	टिप्पणी
			नाम	संख्या	राशि			
1.	जनपद पंचायत तखतपुर बिलासपुर	0.40	ग्राम पंचायत भवन सह उचित मूल्य दुकान	6	0.21	31.3.06	निरंक	राशि रूपये 1977460 की द्वितीय किश्त सर्व शिक्षा अभियान को व्यपवर्तित की गई।
2.	जनपद पंचायत मुंगेली बिलासपुर	0.32	ग्राम पंचायत भवन सह उचित मूल्य दुकान	32	1.09	7.4.06	निरंक	राशि रूपये 2076836 सावधि जमा में रखी गई।
3.	जनपद पंचायत पाटन दुर्ग	0.38	ग्राम पंचायत भवन सह उचित मूल्य दुकान	7	0.25	10.4.06	निरंक	
4.	जनपद पंचायत भाटापारा रायपुर	0.21	ग्राम पंचायत भवन सह उचित मूल्य दुकान	8	0.28	7.4.06	निरंक	
		1.31			1.83			

परिशिष्ट 1.10

(कंडिका 1.8.1)

वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम, व्यय एवं प्राप्ति

(रूपये करोड़ में)

व्यय	मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के नाम	प्राप्ति	व्यय	मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम	प्राप्ति
2.97	हसदेव बांगो	9.19	.002	पिंद्रावन	11.72
9.28	महानदी	4.83	.011	बालार	0.07
1.32	संदूर	--	0.15	मारोदा	--
0.53	कोडार	0.19	0.13	मतियामोती	0.08
2.34	तंदूला	9.55	0.06	रषी	0.13
1.22	पेयरी	0.40	0.13	पिपारिया	0.13
0.29	जोंक	0.13	0.31	चिरपानी	0.15
1.48	खारांग	0.69	0.11	सारोदा	0.09
1.10	मेनयारी	0.20	0.25	घोघा	0.23
			0.16	गुजा	--
			0.09	कुमार पाकुड	0.12
			0.31	श्याम घुघटा	0.11
			0.03	मयाना	--
			0.29	झिरमनदी	0.02
			0.26	शिवनाथ व्यपवर्तन	--
			71.31	सामान्य	--
				कुंहारी	0.05
				केशवा	0.12
				गोदाली	0.14
				कारखारा	0.24
				झुमका	0.17
				पुटका	0.20
				कवारपुर	0.03
20.53	योग	25.18	73.60	योग	13.80

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ कंडिका 2.3.1)

वे प्रकरण जिनमें व्यय एक करोड़ से अधिक राशि से कम पड़ा तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक से भी कम रहा।

(करोड़ रुपये में)

सं.क्र.	अनुदान संख्या का नाम	कुल प्रावधान	बचत की राशि (प्रावधान का प्रतिशत)
1.	2.	3	4
(अ)	राजस्व दत्तमत		
1.	01 सामान्य प्रशासन	41.77	7.91 (18.93)
2.	02 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	4.21	2.09 (49.64)
3.	05 जेल	37.74	17.83 (47.24)
4.	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	780.33	309.72 (39.69)
5.	07 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	66.59	17.20 (25.82)
6.	08 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	120.41	32.69 (27.14)
7.	09 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	6.21	2.03 (32.68)
8.	11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	30.09	4.17 (13.85)
9.	12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	151.78	16.12 (10.62)
10.	13 कृषि	112.66	18.66 (16.56)
11.	14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	75.72	15.12 (19.96)
12.	15 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	24.48	8.45 (34.51)
13.	17 सहकारिता	30.97	10.38 (33.51)
14.	18 श्रम	9.94	3.23 (32.49)
15.	19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	233.18	46.77 (20.05)
16.	20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	135.40	26.55 (19.60)
17.	21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	30.88	18.58 (60.16)
18.	26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	6.90	1.35 (19.56)
19.	27 स्कूल शिक्षा	710.42	82.51 (11.61)
20.	28 राज्य विधानमंडल	13.99	3.26 (23.30)
21.	29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	43.83	9.96 (22.72)
22.	30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	226.43	40.05 (17.68)
23.	31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	6.79	1.92 (28.27)
24.	33 आदिम जाति कल्याण	430.23	61.67 (14.33)
25.	34 सामाजिक कल्याण	14.74	3.81 (25.84)
26.	36 परिवहन	11.47	4.75 (41.41)
27.	38 बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा से अनुदान सहायता प्राप्ति	17.00	15.20 (89.41)
28.	39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	390.90	42.09 (10.76)

29.	40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	1.83	1.08 (59.01)
30..	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	800.85	193.15 (24.11)
31.	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	253.39	48.39 (19.09)
32.	44	उच्च शिक्षा	165.78	17.32 (10.44)
33	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	55.14	11.68 (21.18)
34..	48	ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	12.88	12.61 (97.90)
35..	49	अनुसूचित जाति कल्याण	17.23	2.02 (11.72)
36..	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	174.20	34.08 (19.56)
37..	56	ग्रामोद्योग	21.75	4.01 (18.43)
38.	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	249.02	87.50 (35.13)
39.	59	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	100.00	38.00 (38.00)
40.	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	184.47	49.24 (26.69)
41.	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	106.94	12.43 (11.62)
42.	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	18.93	11.95 (63.12)
43..	79	चिकित्सा-शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	80.32	19.93 (24.81)
44.	82	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	157.98	28.51 (18.04)
		योग "अ"	6165.77	1395.97

(ब)		राजस्व भारित		
45.	01	सामान्य प्रशासन	7.42	2.06 (27.76)
46.	29	च्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	8.28	1.38 (16.66)
47.	81	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	4.00	3.13 (78.25)
		योग "ब"	19.70	6.57
(स)		पूँजीगत दत्तमत		
48.	03	पुलिस	7.15	2.00 (27.97)
49.	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	11.80	9.17 (77.71)
50.	07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	4.00	2.03 (50.75)
51.	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	4.08	3.68 (90.19)
52.	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	1.10	1.08 (98.18)
53.	10	वन	10.74	7.81 (72.71)
54.	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	61.41	7.14 (11.62)
55.	17	सहकारिता	71.07	54.93 (77.28)
56.	18	श्रम	3.18	3.18 (100)
57.	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिका	20.96	7.08 (33.77)
58.	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	32.52	10.24 (31.48)
59.	23	जल संसाधन विभाग	304.52	61.26 (20.11)
60.	27	स्कूल शिक्षा	35.32	4.65 (13.16)
61.	37	पर्यटन	5.12	2.41 (47.07)
62.	40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	19.50	9.79 (50.21)
63.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	401.32	86.35 (21.51)
64.	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	95.01	31.51 (33.16)
65.	48	ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	13.74	13.66 (99.41)
66.	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	20.25	17.92 (88.49)
67.	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्र में राहत पर व्यय	1.55	1.55 (100)
68.	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	118.47	47.32 (39.94)
69.	65	विमानन विभाग	2.40	2.00 (83.33)
70.	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	2.59	1.31 (50.57)

71.	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	132.25	69.48 (52.53)
72.	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	64.51	12.63 (19.57)
73.	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	3.36	3.36 (100)
74.	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	130.00	38.57 (29.66)
75.	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	70.00	67.04 (95.77)
76.	79	चिकित्सा-शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	16.76	8.98 (53.57)
		योग "स"	1664.68	588.13
		योग (अ+ब+स)	7849.55	1990.67

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ कंडिका 2.3.1)

प्रकरण जिनमें अनुदानों की योजनाओं के अंतर्गत बचतें सारभूत रही

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजना का नाम	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत की राशि	बचत का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(अ) - राजस्व दत्तमत						
1.	3-पुलिस	2070-107-5544 होमगार्ड बल का आधुनिकीकरण	1.90	--	1.90	100
2.	05- जेल	2056-101-1529 जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण	14.94	--	14.94	100
3.	06- वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2070-800-224-अन्य व्यय	165.00	--	165.00	100
4.	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2071-01-107-5638 छत्तीसगढ़ राज्य अंशदायी पेंशन में योगदान	4.00	--	4.00	100
5.	08- भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-103-0101 राज्य आयोजना 6337 भू-अभिलेखों का उन्नयन	1.30	--	1.30	100
6.	11-वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	2852-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 8726-छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी की स्थापना	2.00	--	2.00	100
7.	12-ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	2501-04-101-0410 ऊर्जा विकास निधि 3220 छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को सहायता अनुदान	1.72	--	1.72	100
8.	12-ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	2810-60-800-0410 ऊर्जा विकास निधि 3220 छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को सहायता अनुदान	4.65	--	4.65	100
9.	12-ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	2810-60-800-0410ऊर्जा विकास निधि 5695 छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को सहायता अनुदान	2.00	--	2.00	100
10.	12- ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	2801-06-101-1001 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 4851- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	2.92	--	2.92	100
11.	12- ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	2801-06-101-1001 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 5414 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	3.63	--	3.63	100
12.	15-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-01-789-1000-0103 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 2582 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय	1.30	--	1.30	100
13.	17- सहकारिता	2425-107-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 5655 तुलन पत्रों की सफाई हेतु सहकारी बैंकों को अनुदान	3.62	--	3.62	100
14.	19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-03-103- 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 4851-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	2.28	--	2.28	100
15.	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215-01-102-1001-अतिरिक्त अनुदान 4851-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	2.09	--	2.09	100
16.	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	2216-02-190-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 7560 गृह निर्माण मंडल द्वारा शासकीय कर्मचारियों के लिए आवासों के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता	2.51	--	2.51	100
17.	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	2217-05-191-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 9769 विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत गृह निर्माण मंडल को गंदी बस्ती सुधार हेतु अनुदान	2.71	--	2.71	100

18.	27-स्कूल शिक्षा	2202-01-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 6956 प्राथमिक शालाओं में अंग्रेजी शिक्षा	1.29	0.04	1.25	96.9
19.	27-स्कूल शिक्षा	2202-01-800-0101 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 4851-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	2.92	--	2.92	100
20.	27-स्कूल शिक्षा	2202-02-800-9005 भवनों का संधारण, लघु कार्य एवं मरामत	1.75	--	1.75	100
21.	30- पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	2216-03-800-0101 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 4851-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	2.75	--	2.75	100
22.	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	2408-01-190-6033 एकीकृत आदिवासी विकास क्षेत्रों में खाद्यान्न का वितरण	1.69	--	1.69	100
23.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	4701-03-796-800-0312 नाबार्ड प्रवर्तित योजना 5516- मुख्य सिंचाई परियोजना पर कार्य	1.50	--	1.50	100
24.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	4701-33-796-800-0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोगना 3366 माध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	20.10	0.02	20.08	99.9
25.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	2801-06-796-101-1002 अनुसूचित जनजाति हेतु अतिरिक्त सहायता 4851 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	2.22	--	2.22	100
26.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	2801-06-796-101-1002 अनुसूचित जनजाति हेतु अतिरिक्त सहायता 5414 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	3.00	--	3.00	100
27.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	2801-06-796-800-102 आदिवासी क्षेत्र उपयोगना 5023 आदिवासी ग्रामों में विद्युतीकरण (अनुच्छेद 275(i))	2.50	--	2.50	100
28.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	2801-80-796-101-1002 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता 4841 ऊर्जा विकास परियोजनाओं को अनुदान	5.32	--	5.32	100
29.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	2210-03-796-103-1002 अनुसूचित जनजाति हेतु अतिरिक्त सहायता 4851 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	2.32	--	2.32	100
30.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	2236-02-796-101-1002 अनुसूचित जनजाति हेतु अतिरिक्त सहायता 4851 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	3.26	--	3.26	100
31.	58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-02-122-989 क्षतिग्रस्त सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण कार्य की पुनः स्थापना तथा मरामत	16.00	--	16.00	100
32.	58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-800-8030 पुनः स्थापना हेतु अन्य कार्यों के लिए सहायता	3.00	--	3.00	100
33.	64- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	4225-01-789-190-103 विशेष घटक योजना 5025 छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/जनजाति के वित्तीय विकास सहकारिता हेतु अंशपूर्जी में धनवेष्ठन	5.00	--	5.00	100
34.	64- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	4225-01-789-800-103 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 5507 ग्राम गिरोधपुर में जैतखम्ब का निर्माण	7.50	--	7.50	100
35.	64- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	2215-01-789-191-103 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 2181- पेयजल आपूर्ति योजना	1.00	--	1.00	100
36.	69- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	2217-80-800-1001 अतिरिक्त केन्द्रिय सहायता (सामान्य) 5676 शहरी सुधार प्रगाढ़ निधि	2.92	--	2.92	100

37.	69- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	2217-80-800-1001 अतिरिक्त केन्द्रिय सहायता (सामान्य) 5874 गंदी बस्तियों का विकास	1.44	--	1.44	100
38.	80 त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2215-02-107-1010 राज्य आयोजना (सामान्य) 5504- सम्पूर्ण स्वच्छता	1.25	--	1.25	100
39..	81- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-800-4845 ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकाय को अनुदान-मूलभूत सेवाओं हेतु	2.00	--	2.00	100
		योग (अ)	309.30	0.06	309.24	
(ब)- राजस्व भारत						
40.	ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा	2049-01-101-2199 नया बाजार ऋण	17.00		17.00	100
41.	ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा	2049-01-101-5623 5.7 छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण का प्रतिशत 2014	6.08		6.08	100
42.	ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा	2049-01-200-3087 भारतीय जीवन बीमा निगम से लिये गए ऋण पर ब्याज	12.04		12.04	100
43.	ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा	2049-01-200-3089 भारतीय रिजर्व बैंक से आर्थोपाय पेशगियों और कैश बैलेंस की कमी की पूर्ति हेतु लिये गये अग्रिमों पर ब्याज	12.00		12.00	100
44.	ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा	2049-01-200-4486 जीवन सामान्य जीवन बीमा निगम से लिये गए ऋण पर ब्याज	6.38		6.38	100
		योग (ब)	53.50		53.50	
(स) - पूँजीगत दत्तमत						
45.	06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	4885-01-190-101 राज्य आयोजना (सामान्य) 4843 अधोसंरचना विकास सहकारिता विभाग	1.00		1.00	100
46.	06- वित्त विभाग से संबंधित व्यय	4425-107-101 राज्य आयोजना (सामान्य) 1005-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अंशपूँजी का धनवेष्टन	3.50		3.50	100
47.	11- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	4851-101-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 5642- दल्लीराजहरा रावघाट जगदलपुर रेल लाईन परियोजना	1.00		1.00	100
48.	11- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	4851-101-0101-5702 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास	3.00		3.00	100
49.	17-सहकारिता	4425-107-0910 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 5422 एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	2.13		2.13	100
50.	17-सहकारिता	4425-107-0910-5666 एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	2.06		2.06	100
51.	17-सहकारिता	4425-107-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)5656 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की पूँजी	2.00		2.00	100

52.	17-सहकारिता	6425-107-1010-5567 जिला सहकारी बैंक को ऋण	10.00		10.00	100
53.	17-सहकारिता	6425-107-0101-5654 सहकारी बैंकों के तुलन पत्रों की सफाई	7.26		7.26	100
54.	17-सहकारिता	6425-107-0101-6568 राज्य सहकारी बैंक को कृषि उधार स्थायीकरण निधि के सुदृढीकरण हेतु ऋण	5.00		5.00	100
55.	23-जल संसाधन विभाग	4701-38-800-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 2898बांध तथा संलग्न कार्य	10.50		10.50	100
56.	40-आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	4705-206-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 5594 सिंचाई हेतु फील्ड चैनल का निर्माण	2.00		2.00	100
57.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	6801-796-800-1002 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता 4842 तत्कालिक ऊर्जा हेतु ऋण	5.32		5.32	100
58.	57- जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	4701-80-800 विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ 5678 छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना	8.00		8.00	100
59.	57- जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	4702-101-1201 विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ 5678 छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना	7.00		7.00	100
60.	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय		1.55		1.55	100
61.	69- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण		3.36		3.36	100
		योग (स)	74.68	निरंक	74.68	
(द) - पूँजीगत भारित						
62.	लोक ऋण	6003-103-8140-भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	6.86		6.86	100
63.	लोक ऋण	6003-104-3093 सामान्य जीवन बीमा निगम से ऋण	3.73		3.73	100
64.	लोक ऋण	6003-110-637 उपाय तथा साधन अग्रिम	100.00		100.00	100
65.	लोक ऋण	6003-110-779 कमियों की पूर्ति हेतु अग्रिम	100.00		100.00	100
66.	लोक ऋण	6004-01-102-292 छोटी बचत संग्रहण का अंश	9.09		9.09	100
67.	लोक ऋण	6004-07-108-9099 समेकित ऋण	5.43		5.43	100
68.	लोक ऋण	6004-07-106-287 अर्द्ध उत्पादक उद्देश्य हेतु ऋण	5.07		5.07	100
		योग (द)	230.18		230.18	
		योग (अ+ब+स)	667.66	0.06	667.60	

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ कंडिका 2.3.1)

वे प्रकरण जिनमें केन्द्रीय योजनाओं के अधीन सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	अप्रयुक्त बजट प्रावधान
1.	2.	3.	4.
(अ) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ			
1.	08 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-102-0701-4729 हवाई सर्वेक्षण की योजना	1.00
2.	14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	2403-800-0701-5069 डेयरी विकास	6.10
3.	27 स्कूल शिक्षा	2202-02-109-0701-5409 परिवर्तित क्लास परियोजना अंतर्गत कम्प्यूटर प्रदाय	6.70
4.	37 पर्यटन	5452-01-101-0701- 7630-केन्द्र प्रवर्तित योजना में केन्द्रांश	1.50
5.	41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2202-01-796-101-0702-5634-कस्तूरबा गाँधी आवासीय शाला	2.50
6.	64 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	2202-01-789-101-0703-5634-कस्तूरबा गाँधी आवासीय शाला	1.25
7.	64 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	4225-03-789-277-703 विशेष घटक योजना-1400 छात्रावास एवं आश्रम	2.00
8.	69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	2217-80-800-701-6741 राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	5.00
		योग (अ)	26.05
(ब) - केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएँ			
9.	08 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-103-08-01-5917-भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना का विस्तार	4.88
10.	19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-2498-परम्परागत गर्भनिरोधक का प्रदाय	6.44
11.	19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-6101 युनिवर्सल इम्यूनिजेशन	6.00
12.	24 लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	3054-05-337-0801-165 अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्त्व की सड़कों का निर्माण	1.13
13.	39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	2408-01-102-0801-5427-प्राप्ति योजना को अनुदान सहायता	25.00
14.	64 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	2202-02-789-109-0803 विशेष घटक योजना 2676-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	5.26
		योग (ब)	48.71
(स) आदिवासी क्षेत्र उपयोजना/विशेष घटक योजना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित योजनाएँ			
15.	41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2225-02-794-190-602-4675 स्वरोजगार योजना	2.00
		योग (स)	2.00
		योग (अ+ब+स)	76.76

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ कंडिका 2.3.2)

अनुदान/विनियोग जिनमें आधिक्य के नियमन की आवश्यकता है

(हजार रूपयों में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य राशि	मुख्य कारण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
(अ) - राजस्व दत्तमद					
1.	04 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	85673	92110	6437	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये थे (जुलाई 2006)
2.	24 लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1362946	1562533	199587	--तदैव--
	योग (अ)	1448619	1654643	206024	--तदैव--
(ब)-राजस्व भारित					
3	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	1047	19863	18816	--तदैव--
4	23 जल संसाधन विभाग	110	831	721	--तदैव--
	योग (ब)	1157	20694	19537	
(स) -पूँजीगत दत्तमत					
5.	15 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	7000	9682	2682	--तदैव--
6.	39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	215001	219490	4489	--तदैव--
	योग (स)	222001	229172	7171	
	योग (अ+स) दत्तमत	1670620	1883815	213195	
	योग (ब) भारित	1157	20694	19537	
	महायोग (अ+ब+स)	1671777	1904509	232732	

परिशिष्ट 2.5
(संदर्भ कंडिका 2.3.4)
प्रकरण जिसमें अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं विवरण	मूल अनुदान/विनियोग	पूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
1.	2.	3.	4.	5.	6.
(अ) - राजस्व मतदेव					
1.	01 सामान्य प्रशासन	40.01	1.76	33.86	7.91
2.	02 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	3.84	0.36	2.12	2.09
3.	03 पुलिस	372.75	8.75	357.41	24.08
4.	05 जेल	30.27	7.47	19.92	17.82
5.	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	747.64	32.69	470.62	309.71
6.	07 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	55.91	10.68	49.39	17.20
7.	08 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	118.34	2.08	87.72	32.70
8.	14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	75.07	0.65	60.60	15.12
9.	15 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	22.73	1.75	16.03	8.45
10.	16 मछली पालन	8.15	0.12	7.55	0.72
11.	19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	229.42	3.76	186.41	46.77
12.	20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	134.90	0.50	108.85	26.55
13.	21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	29.76	1.13	12.30	18.59
14.	22 नगरीय प्रशासन	0.95	0.15	0.85	0.25
15.	23 जल संसाधन विभाग	100.69	2.00	97.82	4.87
16.	25 खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	21.18	0.50	19.52	2.16
17.	26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	6.23	0.67	5.55	1.35
18.	27 स्कूल शिक्षा	688.05	22.37	627.91	82.51
19.	28 राज्य विधानमंडल	12.77	1.22	10.73	3.26
20.	29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	38.84	4.99	33.87	9.96
21.	30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	199.69	26.73	186.38	40.04
22.	31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	5.71	1.07	4.86	1.92
23.	34 समाज कल्याण	14.72	0.02	10.92	3.82
24.	36 परिवहन	10.27	1.20	6.72	4.75
25.	39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	389.79	1.11	348.81	42.09
26.	40 आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	1.79	0.04	0.74	1.09
27.	41 आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	689.62	111.23	607.70	193.15
28.	43 खेल और युवा कल्याण	4.11	0.12	3.33	0.90
29.	45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य	18.95	0.30	18.88	0.37
30.	47 तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	50.71	4.43	43.47	11.67
31.	56 ग्रामोद्योग	20.92	0.83	17.73	4.02

32.	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	169.58	79.44	161.53	87.49
33.	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	170.54	13.92	135.22	49.24
34.	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	13.93	5.00	6.98	11.95
35.	78	ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	1.74	0.10	1.49	0.35
36.	79	चिकित्सा-शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	62.35	17.97	60.39	19.93
		योग (अ)	4561.92	367.11	3824.18	1104.85
(ब)- राजस्व भारित						
37.	01	सामान्य प्रशासन	7.19	0.23	5.36	2.06
38.	28	राज्य विधानमंडल	0.19	0.06	0.13	0.12
39.	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	7.86	0.43	6.90	1.39
40.	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	0.01	0.24	--	0.25
		योग (ब)	15.25	0.96	12.39	3.82
(स) पूँजीगत दत्तमत						
41.	17	सहकारिता	69.10	1.97	16.13	54.94
42.	23	जल संसाधन विभाग	298.88	5.64	243.27	61.25
43.	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	184.66	5.45	172.44	17.67
44.	37	पर्यटन	4.12	1.00	2.71	2.41
45.	40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	17.50	2.00	9.71	9.79
46.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	364.37	36.95	314.97	86.35
47.	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	241.89	11.50	205.01	48.38
48.	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	83.56	11.45	63.50	31.51
49.	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	15.13	0.10	14.97	0.26
50.	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	113.02	5.45	71.15	47.32
51.	65	विमानन विभाग	2.00	0.40	0.40	2.00
52.	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	111.06	21.19	62.77	69.48
53.	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	63.03	1.48	51.88	12.63
54.	79	चिकित्सा-शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	9.26	7.50	7.78	8.98
		योग (स)	1577.58	112.08	1236.69	452.97
		योग (अ+ब+स)	6154.75	480.15	5073.26	1561.64

परिशिष्ट 2.6
(संदर्भ कंडिका 2.3.4)
प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	मूल अनुदान/विनियोग	पूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
(अ) - राजस्व दत्तमत					
1	10 वन	275.62	27.10	286.45	16.27
2	11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	20.38	9.71	25.92	4.17
3	12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	131.92	19.86	135.66	16.12
4	13 कृषि	86.12	26.55	94.00	18.67
5	32 जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	16.99	5.00	20.78	1.21
6	44 उच्च शिक्षा	126.79	38.99	148.47	17.31
7	46 विज्ञान और तकनीकी	3.46	0.25	3.64	0.07
8	55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	125.17	49.04	140.13	34.08
9	65 विमानन विभाग	5.75	2.05	6.95	0.85
10	66 पिछड़ा वर्ग कल्याण	32.22	2.10	32.60	1.72
11	67 लोक निर्माण कार्य-भवन	83.94	23.00	94.52	12.42
12	80 त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	347.40	149.21	455.75	40.86
13	81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	324.24	87.75	398.88	13.11
14	82 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	108.99	48.99	129.48	28.50
	योग (अ)	1688.99	489.6	1973.23	205.36
(ब) - राजस्व भारित					
15.	08 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	0.03	0.12	0.12	0.03
16.	10 वन	13.00	3.76	16.40	0.36
17.	14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	0.01	0.02	0.02	0.01
18.	20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	0.05	0.17	0.19	0.03
19.	27 स्कूल शिक्षा	15.32	20.00	30.67	4.65
20.	33 आदिम जाति कल्याण	0.01	0.06	0.06	0.01
	योग (ब)	28.42	24.13	47.46	5.09
(स) - पूँजीगत दत्तमत					
21.	03 पुलिस	2.00	5.15	5.15	2.00
22.	11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	44.41	17.00	54.26	7.15
23.	12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	7.00	225.00	230.25	1.75
24.	47 तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	13.27	4.16	15.85	1.58
25.	60 जिला योजनाओं से संबंधित व्यय	20.23	4.80	24.78	0.25
26.	78 ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	0.65	0.25	0.77	0.13
	योग (स)	87.56	256.36	331.06	12.86
	महायोग (अ+ब+स)	1804.97	770.09	2351.75	223.31

परिशिष्ट 2.7
(संदर्भ कंडिका 2.3.4)
प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अप्राप्त था

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिव्यय
1.	2.	3.	4.	5.	6.
(अ) - राजस्व दत्तमत					
1.	04 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2.46	6.11	9.21	0.64
2.	24 लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	131.79	4.50	156.25	19.96
	योग (अ)	134.25	10.61	165.46	20.60
(ब) - पूँजीगत दत्तमत					
3.	39 खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	20.00	1.50	21.95	0.45
	योग (ब)	20.00	1.50	21.95	0.45
	योग (अ+ब)	154.25	12.11	187.41	21.05

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ कंडिका 2.3.5)

योजना के अन्तर्गत सारभूत आधिक्य वाले प्रकरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	आधिक्य की राशि	आधिक्य का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(अ) - राजस्व दत्तमत						
1.	04 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2235-60-200-2653 अपूर्व दृष्ट परियोजनाओं को सहायक अनुदान	1.06	2.17	1.11	104.7
2.	13 कृषि	2401-107-0801 केन्द्र क्षेत्रीय योजना 5673 पेस्टीसाइड प्रयोगशाला का स्थापना	0.70	2.78	2.08	297
3.	14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	2403-800-8881 डेयरी तकनीकी महाविद्यालय आई.जी.यू.रायपुर को अनुदान	0.80	2.60	1.80	225
4..	23 जल संसाधन विभाग	2701-80-052-697 औजर एवं संयंत्र	0.12	2.82	2.70	2250
5.	23 जल संसाधन विभाग	2701-80-799-9191 स्कंध	0.30	2.93	2.63	876.6
6.	41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2406-01-794-101-0602 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित 3874 वन ग्रामों का विकास	0.50	41.88	41.38	8276
7.	41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2403-796-102-0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 5905 गौवंश योजना	टोकन	6.83	6.83	*
8.	45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य	2702-01-101-1403 छिद्रण तथा विस्फोट द्वारा कुओं को गहरा करने की योजना	0.79	2.29	1.50	189.8
9.	82 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2236-02796-101-0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 5169-शालाओं में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	28.75	60.73	31.98	112
योग (अ)			33.02	125.03	92.01	
(ब) - राजस्व भारित						
10.	23 जल संसाधन विभाग	2701-80-800-4948 विकेन्द्रीकृत भुगतान राशि	1.10	8.31	7.21	655.4
योग (ब)			1.10	8.31	7.21	
(स) - पूँजीगत दत्तमत						
11.	23-जल संसाधन विभाग	4700-12-800-101 राज्य आयोजना 2898-बांध तथा संलग्न कार्य	0.30	4.46	4.16	1387
12.	23-जल संसाधन विभाग	4701-14-800-1001 राज्य आयोजना 3368 मध्यम सिंचाई कार्य का निर्माण	2.0	40.65	38.65	1932.5
13.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	4225-02-794-102 0602 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित 5212 स्थानीय विकास कार्यक्रम	0.50	1.73	1.23	246
14.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	4701-29-796-800-102 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 3366 मध्यम परियोजनाओं का निर्माण	0.20	11.34	11.14	55.70
15.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	4701-31-796-800-0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मध्यम परियोजनाओं का निर्माण	0.30	2.20	1.90	633
योग (स)			3.3	60.38	57.08	

(द) - पूँजीगत भारित						
16..	लोक ऋण	6003-105-3731-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण निधि से कार्ज	47.47	167.20	119.73	252.2
17..	लोक ऋण	6004-01-115-2644 पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु कार्ज	1.41	29.61	28.20	2000
18.	लोक ऋण	6004-02-101-6718 बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसाओं के अनुसार समेकित ऋण	टोकन	85.11	85.11	*
19..	लोक ऋण	6004-03-800-8437 संवर्धन सिंचाई सहायता कार्यक्रम	0.98	11.79	10.80	(1102)
20..	लोक ऋण	6004-04-12-3128 भूमि एवं जल संरक्षण हेतु ऋण	0.87	11.23	10.36	(1191)
21.	लोक ऋण	6004-04-800-5236 राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास हेतु ऋण	0.74	8.19	7.45	(1007)
22.	लोक ऋण	6004-04-800-9098 लघु तथा मध्यम नगरों के एकीकृत विकास हेतु ऋण	0.26	3.21	2.95	(1134.6)
		योग (द)	51.73	316.34	264.60	
		महायोग (अ+ब+स+द)	89.15	510.06	420.90	

* सांकेतिक प्रावधान के विरुद्ध आधिक्य

परिशिष्ट 2.9
(संदर्भ कंडिका 2.3.6)

गलत पुनर्वियोग

कुछ प्रकरण जिनमें निधियाँ समर्पण/पुनर्वियोग द्वारा अविवेकपूर्ण ढंग से आहरित की गईं यद्यपि लेखाओं में पहले से ही प्रावधान से अधिक व्यय दर्शाया गया था, का उल्लेख नीचे किया गया है

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या नाम एवं लेखा शीर्ष का नाम	मूल + पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोजन पूर्व आधिव्यय	पुनर्विनियोजन/समर्पण	अंतिम आधिव्यय
1	2	3	4	5	6	7
1	07-वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय 2039-001-1470 जिला कार्यपालिक स्थापना	8.60	10.31	1.71	(-) 1.08	2.79
2	12-ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय 2801-80-101-5855विद्युत एक बत्ती कनेक्शन एवं पाँच एच.पी.कृषि पम्प के मुफ्त प्रदाय में व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान	26.73	27.06	0.33	(-) 0.01	0.34
3	26-संस्कृतिक विभाग 2205-800-0101-राज्य आयोजना 5733 संचालन हेतु अनुदान	0.80	0.86	0.06	(-) 0.01	0.07
4	30-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 2515-101-2468 पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थान	0.32	3.11	2.79	(-) 0.09	2.88
5.	34-समाज कल्याण 2235-02-101-0101 राज्य आयोजना 3921 आयोग तथा विकलांग को अनुदान हेतु योजना	1.06	1.23	0.17	(-) 0.10	0.27
6.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 2202-01-796-001-102 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 2721-विकास खण्ड स्तर पर प्रशासन का सुदृढीकरण	6.26	6.83	0.57	(-) 0.02	0.59
7.	41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 2202-01 796-101-0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 494 आश्रम	8.40	10.57	2.17	(-) 0.62	2.79
8.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 2225-02-796-001-102 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 2289-नियोजन इकाई	0.20	0.73	0.53	(-) 0.01	0.54
9.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 2225-02-796-277-0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 2299 संचालन एवं प्रशासन	0.62	1.06	0.44	(-)0.07	0.51
10.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 4225 -02-794-102-0602 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित 5211-एकीकृत आदिवासी क्षेत्र विकास परियोजना में स्थानीय विकास कार्यक्रम	12.60	20.33	7.73	(-) 0.03	7.76
11	47-तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग 4202-02-103-101 राज्य आयोजना 717 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	3.10	3.59	0.49	(-) 0.06	0.55
12.	55-महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय 2235-02-107-101-राज्य आयोजना 5645 गरीब छात्र एवं छात्राओं का विवाह	1.34	1.77	0.43	(-) 0.01	0.44
13.	56-ग्रामोद्योग 2851-0105 राज्य आयोजना 1068 खादी बोर्ड के स्थापना व्यय हेतु अनुदान	0.49	0.74	0.25	(-) 0.04	0.29
14.	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय 2245-02-101-747 ओला पीड़ितों को राहत	0.50	4.41	3.91	(-) 0.13	4.04
15.	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय 2702-80-800-3819 लघुतम सिंचाई (कृषि)	15.73	17.16	1.43	(-) 0.88	2.31

16.	60-जिला योजनाओं से संबंधित व्यय 4515-800-0101 राज्य आयोजना 8284 राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	18.90	19.37	0.47	(-) 0.07	0.54
17.	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 2202-03-02 789-109-0103 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 2676 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	2.75	7.09	4.34	(-)0.16	4.50
18.	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण 2225-03-277-0101 राज्य आयोजना 3673 राज्य छात्रवृत्ति	8.50	10.94	2.44	(-) 0.23	2.67
19.	67-लोक निर्माण कार्य-भवन 4216-01-106-0101 राज्य आयोजना 2450 न्याय प्रशासन	0.02	1.12	1.10	(-) 0.02	1.12

परिशिष्ट 2.10
(संदर्भ कंडिका 2.3.6)
गलत पुनर्विनियोग

कुछ ऐसे प्रकरण जिनमें उपलब्ध बचत से अधिक निधियों का पुनर्विनियोजन/समर्पण द्वारा अविवेकपूर्ण ढंग से प्रत्याहरण किया गया परिणामस्वरूप निम्नानुसार अंतिम रूप से आधिक्य रहा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं	अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्ष का नाम	मूल + पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	उपलब्ध बचत	पुनर्विनियोग/समर्पण	अंतिम आधिक्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	01-सामान्य प्रशासन 2015-101-6262 राज्य निर्वाचन आयोग	3.69	2.36	1.33	(-) 1.39	0.06
2.	01-सामान्य प्रशासन 2052-090-4327 सचिवालय	11.37	9.16	2.21	(-) 2.36	0.15
3.	03-पुलिस 2055-109-121 केन्द्रीय पुलिस बल का नियोजन	5.00	0.20	4.80	(-) 5.29	0.49
4.	04 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय 2235-60- 200-9262 जिला सैनिक बोर्ड	1.09	0.80	0.29	(-) 0.30	0.01
5.	05-जेल 2056-101-938-केन्द्रीय तथा जिला जेल	21.07	19.11	1.96	(-) 2.96	1.00
6.	07-वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय 2040-101-1509-जिला स्थापना	11.80	10.10	1.70	(-) 2.26	0.56
7.	16-मछली पालन 2405-101-162 अंतर्देशीय मत्स्यों हेतु जिला स्तरीय अमला	4.70	4.46	0.24	(-) 0.45	0.21
8.	16-मछली पालन 2405-101-101 राज्य आयोजना (सामान्य) 1451मत्स्य तालाबों का विकास	0.43	0.29	0.14	(-) 0.24	0.10
9.	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय 4216-02-191-101 राज्य आयोजना (सामान्य) 6543 आवासीय गृह	4.00	2.25	1.75	(-) 1.76	0.01
10.	30-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 2501- 06-101-701 केन्द्र प्रवर्तित योजना 8701 स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना	8.25	5.47	2.78	(-) 3.06	0.28
11.	30-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 2505- 01-702-701 केन्द्र प्रवर्तित योजना 5372 सम्पूर्ण रोजगार योजना	43.75	38.69	5.06	(-) 8.04	2.98
12.	30-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 2515- 101-2474 पंचायत राज संस्थानों से संबंधित चार्जिंग	25.12	24.01	1.11	(-) 6.06	4.95

13.	31-योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय 3451-101-3686 राज्य नियोजन बोर्ड	0.64	0.44	0.20	(-) 0.30	0.10
14.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना 220-02-796-109-0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोगना 1398 छात्रावास	10.54	6.72	3.82	(-) 7.11	3.29
15.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना - 2202-02-796-110-102 आदिवासी क्षेत्र उपयोगना 672 ऐच्छिक संस्थानों को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान	6.17	4.68	1.49	(-) 2.09	0.60
16.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना 2403-796-110-102 आदिवासी क्षेत्र उपयोगना 5582 गायों का प्रावधान	30.00	11.18	18.82	(-) 20.00	1.18
17.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना 2230-03-796-101-102 आदिवासी क्षेत्र उपयोगना 5176 मिनी आई.टी.आई. की स्थापना	3.03	0.84	2.19	(-) 2.23	0.04
18.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना 4225-02-796-277-0702 केन्द्र प्रवर्तित योजना 1400 आश्रम एवं छात्रावास भवन	24.29	14.30	9.99	(-) 12.14	2.15
19.	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल 5054 -03-796-101-0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोगना 5418 नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	70.00	60.33	9.67	(-) 13.37	3.7
20.	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल 5054 -094-796-800 नाबार्ड प्रवर्तित योजना 6590 नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	21.42	13.90	7.52	(-) 8.88	1.36
21.	44-उच्च शिक्षा 2202-03-103 798 कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय	60.66	56.09	4.57	(-) 9.17	4.6
22.	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य 2702-02-016-0102 राज्य आयोजना 5478. वृष्टि छाया क्षेत्र में इंदिरा खेत गंगा योजना	5.50	5.10	0.40	(-) 0.42	0.02
23.	47-तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग 2230-03-003-717 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	13.54	12.30	1.24	(-) 2.36	1.12
24.	48-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान 2014-105-4848 ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	0.83	0.27	0.56	(-) 0.58	0.02
25.	55-महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय 2235-02-001-9041 महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय	1.74	1.16	0.58	(-) 0.60	0.02
26.	55-महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय, 2235-02-102-801 केन्द्रीय अनुभाग योजनाएँ सामान्य 9044 एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	41.01	31.10	9.91	(-) 12.68	2.77
27.	55-महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय 2236-02-101-0101 राज्य आयोजना 9050 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	75.77	72.56	3.21	(-) 6.03	2.82
28.	56-ग्रामोद्योग 2851-107-3778 रेशम संस्थान योजना का क्रियान्वयन	7.50	6.88	0.62	(-)0.71	0.09
29.	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय 2245-01-102-2661 पेयजल आपूर्ति	10.00	1.41	8.59	(-) 10.00	1.41
30.	60-जिला योजनाओं से संबंधित व्यय 4515-800-101 राज्य आयोजना 5398 छत्तीसगढ़ स्थानीय विकास योजना	1.65	0.94	0.71	(-) 0.90	0.19

31	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 2225-01-789-800-0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना (विशेष घटक योजना) 5191 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सहायता/पुनर्वास एवं सहायता	2.49	1.07	1.42	(-) 1.57	0.15
32	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना. 2236-02-789-101 1003 अतिरिक्त केन्द्र सहायता (विशेष घटक योजना) 4851 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	1.10	1.10	--	(-) 1.10	1.10
33	67-लोक निर्माण कार्य-भवन 4202-02-104-0101 राज्य आयोजना 8071 पॉलीटेक्निक भवन का निर्माण	3.17	0.52	2.65	(-) 2.72	0.07
34	68-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन 4210-02-796-104-0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोगना 5687 रक्षित मातृत्व केन्द्रीय योजना	2.0	0.07	1.93	(-) 1.95	0.02
35	68-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन 4225-02-796-277-0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोगना 1400 आश्रम एवं छात्रावास भवन	16.00	9.98	6.02	(-) 7.18	1.16
36	78-ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं 2851-107-1203 विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी उपयोगना) 8300 तसर विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	1.62	1.30	0.32	(-) 0.34	0.02
37	80-त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2235-60-102 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	45.00	40.23	4.77	(-) 5.10	0.33
38	81-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता 2217-05-800-1301 बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं 5704 बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगर निकायों को अनुदान बैंक सेवा हेतु	17.60	7.46	10.14	(-) 10.15	0.01

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ कंडिका 2.3.6)

बचत होने पर भी पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के अनावश्यक आवर्धन के प्रकरण नीचे दिये गये हैं

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं	अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्ष	मूल + पूरक प्रावधान	चास्तविक व्यय	उपलब्ध बचत	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा 2049-60-701-4192 शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना	7.03	--	7.03	(+) 0.71	7.74
2	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा 2049-60-701-4198 शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना	23.38	--	23.38	(+) 2.87	26.25
3	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा 2049-60-701-4209 अंतरानुभागी शासकीय कर्मचारी परिवार सहायता योजना	5.74	--	5.74	(+) 1.34	7.08
4	03- पुलिस 2055 -102-270 अपराध अन्वेषण विभाग	9.79	8.65	1.14	(+)0.09	1.23
5	29 न्याय प्रशासन और निर्वाचन 2014-102-573 उच्च न्यायालय	6.61	6.32	0.29	(+) 0.30	0.59
6	32 जनसंपर्क विभाग 2220-01-001-2320 निर्देशन और प्रशासन	7.70	7.30	0.40	(+) 0.37	0.77

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ कंडिका 2.3.6)

प्रकरण जिनमें अधिक व्यय को अवरण करने हेतु पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का अत्याधिक आवर्धन हुआ
(करोड़ रुपये में)

क्र.सं	अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्ष	मूल + पूरक प्रावधान	चारस्तविक व्यय	उपलब्ध बचत	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	03 पुलिस 2055-104-4492 सामान्य व्यय	75.93	85.25	9.32	(+) 10.09	0.77
2	11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय 2852-80-800-0101 राज्य आयोजना 3801-लघु कारखानों को ब्याज अनुदान	2.00	2.88	0.88	(+) 0.97	0.09
3	19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2210-03-103-101 राज्य आयोजना 2777 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	0.35	0.60	0.25	(+) 4.40	4.15
4	19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2211-001-801 केन्द्र अनुदान योजना 1508 जिला स्तर कर्मचारी	4.31	4.81	0.50	(+) 1.32	0.82
5	23 जल संसाधन विभाग 4700-02-800-101 राज्य आयोजना 2898 बांध तथा संलग्न कार्य	31.00	43.53	12.53	(+) 30.00	17.47
6	24 लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल 5053-02-102-0101 राज्य आयोजना 4727 हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	0.84	1.99	1.15	(+) 1.47	0.32
7	24 लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल 5054-04-800-101 राज्य आयोजना 2457 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	14.29	32.43	18.14	(+) 23.02	4.88
8	25 खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय 2853-02-001-4643-ग्रामीण स्थापना	2.47	2.60	0.13	(+) 0.90	0.77
9	40 आयाकट विभाग से संबंधित व्यय 4705-209-0701 केन्द्रीय प्रवर्तित योजना 2823 फील्ड चैनल का निर्माण	3.50	7.66	4.16	(+)6.19	2.03
10	41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 2202-01796-101-102 केन्द्रीय प्रवर्तित 5092 प्रावीण्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु कार्यक्रम	2.50	5.25	2.75	(+) 2.91	0.16
11	41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 2403-796-102-0102 आदिवासी उपयोजना 5905 गौ वंश योजना	सांकेतिक	6.83	6.83	(+) 20.00	13.17
12	45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य 2702-02-016-101 राज्य आयोजना 5707 शाकम्बरी	0.62	1.32	0.70	(+) 0.72	0.02
13	64 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 4210-02-789-104-0103 अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना 5056-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	0.58	2.07	1.49	(+) 1.52	0.03
14	64 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 4202-01-780-202-0703 केन्द्रीय प्रवर्तित योजना 1400 आश्रम एवं छात्रावास भवन	2.85	3.99	1.14	(+) 2.00	0.86
15	67 लोक निर्माण कार्य-भवन 4059-01-051-101 राज्य आयोजना 5049 राज्य विधानसभा	0.30	1.86	1.56	(+) 1.78	0.22
16	67 लोक निर्माण कार्य-भवन 4059-01-051-0101 राज्य आयोजना 8040 जेल भवन का निर्माण	1.10	1.96	0.86	(+) 1.07	0.21

17	68 आदिवासी क्षेत्र उपयोगना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन 4225-02-796-277-102 आदिवासी उपयोगना 5093 शिक्षक आवासीय गृह	8.00	10.75	2.75	(+) 5.86	3.11
18	82 आदिवासी क्षेत्र उपयोगना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2202-01-796-101-0102 आदिवासी उपयोगना 5087 राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन को अनुदान	5.00	6.23	1.23	(+)1.52	0.29
19	82 आदिवासी क्षेत्र उपयोगना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2202-01-796-101-0102 आदिवासी उपयोगना 5724 खाद्य उत्पादकों की परिवहन	सांकेतिक	1.12	1.12	(+)1.68	0.56

परिशिष्ट 2.13
(संदर्भ कंडिका 2.3.7)
बजट प्रावधान का व्यपगत होना

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	कुल उपलब्ध बचत	समर्पित राशि	समर्पित नही की गई राशि (कुल बचत का प्रतिशत)
1.	2.	3	4.	5.
(अ) राजस्व दत्तमत				
1.	03 पुलिस	24.08	--	24.08 (100)
2.	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	309.72	2.65	307.07 (99)
3	08 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	32.69	24.22	8.47 (25.9)
4	10 वन	16.27	10.94	5.33 (32.8)
5	12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	16.12	8.05	8.07 (50.1)
6	13 कृषि	18.66	--	18.66 (100)
7	14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	15.12	--	15.12 (100)
8	17 सहकारिता	10.38	--	10.38 (100)
9	19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	46.77	--	46.77 (100)
10	20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	26.55	--	26.55 (100)
11	27 स्कूल शिक्षा	82.51	--	82.51 (100)
12	29 न्याय प्रशासन और निर्वाचन	9.96	--	9.96 (100)
13	33 आदिम जाति कल्याण	61.68	30.93	30.75 (49.8)
14	38 बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त अनुदान सहायता	15.20	6.59	8.61 (56.6)
15	39 खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	42.09	--	42.09 (100)
16	41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	193.15	98.58	94.57 (48.9)
17	47 तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	11.68	5.10	6.58 (56.3)
18	64 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	49.24	24.15	25.09 (50.9)
19	79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	19.93	-	19.93 (100)
20	80 त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	40.86	12.25	28.61(70)
21.	82 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	28.51	10.60	17.91 (62.82)
	योग (अ)	1071.17	234.06	837.11
(ब) राजस्व भारित				

22.		ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	208.00	111.74	96.26 (46.3)
		योग (ब)	208.00	111.74	96.26
(स)		पूँजीगत दत्तमत			
23	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	9.17	1.11	8.06 (87.9)
24	10	वन	7.81	0.04	7.77 (99.4)
25	17	सहकारिता	54.93	--	54.93 (100)
26	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	7.08	--	7.08 (100)
27.	23	जल संसाधन विभाग	61.26	5.40	55.86 (91.2)
28.	24	लोक निर्माण कार्य सड़क और पुल	17.67	--	17.67 (100)
29.	40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	9.79	0.81	8.98 (91.7)
30.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	86.35	26.95	59.40 (68.8)
31.	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	31.51	--	31.51 (100)
32.	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	17.92	--	17.92 (100)
33.	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	47.32	25.69	21.63 (45.7)
34.	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	69.48	42.35	27.13 (39.6)
35.	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	12.63	5.40	7.23 (57.2)
36.	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	38.57	--	38.57 (100)
37.	79	चिकित्सा-शिषा विभाग से संबंधित व्यय	8.98	--	8.98 (100)
		योग (स)	480.47	107.75	372.72
		महायोग (अ+ब+स)	1759.64	453.55	1306.09

परिशिष्ट 2.14
(संदर्भ कंडिका 2.3.7)
निधियों का समर्पण

31 मार्च 2006 को कुल राशि के समर्पण के लिए जारी स्वीकृतियाँ

(हजार रुपयों में)

क्र.सं	अनुदान संख्या	लेखा का प्रकार	28.2.2006 तक	1.3.2005 से 30.3.2006	31 मार्च 2006 को	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व भारित	--	--	1,11,74,39	1,11,74,39
2.	लोक ऋण	पूँजीगत भारित	--	--	37,529,78	37,52,978
3.	01	राजस्व दत्तमत	--	--	7,84,26	7,84,26
		राजस्व भारित	--	--	2,12,18	2,12,18
4.	02	राजस्व दत्तमत	--	--	2,896	2,896
5.	05	राजस्व दत्तमत	--	--	18,01,26	18,01,26
		राजस्व भारित	--	--	11	11
6.	06	राजस्व दत्तमत	--	--	2,64,94	2,64,94
		राजस्व भारित	--	--	26	26
		पूँजीगत भारित	--	--	1,11,46	1,11,46
7.	07	राजस्व दत्तमत	--	--	15,94,00	15,94,00
		राजस्व भारित	--	--	4,43	4,43
		पूँजीगत दत्तमत	--	--	2,02,76	2,02,76
8.	08	राजस्व दत्तमत			24,21,72	24,21,72
		पूँजीगत दत्तमत	--	--	2,92,05	2,92,05
9.	09	राजस्व दत्तमत	--	--	2,09,22	2,09,22
		राजस्व भारित	--	--	10	10
		पूँजीगत दत्तमत	--	--	1,08,04	1,08,04
10.	10	राजस्व दत्तमत	--	--	10,94,05	10,94,05
		पूँजीगत दत्तमत	--	--	3,50	350
11.	11	राजस्व दत्तमत	--	--	4,13,49	4,13,49
		राजस्व भारित	--		25	25
		पूँजीगत दत्तमत	--	--	6,98,56	6,98,56
		पूँजीगत भारित			15,00	15,00
12.	12	राजस्व दत्तमत	--	--	8,04,58	8,04,58
		पूँजीगत दत्तमत			1,21,00	1,21,00
13.	15	राजस्व दत्तमत			4,48,67	4,48,67
		पूँजीगत दत्तमत	--	--	4,10	4,10
14.	16	राजस्व दत्तमत	--	--	7170	7170
		राजस्व भारित			110	110
15.	21	राजस्व दत्तमत			18,25,41	18,25,41
		पूँजीगत दत्तमत	--	--	6,50,19	6,50,19

16.	22	राजस्व दत्तमत	--	--	24,75	24,75
17.	23	पूँजीगत दत्तमत	--	--	5,40,00	5,40,00
18.	24	पूँजीगत भारित	--	--	2,80	2,80
19.	26	राजस्व दत्तमत	--	--	93,85	93,85
20.	28	राजस्व दत्तमत	--	--	510	510
21.	30	राजस्व दत्तमत	--	--	35,27,12	35,27,12
		राजस्व भारित	--	--	3	3
22.	33	राजस्व दत्तमत	--	--	30,93,34	30,93,34
		राजस्व भारित	--	--	26	26
23.	34	राजस्व दत्तमत	--	--	4,05,41	4,05,41
		राजस्व भारित	--	--	40	40
24.	35	राजस्व दत्तमत	--	--	32,03	32,03
		राजस्व भारित			60	60
		पूँजीगत दत्तमत			282	282
25.	36	राजस्व दत्तमत			3,28,31	3,28,31
		राजस्व भारित	--	--	10	10
26.	38	राजस्व दत्तमत	--	--	6,59,00	6,59,00
27.	40	राजस्व दत्तमत	--	--	53,27	53,27
		पूँजीगत भारित			81,00	81,00
28.	41	राजस्व दत्तमत			98,57,81	98,57,81
		पूँजीगत दत्तमत			26,95,41	26,95,41
29.	42	पूँजीगत दत्तमत	--	---	44,91,72	44,91,72
30.	43	राजस्व दत्तमत	--	--	1,08,10	108,10
		राजस्व भारित	--	--	10	10
31.	44	राजस्व दत्तमत	--	--	14,68,53	14,68,53
32.	46	राजस्व दत्तमत	--	--	7,00	700
33.	47	राजस्व दत्तमत	--	--	5,09,68	5,09,68
		राजस्व भारित	--	--	10	10
		पूँजीगत दत्तमत	--	--	16,32	16,32
34.	48	राजस्व दत्तमत	--	--	12,64,00	12,64,00
		पूँजीगत दत्तमत			13,73,80	13,73,80
35.	49	राजस्व दत्तमत	--	--	1,55,99	1,55,99
36.	53	पूँजीगत दत्तमत	--	--	1000	1000
37.	55	राजस्व दत्तमत	4,29,38	--	31,70,96	360034
		पूँजीगत दत्तमत	--	--	8,75	8,75
38.	56	राजस्व दत्तमत	--	--	4,27,69	4,27,69
		राजस्व भारित	--	---	10	10
		पूँजीगत दत्तमत	--	--	6,74	6,74
39.	58	राजस्व दत्तमत	--	---	1,14,89,43	1,14,89,43
		राजस्व भारित	--	--	20,00	20,00
		पूँजीगत दत्तमत	--	--	1,55,00	1,55,00
40.	59	राजस्व दत्तमत	--	3,80,000		38,00,00
41.	60	पूँजीगत दत्तमत	--	--	97,50	97,50
42.	64	राजस्व दत्तमत	1,23,842	525	11,71,39	24,15,06
		पूँजीगत दत्तमत	--	--	25,69,18	25,69,18
43.	65	राजस्व दत्तमत			51,13	51,13
		राजस्व भारित			10	10
		पूँजीगत दत्तमत	--		2,00,00	2,00,00
44.	66	राजस्व दत्तमत	--	--	2,13,88	2,13,88
		पूँजीगत दत्तमत	--	--	72,08	72,08

45.	67	राजस्व दत्तमत			15,50,00	15,50,00
		राजस्व भारित	--	--	1,90	1,90
		पूँजीगत दत्तमत	--	--	42,34,61	42,34,61
46.	68	पूँजीगत दत्तमत	5,4,000	--	--	5,40,00
47.	69	राजस्व भारित	--	--	12,07,21	12,07,21
		पूँजीगत दत्तमत	--	--	3,36,00	3,36,00
48.	76	पूँजीगत दत्तमत	66,50,00	--	--	66,50,00
49.	78	राजस्व भारित	--	--	35,16	35,16
		पूँजीगत दत्तमत	--	--	13,07	13,07
50.	80	राजस्व दत्तमत	--	--	12,24,85	12,24,85
		पूँजीगत दत्तमत	--	--	9,03	9,03
51.	81	राजस्व दत्तमत	---	--	12,15,90	12,15,90
52.	82	राजस्व भारित	--	--	10,59,96	10,59,96
		पूँजीगत दत्तमत	--	--	2,14	2,14
		योग	88,57,80	38,05,25	12424403	13690708

परिशिष्ट 2.15
(संदर्भ कंडिका 2.3.8)
अविवेकपूर्ण और अवास्तविक समर्पण
प्रकरण जिनमें उपलब्ध बचत से अधिक राशि का समर्पण किया गया

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं	अनुदान संख्या एवं नाम	कुल उपलब्ध बचत	अभ्यर्पित राशि
1.	2.	3.	4.
(अ) राजस्व दत्तमत			
1	05 जेल	17.83	18.01
2	34 समाज कल्याण	3.81	4.05
3	43 खेल एवं युवा कल्याण	0.90	1.08
4	55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	34.08	36.00
5	56 ग्रामोद्योग	4.01	4.28
6	58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	87.50	114.89
7	66 पिछड़ा वर्ग कल्याण	1.71	2.14
8	67 लोक निर्माण कार्य-भवन	12.43	15.50
9	69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	11.95	12.07
	योग (अ)	174.22	208.02
(ब) राजस्व भारित			
10.	01 सामान्य प्रशासन	2.06	2.12
	योग (ब)	2.06	2.12
(स) पूँजीगत दत्तमत			
11.	60 जिला योजनाओं से संबंधित व्यय	0.24	0.98
	योग (स)	0.24	0.98
(द) पूँजीगत भारित			
12.	लोक ऋण	373.76	375.30
	योग (द)	373.76	375.30
	महायोग (अ+ब+स+द)	550.28	586.42

परिशिष्ट 2.16
(संदर्भ कंडिका 2.5)
गुनर्विनियोग/समर्पण की दोषपूर्ण संस्वीकृतियाँ

(रुपये में)

क्र. सं.	स्वीकृतियों की संख्या	अनुदान संख्या	राशि	अनियमितताओं का विवरण
1.	3	13,23,39,41, 45, 57,64, 75,80	1,93,68,92,282	स्वीकृतियाँ 2006-07 में जारी की गई
2.	7	27, 47, 79	63,39,800	स्तंभ 6 एवं 13 के आँकड़ों में भिन्नता है
3.	1	10	5,94,50,000	अपूर्ण विवरण
4.	1	41, 64	43,57,000	विवरण की अनुपलब्धता
5.	1	05	5,71,434,	स्तंभ 13 के आँकड़ों में भिन्नता है
6.	3	03,29,64	1,37,90,000	पत्र में अभिस्वीकृतियाँ उपलब्ध नहीं है
7.	14	6,7,12,14,29,41,47,64,6 7,80,82	44,72,07,455	स्वीकृतियाँ अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त हुई
	योग (30)		2,46,86,07,971	

परिशिष्ट 2.17
(संदर्भ कंडिका 2.6)
वर्ष 2005-06 के दौरान व्यय की अधिकता

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान 2005-06	कुल व्यय 2005- 06	मार्च 2006 में व्यय	कुल व्यय से मार्च के व्यय का प्रतिशत
1.	11-वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	91.65	80.19	41.97	52.34
2.	12-ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	416.26	396.80	287.33	72.41
3.	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	63.40	34.58	21.94	63.45
4	25- खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	31.69	29.53	11.89	40.26
5.	39-खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	412.41	370.76	134.88	36.38
6.	43-खेल एवं युवा कल्याण	15.22	14.33	11.95	83.39
7	46-विज्ञान एवं तकनीकी	3.71	3.64	2.99	82.14
8.	53-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	0.70	0.60	0.60	100
9.	54-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	16.73	15.43	7.45	48.28
10.	83-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2.00	2.00	1.37	68.5
	योग	1053.77	947.86	522.37	

परिशिष्ट-2.18
संदर्भ कंडिका -2.7.2)
योजनाओं के अन्तर्गत सारभूत बचत का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	योजना शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	कुल व्यय	बचत (-)
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या-17-सहकारिता					
1.	2425	107-0910-5628-कृषक ऋण ब्याज हेतु अनुदान	13.00	9.68	-3.32
2.	2408	02-109-5054-गोदामों का निर्माण (मार्केटिंग फेडरेशन)	2.05	0.86	-1.19
कुल योजना-2	योग		15.05	10.54	-4.51
अनुदान संख्या- 67-लोक निर्माण कार्य-भवन					
3.	4059	01-051-0701-2450-न्याय प्रशासन	8.25	5.85	-2.40
4.	4059	01-051-0101-3342-छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली	6.19	2.70	-3.49
5.	4059	01-051-0101-2407-निर्वाचन	2.01	0.12	-1.89
6.	4202	01-202-0101-3490-माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण	14.21	9.17	-5.04
7.	4210	02-103-0101-4143-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण-मूलभूत सेवाओं के लिए	5.49	3.99	-1.50
8.	4216	01-106-0701-5640-न्याय प्रशासन	4.45	1.87	-2.58
9.	2059	60-053-3645-शासकीय उच्चतर माध्यमिक शालाओं/महाविद्यालय भवनों की मरामत	5.37	2.84	-2.53
10.	2059	01-051-6220-अन्य विभागों से संबंधित लघु कार्य	5.04	3.70	-1.34
कुल योजना-8	योग		51.01	30.24	-20.77
कुल योजना-10	महायोग		66.06	40.78	-25.28

परिशिष्ट-2.19
(संदर्भ कंडिका -2.7.2)
शून्य व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	योजना शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	कुल व्यय	बचत (-)
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या-17-सहकारिता					
1	4425	107-0101-955-केन्द्रीय सहकारी बैंक की अंशपूँजी का धनवेष्टन	3.00	-	-3.00
2	4425	107-0101-2759-जिला सहकारी एवं विकास बैंक की अंशपूँजी का धनवेष्टन	3.00	-	-3.00
3	4425	107-0101-2754-प्राथमिक कृषि उधार समितियाँ/कृषक सेवा/बड़े आधार एवं बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों की अंशपूँजी का धनवेष्टन	2.00	-	-2.00
4	4425	107-0101-5656-राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की पूँजी	2.00	-	-2.00
5	4425	107-0910-5422-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना जिला रायगढ़	2.12	-	-2.12
6.	4425	107-0910-5666-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	2.05	-	-2.05
7.	4425	108-0910-631-उपभोक्ता सामग्रियों का वितरण	0.10	-	-0.10
8.	4425	108-0910-5055-सहकारी शक्कर कारखाना	2.35	-	-2.35
9.	4425	107-0910-4983-कृषक सहकारी समितियों को मार्जिन मानी की सहायता	0.10	-	-0.10
10.	6425	107-0101-5567-जिला सहकारी बैंक रायगढ़ को ऋण	10.00	-	-10.00
11.	6425	107-0101-6568-कृषि उधार के सुदृढीकरण हेतु राज्य सहकारी बैंक को ऋण	5.00	-	-5.00
12.	6425	107-0910-5666-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	1.29	-	-1.29
13.	6425	108-0910-630-उपभोक्ता सामग्रियों का वितरण	0.02	-	-0.02
कुल योजना-13			योग	33.03	-33.03
अनुदान संख्या-57-जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ					
14.	4701	80-800-1201-5678-छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना	0.59	-	-0.59
15.	4702	101-1201-5678-छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना	0.50	-	-0.50
कुल योजना-2			योग	1.09	-1.09
अनुदान संख्या- 67-लोक निर्माण कार्य-भवन					
16.	2059	80-001-0101-052-3412-भारी संयंत्रों का क्रय	0.22	-	-0.22
17-	4059	80-001-0101-052-3412-भारी संयंत्रों का क्रय	0.50	-	-0.50
कुल योजना-2			योग	0.72	-0.72
अनुदान संख्या- 69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण					
18	2217	80-800-1001-अतिरिक्त केन्द्र सहायता 5874-गंदी बस्तियों का विकास	1.44	-	-1.44

19.	2217	80-800-1001-अतिरिक्त केन्द्र सहायता 5676-शहरी सुधार प्रगाढ निधि	2.92	-	-2.92
20.	2217	80-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 5677-सूखे शौचालयों को जल बहित शौचालयों में बदलना	1.80	-	-1.80
21.	2217	80-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 6741-राष्ट्रीय शहरी नदीकरण मिशन	5.00	-	-5.00
22.	6217	04-800-1001-अतिरिक्त केन्द्र सहायता 5874-गंदी बस्तियों का विकास	3.36	-	-3.36
कुल योजना - 5		योग	14.52	-	-14.52
कुल योजना - 22		महायोग	49.36	-	-49.36

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ कंडिका 3.1.6)

नमूना जांच किए गए जिला, बी.आर.सी. एवं स्कूलों को दर्शाने वाला विवरण

स.क्रं.	जिला	खण्ड	स्कूलों के नाम
1	बिलासपुर	मस्तुरी	प्रा.शा. भटछोरा
2			प्रा.शा. चरपारपंडी
3			उ.प्रा.शा. देवगाँव
4			उ.प्रा.शा.कैवटाडीह (टांगेर)
5			उ.प्रा.शा. + उ.मा.शा. मस्तुरी
6			उ.प्रा.शा. + उ.मा.शा. सीपत
7		पथरिया	प्रा.शा. अम्लीकापा
8			प्रा.शा. भटाली
9			उ.प्रा.शा. धरडेही (सारागाँव)
10			उ.प्रा.शा. लौंडा
11			उ.प्रा.शा. + उ.मा.शा. हमरो
12			उ.प्रा.शा. + उ.मा.शा. सिलदाहा
13		बिल्हा	प्रा.शा. भरपाली
14			प्रा.शा. मतिघारी
15			उ.प्रा.शा.सिलार
16			द. प्रा.शा.उदंतताल
17			उ.प्रा.शा. + उ.मा.शा. बेमानगोई
18			उ.प्रा.शा. + उ.मा.शा. चकरभाटा केंप
19	दुर्ग	बेमेतरा	प्रा.शा. (छात्र) छिरहा
20			प्रा.शा. कटलबोड
21			उ.प्रा.शा. हेमनबंद
22			उ.प्रा.शा. खण्डसारा
23			उ.प्रा.शा. + उ.मा.शा. बैजलपुर
24			उ.प्रा.शा. + उ.मा.शा. चंदनू
25		डोंडी लोहरा	ई.जी.एस.शास्त्री नगर कसाही
26			प्रा.शा. गर्ल्स दुधाली
27			प्रा.शा. बीमाडोला
28			उ.प्रा.शा. दुधाली
29			उ.प्रा.शा. कृष्णा
30			उ.प्रा.शा. + उ.मा. अकोली
31			उ.प्रा.शा. + उ.मा.शा. बंदगाँव
32		पाटन	प्रा.शा. बोरेंदा
33			प्रा.शा. झदमोखाली
34			उ.मा.शा.पोहांडा
35			उ.प्रा.शा. बिजली नगर भिलाई-3
36			उ.प्रा.शा. + उ.मा.शा. पाटन
37			उ.प्रा.शा. + उ.मा.शा. चरौंदा
38	जांजगीर-चांपा	बामनीडीह	प्रा.शा. बोरसी

39			प्रा.शा. दरी बंजर
40			मा.शा. अमरुवा
41			मा.शा. झारना
42			उ.प्रा.शा. + उ.मा.शा. कन्या सरगांव
43			उ.प्रा.शा. + उ.मा.शा. डी.डी.एस. बिरा
44		नवांगढ	प्रा.शा. दीरीपारा खोकसा
45			प्रा.शा. कनाईभाटा
46			मा.शा. बी.टी.आई. जांजगीर
47			मा.शा. गोधाना
48			उ.प्रा.शा. + उ.मा.शा. सालखान
49			उ.प्रा.शा. + उ.मा.शा. कन्या नवागढ
50		शक्ति	प्रा.शा. पहरी पारा धनपुर
51			प्रा.शा. खन्ताधारा
52			मा.शा. सकरीलिकाला
53			मा.शा. कन्याशक्ति
54			उ.प्रा.शा. + उ.मा.शा. मसनीआ काला
55			उ.प्रा.शा. + उ.मा.शा. लबसारा
56	रायपुर	आरग	प्रा.शा. भलीरा
57			प्रा.शा. बाहनाकारी
58			उ.प्रा.शा. चकवी
59			उ.प्रा.शा. नवागढ
60			उ.प्रा.शा. + उ.मा.शा. मंदिरहसौद
61			उ.प्रा.शा. + उ.मा.शा. आरंग
62		देवभोग	प्रा.शा. फलसपारा
63			प्रा.सा. खुंटगांव
64			उ.प्रा.शा. बंदीगांव
65			उ.प्रा.शा. सुपीबेड़ा
66			उ.प्रा.शा. + उ.मा.शा. देवभोग
67			उ.प्रा.शा. + उ.मा.शा. झकरापारा
68		मेनपुर	ई.जी.एस. कंवर आना
69			प्रा.शा. छिंडोला
70			प्रा.शा. गुजरीभाटा
71			उ.प्रा.शा. गांपालपुर
72			उ.प्रा.शा. जंगदा
73			उ.प्रा.शा. + उ.मा.शा. अंबिपदर
74	सरगुजा	अंबिकापुर	प्रा.शा. नवाबंद
75			प्रा.शा. खैरवार नं. 1
76			मा.शा. रामपुर खुर्द
77			मा.शा. अंबिकापुर
78			उ.प्रा.शा. + उ.मा.शा. कन्या मनिपुर
79			उ.प्रा.शा. + उ.मा.शा. गांधीनगर

80		मनीपाट	प्रा.शा. आश्रमशाला मालतीपुर
81			प्रा.शा. कठोरापारा
82			मा.शा. उदांकेला
83			मा.शा. जमकानी
84			उ.प्रा.शा. + उ.मा.शा. नर्मदापुर
85		उदयपुर	प्रा.शा. मनपुर
86			प्रा.शा. देवटिकरा
87			मा.शा. नमना
88			मा.शा. गजगा
89			उ.प्रा.शा. + उ.मा.शा. उदयपुर (छात्र)

परिशिष्ट- 3.2
(संदर्भ कंडिका 3.1.7)
एसपीओ द्वारा दिए गए व्यय के विवरण दर्शानेवाला पत्रक
(रूपये करोड़ में)

स.क्रं.	इंटरवेंशन के नाम	व्यय			
		2002-03	2003-04	2004-05	योग
1.	शिक्षक वेतन	0.11	7.37	35.53	43.01
2.	सिविल कार्य	5.66	27.41	135.16	168.23
3.	स्कूल छात्र से इंटरवेंशन	--	--	1.82	1.82
4.	फ्री टेस्ट बुक	--	--	19.66	19.66
5.	इनोवेटिव एक्टिविटीज	0.80	1.62	4.04	6.46
6.	इंटरवेंशन फार डिजावेल्ड चिल्ड्रेन	0.05	0.35	2.05	2.45
7.	संधारण अनुदान	0.29	8.67	13.69	22.65
8.	अनुसंधान मूल्यांकन परिवीक्षण संचालन	--	1.04	2.97	4.01
9.	स्कूल कंटीजेन्सी (स्कूल अनुदान एवं शिक्षक अनुदान)	6.96	6.70	11.37	25.03
10.	शिक्षक प्रशिक्षण सरअंजाम	5.84	6.36	22.88	35.08
11.	शिक्षक प्रशिक्षण	--	2.57	11.04	13.61
12.	अन्य साधारण सामान एवं प्रबंधन मूल्य	4.43	6.50	13.70	24.63
	योग	24.14	68.59	273.91	366.64

परिशिष्ट- 3.3
(संदर्भ कंडिका 3.1.9.12)

राज्य, जिला, खण्ड एवं कस्बा स्तर पर प्रबंधन संरचना को दर्शाने वाला पत्रक 2004-05

ए. स्टेट प्रोजेक्ट आफिस

स.क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	मिशन निदेशक	1	1	-
2.	अति. मिशन निदेशक	1	1	-
3.	संयुक्त निदेशक	1.	1.	-
4.	प्रबंधक वित्त	1.	1	-
5.	सहायक निदेशक	4.	1	3
6.	सहायक प्रोग्राम समन्वयक	8	2	6
7.	प्रोग्रामर	3	1	2
8.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	4	-	4
9.	कार्यपालन यंत्री	1	-	1
10.	सहायक यंत्री	2	-	2
11.	सहायक लेखा अधिकारी	1	-	1
12.	रोकड़िया	1	1	-
13.	लिपिक	1	-	1
14.	स्टेनो	7	1	6
15.	चपरासी	5	-	5
16.	चालक	10	-	10
17.	चालक	5	-	5
		56	10	46

ब. डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट आफिस

स.क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	जिला प्रोजेक्ट समन्वयक	16	6	10
2.	सहायक प्रोजेक्ट समन्वयक (वित्त)	16	4	12
3.	सहायक प्रोजेक्ट समन्वयक	16	-	16
4.	इंक्विटी समन्वयक	16	4	12
5.	प्रोग्रामर	16	7	9
6.	एपीसी (मोनिटोरिंग एवं सुपरविजन)	16	-	16
7.	एपीसी (रिसर्च इम्बलेशन एवं ट्रेनिंग)	16	-	16
8.	सहायक यंत्री	32	2	30
9.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	48	17	31
10.	लेखापाल	16	8	8
11.	लिपिक	48	20	28
12.	चपरासी	32	16	16
13.	चालक	16	7	9
		304	91	213

स. ब्लाक रिसोर्स सेंटर (बीआरसी) स्तर

स.क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	ब्लाक रिसोर्स सेंटर कोडिनेटर (बीआरसीसी)	146	130	16
2.	सपोर्टिव टीचर	438	36	402
3.	लेखापाल	146	72	74
4.	चपरासी	146	78	68
		876	316	560

द. क्लासटर रिसोर्स सेंटर (सीआरसी) स्तर

स.क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	क्लासटर एकाडेमिक कोडिनेटर	2172	1892	280
		2172	1892	280

परिशिष्ट 3.4

(कंडिका 3.4.7.9 में संदर्भित)

बजट आवंटन, व्यय और राजस्व कर्मियों के प्रशिक्षण का विवरण

जिला	आवंटन (लाख रुपये में)	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	दर प्रति प्रशिक्षु (रुपये में)	प्रशिक्षित राजस्व कर्मियों की संख्या
बस्तर	1.32	1.32	रु.700/-	208
बिलासपुर	2.97	2.06	रु.750/-	274
धमतरी	0.99	0.24	रु.150/-	159
दुर्ग	3.63	3.58	रु.1000/-	385
रायपुर	4.29	4.29	रु.1000/-	463
सरगुजा	2.97	2.54	रु.598/-	425
योग	16.17	14.03	--	1914

परिशिष्ट-3.5
(संदर्भ कंडिका 3.5.4.6)
वन्य प्राणी संख्या दर्शाने वाला पत्रक

आरक्षित क्षेत्र का नाम	गणना के अनुसार प्राणी की संख्या		गिरावट प्रतिशत
पशु का नाम	2001	2005	
नमूना जांच किए गए आरक्षित क्षेत्र			
जीजीडी एनपी			
बाघ	6 (2002)	4	33
तोमर पिंगला अभ्यारण्य			
बाघ	3	निरंक	100
चिता	18	13	28
धारीदार हिरण	401	67	83
सांभर	43	30	30
बारकिंग हिरण	605	189	69
बरनवापारा अभ्यारण्य			
बाघ	12	8	33
अन्य अभ्यारण्य			
कांगेर वेली अभ्यारण्य			
बाघ	9	4	56
चिता	25	19	24
बादलखोल अभ्यारण्य			
बाघ	1	निरंक	100
चिता	13	10	23
उदंती अभ्यारण्य			
बाघ	26	15	42
चिता	109	45	59
धारीदार हिरण	5352	716	87
बारकिंग हिरण	590	450	24
बिशन	564	40	93
सांभर	541	256	53
जंगली भैंस	72	61	15
सिमरसोत अभ्यारण्य			
चिता	18 (2002)	14	22
भौरमदेव अभ्यारण्य			
जंगली भैंस	8 (2002)	निरंक	100

परिशिष्ट 4.1
(संदर्भ कंडिका 4.2.1)

ठेकेदार से गतिशील एवं मशीनरी अग्रिम की वसूली न होने के परिणामस्वरूप शासन को हानि दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	ईकाई का नाम/अनुबंध क्रमांक	गतिशील अग्रिम					मशीनरी अग्रिम					वसूली के लिए कुल देय राशि
		भुगतान	वसूली राशि	शेष	ब्याज	वसूली के लिए देय राशि	भुगतान	वसूली राशि	शेष	ब्याज	वसूली के लिए देय राशि	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	01/2001-02 प्र कृ ई, प्र ग्रा स यो कांकेर	16.10	13.10	3.00	2.45	5.45	17.83	12.82	5.01	3.61	8.62	14.07
2	03/2001-02 प्र कृ ई, प्र ग्रा स यो कांकेर	26.82	10.93	15.89	7.59	23.48	19.80	8.14	11.66	5.50	17.16	40.64
3	151/2000-01 प्र कृ ई, प्र ग्रा स यो	5.70	0.58	5.12	2.87	7.99	56.30	40.42	15.88	14.25	30.13	38.12
4	190/2001-02 प्र कृ ई, प्र ग्रा स यो	28.66	17.72	10.94	5.94	16.88	--	--	--	--	--	16.88
योग		77.28	42.33	34.95	18.85	53.80	93.93	61.38	32.55	23.36	55.91	109.71
												पूर्णांक 1.10 करोड़ रुपये

- (i) कुल अग्रिम राशि (स्तंभ 3 + 8) = 171.21 लाख रुपये
(ii) कुल अग्रिम राशि (स्तंभ 4 + 9) = 103.21 लाख रुपये
(iii) शेष राशि (स्तंभ 5 + 10) = 67.50 लाख रुपये
(iv) ब्याज राशि (स्तंभ 6 + 11) = 42.21 लाख रुपये
(v) वसूली के लिए देय कुल राशि (iii)+(iv) = 109.71 लाख रुपये पूर्णांक 1.10 करोड़ रुपये

परिशिष्ट 4.2
(संदर्भ कंडिका 4.2.1)

ढेकेदार से वसूली योग्य राशि दर्शाने वाला विवरण पत्रक

अग्रिमों का नाम	संभाग के पास राशि (लाख रूपये में)			वसूली योग्य राशि (मूलधन + ब्याज) (लाख रूपये में)			
	कांकेर ईकाई	धमतरी ईकाई	योग	कांकेर ईकाई	धमतरी ईकाई	योग	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
निष्पादन प्रतिभूति	21.74	13.82	35.56	--			100.10
सुरक्षा जमा	24.17	40.37	64.54	--			
गतिशील अग्रिम मशीनरी अग्रिम				28.93	24.87	53.80	109.71
विविध				25.78	30.13	55.91	
विलंब के लिए शास्ति				44.22	--	44.22	118.95
अधिक भुगतान				--	47.49	47.49	
अतिरिक्त लागत				--	20.12	20.12	
रायल्टी				7.12		7.12	
योग	45.91	54.19	100.10	106.05	122.61	228.66	

वसूली हेतु देय राशि 228.66 लाख रूपये (-) संभाग के पास राशि 100.10 लाख = 128.56 लाख, पूर्णांक 1.29 करोड़ रूपये

परिशिष्ट- 4.3
(संदर्भ कंडिका 4.2.3)

श्लोक निर्माण विभाग एवं प्र.म.ग्रा.स.यो. के द्वारा जारी दर अनुसूची के अनुसार विभिन्न दरों का दर्शाने वाला विस्तृत विवरण पत्रिका

क्रं. सं.	मद का नाम	लो.नि.वि.के अनुसार द.अनु. दरें (1 नवम्बर 2002 संशोधित 17.2.2003 सहित प्रभावी)	प्र.म.ग्रा.स.यो. के अनुसार द अनु की दरें (16.4.2003 से प्रभावशील)
		(रूपये में)	
1.	साधारण सीमेंट क्रंकीट एम 20	1972/-	1972/-
2.	साधारण सीमेंट क्रंकीट एम 25	2067/-	2067/-
3.	साधारण सीमेंट क्रंकीट एम 30	2133/-	2133/-
4.	साधारण सीमेंट क्रंकीट एम 35	उपलब्ध नहीं	2880/-
5.	प्रबलिन सीमेंट क्रंकीट एम 20	उपलब्ध नहीं	2094/-
6.	प्रबलिन सीमेंट क्रंकीट एम 25	2183/-	2183/-
7.	साधारण सीमेंट क्रंकीट एम 15	1796/-	उपलब्ध नहीं
8.	प्रबलिन सीमेंट क्रंकीट एम 35	3092/-	उपलब्ध नहीं
9.	प्रबलिन सीमेंट क्रंकीट एम 40	3122/-	उपलब्ध नहीं

परिशिष्ट- 4.4
(संदर्भ कंडिका 4.2.4)

डामर की खपत उपयोग को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्र. सं.	अनुबंध क्र.	प्रमाणक क्र./ दिनांक	मदों का नाम	विशिष्टियों के अनुसार आवश्यक डामर की मात्रा (प्रतिशत/किलोग्राम में)	वास्तव में उपयोग किए गए डामर की मात्रा (प्रतिशत/किलोग्राम में)	निहित डामर की मात्रा में अन्तर (प्रतिशत/किलोग्राम में)	कार्य की मात्रा	कम उपयोग की गई डामर की मात्रा (मैट्रिक टन में)
1.	03/2003-04	37/ 12.5.2005	बी.एम.	3.40/68 किलोग्राम (प्रति घनमीटर)	3.12/62.4 किलोग्राम (प्रति घनमीटर)	0.28/5.6 किलोग्राम (प्रति घनमीटर)	2549.516 घ.मी.	14.27 ¹
			बी.यू.एस.जी.	2.00/30 किलोग्राम (प्रति 10 वर्गमीटर)	1.40/21 किलोग्राम (प्रति 10 वर्गमीटर)	0.60/9 किलोग्राम (प्रति 10 वर्गमीटर)	24044.90 व.मी.	21.64 ²
			एम.एस.एस.	4.75/19 किलोग्राम (प्रति 10 वर्गमीटर)	3.4/13.6 किलोग्राम (प्रति 10 वर्गमीटर)	1.35/5.4 किलोग्राम (प्रति 10 वर्गमीटर)	40954.43 व.मी.	22.11 ³
कुल (अ)								58.02
अधिक भुगतान की राशि 58.02 मै.ट. @ 16082 निविदा प्रतिशत जोड़कर (12.50) रु. 1066374/-								
2.	04/2003-04	79/ 22.3.2005	बी.एम.	3.40/68 किलोग्राम (प्रति घनमीटर)	3.23/64.6 किलोग्राम (प्रति घनमीटर)	0.17/3.4 किलोग्राम (प्रति घनमीटर)	2150.41 घ.मी.	7.31 ⁴
			बी.यू.एस.जी.	2.00/30 किलोग्राम (प्रति 10 वर्गमीटर)	1.53/22.95 किलोग्राम (प्रति 10 वर्गमीटर)	0.477.05 किलोग्राम (प्रति 10 वर्गमीटर)	19214.08 व.मी.	13.54 ⁵
			एम.एस.एस.	4.75/19 किलोग्राम (प्रति 10 वर्गमीटर)	3.17/12.68 किलोग्राम (प्रति 10 वर्गमीटर)	1.58/ 6.32 किलोग्राम (प्रति 10 वर्गमीटर)	37504.63 व.मी.	23.70 ⁶
कुल (ब)								44.55
सकल कुल								102.57
अधिक भुगतान की राशि 44.55 मै.ट. @ 16082 निविदा प्रतिशत जोड़कर (12.45) रु. 804747/-								

कम उपयोग की गई डामर की मात्रा **102.57** मे.टन
कुल अधिक भुगतान की राशि रुपये **18,71,121/-** (कहे रुपये **18.71** लाख)
टिप्पणी **2** ग्राम/घन सेंटीमीटर
1 घनमीटर **2000** किलोग्राम

¹ 2549.516X2X0.28 % = 14.27 MT
² 24044.90X0.075X2X 0.60%= 21.64 MT
³ 40954.43 X 0.02 X 2X1.35% = 22.11 MT
⁴ 2150.41X2X0.17 % = 7.31 MT
⁵ 19214.08X.075X2X 0.47 % = 13.54 MT
⁶ 37504.63 X 0.2X2X1.58 % = 23.70 MT

परिशिष्ट - 4.5

(संदर्भ कंडिका 4.4.1)

जिला अस्पताल बैकुण्ठपुर में निष्क्रिय पड़े उपकरणों का विवरण

स. क्रं.	मशीन/उपकरण का नाम	प्राप्ति दिनांक	मात्रा	दर (रुपयों में)	मूल्य (रुपयों में)
1	आर्थोस्कोप	6.6.03	01 नग	1808888	18,08,888=00
2	चिकित्सालयीन बिस्तर	10/03, 11/03, 2/04	92 नग	2393	220156=00
3	औजार ट्रॉली	24.10.03	14 नग	2665	37310=00
4	ड्रेसिंग ट्रॉली	-तदैव-	03 नग	3335	10005=00
5	बेड साइड लॉकर	01/04, 02/04	178 नग	1933	344074=00
6	बायल्स एपरेटस	18.8.03	02 नग	94207	188414=00
7	पल्स ऑक्सीमीटर	18.8.03	02 नग	85627	171254=00
8	कार्डियो टोकोग्राफ	21.6.03	01 नग	203876	203876=00
9	फ्लूटेक वेपोराइजर	18.8.03	01 नग	98889	98889=00
10	कॉयर मेट्रेस	22.10.03	77 नग	1150	88550=00
11	सक्शन मशीन	24.10.03	05 नग	8355	41775=00
				कुल	3213191=00
				यथा	32.13 लाख

परिशिष्ट - 4.6
(संदर्भ कंडिका 4.5.1)
आई.ई.सी. पर अतिरिक्त व्यय दर्शित विवरण

होर्डिंग्स (10' x 20' आकार)

उप समिति का नाम	फर्म का नाम	कार्यदेश का माह	होर्डिंग की संख्या	दर प्रति माह (रुपयों में)	अवधि (माहों में)	भुगतान की गई राशि (लाख रुपयों में)	प्रति माह संवाद का दर	यदि संवाद से कार्य कराया जाता तो कार्य का लागत (लाख रुपयों में)	दर में अंतर प्रतिमाह (रुपयों में)	अतिरिक्त लागत (लाख रुपयों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मलेरिया नियंत्रण उप समिति	शांति विजय एडवर्टाइजिंग	12/2002	114	2500	5	14.25	1644	9.37	856	4.88
		2/2003	118	2500	3	8.85	1644	5.82	856	3.03
	रिलायबल एसोसिएट्स	9/2003, 10/2003 : 12/2003	224	2900	6	38.98	1644	22.10	1256	16.88
आर सी एच उप समिति	फालगुनी मेडीकल एंड सर्जिकल	12/2004	100	2900	6	17.40	1644	9.86	1256	7.54
एड्स नियंत्रण उप समिति	यश पब्लिसिटी	3/2003	148	2500	5	18.50	1644	12.17	856	6.33
	अशोका एडवर्टाइजर	2004-05	77	2600	6	12.01	1644	7.59	956	4.42
टी बी नियंत्रण समिति	ए एस एडवर्टाइजर	3/05	70	13863 (1 वर्ष)		9.70	12812 (1 वर्ष)	8.96	1051	0.74
डेनिडा	बी एस एडवर्टाइजर	1/05	128	2600	3	9.98	1644	6.31	956	3.67
कुल			979			129.67		82.18		47.49

परिशिष्ट- 4.7
वाल पेंटिंग कार्य
(संदर्भ कंडिका 4.5.1)

उप समिति का नाम	फर्म का नाम	कार्य आदेश का दिनांक	मात्रा घ.मी. में	दर घ.मी. में	भुगतान की गई राशि (लाख रुपयों में)	संवाद द्वारा कार्य कराये जाने पर दर प्रति घ.मी. (रुपयों में)	संवाद का लागत	दर में अंतर (रुपयों में)	अतिरिक्त लागत (लाख रुपयों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आर सी एच	मेसर्स श्याम पेंटर	2.2.05	105840	9.90	10.48	4.94	5.23	4.96	5.25
	मेसर्स भूषण पेंटर	23.12.04	155505	9.90	1.53	4.94	0.77	4.96	0.76
मलेरिया	मेसर्स हेल्प एडवर्टाइजर	5.12.02	356720	7.50	26.75	4.94	17.62	2.36	9.13
	मेसर्स श्याम पेंटर	30.09.03	150500	9.25	13.92	4.94	7.43	4.31	6.49
	मेसर्स श्याम पेंटर	2 एवं 3.12.04	145600	9.90	14.41	4.94	7.19	4.96	7.22
एड्स	मेसर्स प्रिंट-इन-प्रिंट	30.10.04	16500	25.00	4.13	4.94	0.81	20.06	3.32
डेनिडा	मेसर्स मॉडर्न ग्राफिक्स	14.01.05	82191	18.25	15.00	4.94	4.06	13.31	10.94
	मेसर्स बी.एस.एडवर्टाइजर	29.01.05	84033	17.85	15.00	4.94	4.15	12.91	10.85
कुल			956889		101.22		47.26		53.96

परिशिष्ट- 4.8

(संदर्भ कंडिका 4.5.1)

पोस्टर (23" X 18" आकार) छापाई कार्य

उप समिति का नाम	फर्म का नाम	कार्य आदेश का दिनांक	मात्रा घ.मी. में	दर घ.मी. में	भुगतान की गई राशि (लाख रुपये में)	संवाद का दर प्रति घ.मी. (रुपयों में)	संवाद द्वारा कार्य कराये जाने पर लागत	अंतर (रुपयों में)	अतिरिक्त लागत (लाख रुपयों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आर सी एच	मेसर्स भारत प्रिंटर	23.12.04	330000	4.50	14.85	2.23	7.36	2.27	7.49
मलेरिया	मेसर्स दीपक प्रिंटर	4.12.02	150000	3.45	5.18	2.23	3.35	1.22	1.83
	मेसर्स रिलायबल एसोसिएट	11:12/02	960000	3.45	33.12	2.23	21.41	1.22	11.71
	मेसर्स दीपक प्रिंटर	2/03	320000	3.45	11.04	2.23	7.14	1.22	3.90
		19.9.03	100000	3.60	3.60	2.23	2.23	1.37	1.37
		19.11.04	100000	4.50	4.50	2.23	2.23	2.27	2.27
		2.12.04	320000	4.50	14.40	2.23	7.14	2.19	7.26
	मेसर्स अशोका एडवर्टाइजर	04-05	200000	6.20	12.40	2.23	4.46	3.85	7.94
कुल			2800000		113.49		62.46		51.03

परिशिष्ट - 4.9

(संदर्भ कंडिका 4.5.1)

लेबोरेटरी कन्ज्यूमेबल्स के क्रय पर अतिरिक्त व्यय का विवरण

स. क्र.	वस्तु का नाम	कार्य आदेश क्र./ दिनांक	दर रुपयों में	मात्रा	एजेसी का नाम	भुगतान राशि रु.	एजेसी का नाम एवं कोट किया गया दर (रुपयों में)	अंतर रु.	अतिरिक्त लागत रुपये
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
स. क्र.	वस्तु का नाम	कार्य आदेश क्र./ दिनांक	दर रुपयों में	मात्रा	एजेसी का नाम	भुगतान राशि रु.	एजेसी का नाम एवं कोट किया गया दर (रुपयों में)	अंतर रु.	अतिरिक्त लागत रुपये
1.	इमार्शन ऑयल 25 मि.ली.	1064/20-03-04	325.00	1158 बोतल	महावीर इंटरप्राइजेज रायपुर	376350	डॉल्फिन फॉर्मा भोपाल 190.00	135.00	156330
2	एक्वायस मिथाइल 0.1%	1049/27-03-04	105.00	2712	महेन्द्र इंटरप्राइजेज रायपुर	284760	डॉल्फिन फॉर्मा भोपाल 69.00	36.00	97632
3.	सल्फयूरिक एसिड 125 मि.ली.	1049/27-03-04	125.00	7672	महेन्द्र इंटरप्राइजेज रायपुर	959000	ए.के.एंटर प्राइजेस, जबलपुर रु.159.00 प्रति 500 मि.ली. यानी रु.39.75 प्रति 125 मि.ली.हेतु रु.	85.25	654038
	कुल					1620110			908000

परिशिष्ट 5.1
(संदर्भ कडिका 5.1.6.1)

अनुपूरक सूचियों के माध्यम से अनियमित रूप से सौंपे गये कार्य दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र.	संभाग के नाम	लेखापरीक्षा अवधि	नलकूपों की संख्या		राशि (करोड़ों में)
			अनुबंधित	अतिरिक्त	
1	धमतरी	30/8/05 से 7/9/05	75	371	132.22
2	रायपुर	21/10/02 से 29/10/02	1546	2166	425.68
3	बिलासपुर	21/6/02 से 1/7/02	152	96	15.45
4	राजनांदगाँव	25/1/06 से 4/2/06	110	210	42.19
5	जशपुर	5/1/05 से 14/1/05	43	110	67.73
6	कवर्धा	8/1/03 से 17/1/03	401	596	198.15
7	रायपुर (परियोजना)	14/1/02 से 2/2/02	2	9	29.19
			2329	3558	910.61

परिशिष्ट- 5.2
(कड़िका 5.1.7.1 में संदर्भित)
संग्रहण एवं आवश्यकता आंकलन का विस्तृत विवरण

संभाग का नाम रायपुर (सिविल)													
स.क्रं.	मद का नाम	इकाई	लक्षित नलकूप		प्र.अ.द्वारा आंकलित	शुद्ध आवश्यकता	संभाग में पड़ी हुई स्थल सामग्री के शेष	सर्वेस रकंध में शेष	कुल शेष	वास्तविक आवश्यकता	अधिक आंकलन	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10उ(839)	11उ(7-10)	12उ(7-11)		
1	32 मिमी ब्यास के जी आई पाइप	मीटर	661	0	20160	20160	4465.55	0	4465.55	15694.45	4465.55	141	629642.55
2	125 मिमी ब्यास के जी आई पाइप	मीटर		0	1570	1570	572.91	0	572.91	997.09	572.91	754	431974.14
3	150 मिमी ब्यास के जी आई पाइप	मीटर		0	7920	7920	35.99	347	382.99	7537.01	382.99	857	328222.43
4	125 मिमी ब्यास के यू पी व्ही सी पाइप	मीटर		1070	2650	1580	1141.29	0	1141.29	438.71	1141.29	238.35	272026.47
5	150 मिमी ब्यास के यू पी व्ही सी पाइप	मीटर		0	5280	5280	1677.7	0	1677.7	3602.3	1677.7	267.37	448566.65
6	साधारण हेण्डपंप असेम्बली	सेट		6	285	279	27	0	27	252	27	4224	114048.00
7	टेलीस्कोपिक हेण्डपम्प असेम्बली	सेट		45	315	270	104	0	104	166	104	4312	448448.00
स्थल सामग्री शेषों में संभाग के निर्दिष्ट केन्द्रीय भंडार की स्थल सामग्री, उप संभागों की तथा उपयंत्रियों की स्थल सामग्री सम्मिलित है।												कुल राशि	2672928.24

संभाग का नाम रायपुर (वि/यां)													
स.क्रं.	मद का नाम	इकाई	लक्षित नलकूप	मुख्य यंत्रों द्वारा लेखे में ली गई रकंध स्थिति	मुख्य यंत्रों द्वारा आंकलित	शुद्ध आवश्यकता	संभाग में पड़ी हुई स्थल सामग्री के शेष	रकंध के शेष	कुल शेष	वास्तविक आवश्यकता	अधिक आंकलन	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10उ(839)	11उ(7-10)	12उ(7-11)		
1	32 मिमी ब्यास के जी आई पाइप	मीटर	1205	0	9250	9250	5571.18	0	5571.18	3678.82	5571.18	141	785536.38
2	125 मिमी ब्यास के जी आई पाइप	मीटर		300	2850	2550	657.91	0	657.91	1892.09	657.91	754	496064.14
3	150 मिमी ब्यास के जी आई पाइप	मीटर		1200	14440	13240	2119.7	0	2119.7	11120.3	2119.7	857	1816582.90
4	125 मिमी ब्यास के यू पी व्ही सी पाइप	मीटर		0	3300	3300	4911.09	0	4911.09	-1611.09	4911.09	238.35	1170558.30
5	150 मिमी ब्यास के यू पी व्ही सी पाइप	मीटर		1000	9640	8640	464.15	0	464.15	8175.85	464.15	267.37	124099.79
6	हेण्डपंप असेम्बली (एन/टी)	सेट		0	1141	1141	399	0	399	742	399	4224	1685376.00
स्थल सामग्री शेषों में संभाग के निर्दिष्ट केन्द्रीय भंडार की स्थल सामग्री, उप संभागों की तथा उपयंत्रियों की स्थल सामग्री सम्मिलित है।												कुल राशि	6078217.50
												सकल योग	8751145.74

परिशिष्ट 5.3
(कडिका 5.1.7.1 में संदर्भित)
भौतिक संग्रह शेषों का विवरण

विवरण	जी आई पाइप			यू पी व्ही सी पाइप		हैंड पंप
	32 मिमी	125 मिमी	150 मिमी	125 मिमी	150 मिमी	
01.04.2004 को स्कंध का प्रारंभिक शेष (मीटर)	5571.18	657.91	2119.70	4911.09	464.15	399
केन्द्रीय भंडार में वर्ष 2004-05 के दौरान प्राप्ति (मीटर)	34008.00	8158.00	2918.00	9967.00	2683.00	872
योग (मीटर)	39579.18	8815.91	5037.70	14878.09	3147.15	1271
विभिन्न कार्यों में वर्ष 2004-05 के दौरान वास्तविक खपत	21510.00	2439.08	1834.28	6658.82	1436.28	516
31.03.2005 को शेष (मीटर)	18069.18	6376.83	3203.42	8219.27	1710.87	755
दर	141.00	675.00	965.00	241.00	266.00	4510.00
राशि	2547754.40	4304360.25	3091300.30	1980844.07	455091.42	3405050.00
31.03.2005 को स्कंध का अंतिम शेष (मीटर)	10842.24	2931.24	2060.72	3555.28	998.30	129
दर	141.00	675.00	965.00	241.00	266.00	4510.00
राशि	1528755.84	1978587.00	1988594.80	856822.48	265547.80	581790.00

स्कंध में कमी का मूल्य

(लाख रुपये में)

खपत पर आधारित प्रत्याशित शेष स्कंध	15784400.42
वास्तविक उपलब्ध स्कंध	7200097.92
स्कंध की कमी	8584302.50
	अर्थात् I 85.84 लाख

परिशिष्ट 5.4

(संदर्भ कंडिका 5.1.7.2)

अन्य संभाग को स्थानान्तरित की गयी सामग्री दर्शाने वाला विवरण पत्रक

संभाग के नाम	32 एम.एम. जी.आई.पाईप	125 एम.एम. जी.आई.पाईप	150 एम.एम. जी.आई.पाईप	150 एम.एम. यू.पी.व्ही.सी. पाईप
जगदलपुर	0	0	300	0
जशपुर/कुनकुरी	0	0	0	500
जशपुर	0	312.58	0	0
जशपुर	0	0	0	501
महासमुद	150	0	0	0
धमतरी	0	0	0	198
धमतरी	0	0	50	138
अम्बिकापुर	0	0	211.88	0
धमतरी	0	0	72	0
धमतरी	0	100	90	0
कुल	150	412.58	723.88	1337
दर/मीटर	141	675	965	266
राशि	21150	278491.5	698544.2	355642
कुल राशि				1353827.7

परिशिष्ट 6.1

(संदर्भ कड़िका 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4 एवं 6.1.5)

सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों के संबंध में 31 मार्च 2006 को बजट से प्राप्त पूंजी, ऋण/अंशपूँजी, अन्य ऋण एवं लंबित ऋणों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(कालम 3(क) से 4(च) तक के आंकड़े लाख रूपए में)

क्र. सं.	कंपनी/निगम के क्षेत्र एवं नाम	चालू वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी					वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंशपूँजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य ऋण [@]	वर्ष 2005-06 की समाप्ति पर लंबित ऋण ^{**}			2005-06 के लिए ऋण अंशपूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष) 4च/3ड
		राज्य सरकार	केंद्र सरकार	धारक कंपनी	अन्य	योग	अंशपूँजी	ऋण		सरकार	अन्य	योग	
1.	2.	3 (क)	3 (ख)	3 (ग)	3 (घ)	3 (ङ)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	4 (ङ)	4 (च)	5
क	कार्यरत सरकारी कंपनियाँ												
(क)	उद्योग												
1.	छत्तीसगढ़ राज्य मद्रिरा निगम मर्यादित	14.54	--	--	--	14.54	--	--	--	--	--	--	--
	योग (क)	14.54	--	--	--	14.54	--	--	--	--	--	--	--
(ख)	वन												
2.	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित	562.09	92.40	--	--	654.49	--	--	--	--	--	--	--
	योग (ख)	562.09	92.40	--	--	654.49	--	--	--	--	--	--	--
(ग)	खनन												
3	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम मर्यादित	100.00	--	--	--	100.00	--	--	--	--	--	--	--
	योग (ग)	100.00	--	--	--	100.00	--	--	--	--	--	--	--
(घ)	सार्वजनिक वितरण												
4.	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित	90.07	--	--	--	90.07	--	--	--	100.00	--	100.00	1.11:1 (1:11:1)
	योग (घ)	90.07	--	--	--	90.07	--	--	--	100.00	--	100.00	1.11:1 (1:11:1)

नोट:-आंकड़े अस्थायी एवं जैसा कि कम्पनियों/निगमों द्वारा अग्रोषित

[@] बाँड, ऋणपत्र, अंतर निगम जमाओं को सम्मिलित करते हुए।^{**} 2005-06 की समाप्ति पर लंबित ऋण, केवल दीर्घावधि ऋणों को दर्शाते हैं।

1.	2.	3 (क)	3 (ख)	3 (ग)	3 (घ)	3 (ङ)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	4 (ङ)	4 (च)	5
(इ)	वित्त												
5.	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम मर्यादित	420.00	--	--	--	420.00	--	--	--	--	--	--	--
6.	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित	160.00	--	--	--	160.00	--	1100.00	--	1100.00	--	1100.00	6.88:1
	योग (इ)	580.00	--	--	--	580.00	--	1100.00	--	1100.00	--	1100.00	1.89:1
(च)	ऊर्जा												
7.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित	--	--	5.00	--	5.00	--	--	--	--	--	--	--
8.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित	--	--	5.00	--	5.00	--	--	--	--	--	--	--
9.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित	--	--	5.00	--	5.00	--	--	--	--	--	--	--
	योग (च)	--	--	15.00	--	15.00	--	--	--	--	--	--	--
(छ)	कृषि												
10.	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम मर्यादित	50.00	--	--	--	50.00	50.00	--	--	--	--	--	--
	योग (छ)	50.00	--	--	--	50.00	50.00	--	--	--	--	--	--
	योग (क)	1396.70	92.40	15.00	--	1504.10	50.00	1100.00	--	1200.00	--	1200.00	0.80:1 (0.07:1)
ख	सांविधिक निगम												
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल	2311.50 [§]	--	--	--	2311.50	--	579.00	--	81719.32	12952.00	94671.32	40.96:1 (44.16:1)
2.	छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम	50.00	--	--	50.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--
	योग (ख)	2361.50	--	--	50.00	2411.50	--	579.00	--	81719.32	12952.00	94671.32	39.26:1 (42.33:1)
	महायोग (क+ख) [#]	3758.20	92.40	15.00	50.00	3915.60	50.00	1679.00	--	82919.32	12952.00	95871.32	24.48:1 (26.43:1)

[§] अस्थायी रूप से म.प्र.राज्य विद्युत मंडल एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (गठन के बाद) में प्रभाजित

[#] सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यरत समस्त उपक्रमों में राज्य सरकार का अंश पूंजी में निवेश 37.58 करोड़ रुपये था। वित्त लेखों के अनुसार आंकड़े 33.16 करोड़ रूपए हैं, अंतर मिलान के अधीन है।

परिशिष्ट 6.2

(संदर्भ कड़िका 6.1.1, 6.1.6 एवं 6.1.7)

सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष के लिए, जिसके लेखाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका था, संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(स्तंभ 7 से 12 एवं 15 के आंकड़े लाख रूपए

में)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कंपनियों का नाम	विभाग का नाम	निगमन का दिनांक	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया*	शुद्ध लाभ (+)/ हानि(-)	लेखा परीक्षा टिप्पणी का निवल प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचयी लाभ(+)/ हानि(-)	लगाई गई पूंजी (अ)	लगाई गई पूंजी से कुल वापसी (ब)	लगाई गई पूंजी से कुल वापसी का %	लेखों में विलंब वर्षों में	टर्न ओवर	जन शक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
क	सरकारी कंपनियां														
	कार्यरत														
(क)	उद्योग														
1	छत्तीसगढ़ राज्य मदीरा निगम मर्यादित	वाणिज्यिक कर	7.11.2001	2003-04	2004-05 (1/05)	(-) 74.82	--	14.54	(-) 65.99	(-) 53.62	(-) 74.82	--	2	430.18	38
	योग (क)	--	--	--	--	(-) 74.82	--	14.54	(-) 65.99	(-) 53.62	(-) 74.82	--		430.18	38
(ख)	वन														
2	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित	वन	22.5.2001	2004-05	2005-06 (2/06)	1084.27	(+)111.89	654.49	353.79	3756.64	1084.27	28.86	1	2745.60	634
	योग (ख)		--	--	--	1084.27	--	654.49	353.79	3756.64	1084.27	28.86		2745.60	634
(ग)	खनन														
3	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम मर्यादित	भौमिकी एवं खनन	7.6.2001	2002-03	2006-07 (7/06)	55.07	--	55.00	65.36	132.28	55.07	41.63	3	616.99	246
	योग (ग)		--	--	--	55.07	--	55.00	65.36	132.28	55.07	41.63		616.99	246
(घ)	सार्वजनिक वितरण														
4	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	13.3. 2001	2002-03	2005-06 (2/06)	(-) 4028.76	--	90.07	(-) 4456.47	1277.82	(-) 4028.76	--	3	91314.94	481
	योग (घ)		--	--	--	(-) 4028.76	--	90.07	(-) 4456.47	1277.82	(-) 4028.76	--		91314.94	481

* माह जिसमें लेखों की अंतिम रूप दिया गया वह कोष्ठकों में दिखाया गया है। अक्टूबर 2005 के पूर्व जिन लेखों को अंतिम रूप में दिया गया उसे गत वर्ष के प्रतिवेदन में शामिल किया गया था।

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
(इ)	वित्त														
5	छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना विकास निगम मर्यादित	वित्त	26.2.2001	2003-04	2005-06 (10/05)	(-)30.33	(-)4.49	320.00	(-)57.55	218.59	(-)30.33	--	2	12.95	07
6.	छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग विकास निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	16.11.1981	2001-02	2004-05 (6/05)	(-) 50.84	--	160.00	94.75	187.00	(-) 50.84	--	4	232.02	203
	योग (इ)					(-) 81.17	--	480.00	37.20	405.59	(-) 81.17	--		244.97	210
(च)	ऊर्जा														
7.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित	ऊर्जा	19.5.2003	2004-05	2005-06 (8/05)	--	--	5.00	--	वाणिज्यिक गतिविधियां प्रारंभ नहीं			1	--	--
8.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित	ऊर्जा	19.5.2003	2004-05	2005-06 (8/05)	--	--	5.00	--	वाणिज्यिक गतिविधियां प्रारंभ नहीं			1	--	--
9.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित	ऊर्जा	19.5.2003	2004-05	2005-06 (8/05)	--	--	5.00	--	वाणिज्यिक गतिविधियां प्रारंभ नहीं			1	--	--
	योग (च)		--	--	--	--	--	15.00	--	--	--	--		--	--
(ज)	कृषि														
10.	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम मर्यादित	कृषि	8.10.2004	--	प्रथम लेखे अंतिम रूप नहीं दिया गया है	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
	योग (ज)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--
	योग (क)					(-) 3045.41		1309.10	(-) 4066.11	5518.71	(-) 3045.41	--		95352.68	1609
ख	सांविधिक निगम														
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल	ऊर्जा	15.11.2000	2001-02	2005-06 (2/06)	35127.00	--	2311.50	35127.00	208902.00	47035.00	22.52	4	20413.00	17683
2.	छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम	खाद्य	2.5.2002	2002-03	2004-05 (5/05)	808.55	--	100.00	867.48	3464.99	809.75	23.37	3	2067.97	751
	योग (ख)		--	--	--	35935.55	--	2411.50	35994.48	212366.99	47844.75	--		206170.97	18434
महायोग (क+ख)						32890.14	--	3720.60	31928.37	217885.70	44799.34	--		301523.65	20043

(अ) लगाई गई पूंजी निवल स्थायी परिसंपत्तियों (वर्क-इन-प्रोग्रेस पूंजी सहित) तथा कार्यरत पूंजी का योग, वित्त कंपनियों/निगमों के उस प्रकरण को छोड़ जहां लगाई गई पूंजी को, प्रदत्त पूंजी, रक्षित निधि, बांडों, जमाओं और उधारियों (पुनर्वित्त सहित) के प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष के योग के मध्यमान के रूप में निकाला गया हो को प्रदर्शित करती हैं।

(ब) लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल निवल आधिक्य में लाभ-हानि लेखे में प्रभाविता उधार ली गई निधियों पर ब्याज के योग अथवा निवल हानियों में लाभ-हानि लेखे में उधार ली गई निधियों पर ब्याज को घटाने को प्रदर्शित करता है।

परिशिष्ट 6.3

(संदर्भ कंडिका 6.1.1 एवं 6.1.5)

वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता, प्राप्त गारंटियां, बकाया का स्वत्व त्याग, ऋण जिन पर ऋण स्थगन प्रदान किया गया हो एवं वर्ष के दौरान अंशपूर्जी में परिवर्तित ऋण और मार्च 2006 के अंत तक लंबित प्राप्य सहायता तथा लंबित गारंटियों को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(कालम 3(क) से 7 तक में दर्शाये गये आंकड़े लाख रूप में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता और अनुदान*				वर्ष के दौरान प्राप्त एवं वर्ष के अंत में लंबित गारंटी					वर्ष के दौरान बकाया पर स्वत्व त्याग				ऋण जिन पर ऋण स्थगन प्रदान किया गया	वर्ष के दौरान अंशपूर्जी में परिवर्तित ऋण
		केंद्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	बैंकों से नगद साख	अन्य स्रोतों से ऋण	आयात के संबंध में बैंकों द्वारा दिए गए साखपत्र	विदेशी सलाहकों या टेकदारों से करार के अंतर्गत भुगतान बंधन	योग	अपलिखत किए गए ऋणों का पुनर्भुगतान	स्थगित ब्याज	स्थगित दंडिक ब्याज	योग		
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7
क	कार्यरत सरकारी कंपनियां															
(क)	सार्वजनिक वितरण															
1.	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित	381.27	33.23	--	414.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	योग (क)	381.27	33.23	--	414.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
(ख)	वित्त															
2.	छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग विकास निगम मर्यादित	615.52	4698.42	--	5313.94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3.	छत्तीसगढ़ अद्योसंरचना विकास निगम मर्यादित	--	(40.00)	--	(40.00)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	योग (ख)	615.52	4698.42 (40.00)	--	5313.94 (40.00)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
(ग)	खनन															
4.	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम मर्यादित	--	1000.00	--	1000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	योग (ग)	--	1000.00	--	1000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
(घ)	कृषि															
5.	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम मर्यादित	223.16	-- (200.00)	--	223.16 (200.00)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* स्तंभ 3(क) से 3(घ) में कोष्ठक के आंकड़े अनुदानों को प्रदर्शित करते हैं और स्तंभ 4(क) से 4(ङ) के आंकड़े वर्ष के अंत में लंबित गारंटियों को प्रदर्शित करते हैं।

	योग (घ)	223.16	(200.00)		223.16 (200.00)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	योग (क)	1219.95	5731.65 (240.00)	--	6951.60 (240.00)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ख	सांख्यिक निगम															
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल	-- (579.00)	9272.00 (3706.50)	--	9272.00 (4285.50)	--	35407.15 (32516.08)	--	--	35407.15 (32516.08)	--	--	--	--	--	--
	योग (ख)	-- (579.00)	9272.00 (3706.50)	--	9272.00 (4285.50)	--	35407.15 (32516.08)	--	--	35407.15 (32516.08)	--	--	--	--	--	--
	योग (क+ख)	1219.95 (579.00)	15003.65 (3946.50)	--	16223.60 (4525.50)	--	35407.15 (32516.08)	--	--	35407.15 (32516.08)	--	--	--	--	--	--

परिशिष्ट 6.4
(संदर्भ कंडिका 6.1.11)

विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्र. सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित कंडिकाओं की संख्या	वर्ष जब से कंडिकाएं लंबित हैं
1.	ऊर्जा	4	496	1170	1974-75
2.	वाणिज्य एवं उद्योग	1	4	21	2002-03
3.	वन	1	4	13	2002-03
4.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2	4	47	2002-03
5.	भौमिकी एवं खनन	1	3	17	2003-04
6.	वाणिज्यिक कर	1	3	16	2003-04
7.	वित्त	1	2	4	2003-04
	योग	11	516	1288	--